फाइनेंस एक्ट १९६३ के अनुसार

आयकर विधान के मूल तत्व

[Elements of Income Tax]

डॉ० एस० आर० वाजपेयी, पी-एच० डी०
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर

किताब घर, कानपुर

प्रकाशक किताब घर, आचार्यनगर, कानपुर

प्रकाशन-काल सितम्बर १९६३

मूल्य छः रुपये पच्चीस नये पैसे

मुद्रक अनूपम प्रेस, चन्द्रिकादेवी रोड, कानपुर

द्वितीय संस्करण की भूमिका

हमे पुस्तक का द्वितीय सस्करण पाठको के समक्ष रखने मे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। प्रस्तुत सस्करण मे फाइनेंस एक्ट १९६३ के अनुसार किए गए परिवर्तनो को स्थान दिया गया है तथा पहले की अपेक्षा अधिक पठनीय सामग्री दी गई है। आशा है पुस्तक अपने नये रूप मे पाठको को और भी अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी।

१५ सितम्बर, १९६३
डी० ए० वी० कालेज,
कानपुर

एस० आर० वाजपेयी

•

प्राक्कथन

आयकर की यह पुस्तक विशेष कर विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। समस्त पुस्तक नये आयकर विधान १९६१ के आधार पर लिखी गई है, तथा फाइनेंस एक्ट १९६२ में किये गये परिवर्तन भी सम्मिलित किये गए हैं। प्रत्येक अध्याय के तीन भाग हैं। प्रथम भाग में वैधानिक विवेचना की गई है। प्रयत्न इस बात का किया गया है कि कानूनी विशेषताओं को कायम रखते हुए जहाँ तक हो सके सरल से सरल भाषा में लिखा जाय। यथास्थान धाराओं के नम्बर भी दिये गये हैं, जिससे विद्यार्थियों को विधान से मिलाने या आगे अध्ययन करने में सुविधा हो। दूसरे भाग में साराश दिया गया है। साराश अंग्रेजी में दिया है, क्योंकि प्रश्न प्राय. अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं। तीसरे भाग में उदाहरण के तौर पर हल किये हुये प्रश्न दिये हैं। अभ्यासार्थ प्रश्नों की संख्या भारी रक्खी गई है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्नों का भी समावेश कर दिया गया है। सभी प्रश्न कर-देय वर्ष १९६२–६३ के आधार पर हल किये गये हैं। आशा है, पुस्तक विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक की रचना में मैंने अपने मित्र श्री टी० एन० पाण्डेय से समय-समय पर परामर्श किया है, इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

सितम्बर १, १९६२
डी० ए० वी० कालेज,
कानपुर

एस० आर० वाजपेयी

विषय सूची

१

विषय प्रवेश

आय कर का प्रारम्भ भारतवर्ष मे सन् १८६० ई० से हुआ। उस समय सरजेम्स विलसन ने पहली बार आय के आधार पर कर लगाया। यह कर १८६५ तक चला। परन्तु इसके बाद बन्द कर दिया गया। बाद म सरकार ने लाइसेंस टैक्स तथा सार्टिफिकेट टैक्स लगाए जो व्यक्तिगत कर तो थे परन्तु जिन्हे सच्चे अर्थ मे आय कर नही कहा जा सकता। सन् १८८६ मे आय कर फिर से लगाया गया। इसके लिये आय कर अधिनियम भी बना तथा प्रथम बार आय को चार शीर्षको (वेतन, कम्पनियो का लाभ, प्रतिभूतियो पर ब्याज तथा अन्य) मे बाटा गया। अधिकर (Super tax) पहली बार १९१७ मे लगाया गया। पुराना अधिनियम १९२२ तक चलता रहा यद्यपि उसमे १९१८ मे पर्याप्त सुधार किए गए।

१९२२ का अधिनियम

१९२२ के अधिनियम का आय कर मे विशेष महत्व है। यह आयकर के नियमो को विस्तृत रूप से लिपिबद्ध करने का पहला प्रयास था। पुराने अधिनियमों मे विस्तृत नियमो की कमी थी जिसके कारण आय कर के निर्धारण मे कठिनाई पड़ती थी। १९२२ के अधिनियम द्वारा इसे बदल दिया गया। १९६१ का अधिनियम बनने के पहले १९२२ का अधिनियम ही आय कर का आधार था, यद्यपि इस समय तक पुराने अधिनियम मे पर्याप्त सुधार किए जा चुके थे। सब से महत्वपूर्ण सुधार १९३९ मे हुआ जब कि 'स्टेप प्रणाली' (Step system) के स्थान पर 'स्लैब प्रणाली' (Slab system) लागू की गई। इसके अलावा समय समय पर अनेक छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे। १ अप्रैल १९४६ को व्यापार लाभ कर

(Excess profits tax) को इसमे सम्मिलित किया गया जो ३१ मार्च १९४६ तक चला । १९४६-४७ मे पूजी लाभ (Capital gains) पर भी कर लगाया गया जो १९४७-४८ तक चलता रहा । १९५६ मे उसे फिर से चालू किया गया ।

१९६१ का अधिनियम

१९६१ मे आय कर अधिनियम मे फिर से सर्वाङ्गीण परिवर्तन किया गया । परिवर्तन की आवश्यकता अनेक कारणो से पहले भी प्रतीत हो रही थी । वर्तमान अधिनियम १९२२ मे बनाया गया था तब से अब तक देश के आर्थिक ढांचे, कर प्रणाली तथा कर सम्बन्धी समस्याओ मे बडा उलट फेर हो गया था । यद्यपि पुराने अधिनियम म आवश्यकतानुसार समय समय पर सशोधन किए गए थे परन्तु इन सशोधनों के कारण अधिनियम की जटिलता और भी वढ गई थी । सन् १९३९ से १९५६ तक इसमे करीब उनतीस बार सशोधन हुआ तथा हर बार सशोधन काफी महत्वपूर्ण थे । इन सुधारो के कारण विधान बडा ही असतुलित हो गया था । एक ही प्रकार की आय से सम्बन्धित नियम समस्त अधिनियम मे बिखरे पडे थे । यद्यपि पुराने अधिनियम मे धारायें कुल ६५ थी फिर भी प्रत्येक की इतनी अधिक व्यवस्थाएँ (Provisos) तथा छूटें थी कि मूल धारा का स्वरूप ही विकृत हो जाता था ।

इन कठिनाइयों के कारण आय कर अधिनियम के पुनर्सं गठन का काम 'ला कमीशन' को सौपा गया । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९५८ मे प्रस्तुत की । परन्तु इसी बीच मे Direct Taxes Administration Enquiry Committee (त्यागी कमेटी) की स्थापना हो चुकी थी अतएव आय कर विधान मे सुधार का काम स्थगित कर दिया गया । १९५९ मे 'त्यागी कमेटी' की रिपोर्ट प्राप्त हुई । इन दोनो रिपोर्टों को ध्यान मे रखते हुए नए अधिनियम की रचना की गई ।

नए अधिनियम की विशेषताएँ

नए अधिनियम मे सर्वाङ्गीण परिवर्तन कर दिया गया है । यह वास्तव में पुराने अधिनियम का पुनर्गठन मात्र नही है, अनेक स्थलों पर इसमे मौलिक परिवर्तन किए गए है । नए अधिनियम की मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है ।

१ नए अधिनियम मे कुल मिलाकर २९८ धारायें तथा ५ अनुसूचियाँ (Schedules) है । पुराने अधिनियम मे कुल ६५ धारायें थी ।

२ प्रथम अध्याय मे परिभाषाएँ दी गई है । इसमे ३ धाराये हैं । धारा २ जिसमे परिभाषाएँ दी है बहुत ही विस्तृत है । इसमे अकेले ४८ उपधाराये दी है ।

इस प्रकार पहले एक्ट मे जहा कुल २९ परिभाषाएँ दी थी अब नए एक्ट मे ४८ परिभाषाएँ दी है। निम्नलिखित परिभाषाएँ नई सम्मिलित की गई है।

वार्षिक मूल्य (२), एपीलेट ट्रिब्यूनल (४), स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड (५), स्वीकृत सुपर एन्युएशन फण्ड (६), कर निर्धारण (assessment) (८) कर देय वर्ष (assessment year (९), आयकर की औसत दर (१०), अधिकर की औसत दर (११), दानार्थ (charitable purpose) (१५), कम्पनी, जिसमे जनता का पर्याप्त हित है (१८), डायरेक्टर, मैनेजर तथा मैनेजिग एजेन्ट (२०), वैधानिक प्रतिनिधि (Legal representative) (२९), विदेशी (३०), व्यक्ति जिसका कम्पनी मे पर्याप्त हित है (३२) व्यवसाय (profession), (३६), प्रमाणित प्राविडेन्टफण्ड (३८), सम्बन्धी (relatine) (४१), कर वसूल करने का अधिकारी (recovery officer) (४४) तथा हस्तान्तरण (४७)* ऊपर दी हुई परिभाषाओ म कुछ तो विभिन्न स्थलो पर दी भी गई थी। परन्तु नए एक्ट मे सबको एक स्थान पर कर दिया गया है।

२ द्वितीय अध्याय मे ६ धारायें (४–९) है। इसमे आय कर का आधार तथा निवास स्थान के सम्बन्ध मे दिया गया है। इसमे पुराने एक्ट की धारा ३,४, ५८ तथा १२ मे लिखित आवश्यक नियम एक स्थान पर दिए गए है। निम्नलिखित नई धाराओ का समावेश किया गया है।

(१) कर देयता (Charge of income tax)—पुराने एक्ट की धारा ३ को और विस्तृत कर दिया गया है तथा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नया विधान गत वर्ष के अलावा अन्य वर्षों पर भी लागू हो सकता है यदि एक्ट मे ऐसा दिया हो। तथा जहाँ जहाँ एक्ट मे वर्णित है आय कर या तो उद्गम स्थान मे काटा जावेगा अथवा अग्रिम दिया जावेगा। [४ (२)]

(२) निवासियो का पुराना वर्गीकरण कायमर क्खा गया है और पुराने एक्ट की ही भांति नए एक्ट मे भी तीन वर्ग है (१) साधारण निवासी (Ordinarily Resident) (२) असाधारण निवासी (Not ordinarily resident) तथा (३) विदेशी (Non resident)। परन्तु निवास की शर्तो मे कुछ परिवर्तन कर दिए गए है जो निम्नलिखित है।

(i) पुराने अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति यदि १८२ दिन तक कर देश

---

*कोष्ठक मे अक नए अधिनियम की धारा २ की उपधारायें प्रकट करते हैं।

प्रदेश मे निवास स्थान रखे तथा स्वयं कम से कम एक दिन के लिए रहे तो उसे निवासी माना जाता था। नए अधिनियम मे निवास काल ३० दिन कर दिया गया है।

(ii) पुराने अधिनियम मे यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष से पहले ४ साल मे ३६५ दिन कर देय प्रदेश मे रहा हो तथा गत वर्ष मे कम से कम एक दिन रहा हो तो वह निवासी माना जाता था, नए अधिनियम मे निवास की अवधि बढ़ा कर कम से कम ६० दिन कर दी गई है।

(३) निवास के सम्बन्ध मे निम्नलिखित वाक्य स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष मे किसी एक आय की मद के लिए निवासी समझा जाय तो समस्त मदो के लिए उस वर्ष निवासी समझा जावेगा। [६ (५)] साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा ६ (१), ६ (२) तथा ६ (३) मे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी ही माना जावेगा जब तक गत वर्ष मे उसके कार्य का प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णतया बाहर से न हुआ हो। [६ (४)]

इस उपधारा का प्रभाव यह पड़ेगा कि ऐसे समस्त व्यक्ति जो एक्ट मे लिखी शर्तों के अनुसार विदेशी या असाधारण निवासी नही साबित होते अब निवासी मान लिये जायँगे। इसके अभाव मे इस प्रकार के अनिश्चित लोग विदेशी की कोटि मे आते थे।

४ कर मुक्त आय के सम्बन्ध मे पर्याप्त परिवर्तन किया गया है। धारा १० से १३ तक ऐसी आय का वर्णन है जो आय कर सेमुक्त है। जो आय अधिकर से मुक्त है उसका वर्णन अध्याय ११ मे धारा ९९ मे किया गया है। एक नया वर्गीकरण इस सम्बन्ध मे आरम्भ किया गया है। बीमा, प्राविडेन्ट फण्ड मे अशदान, दान इत्यादि को पहले 'कर मुक्त आय' के अन्तर्गत रक्खा जाता था परन्तु सैद्धान्तिक रूप से यह गलत था क्योकि यह आय के साधन न होकर व्यय के साधन है तथा व्यय का कर मुक्त होना कोई अर्थ नही रखता। अतएव नये एक्ट मे उसकी भाषा बदल कर उसका नाम 'छूट' (Rebate) कर दिया गया है तथा उसे अलग एक नए अध्याय मे दे दिया गया है। अधिकर की छूट की धारायें अधिकर के साथ दी गई है।

५ आय कर से मुक्त आय मे निम्नलिखित नई धाराये जोड़ी गई है।

(i) शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिये दी हुई छात्रवृत्ति [१० (१६)] तथा विश्व विद्यालय और शिक्षा सस्थाओ की आय [१० (२२)] को कर मुक्त घोषित कर दिया गया है।

(ii) दानार्थ ट्रस्टो को जहाँ एक ओर प्रोत्साहन दिया गया है तथा धारा ११ के अन्तर्गत उनकी आय को कर मुक्त माना गया है वहाँ नई धारा १३ के द्वारा इस बात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि लोग इसका अनुचित लाभ न उठाएँ। इसलिये निम्नलिखित आय को कर मुक्त नही माना गया है।

(अ) यदि ट्रस्ट का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो [१३ (a)]

(ब) यदि ट्रस्ट की स्थापना एक्ट के पास होने के बाद से हो तथा उसके द्वारा ट्रस्ट बनाने वाले को, अथवा उसके किसी सम्बन्धी को, अथवा यदि वह संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है तो उस परिवार के किसी सदस्य को, ट्रस्ट की आय का कोई अंश प्राप्त होता हो। [१३(b)]

६ अधिनियम का सबसे विस्तृत अंग आय की मदो के सम्बन्ध मे है इस भाग मे कुल मिलाकर ४५ धाराये (धारा १५ से धारा ६६ तक) है। पुराने एक्ट मे यह सब नियम कुल ५ धाराओ (धारा ७,८,९,१० तथा १२) मे दिए हुए थे। धाराओ मे संख्या वृद्धि इस प्रकार हुई है।

(१) वेतन सम्बन्धी नियम जहाँ पहले एक धारा ७ मे दिये थे अब तीन धाराओ १५, १६, १७ के अन्तर्गत दिए है।

(२) प्रतिभूतियो की आय से सम्बन्धित नियम जहाँ पहले एक धारा ८ मे दिये थे वहाँ अब वे चार धाराओ (धारा १८, १९, २०, २१) में दिये गये है।

(३) गृह सम्पत्ति सम्बन्धी आय के नियम जहाँ एक धारा ९ मे दिये थे अब उनके स्थान पर ६ धाराये (धारा २२ से धारा २७ तक) रक्खी गई है।

(४) व्यापारिक लाभ से सम्बन्धित नियम जहाँ पहले एक धारा १० मे दिये थे अब उसके स्थान पर १७ धाराये (धारा २८ से ४४ तक) दी गई है।

(५) अन्य साधनो से आय तथा पूंजी गत आय से सम्बन्धित नियम पहले एक धारा १२ के अन्तर्गत आते थे। अब उसके स्थान पर पूंजी गत आय मे अकेले ११ धाराये (धारा ४५ से ५५ तक) है। अन्य साधनो की आय मे चार धाराये (धारा ५६ से ५९ तक) है।

निम्नलिखित नई धाराये इस सम्बन्ध मे जोडी गई है।

(१) गृह सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध ३ नई उपधाराये जोडी गई है।

(क) यदि कोई व्यक्ति अपनी गृह सम्पत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल (Consi-

de के अपनी पत्नी अथवा नाबालिग संतान को हस्तांतरित कर देता है तो सम्पत्ति का स्वामी वह स्वयं ही माना जावेगा। [२७ (i)]

(ख) वार्षिक भार (annual charge) के सम्बन्ध मे स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमे कोई केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार का कर नही शामिल है [२७ (iv)]

(ग) 'पू जी गत भार' (capital charge) की परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है।

(२) व्यापारिक लाभ के अन्तगत, कर दाता द्वारा स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड मे दिया गया अंश दान घटाने योग्य व्यय मत लिया गया है। [३६ (१-५)]

(३) पू जी गत लाभ के सम्बन्ध म निम्नलिखित नई धाराय जोडी गई है।

(अ) कम्पनियो तथा फर्मो के विघटन पर पू जी के वितरण के समय 'पू जी गत आय के अन्तर्गत कर किस प्रकार लगना चाहिये, इस सम्बन्ध मे विस्तृत नियम दिये गये है। [४६,४७ (२)]

(ब) पू जी गत आय के निर्धारण म लागत तथा उसके सुधार मे किये जाने वाल पू जीगत व्यय का बडा महत्व है। इससे स्पष्ट रूप से धारा ५५ मे अलग से दिया गया है।

८ अभी तक नकद साख (cash credit) के सम्बन्ध मे कोई नियम नही था परन्तु आय कर अधिकारी परम्परा के अनुसार उचित प्रमाण के अभाव म उसे आय मानकर उस पर कर लगा देते थे। अब इस सम्बन्ध मे स्पष्ट नियम बना दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का रुपया खाते मे जमा दिखलाया जाय और उसका उचित प्रमाण न हो तो उस गत वर्ष की आय मान लिया जाय। [६८]

इसी प्रकार यदि किय हुये विनियोग के लिये प्राप्त पू जी का ठीक ठीक प्रमाण न दिया जा सके तो उसे भी आय मान लिया जावेगा [६६] इन धाराओ के द्वारा आय कर अधिकारियो को कानूनी शक्ति प्राप्त हो गई है।

६ वेतन के सम्बन्ध म मिलने वाली कुछ सुविधाओ को अब प्रतिभूतियो के ब्याज पर भी लागू कर दिया गया है। नए अधिनियम के अनुसार यदि प्रतिभूतियों पर पुराना ब्याज दन स किसी व्यक्ति की किसी वर्ष आय बढ जाय और उसे ऊंची दर पर कर देना पड़ तो इनकम टैक्स आफिसर उसे उचित सुविधा (relief) दे सकता है। [८६ (२)]

१० अविभाजित लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध मे धारा १०४ से १०६ तक दिया गया है। इस सम्बन्ध मे विभाजन योग्य आय (Distributable income) तथा विनियोग कम्पनी की विस्तृत परिभाषायें दी गई हैं। इस प्रकार इसमे निश्चियात्मकता आगई है। [१०६ (१) (२)]

इस भाग के अन्तर्गत करदाताओ को कुछ विशेष सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। उदाहरणार्थ कम्पनियो को आय के विभाजन मे किसी प्रकार की कमी को आगे पूरा करने का अवसर दिया गया है, धारा १०४ (अविभाजित लाभ पर सुपर टैक्स) के अन्तर्गत आर्डर निकालने की सीमा निर्धारित कर दी गई है और यह कर देय वर्ष से चार वर्ष के बाद नही दिया जा सकता। [१०६], विभाजित लाभ मे दान की रकम भी सम्मिलित कर ली गई है।

१ आयकर अधिकारियो की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र, अधिकार इत्यादि के सम्बन्ध मे विस्तृत सूचना अध्याय १३ मे दी गई है। इसमे कुल मिलाकर २२ धारायें (११५ से १३८ तक) है। इसमे निम्नलिखित नवीन व्यवस्याएँ की गई हैं।

(१) यदि कोई व्यक्ति समन निकालने पर गवाही देने या उचित प्रमाण देने के लिए उपस्थित नही होता तो आयकर अधिकारी उस पर ५०० रु० तक जुर्माना कर सकता है। [१३१ (२)]

(२) आयकर के लिए दिये गये समस्त कागजात गुप्त माने जाते हैं तथा उनकी सूचना दूसरो को नही दी जा सकती। अधिनियम मे अनेक ऐसे अपवादो का वर्णन है जिनमे इस प्रकार की सूचना दी जा सकती है। अपवादो की सख्या काफी है। नए एक्ट मे दो और भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। एक तो इस प्रकार की सूचना अथवा साक्षी देने वाला स्वय उसे दूसरो को बतला सकता है, [१३७ (५)], दूसरे यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत फीस देकर लिखित प्रार्थना पत्र देता है तो कमिश्नर किसी करदाता के आयकर के सम्बन्ध मे सूचना दे सकता है। [१३८]

(३) यह स्पष्ट कर दिया गया है कि करदाता को अपना कर निर्धारण किसी विशेष स्थान पर करवाने का अधिकार न होगा। आयकर के मामलो को हस्तातरण करने के सम्बन्ध मे भी अधिक विस्तृत नियम दिए गए हैं।

१२ आम नोटिस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। करदाता अब कर निर्धारण के पहले 'किसी समय' आय का विवरण नही पेश कर सकता इसके लिए चार वर्ष की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

१३ दुबारा कर निर्धारण (Reassessment) के सम्बन्ध मे भी कुछ

परिवर्तन किए गए हैं। १६ साल से पहले के खातो को कर निर्धारण के लिए फिर से नही मांगा जा सकता।

१४ फर्मों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध मे बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पहले फर्मों की रजिस्ट्री का नवीनीकरण प्रति वर्ष होता था अब यह आवश्यक नही है। फर्म आय के विवरण के साथ ही एक घोषणापत्र दे सकती है कि उसके विधान (Constitution) मे कोई परिवर्तन नही किया गया है। भग हो चुकी फर्म बाद मे रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है।

१५ आयकर की वसूली के सम्बन्ध मे नियम अध्याय १७ मे दिए गए हैं। इसमे निम्नलिखित नई व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(१) कर जमा करने की नोटिस मिल जाने के ३५ दिन के अन्दर कर जमा करना आवश्यक है। [२२० (१)] इस समय के अन्दर रुपया न जमा करने पर ४% की दर से ब्याज देना पडेगा। इसी प्रकार 'रिफण्ड' समय पर न होने पर सरकार को ४% की दर से ब्याज देना भी पडेगा।

(२) कर की वसूली के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सुधार किए गए है। पहले एक्ट के अनुसार आयकर अधिकारी को एक सर्टिफिकेट जिलाधीश के पास भेजना पडता था जो कर वसूल करने की व्यवस्था करता था। अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि रेवेन्यू विभाग का ही कोई अधिकारी (Recovery Officer) नियुक्त किया जा सकता है। तथा वह कर न देने वाले की सम्पत्ति को बेच कर स्वयं कर वसूल कर सकता है। [२२२, २२३]

वसूली के सम्बन्ध मे पहले नियम हर राज्य मे अलग-अलग थे अब उन्हे अधिनियम के अन्दर ही देकर उनका प्रमापीकरण कर दिया गया है।

१६ अपील इत्यादि के सम्बन्ध मे सुविधाएँ बढा दी गई है तथा जो मामले अपील के लिए पश किए जा सकते हैं उनकी सख्या बढा दी गई है।

प्रश्न

1. Give a brief history of Income Tax in India.
2. Why was Income Tax Act 1922 changed in 1961 Point out the main features of the new act.

२

परिभाषाएँ

१. कृषि-आय (Agricultural Income)

आय कर अधिनियम १९६१ की धारा २ (१) के अनुसार कृषि आय की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है।

"कृषि आय से तात्पर्य ऐसी भूमि से प्राप्त होने वाले किराये अथवा अन्य प्रकार की आय से है, जिसे कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता हो तथा जिस पर भारतीय लगान लगता हो अथवा सरकार को स्थानीय कर देना पड़ता हो।"

इस प्रकार कृषि आय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है।

[१] आय भूमि से प्राप्त हुई हो।

[२] आय भूमि पर किए जाने वाले कृषि कार्य द्वारा हुई हो। इस सम्बन्ध मे कृषि सम्बन्धी आय को ५ भागो मे बाँटा जा सकता है।

(अ) कृषि कार्य द्वारा की हुई आय—भूमि पर फसल बोने से जो आय प्राप्त होती है उसे कृषि आय माना जावेगा। फसल खाद्यान्न, अथवा व्यापारिक फसल जैसे चाय, काफी, तम्बाकू, गन्ना, रबड, जूट इत्यादि हो सकती है। यदि जंगल मे वृक्षारोपण किया गया हो तो उसकी आय कृषि आय मानी जावेगी, परन्तु यदि वृक्ष अपने आप उगे हो तो उसकी आय को कृषि आय नही माना जावेगा।
[C. I T Vs Raja Benoy Kumar Sahas Roy 1957]

(आ) तैयार फसल पर की जाने वाली अन्य क्रियाएँ—फसल तैयार होने के बाद भी फसल पर अनेक अन्य क्रियाएँ करनी पडती है, जैसे गल्ले का माडना, छाटना, बोरो मे लगाना इत्यादि। ये सब कृषि कार्यों मे ही सम्मिलित है। अधि-

नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों मे उतना ही काम किया गया हो, जिससे वे बाजार मे बिकने लायक हो सकें, इसके अलावा जो काम किया जायेगा, उससे मिलने वाले लाभ को कृषि आय नही माना जावेगा । उदाहरण के लिए तम्बाकू उत्पन्न करने, तोडने तथा सुखाने का काम कृषि कार्य माना जायेगा और इससे होने वाली आय को कृषि आय कहेंगे, परन्तु यदि कोई तम्बाकू मे खुशबू या मसाला मिला कर वेचता है तो इस प्रकार अधिक मिलने वाली रकम कृषि आय नही मानी जावेगी । इसी प्रकार गेहूँ को पीस कर बेचना, रुई को ओटना, अथवा चाय को तैयार करना कृषि कार्य नही माना जा सकता ।

(इ) कृषि पदार्थों को बिक्री से प्राप्त होने वाली आय—यदि कृषक अथवा वस्तु के रूप मे लगान पाने वाला स्वय उसको वेचने की व्यवस्था करता है तो उसको मिलने वाला लाभ कृषि आय माना जावेगा, बशर्ते कि कृषि पदार्थ पर ऊपर के भाग (आ) मे वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य न किया गया हो । उदाहरणार्थ यदि कोई किसान कपास उत्पन्न करता है और साथ ही साथ कपास की दुकान भी करता है, तो कपास वेचने से मिलने वाला लाभ कृषि आय माना जावेगा, परन्तु यदि वह उस कपास को ओट कर अथवा उसकी पूनी या सूत बना कर वेचता है तो उसे कृषि आय नही माना जावेगा । इसके लिए आवश्यक है कि कृषि पदार्थ पर उतना ही कार्य किया गया हो जितना कि वस्तु को बाजार मे वेचने के लायक बनाने के लिए पर्याप्त हो सके ।

(ई) भूमि से मिलने वाला लगान या अन्य कोई आय—यदि कोई भूमि का मालिक किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए जमीन देता है तो उससे मिलने वाला लगान या अन्य कोई रकम कृषि आय मानी जावेगी । भूमि का कृषि कार्य के लिए दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है । उदाहरणार्थ यदि भूमि कृषि मे प्रयुक्त होने वाले जानवरों को चराने के लिए पट्टे पर दी जाय, तो इस प्रकार पट्टे से होने वाली आय को कृषि आय माना जावेगा, भले ही घास भूमि पर अपने आप उगी हो । [C. I T Vs Rai Shamsherjang Bahadur 1953] यदि जमीन किसी बूचडखाने के जानवरो को चराने के लिए दी गई हो तो उसे कृषि आय नही माना जावेगा ।

इसी प्रकार यदि कोई डेरी कम्पनी अपनी निजी भूमि पर पशुओ को चराती है तो उसकी आय को कृषि आय माना जायेगा । [C. I T. Vs Vankatswamy Naidu, 1956]

(उ) इमारतों से होने वाली आय—निम्नलिखित परिस्थितियो म इमारतो से होने वाली आय को भी कृषि आय माना जावेगा—

(१) इमारत खेतो के बीच मे अथवा उनके पास हो (२) इमारत पर कृषक, खेतो के स्वामी अथवा वस्तु के रूप मे लगान पाने वाले का स्वामित्व हो तथा किसी एक के अधिकार मे हो। (३) इमारत का उपयोग कृषि-सहायक कार्य के लिए होता हो।

[३] भूमि पर भारतीय लगान लगता हो अथवा सरकार को स्थानीय कर देना पडता हो। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास नेपाल मे जमीन हो तो उसे कृषि आय नही माना जावेगा, क्योंकि उस पर भारतीय लगान नही देना पडता है। इसी प्रकार स्थानीय कर से तात्पर्य स्थानीय सस्थाओ द्वारा दिए गए कर से नही है। कर की वसूली प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो द्वारा होनी चाहिए।

निम्नलिखित आय को कृषि-आय नही माना जावेगा—

(१) नुमाइश, मेले अथवा बाजार के लिए दी हुई भूमि से आय।
(२) पत्थर की खानो अथवा ईंट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की आय।
(३) खान खोदने के लिए दी गई जमीन स मिलने वाली आय, जैसे रायल्टी।
(४) मत्स्यपालन, सिंघाडे लगाने के लिए दिए हुए तालाबो की आय।
(५) समुद्री जल को भूमि पर लाकर नमक बनाने से होने वाली आय।
(६) सिंचाई के लिए दिए गए पानी से प्राप्त होने वाली आय।
(७) लाख की खेती से होने वाली आय।
(८) कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन।

अंशत. कृषि-आय (Partly Agricultural Income)

निम्नलिखित आय को आंशिक रूप से कृषि आय माना जाता है।

(१) कर देय प्रदेश के विक्रेता द्वारा तैयार की हुई चाय—६०% कृषि आय मानी जाती है और उस पर कर नही लगता।
(२) गन्ने की मिल अगर स्वय अपने फार्म का गन्ना इस्तेमाल करे तो गन्ने की रकम को कृषि आय माना जावेगा।

कृषि-आय का अधिकारी कौन हो सकता है ?

केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही कृषि आय के अधिकारी माने जा सकते है।
(१) स्वय कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति।

(२) भूमि का मालिक जो उसे लगान पर उठा देता है।

(३) भूमि को रेहन रखने वाला, यदि भूमि उसके अधिकार मे दे दी गई है। यदि भूमि उसके अधिकार मे न दी गई हो तो रेहन रखने वाला व्यक्ति कृषि आय का अधिकारी न होगा।

(४) वस्तु के रूप मे लगान पाने वाला व्यक्ति।

निम्नलिखित लोगो को मिलने वाली आय कृषि आय नही मानी जावेगी।

(१) यदि कोई व्यक्ति खडी फसल खरीद लेता है और बाद मे उसे कटवा कर बिक्री की व्यवस्था करता है।

(२) यदि कोई कृषि कार्य करने वाली कम्पनी लाभाश बाँटती है तो लाभाश पाने वाले व्यक्ति के हाथ मे वह कृषि आय नही मानी जायेगी। [C. I. T. Vs Bacha Guzdar—1955]

२. करदाता (Assessee)

आयकर अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत करदाता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—

करदाता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिनके द्वारा आयकर, सुपर टैक्स अथवा आय कर अधिनियम के मातहत कोई रकम देय हो। करदाताओ मे निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित किए जावेंगे—

१ जिन लोगो की आय का मूल्याकन (assessment) करने की कार्यवाही की गई हो।

२ किसी ऐसे व्यक्ति की आय का मूल्याकन (assessment) करने की कार्यवाही की गई हो जिसके कर के लिये वे स्वय उत्तरदायी हो।

३ यदि किसी व्यक्ति को वसूल किये हुये कर की वापसी (refund) लेना हो, जैसे किसी अशधारी को, जिसकी आय मुक्त आय से कम हो तथा कम्पनी द्वारा काटे हुये आयकर को वापस लेना हो।

४ किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसका कानूनी प्रतिनिधि (legal representative उसके समस्त करो के लिये उत्तरदायी होगा तथा उसके स्थान पर करदाता माना जावेगा। [धारा १५६]

५ किसी विदेशी (non-resident) की आय के लिये निम्नलिखित मे से कोई व्यक्ति करदाता माना जा सकता है। [धारा-१६३]

(क) विदेशी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ।
(ख) जिस व्यक्ति का उस विदेशी से व्यापारिक सम्बन्ध हो ।
(ग) जिसके द्वारा विदेशी को अपनी आय प्राप्त होनी है ।
(घ) जो उस विदेशी का ट्रस्टी हो ।

६ किसी नाबालिग, पागल, मूढ़ (idiot) व्यक्ति के सम्बन्ध मे उसका प्रबन्धक अथवा सरक्षक, जिसको उसकी आय पाने का अधिकार हो, उसके बदले करदाता माना जावेगा । [धारा १६० (१)]

७ कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत सम्पत्तियों मे उसके प्रबन्धक को ही कर दाता समझा जायेगा [धारा १६० (३)]

८ किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी अथवा मुसलमानी वक्फ का प्रबन्धक उस ट्रस्ट अथवा वक्फ की आय के लिये करदाता समझा जावेगा [१६० (४)]

९ किसी मृत व्यक्ति की स्थायी सम्पत्ति के लिए उसका executor कर के लिये उत्तरदायी समझा जायेगा । [धारा–१६८]

१० यदि किसी व्यापार का उत्तराधिकार (मृत्यु के अलावा अन्य किसी कारण से) किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाय तो वह उत्तराधिकार प्राप्त होने की तिथि से बाद मे होने वाली आय के लिये उत्तरदायी होगा, परन्तु यदि उसके पूर्वाधिकारी का पता न हो तो पिछले वर्ष तथा इसके पहले वर्ष का कर भी उत्तराधिकारी को ही देना होगा । [धारा-१७०]

११ यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली रकम पर आयकर काट लेना चाहिये और वह नही काटता या काट कर जमा नही करता तो उसे ही करदाता माना जायेगा । [धारा २०१ (१)]

३. गतवर्ष (Previous year)

आय कर हमेशा गत वर्ष की आय पर लगता है । गत वर्ष के सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम लागू होते हैं ।

१ साधारण तौर पर गत वर्ष ३१ मार्च के पहले १२ महीने को कहते है । उदाहरणार्थ सन् १९६२-६३ मे कर उस आय पर लगेगा जो ३१ मार्च सन् १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष मे प्राप्त की गई है ।

२ यह कोई आवश्यक नही कि हर आदमी अपना खाता ३१ मार्च को ही बन्द करे । वह दशहरा, दीवाली, ३१ दिसम्बर या ३० जून या अन्य किसी दिन

बन्द कर सकता है। ऐसी दशा मे जिस वित्तीय वर्ष मे खाते बन्द किए जांय, उससे अगले वर्ष मे उस पर कर लगेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति ३० जून, १९६० को खाता बन्द करता है तो यह वित्तीय वर्ष १९६०-६१ मे पडता है, अतएव इस पर कर १९६१–६२ मे लगेगा।

३ यदि किसी व्यक्ति को भिन्न-भिन्न साधनो से आय होती है तो प्रत्येक के लिये अलग-अलग गत वर्ष मान सकता है। परन्तु कुल आय के लिये समस्त साधनों की आय को जोडना पडगा।

४ फर्म से प्राप्त लाभ के लिये गत वर्ष वही माना जायेगा, जो फर्म ने स्वय रखा है। परन्तु यह तभी समय लागू होगा जब कि फर्म को स्वय कर देना पडा हो।

५ नये व्यापार के लिये अगली ३१ मार्च अथवा अन्य किसी तारीख को गत वर्ष के लिये प्रयोग किया जा सकता है। एक बार एक खाते बन्द करने का वर्ष चुन लेने के बाद उसे इनकम टैक्स अफसर की अनुमति से ही बदला जा सकता है।

६. साधारणतया वर्ष १२ महीने का माना जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियो मे कमिश्नर ११ अथवा १३ महीने तक का वर्ष भी मान सकता है।

४. करदेय प्रदेश (Taxable Teritories)

कर देय प्रदेश का जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि आयकर अधिनियम करदेय प्रदेश मे ही लागू होगा। करदेय प्रदेश के क्षेत्र मे समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, परन्तु १२ अप्रैल १९५४ के पश्चात् उससे तात्पर्य समस्त भारतवर्ष से है। इस सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं।

(१) १५ अगस्त १९४७ से पूर्व—ब्रिटिश भारत तथा बरार

(२) १५ अगस्त १९४७ से २५ जनवरी १९५० तक—भारत के प्रान्त (कूचबिहार को छोडकर)

(३) २६ जनवरी १९५० से ३१ मार्च सन् १९५० तक—'पार्ट ए' के प्रान्त (कूच विहार को छोडकर तथा 'पार्ट सी' के प्रान्त) मनीपुर की रियासत को छोडकर।

(४) १ अप्रैल १९५० से १२ अप्रैल १९५० तक—जम्मू काश्मीर, पटियाला तथा पेप्सू की रियासतो को छोडकर समस्त भारतवर्ष

(५) १३ अप्रैल १९५० से १२ अप्रैल १९५४ तक—जम्मू तथा काश्मीर को छोडकर समस्त भारतवर्ष

(६) १३ अप्रैल १९५४ से—समस्त भारतवर्ष

५. उपार्जित आय (Earned Income)

आयकर के लिये उपार्जित तथा अनुपार्जित आय मे भेद किया जाता है। उपार्जित आय म मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक श्रम करना पडता है, इसलिये उस पर छूट देना चाहिये। वेतन, व्यापार स मिलने वाला लाभ तथा पेशो का पारिश्रमिक उपार्जित आय का उदाहरण है जब कि सम्पत्ति की आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज अनुपार्जित आय का उदाहरण है। किसी कपनी के सचालक को मिलने वाला पुरस्कार, लेखक को पुस्तको पर मिलने वाली रायल्टी, अभिगोपन सबन्धी कमीशन (under writing commission) का उपार्जित आय माना जाता है।

उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief)

कर देय वर्ष १९५६ ५७ तक उपार्जित आय सम्बन्धी छूट दी जाती थी। यह छूट केवल आयकर पर मिलती थी अधिकर पर नही। सन् १९५७-५८ के कर देय वर्ष मे छूट केवल वेतन पर दी गई। इसके पश्चात् छूट देन की विधि में परिवर्तन कर दिया गया। पहिले कर सभी प्रकार की आय पर एक ही दर से लिया जाता था बाद म उपार्जित आय की छूट घटा दी जाती थी। अब सर चार्ज की दर उपार्जित आय क लिए कम तथा अनुपार्जित आय के लिए अधिक है। इस प्रकार छूट आय कर तथा अधिकर दोनो के लिए ही प्राप्त है।

छूट की दर

प्राय कर पर छूट—वतमान समय मे आय कर की दो दरें हैं। एक तो बेसिक रेट जिसका निर्णय प्रति वर्ष फाइनेंस एक्ट द्वारा होता है, और दूसरा सर चार्ज (Sur charge) जो बेसिक दर से निकाली हुई रकम पर प्रतिशत के रूप मे लगता है। उपार्जित आय पर छूट इस सर चार्ज द्वारा दी जाती है। सर चार्ज की दर उपार्जित आय पर १ लाख रुपये तक बेसिक आयकर का ५% है उसके आग १५% है। अनुपार्जित आय पर शुरू से ही १५% है। इस प्रकार उपार्जित आय पर १० प्रतिशत सर चार्ज की छूट मिल जाती है।

सुपर टैक्स पर छूट—आय कर के समान ही सुपर टैक्स पर भी एक तो बेसिक दर लगती है और दूसरा सर चार्ज। उपार्जित आय पर दर १ लाख रुपये तक दर ५% तथा आग १५% है। अनुपार्जित आय पर दर आरम्भ स ही १५% है।

उपार्जित आय का अधिकार किसे है ?

उपार्जित आय का अधिकार व्यक्तियो, सयुक्त हिन्दू परिवारो, बिना रजिस्ट्री शुदा फर्मों तथा व्यक्तियो की सस्थाओ को प्राप्त है। कम्पनियो, स्थानीय सस्थाओ, तथा रजिस्ट्री शुदा फर्मों को यह अधिकार प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड फर्म म कर साझीदारो को देना पडता है तथा वे ही उपार्जित आय की छूट के अधिकारी भी होते हैं। साझीदारो को उपार्जित आय की छूट का अधिकार तभी होता है जब वे व्यापार के काम मे सक्रिय भाग लेते हो। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी तथा नाबालिग पुत्र किसी फर्म मे साझेदार हो तो केवल उस व्यक्ति के सक्रिय भाग लेने से ही उसकी पत्नी तथा पुत्र को भी उपार्जित आय की छूट मिल जायेगी।

६ आय (Income)

आयकर मुख्यत आय पर लगने वाला कर है अतएव आय की सही-सही और पूर्ण परिभाषा का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आय की अनेक परिभाषाएँ समय-समय पर विभिन्न निर्णयो मे दी गई हैं। उनमे से कुछ इस प्रकार हैं।

(१) आय से तात्पर्य सामयिक द्रव्य की प्राप्ति से है जो किसी निश्चित श्रोत से नियमित रूप से अथवा सम्भावित नियमितता से प्राप्त हो। (C I T Vs Shaw Wallace and Co 1932]

नियमितता से तात्पर्य यह नही है कि आय लगातार निश्चित समय बाद अथवा निश्चित मात्रा मे प्राप्त होती रहे। परन्तु साधन ऐसा होना चाहिए जिससे लगातार आय की सम्भावना हो।

(२) जस्टिस पिटनी (Justice Pitney) के मतानुसार आय, पूजी म होने वाली वृद्धि अथवा विनियोग के मूल्य मे होने वाली वृद्धि नहीं है बल्कि किसी प्राप्ति अथवा लाभ को कहते हैं। यह एक विनिमय शील मूल्य होता है जो किसी भी प्रकार से विनियोग की हुई सम्पत्ति से प्राप्त होता है तथा प्राप्तकर्ता को अपने निजी उपयोग के लिए मिल जाता है। (U S Eisner Vs Macober)

यह सब होते हुए भी आय की सही-सही परिभाषा देना अथवा समस्त प्रकार की आय की सूची बनाना अत्यन्त कठिन है। प्रिवी काउंसिल ने स्वय निर्णय दिया है कि वर्तमान समय म आय के इतने अधिक रूप हो गए हैं कि उनकी गणना नही हो सकती। (Kamakhya Narain Singh Vs. C I, T 1943)

जहाँ तक भारतीय आयकर का सम्बन्ध है, पुराने अधिनियम मे आय की कोई परिभाषा नही दी हुई थी। केवल धारा (२–६ C) मे यह दिया हुआ था कि आय मे क्या-क्या सम्मिलित किया जायेगा। नए अधिनियम मे धारा २ (२४) मे भी आय की परिभाषा न देकर केवल यही दिया हुआ है कि इसमे कौन-कौन सी मदे शामिल है। ये मदें निम्नलिखित हैं।

(१) लाभ तथा प्राप्ति (Profits and gains)

(२) लाभांश।

(३) धारा १७ (२), (३) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर मिलने वाला कोई अनुलाभ (Perquisite) अथवा लाभ।

(४) किसी डायरेक्टर, अन्य किसी व्यक्ति को जिसका कि कम्पनी मे पर्याप्त हिस्सा है, अथवा डायरेक्टर के किसी सम्बन्धी को कम्पनी से प्राप्त होने वाली कोई सुविधा अथवा अनुलाभ चाहे उसको द्रव्य के रूप मे बदला जा सकता हो अथवा नही। यदि कम्पनी किसी अन्य व्यक्ति को इन लोगो के बदले ऐसा भुगतान करती है जिसको यदि कम्पनी न देती तो इन्हे देना पडता, तो उसे भी आय मे सम्मिलित किया जायेगा।

(५) व्यापार से प्राप्त होने वाला कोई अन्य लाभ, जिसका जिक्र धारा २८ (ii) तथा (iii), अथवा धारा ४१ या धारा ५९ मे किया गया है।

(६) कोई पूंजीगत लाभ जो धारा ४५ के अन्तर्गत आ जाता है।

(७) किसी पारस्परिक (Mutual) बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति का लाभ जिसे धारा ४४ के अनुसार निकाला गया हो।

७. व्यक्ति (Person)

धारा २ (३१) व्यक्ति मे निम्नलिखित व्यक्ति तथा संस्थाएँ सम्मिलित किए गए हैं।

(१) व्यक्ति।

(२) संयुक्त हिन्दू परिवार।

(३) कम्पनी।

(४) फर्म।

(५) व्यक्तियों का समुदाय।

(६) स्थानीय संस्था।

(७) प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जिसको ऊपर के वर्गों मे नही रक्खा जा सकता। उदाहरणार्थ, स्कूल, कालेज, संस्थाएँ।

(८) व्यक्ति मे नाबालिग को भी सम्मिलित किया जाता है। [Rex Vs New Market Commissioners]

८ पूंजीगत सम्पत्ति (Capital Asset)

आयकर विधान मे अनेक स्थानो पर पूंजीगत सम्पत्ति का जिक्र आया है। इसलिए नए अधिनियम मे उसकी भी परिभाषा अलग से दी गई है। [धारा २(१४)] उसके अनुसार पूंजीगत सम्पत्ति मे सभी प्रकार की सम्पत्ति (Property) सम्मिलित है, चाहे व्यापार से उसका सम्बन्ध हो या न हो। निम्नलिखित सम्पत्तियाँ उसमे सम्मिलित नही हैं।

(१) व्यापारिक स्टाक, स्टोर, कच्चा माल जिससे व्यापार अथवा पेशे के लिए रक्खा गया हो।

(२) व्यक्तिगत पदार्थ तथा चल सम्पत्ति (वस्त्र, जवाहरात, फर्नीचर आदि) जो व्यक्तिगत उपयोग मे आते हैं।

(३) भारत मे कृषि भूमि।

९. कम्पनी

नए विधान मे कम्पनी की पर्याप्त विस्तृत परिभाषा दी गई है तथा उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।

(१) कोई भारतीय कम्पनी।

(२) कोई भी समुदाय, (चाहे उसका इनकारपोरेशन हुआ हो या नही, वह भारतीय हो अथवा विदेशी) जिस पर १ अप्रैल १९४७ से तथा बाद मे आयकर विधान १९२२ के अन्तर्गत कम्पनी के रूप मे कर लग चुका है।

निम्नलिखित प्रकार की कम्पनियाँ ऐसी मानी जायेंगी जिनमे जनता का पर्याप्त हित है।

(१) सरकारी कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसमे कम से कम ४० प्रतिशत अश सरकार के पास हों।

(२) जो प्राइवेट कम्पनी नही हो तथा,

(क) कम से कम ५० प्रतिशत मताधिकार वाले अश (निश्चित दर से लाभाश वाले अशो को छोड कर) गत वर्ष मे सरकार, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी कारपोरेशन अथवा जनता (डायरेक्टरो अथवा ऐसी कम्पनियो को छोड़कर जिन पर ऊपर की शर्त नही लागू होती) के हाथ मे है। तथा

(क) गत वर्ष मे उपरोक्त अशो की किसी स्वीकृत स्टाक एक्सचेंज मे खरीद बिक्री होती थी तथा

(ग) कम्पनी का ५० प्रतिशत से अधिक मताधिकार तथा नियंत्रण किसी भी समय ५ या कम लोगो के हाथ म नही रहा।

प्रश्न

1 Write short notes on the following —

(i) Agricultural income [Agra B Com 1948 55 57 60]
[Raj B Com 1950 52, 59]

(ii) Previous year [Agra B Com 1949 51 55 56 59 60]
[Raj B Com 1952, 9]
[Alld B Com 1953]

(iii) Earned Income [Agra B Com 1956]

(iv) Earned Income Relief [Agra B Com 1959]

(v) Taxable Territory [Raj B Com 1951]

३

कर सम्बन्धी दायित्व

[Tax Liability]

आयकर के सम्बन्ध मे सबसे महत्वपूर्ण भाग कर के दायित्व का निर्धारण है। प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की आय पर कर नही देना पडता है। इस सम्बन्ध मे दो बातें विशेष महत्व की है। (१) करदाता का निवास स्थान तथा (२) आय के उपार्जित होने का स्थान।

१. करदाता का निवास स्थान (Residence of Assessee)

आयकर के लिय करदाता के निवास स्थान को निर्धारित करने वाले विशेष नियम होते है। निवास स्थान प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति एक वर्ष तो निवासी माना जाय, दूसरे वर्ष विदेशी हो। नए अधिनियम म निवास के सम्बन्ध म कुछ आवश्यक सुधार किए गए हैं। १९२२ के एक्ट के अनुसार निवासी ३ प्रकार के माने गये थे। [१] साधारण निवासी (Resident) [२] असाधारण निवासी (Not ordinarily resident) तथा [३] विदेशी (Non resident) 'ला कमीशन' ने सिफारिस की थी कि नए एक्ट म ३ के स्थान पर कुल दो ही वर्ग रखे जांय निवासी, और विदेशी। परन्तु सरकार कमेटी ने तीनो वर्ग कायम रखे, यद्यपि उनकी शर्तो में कुछ परिवर्तन कर दिया है।

निवास की शर्तें व्यक्ति, सयुक्त हिन्दू परिवार, व्यापारिक फर्म अथवा सस्था तथा कम्पनी के लिए अलग-अलग हैं।

व्यक्ति

किसी व्यक्ति के लिए निवास की शर्तें इस प्रकार है।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
निम्नलिखित मे किसी एक शर्त को पूरा करने पर— [१] गत वर्ष मे १८२ दिन या अधिक भारत मे रहा हो। [२] गत वर्ष मे भारत मे १८२ दिन या अधिक के लिये निवास स्थान रक्खा हो तथा स्वय कम से कम ३० दिन रहा हो। [३] गत वर्ष के पहले के चार वर्षों मे कम से कम ३६५ दिन भारत मे रहा हो तथा गत वर्ष मे कम से कम ६० दिन रहा हो। [४] वह गत वर्ष भारत मे आया हो तथा इनकम टैक्स आफिसर को विश्वास हो कि वह कम से कम ३ वर्ष तक भारत मे ठहरने के इरादे से आया है।	असाधारण निवासी के लिये दी हुई शर्तों मे से किसी एक को पूरा करता हो तथा निम्नलिखित मे दोनो शर्तो को पूरा करता हो। [१] गत वर्ष के पहले के १० वर्षों मे कम से कम ६ वर्ष भारत मे निवासी (साधारण अथवा असाधारण) रहा हो। [२] गत वर्ष के पहले के ७ वर्षों मे कम से कम २ वर्ष भारत मे निवास किया हो।	कोई भी व्यक्ति जो साधारण या असाधारण निवासी की कोटि मे नही आता विदेशी कहलायगा।

१९२२ के एक्ट से तुलना

असाधारण निवासी के लिए दी गई शर्तों मे निम्नलिखित परिवर्तन किए गए है।

१९२२ का एक्ट	१९६१ का एक्ट
१ गत वर्ष १८२ दिन या अधिक समय के लिए भारत मे निवास स्थान की व्यवस्था तथा कम से कम १ दिन के लिए भारत मे निवास ।	१ गत वर्ष १८२ दिन या अधिक के लिए भारत मे निवास स्थान की व्यवस्था तथा कम से कम ३० दिन के लिये भारत मे निवास ।
२ गत वर्ष से पहले के चार वर्षों में ३६५ दिन तक भारत मे निवास तथा गत वर्ष कम से कम १ दिन का निवास । यह निवास आकस्मिक न हो ।	२ गत वर्ष से पहले के चार वर्षों में ३६५ दिन तक भारत मे निवास तथा गत वर्ष कम से कम ६० दिन तक भारत मे निवास । 'आकस्मिक निवास' की शर्त हटा दी गई है ।

निवास तथा निवास स्थान के सम्बन्ध म निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य है ।

(१) जहाँ एक स अधिक दिनो तक निवास की शर्त है, वहाँ यह आवश्यक नही है कि निवास लगातार हो अथवा एक ही स्थान पर निवास हो ।

(२) निवास स्थान के लिए यह आवश्यक नही है कि यह उसका निजी मकान हो । यदि निजी मकान भी पूर्णतया किराये पर उठा है तो 'निवास स्थान रखना नही माना जावेगा । इसके विपरीत यदि किराये का मकान भी खाली रक्खा जाता है तो उसे निवास स्थान रखना' मान लिया जावेगा ।

सयुक्त हिन्दू परिवार

सयुक्त हिन्दू परिवार मे निवास की स्थिति कर्ता के निवास की स्थिति तथा परिवार के प्रबन्ध और सचालन के आधार पर रहती है । इसकी शर्तें इस प्रकार है ।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
१ गत वर्ष मे प्रबन्ध तथा नियन्त्रण का कोई भाग भारत से सचालित हुआ हो । २. प्रबन्धक अथवा कर्ता असाधारण निवासी है ।	१ यदि प्रबन्धक अथवा कर्ता व्यक्ति के लिए वर्णित शर्तो के अनुसार साधारण निवासी है ।	१ यदि प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णतया बाहर से हुआ है ।

नियत्रण तथा सचालन से तात्पर्य यह है कि कर्ता उस स्थान से परिवार की व्यवस्था करता है। यदि किसी सयुक्त हिन्दू परिवार व्यापार की कई शाखाएँ हो जो देश के बाहर भी हो तो उसका प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णरूप से भारत मे नही हो सकता। यदि समस्त परिवार भारत मे हो तथा किसी वर्ष कर्ता लगातार साल भर देश से बाहर रहे तो भी उसका सचालन बाहर से नही माना जायेगा क्योकि परिवार का सचालन, कर्ता के अलावा ऐसी अवस्था मे अन्य लोग करते लगते है।

फर्म तथा व्यक्तियो के सघ

फर्म तथा व्यक्तियो के सघो मे दो ही वर्ग होते है (१) साधारण निवासी तथा (२) विदेशी। इसका निवास व्यापार के सचालन तथा प्रबन्ध के आधार पर माना जाता है।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
यह वर्ग नही होता। फर्म या तो साधारण निवासी होगी या विदेशी।	१ गत वर्ष मे प्रबन्ध तथा नियत्रण का कोई भाग भारत से हुआ हो।	१ गत वर्ष मे प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णतया बाहर से हुआ है।

कम्पनी

कम्पनियो का निवास उनके रजिस्ट्रेशन के स्थान तथा प्रबन्ध और सचालन के आधार पर होता है। कम्पनियाँ भी या तो साधारण निवासी होती है अथवा विदेशी।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
यह वर्ग नही होता। कपनी या तो साधारण निवासी होगी या विदेशी।	१ कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है। अथवा २ गत वर्ष मे उसका प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णतया भारत से हुआ है।	१ वह विदेशी कम्पनी है। तथा २ प्रबन्ध तथा सचालन का कोई भी भाग भारत के बाहर से हुआ है।

(१) भारतीय कम्पनी से तात्पर्य यह है कि कम्पनी की रजिस्ट्री भारतीय कपनी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत भारत मे हुई है।

(२) प्रबन्ध तथा संचालन से तात्पर्य यह है कि डायरेक्टर लोग भारत मे सभा करते है तथा व्यापार सम्बन्धी नीति निर्धारित करते है।

यदि किसी व्यक्ति को कई साधनो मे आय प्राप्त होती है तथा गत वर्ष मे किसी एक साधन से प्राप्त आय के अनुसार वह निवासी समझा जाय तो उस वर्ष सभी साधनो से प्राप्त आय पर निवासी के समान ही कर लगेगा। यह धारा पुराने अधिनियम मे नही थी। [६ (५)]

व्यक्ति के निवास स्थान का पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रम से चलना चाहिए।

(१) सब से पहिले मालूम करो कि गत वर्ष मे उसका निवास कितने दिन हुआ। यदि निवास १८२ दिन या अधिक है तो वह असाधारण निवासी हो जावेगा।

(२) यदि निवास १८२ दिन से कम है परन्तु ३० दिन से ऊपर है तो मालूम करो कि उसने गत वर्ष १८२ दिन से ऊपर निवास स्थान तो नही रक्खा।

(३) यदि ऊपर दी हुई दोनो शर्तें न लागू हों तथा निवास काल ६० दिन से ऊपर हो तो मालूम करो कि गत वर्ष से पहले के चार वर्षो मे ३६५ दिन तक उसका निवास तो नही रहा है।

(४) यदि वह इस शर्त के अन्दर भी नही आता तो उसे विदेशी समझना चाहिए।

(५) यदि ऊपर दी हुई किसी शर्त के अन्दर आ जाता है तो निम्नलिखित बातों का और पता लगाओ।

(क) पिछले १० साल मे वह कितने वर्ष निवासी रहा।

(ख) पिछले ७ साल मे उसका निवास काल कितना रहा।

यदि वह १० साल मे ९ साल निवासी अथवा असाधारण निवासी रहा है तथा ७ साल में २ साल भारत मे उपस्थित रहा है तो वह साधारण निवासी माना जायेगा वरना असाधारण निवासी रहेगा।

करदेय आय (Taxable Income)

निवास स्थान के अनुसार विभिन्न वर्गों की कर देय आय निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जायेगी। [५]

साधारण निवासी के लिए

(१) वह आय जो भारत मे प्राप्त की गई हो अथवा जिसे भारत मे प्राप्त समझा जाय, वह चाहे कही भी उपार्जित की गई हो।

(२) वह आय जो भारत मे उपार्जित की गई हो अथवा जिसे भारत मे उपार्जित समझा जाय, वह चाहे जहाँ प्राप्त की गई हो।

(३) भारत के बाहर उपार्जित आय जो बाहर ही प्राप्त की गई हो, उसका संचालन तथा नियन्त्रण चाहे जहाँ से हुआ हो। इस प्रकार साधारण निवासियो की समस्त आय वह चाहे जहाँ पर अर्जित हो, करदेय होती है। सन् १९५९ तक ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हो तथा बाहर ही रक्खी जाय ४५०० रु० तक आय कर से मुक्त रहती थी। १९५९ से यह सुविधा समाप्त कर दी गई। अतएव अब देश के अन्दर अथवा विदेशो मे प्राप्त कोई भी आय ऐसी नही है, जिस पर कर न लगता हो।

असाधारण निवासी के लिए

(१) भारत मे प्राप्त आय।

(२) भारत मे उपार्जित आय।

(३) विदेश मे उपार्जित आय, जो बाहर ही प्राप्त की आय। यदि उसका सचालन तथा नियन्त्रण भारत से हुआ हो।

विदेशी के लिए

(१) भारत मे प्राप्त आय।

(२) भारत मे उपार्जित आय।

प्राप्त आय

(१) आय के प्राप्त होने से तात्पर्य द्रव्य अथवा वस्तु के मिलने मे है। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के बदले उसके कर्ज का भुगतान कर देता है अथवा स्वय अपने कर्ज को कम कर देता है तो उसे प्राप्त आय ही माना जायेगा।

(२) यह कोई आवश्यक नही कि करदाता ने स्वय ही आय प्राप्त की हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके बदले प्राप्त किया है तो भी उसे प्राप्त माना जावेगा। उदाहरणार्थ यदि बाहर काम करने वाले किसी कर्मचारी का वेतन उसकी पत्नी को भारत मे मिल जाता है तो वेतन भारत मे प्राप्त माना जावेगा।

आयकर विधान की धारा ७ मे इसका उल्लेख है। उसके अनुसार निम्नलिखित दो प्रकार की आय यद्यपि प्राप्त नही होती, फिर भी प्राप्त मान ली जाती हैं।

(१) मान्यता प्राप्त प्राविडेन्ट फण्ड मे नियोक्ता द्वारा दी हुई रकम जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो। तथा प्राविडेन्ट फण्ड के विनियोग पर प्राप्त वह रकम जो वेतन के एक तिहाई से अधिक हो अथवा जिस पर ब्याज दर ६% से अधिक हो। इस प्रकार की आय यद्यपि कर्मचारी को प्राप्त नही होती, फिर भी उसकी कुल आय मे जोड़ दी जाती है।

(२) यदि अमान्य प्राविडेन्ट फण्ड को बाद मे मान्यता प्राप्त हो जाय तो पुराने प्राविडेन्ट फण्ड की जमा रकम, नये फण्ड मे भेजी जाती है। ऐसी दशा मे इनकमटैक्स आफिसर यह हिसाब लगाता है कि यदि फण्ड शुरू से ही मान्य होता तो कितनी रकम पर आय कर लगता। यह सब रकम यद्यपि उसको प्राप्त नही होती फिर भी प्राप्त मान ली जाती है।

यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाय तो जहाँ के लिये चेक पोस्ट की जाय वही उसका प्राप्ति स्थान माना जायेगा। इस प्रकार यदि इगलैंड का एक व्यापारी भारत के किसी व्यक्ति के पास चेक भेजता है तो उसका प्राप्ति स्थान भारत माना जावेगा। [C I T. Vs Ogale Glass Works—1954]

अर्जित आय

अर्जित आय के सम्बन्ध मे दो बातें ध्यान देने योग्य है अर्जन का स्थान तथा अर्जन का समय। ऐसा सम्भव है कि आय एक स्थान पर अर्जित हो, परन्तु दूसरे स्थान पर प्राप्त हो एसी अवस्था मे वह कहाँ अर्जित मानी जायगी ? इसकी सबसे बडी पहिचान यह है कि जिस स्थान पर सेवाएं अर्पित की जॉय अथवा जहाँ पर काम किया जाय वही अर्जन का स्थान माना जाता है। उदाहरणार्थ,

(१) 'क' ने मूगफली खरीदकर रायचूर मे अपने मिल मे उसका तेल निकाला। बाद म कुछ तेल ब्रिटिश भारत मे बेचा। ऐसी दशा मे लाभ के अर्जन का स्थान आंशिक रूप स रायचूर माना गया। [C I T Vs Ahmad Bhai Umar Bhai, 1950]

(२) अर्जन के समय के बारे मे नियम यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियो मे आय अर्जित मान ली जायेगी चाहे वह प्राप्त न हुई हो अथवा उसका निर्धारण भी न हुआ हो। उदाहरणार्थ, एक मैनेजिंग एजेन्सी का कमीशन अर्जित मान लिया जायगा जब प्रबन्धित कम्पनी का लखा वर्ष (accounting year) समाप्त हो जाय चाहे कम्पनी के खाते उस समय तक न बने हो और कमीशन का निर्धारण भी सम्भव न हो। [E D Sasoon & Co Ltd Vs C. I T]

अर्जित आय के स्थान के सम्बन्ध म आयकर विधान की धारा ६ मे इस प्रकार उल्लेख है। उसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय भारत मे अर्जित मानी जायेगी।

(१) जो आय भारत मे व्यापारिक सम्बन्ध द्वारा प्राप्त हुई है।

(२) जो आय भारत मे स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त हुई है।

(३) जो भारत म स्थित किसी अन्य सम्पत्ति (asset) अथवा आय के स्रोत से प्राप्त हुई हो।

(४) उधार दी हुई रकम पर ब्याज, जो भारत से नकद अथवा वस्तु के रूप मे लाया जाय।

(५) भारत म स्थित किसी पू जी गत सम्पत्ति (capital asset) के हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त रकम।

(६) यदि किसी व्यापार की समस्त क्रियाएँ भारत म नही की जाती तो अर्जित लाभ का उतना ही अश भारत मे अर्जित माना जायेगा जितना कि भारत मे की गई क्रियाओ के फलस्वरूप प्राप्त होता है।

(७) यदि कोई विदेशी निर्यात करने के लिये भारत म माल खरीदता है तो उसकी आय भारत म अर्जित नही मानी जायेगी। परन्तु शर्त यह है कि भारत मे उसका कोई दफ्तर या एजन्सी न हो तथा माल खरीद कर उस पर कोई निर्माण सम्बन्धी काम न किया गया हो।

(८) भारत सरकार यदि भारत के किसी नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिये वेतन देती है तो वह वेतन भारत मे अर्जित माना जायेगा।

(९) यदि कोई भारतीय कम्पनी भारत के बाहर लाभाश बाटती है, तो लाभाश की रकम भारत मे अर्जित मानी जायगी।

भारत मे लायी हुई विदेशी आय

सन् १९३९ के पहले 'निवासियों' की भी विदेशी आय पर कोई कर नही

पडता था जब तक वह भारत मे न लायी जाय । इसके बाद निवासियो की विदेशी आय पर भी कर लगने लगा चाहे वह भारत मे लाई जाय या न लाई जाय । परन्तु १ अप्रैल सन् १६४६ तक ४५०० रु० की छूट रही । इसके बाद यह छूट भी समाप्त हो गई तथा अब समस्त विदेशी आय पर कर देना पडता है चाहे वह भारत मे लायी जाय या न लाई जाय । फिर भी निम्नलिखित प्रकार की विदेशी आय हो सकती है जिस पर टैक्स न पड़ा हो ।

(१) अप्रैल १६३३ तथा अप्रैल १६३६ के बीच मे उपार्जित विदेशी आय ।

(२) १६३ से १ अप्रैल १६५६ तक ४५०० रु० छूट की रकम । यदि किसी व्यक्ति की विदेशी आय प्रतिवर्ष ४५०० से अधिक हो और वह भारत मे १६४ से १६५६ तक न लाया हो तो उसके पास ४५००० रु० की आय ऐसी हो जायेगी जिस पर कर नही दिया गया है । इसे भारत मे लाने पर कर देना पडेगा ।

(३) १६५६ के पश्चात् 'निवासियो' के पास बिना टैक्स की कोई विदेशी आय नही होगी ।

करदेय आय को सक्षिप्त रूप मे इस प्रकार रक्खा जा सकता है ।

आय का प्रकार	निवासी, जिनको कर देना पडेगा ।
१ भारत मे उपार्जित आय ।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी, विदेशी ।
२ भारत मे प्राप्त आय ।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी, विदेशी ।
३ विदेशी आय जो भारत मे नही लाई गई ।	
(क) प्रबन्ध तथा सचालन भारत से ।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी ।
(ख) प्रबन्ध तथा सचालन बाहर से ।	साधारण निवासी ।
४ बिना टैक्स दी हुई विदेशी आय जो भारत लाई गई ।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी ।

SUMMARY

Residence

Not Ordinarily resident	*Ordinarily Resident*	*Non resident*
	1 Individuals	
1 Stay 182 days or more,	1 A not ordinarily resident through one of four conditions	1 All the remaining persons
or	and	
2 Stay 30 days or more + dwelling 182 days or more	2 Resident for 9 out of 10 yrs	
or	and	
3 Stay 60 days or more in previous year and 365 days or more during 4 yrs prior to it	3 Stay for 2 years or more during past 7 years	
or		
4 Arrival with intention to stay for 3 yrs or more		
	2 H U F	
1 Any part of control and management from India	1 Karta an ordinary resident	2 Control and management wholly from out side
or		
2 Karta a 'not ordinarily resident'		

Not Ordinarily resident	Ordinarily Resident	Non resident
	3 Forms and Associations	
×	1 Any part of control and management from India	1 Control and management entirely from out of India
	4 Company	
×	1 An Indian Company	1 A foreign Company
	or	and
×	2 Control and management wholly from India	2 Any part of control and management out of India

Tax Incidence

Ordinary Resident	Not ordinarily resident	Non resident
1 Income accrued in India	1 Income accrued in India	1 Income accrued in India
2 Income received in India	2 Income received in India	2 Income received in India
3 All foreign income	4 Foreign income—if controlled from India	

Illustration 1

1 A German engineer was appointed by an Indian firm on st April 1961 He stayed in India till 31st July 1961, when he went on leave He came back again on Jan 1 1962 What will be his position as regards residence for 1961-62

[He is a resident but not ordinarily resident, because he stayed in India for more than 182 days]

2 A technician who worked with an Indian firm for two years went on leave to his home country on May 1, 1961, leaving his family in India He did not come back till June 1962 What will be his position as resident during 1961 62

[He is a resident but not ordinarily resident as he maintained a dwelling house for more than 182 days and was in India for more than 30 days during 1961 62]

3 Mr X of England has some business connections in India and for that purpose he maintains a dwelling house During 1960 61 he was in India personally for 10 days During 1961 62 also he was here for same number of days What will be his position as a resident for previous year 1960 61 and 1961 62

[He is resident but not ordinarily resident for 1960 61, He is non resident for 1961 62 because according to provisions of new act stay for 30 days or more is required]

4 An Afghan trader comes to India every winter for 4 months and then goes back to his native country without keeping any establishment here What will be his position as resident for the first four years

First year — Non resident
Second year — Non resident
Third year — Non resident
Fourth year — Resident but not ordinarily resident, because he stayed in India for 1 year during past four years and was here for more than 60 days during the previous year

5 Mr B, a British National worked with an Indian Mill for 15 years Then he goes home on leave on 31st March 1959 On 1st Jan 1962 he comes back to India What will be his residence during 1961-62

[For the year 1961 62 he is resident but not ordinarily resident because he stayed for more than a year in the past four years and was in India for more than 60 days during 1961-62]

He can not be a resident and ordinarily resident because he was not resident during 19 9-60 and 1960 61 Thus during the previous ten years he was resident only for ▮ years

6 Mr A, formarly an Indian citizen has now settled in London He has some landed property in India which is let out He came to India during 1961 62 for about a month to realise the rent

[He is not a resident Although he was here for 30 days he did not maintain a dwelling place His own property can not be rega ded as a dwelling place because it is let out]

Illustration 2

1 Y is a member of Hindu undivided family that has some business and landed property in Pakistan During 1961-62 he sent members of his family to India while he himself stayed at Pakistan and sent part of income to India What is the position of the family regarding residence during 1961-62

[The family is non-resident Although the family lives in India the property is managed from Pakistan and Karta is also a resident of Pakistan]

2 Mr Jones of England and Ramdas of India are partners in a firm Ramdas exports goods to Jones in England who arranges for sale there What is the po ition of the firm as resident

[The firm is resident in India because a part of business is carried on from India]

3 A company incorporated in U S A carries on the business of mica export from India The head office of the company is Newyork and business in India is looked after by a manager

[The company is a non resident because it is not an Indian company and also because its affairs are directed from New york]

4 X company Ltd was registerd in India in 1960 It has coal mines in South Africa During 1961 62 all its directors were in South Africa and all the meetings of the directors were held there What is the residence of the company

[The company is resident because it is registered in India]

Illustration 3

The following are the details regarding the income of Mr A for the year 1961 62

1 Income accured from his business in India Rs 10 000

2 Income accrued from his property in England but received in India Rs 4600

3 Income from his business in Denmark which was managed from India Rs 6000 It was not brought to India

4 Income from his business in Japan which was managed from Japan Rs 8000 The income was not brought to India

What will be his taxable income if he is a resident, a 'not ordinarily resident' or a non resident

Solution

1 When he is resident—

		Rs
(1) Income accrued in India		10 000
(2) Income received in India (accrued in England)		4,600
(3) Foreign Income accruing outside India		
(a) Income from Denmark	Rs 6000	14,000
(b) Income from Japan	Rs 8000	
		28,600

2. When he is 'not ordinarily resident,—

	Rs.
(1) Income accrued in India.	10,000
(2) Income received in India.	4,600
(3) Foreign income received from business controlled from India.	6,000
	20,600

Foreign income that is controlled from out side India, is not taxable in the hands of an assessee who is 'not ordinarily resident'.

3 When he is non-resident—

	Rs
(1) Income accrued in India	10,000
(2) Income received in India	4,600
	14,600

प्रश्न

1. What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence. Give a brief account of each of them.

   Agra B. Com 1956, Alld B. Com. 1955.

2. The residence of an assessee is determined according to the provisions of Section 4-A and 4-B of Income Tax Act. Discuss the provision as briefly and clearly as possible (Residence in the New Act is determined according to Section 6).

   Agra B. Com. 1953.

3. How is residence of Assessee determind for Income Tax purposes Explain the incidence of residence on tax liability

   Raj B. Com. 1955.

4. Explain how you would decide the question of residence of an assessee for income tax purposes Give illustrations.

   Alld. B Com. 1954,59.

5. Write short notes on

   (i) Non-resident

   Agra B. Com. 1942, 47, 50, 57
   Raj B. Com. 1953

   (ii) Resident

   Agra B. Com. 1945, 46, 51
   Raj B Com. 1951

   (iii) Ordinary resident

   Agra B. Com 1945, 46, 51
   Raj B. Com. 1951.

४

कर मुक्त आय

[Exempted Income]

कर मुक्त आय का आयकर के दृष्टि कोण से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही कर की मात्रा निर्धारित होती है। नये अधिनियम में इस प्रकार की उन्मुक्तियां विभिन्न स्थलों पर दी गई है। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभेद इस सम्बन्ध में कर मुक्त आय (Exempted Income) तथा छूट (Rebate) के सम्बन्ध में किया गया है। उदाहरण के लिए दान, प्राविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी का अश दान, बीमे का प्रीमियम पहले कर मुक्त आय के अन्तर्गत आता था परन्तु सैद्धान्तिक रूप से यह गलत था क्योंकि बीमे का प्रीमियम आय न होकर व्यय है। अतएव ऐसी समस्त मदों को कर मुक्त आय के अन्तर्गत न रख कर छूट के अन्तर्गत रक्खा गया है। जहाँ तक कर निर्धारण तथा बहीखातों का सवाल है इस विभेद से उसमे कोई अन्तर नहीं पडता। उदाहरणार्थ ऐसी आय जो आय कर से मुक्त है परन्तु कुल आय में जोडी जाती है तथा ऐसा व्यय जिस पर आय कर की छूट है व्यवहारिक दृष्टिकोण से समान है। कर मुक्त आय के निम्नलिखित विभेद किये गये हैं।

(१) वह आय जो पूर्णतया कर मुक्त है। अर्थात् जिस पर आयकर, अधिकर नहीं लगता और न कुल आय में जोडी जाती है।

(२) वह आय जो आयकर तथा अधिकर से मुक्त है परन्तु कुल आय मे जोडी जाती है। ऐसी आय पहले तो कुल आय मे सम्मिलित कर ली जाती है, बाद मे औसत दर से उस पर छूट दी जाती है।

(३) वह आय जो केवल आयकर से मुक्त है, अधिकर से नहीं तथा कुल आय मे जोडी जाती है। इस पर भी छूट ऊपर भाग दो के समान ही मिलती है।

(४) वह आय जो केवल अधिकर से मुक्त है (आयकर से नही) तथा कुल आय मे जोडी जाती है ।

छूट (Rebate) के सम्बन्ध मे भी तीन विभाग किये जा सकते हैं ।

(५) वह रकम जिस पर आयकर तथा अधिकर दोनो की छूट है । इसका कर निर्धारण ऊपर भाग दो मे वर्णित विधि के अनुसार होता है ।

(६) वह रकम जिस पर आयकर की ही छूट है, अधिकर की नही । इनका कर निर्धारण ऊपर भाग तीन म वर्णित विधि के अनुसार होगा ।

(७) वह रकम जिस पर केवल अधिकर की छूट है है । इसमे कर निर्धारण ऊपर भाग चार मे वर्णित विधि के अनुसार होगा ।

१. आय जो पूर्णतया कर मुक्त है

निम्नलिखित प्रकार की आय पूर्णतया कर मुक्त है । उस पर न तो आयकर पडता है, न अधिकर तथा वह कुल आय मे जोडी भी नही जाती ।

१ कृषि आय [१० (१)]

अध्याय २ मे वर्णित कृषि आयकर से पूर्णतया कर मुक्त रहती है ।

२ सयुक्त हिन्दू परिवार की आय का हिस्सा [१० (२)].

यदि कोई व्यक्ति सयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है और उसे परिवार की आय से कोई रकम प्राप्त होती है, अथवा परिवार की कोई सयुक्त सम्पत्ति है उससे प्राप्त होती है तो ऐसी आय पूर्णतया कर मुक्त रहेगी ।

३ आकस्मिक आय [१० (३)]

आयकर विधान मे आकस्मिक आय की कोई परिभाषा नही दी है, परन्तु परम्परा के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि जिस आय का कोई निश्चित स्रोत न हो तथा जो नमिक रूप से न प्राप्य होती हो उसे आकस्मिक आय माना जावेगा । आकस्मिक आय के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं ।

(१) दान मे प्राप्त रकम । परन्तु यदि दान नियमित रूप से मिलता है तो उसे आकस्मिक आय नही माना जा सकता ।

(२) पडा हुआ धन ।

(३) लाटरी, घुड दौड इत्यादि में प्राप्त धन

(४) किसी प्रकार का इनाम, बख्शीश इत्यादि। परन्तु यदि इनाम अपने नियोक्ता से कर्मचारी को मिलता है तो उसे आकस्मिक आय नही माना जा सकता।

आयकर विधान मे निम्नलिखित प्रकार की आय को स्पष्ट रूप से आकस्मिक नही माना गया है।

(१) पूंजी गत लाभ जो धारा ४५ के अन्तर्गत आते है। अर्थात् किसी सम्पत्ति को बेचने से मिलने वाला लाभ।[१० (३-i)]

(२) किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे स मिलने वाली आय। उदाहणार्थ अध्यापक को निरीक्षक का काम करने अथवा उत्तर पुस्तकें जांचने मे मिली हुई आय, अथवा खाली समय में किसी मुनीम द्वार दलाली करने म प्राप्त आय। [१० (३-ii)]

(३) किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि। [१० (३-iii)] उदाहरणार्थ किसी कर्मचारी को मिलने वाला बानस, ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि। आकस्मिक रूप स मिलने पर भी इमे आकस्मिक आय नही माना जा सकता क्योंकि आयका स्रोत निश्चित है।

४ विदेशियो की आय

विदेशी नागरिको को मिलने वाली निम्नलिखित प्रकार की आय करमुक्त होती है।

(१) **कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियो पर ब्याज**—यदि कोई ऋण पत्र विश्वबैंक अथवा डेवलपमेंट लोन फण्ड (Development Loan Fund) के समझौते के अन्तर्गत निकाले गये है तथा उन्हें किसी विदेशी ने खरीदा है तो उसे आयकर नही देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऋण पत्रो को निकालने का अधिकार केन्द्रीय सरकार, अथवा उसकी गारन्टी पर किसी औद्योगिक सस्थान अथवा वित्तीय कारपोरेशन को है। [१० (४)]

(२) **वापसी का किराया**—यदि कोई विदेशी जो भारत मे काम करता है घर वापस जा रहा हो और उसका नियोक्ता उसे वापस जाने का भाड़ा दे तो यह उसकी आय मे नही जोडा जावेगा यह सुविधा स्वय उसके, पत्नी तथा सतान के लिये दिये गये भाड़े पर ही प्राप्त है। [१० (६-i)]

इसी प्रकार की सुविधा भारतीय नागरिकों को जो विदेश मे काम करते हैं, घर वापस आते समय भाड़ा मिलने पर प्राप्त होती है।

(३) राजदूत इत्यादि का वेतन—भारत मे स्थित विदेशी राजदूतों, उनके सलाहकारो, ट्रेड कमिश्नरो, तथा अन्य समकक्ष अधिकारियो का वेतन कर मुक्त है [१० (६-ii, iii, iv)]

(४) विदेशी राजदूतावासो के कर्मचारियों का वेतन—ऊपर बतलाये हुये अधिकारियो के दफ्तरो मे काम करने वाले कर्मचारियो का वेतन भी कर मुक्त होता है इसमे शर्त यह है कि,

(i) कर्मचारी उसी देश का हो।

(ii) भारत मे अन्य किसी रोजगार या धंधे मे न लगा हो।

(iii) विदेशी सरकार अपने यहाँ के भारतीय कर्मचारियो को इसी प्रकार की सुविधा देती हो। [१० (६-v)]

(५) किसी विदेशी संस्था के विदेशी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन—इसके लिए आवश्यक है कि—

(i) वह विदेशी संस्था भारत मे कोई रोजगार न करती हो।

(ii) गत वर्ष मे वह कर्मचारी भारत मे ९० दिन से अधिक नही रहा हो।

(iii) इस वेतन की रकम नियोक्ता की कुल रकम से, यदि उस पर आय कर पड़ता है, नही घटाई गयी है। [१० (६-vi)]

(६) विदेशी टेक्नीशियन को मिलने वाला वेतन—इसके लिये शर्त यह है कि वह जिस वित्तीय वर्ष मे आया हो उसके पहले के चार वित्तीय वर्षो मे कभी भी भारत का नागरिक न रहा हो। १० (६-vii)]

(७) किसी विदेशी जहाज के कर्मचारी का वेतन—इसकी शर्त यह है कि वह कर्मचारी विदेशी हो तथा गत वर्ष भारत मे ९० दिन से अधिक न रहा हो।

५ प्राविडेन्ट फण्ड, पेंशन इत्यादि की आय

(१) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अथवा रिटायर होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (Death cun-retirement gratuity) जो भारत सरकार के नवीन

पेंशन नियमो के अन्तर्गत दी जाती है। किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्था या कारपोरेशन द्वारा दी गई इस प्रकार की ग्रेच्यूटी कर मुक्त होती है। [१० (१०)]

(२) ऐसे प्राविडेन्ट फण्ड से मिलने वाली रकम जिस पर प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट १६२५ लागू होता हो। [१० (११)]

(३) किसी स्वीकृत प्राविडेन्ट फण्ड मे जमा रकम। [१० (१२)]

(४) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सुपर एन्युएशन फण्ड (Super annuation Fund) से मिलने वाली रकम। यदि वार्षिक वृत्ति (Annuity) के एवज म इस प्रकार की रकम प्राप्त हो तो भी वह कर मुक्त होगी। [१० (१३)]

६ सरकारी विनियोगो पर ब्याज [१० (१५)]

निम्नलिखित प्रकार के सरकारी विनियोगो से प्राप्त होने वाली आय भी कर मुक्त होती है।

(१) केन्द्रीय सरकार की आज्ञानुसार निकाली हुई १५ वर्षीय (Annuity Certificates) पर मिलने वाली मासिक रकम।

(२) ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट, पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, २० वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट, तथा अन्य इसी प्रकार के ऋण।

(३) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक खाते का ब्याज।

(४) सेन्ट्रल बैंक आफ सीलोन द्वारा रखी जाने वाली प्रतिभूतियो पर ब्याज।

(५) १ अप्रैल सन् १६६० से ५) और १००) वाले इनामी बाण्डो पर इनाम की रकम।

७ भारत के विशिष्ट प्रकार के लोगो को मिलने वाला वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि।

भारत के निवासियो म भी कुछ विशिष्ट लोगो को आय पर छूट दी जाती है, इसकी मुख्य मुख्य मद इस प्रकार हैं।

(१) पार्लियामेंट अथवा राज्य के विधान मण्डल के सदस्य अथवा उसकी किसी कमेटी के सदस्य को मिलने वाला दैनिक भत्ता।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये वीरतापूर्ण कार्य के लिये पुरस्कार ।

(३) देशी रियासतो के पूर्व राजाओ को मिलने वाला प्रिवीपर्स ।

(४) अनुसूचित जन जाति (Scheduled Tribe) के किसी व्यक्ति को मिलने वाली आय जो जन-जातियो के अनुसूचित क्षेत्र मे ही उपार्जित हो । प्रतिभूतियों पर मिलने वाले व्याज प स्थान सम्बन्धी यह शर्त नही लागू होती है । (इस क्षेत्र की सूची सविधान की ६ठी अनुसूची की A और B सारिणियो मे दी है, इसमे मनीपुर तथा त्रिपुरा की रियासते और शामिल है। । [१० (२६)]

८. विशिष्ट सस्थाओ की आय

कछ विशेष प्रकार की सस्थायें ऐसी है जिनकी आय को भी कर मुक्त रक्खा गया है । इसका उद्देश्य जन-हितकारी तथा शिक्षा और अनुसधान सम्बन्धी कामो को बढावा देना है । ये सस्थाये निम्नलिखित हैं ।

(१) **स्थानीय संस्थायें**—स्थानीय सस्थाओ की—'व्याज' 'मकानो की आय' पूजीगत आय तथा 'अन्य साधनो की आय'—कर मुक्त होती है । उनकी व्यापार की आय भी कर मुक्त होती है, बशर्ते कि व्यापार का क्षेत्र उनके निजी कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो । [१० (२०)]

(२) **वैज्ञानिक अनुसधान सस्थाये**—यह आवश्यक है कि यह सस्थायें स्वीकृत हों तथा अपनी आय को पूर्ण रूप से अनुसधान कार्य मे ही व्यय करती हो । [१० (२१)]

(३) **विश्वविद्यालय तथा शिक्षा सस्थायें**—सस्थाओ का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रचार होना चाहिए, लाभ कमाना नही । [१० (४२)]

(४) **खेल कूद को प्रोत्साहन देने वाली सस्थायें**—शर्त यह है कि सस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अपनी आय पूर्णतया खेलकूद के प्रोत्साहन के लिये लगाती हो, तथा सदस्यो मे किसी प्रकार लाभ का विभाजन न करती हो ।

(५) **ट्रेडयूनियन**—शर्त यह है कि यूनियन ट्रेडयूनियन एक्ट १९२६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो, उसकी स्थापना कर्मचारियो तथा नियोक्ताओ के बीच उत्तम सम्बन्ध बनाने के लिए की गई हो । ऐसी सस्थाओ की यदि 'व्यापारिक लाभ' के अन्तर्गत आने वाली कोई आय हो तो उस पर छूट नही मिलेगी । [१० (२४)]

(६) **धार्मिक तथा दान सम्बन्धी सस्थायें**—ऐसी सस्थाओ की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली कर मुक्त होती है । उनकी शर्तें इस प्रकार है ।

(i) सम्पत्ति ट्रस्ट के अधिकार मे होनी चाहिए ।

(ii) सम्पत्ति पूर्णतया धार्मिक तथा दान सम्बन्धी कामो के लिये हो ।

(iii) उसके कामो का क्षेत्र भारत के अन्दर हो ।

(iv) कर मुक्त आय की सीमा १०,००० अथवा सम्पत्ति से मिलने वाली आय के २५% मे से जो भी अधिक हो उसके बराबर होनी चाहिये ।

(v) यदि ट्रस्ट का निर्माण इस कानून से पहिले हुआ हो तथा उसकी आय को केवल आशिक रूप से ही दान-धर्म के कामो मे लगाया जाता हो तो जिस सीमा तक ऐसी रकम दान कर्म मे लगाई जायेगी वही कर मुक्त होगी । इनमे भी कर मुक्त आय २५% से अधिक नही हो सकती ।

(vi) सम्पत्ति मे व्यापारिक सस्थान भी शामिल है । परन्तु इनकम टैक्स आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यापार की वास्तविक आय का पता लगावे । यदि उसकी आय वास्तविक आय से कम दिखाई गई है तो I T O उसे ऐसी आय मान सकता है जिसका उपयोग धर्मार्थ नही किया गया है और उस पर टैक्स लगा सकता है । [१० (१–४)]

(७) चन्दे पर चलने वाले ट्रस्ट या सस्थायें—किसी धर्मार्थ सस्था को जो चन्दे या दान से आय प्राप्त होती है वह कर मुक्त मानी जायेगी बशर्ते उसका उपयोग धर्मार्थ काम के लिए किया गया हो । [१२ (१)]

९. अन्य प्रकार की आय

(१) छात्रवृत्ति, जो शिक्षा के व्यय के लिये उपयोग मे आती है ।

(२) यदि भारत के किसी नागरिक को, जो बाहर काम कर रहा हो, घर वापस आने के लिए अपने, पत्नी, तथा पुत्रो के लिए प्राप्त यात्रा व्यय ।

२. आय जो आयकर तथा अधिकर से मुक्त है परन्तु कुल आय में जोड़ी जाती है।

१. सहकारी समितियों की आय [८१]

(१) सहकारी समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार से लाभ, यदि समिति निम्नलिखित कामों में से कोई काम करती है ।

(i) सदस्यो को साख प्रदान करना ।

(ii) कुटीर उद्योग का काम।

(iii) सदस्यो के कृषि पदार्थो की बिक्री का काम।

(iv) सदस्यो के लिये कृषि औजार, बीज, पशु तथा अन्य कृषि सामग्री की खरीद करना।

(v) कृषि पदार्थो की Processing का काम। परन्तु शक्ति का प्रयोग न होता हो।

(vi) सदस्यो का दूध एकत्र करके सहकारी सघ के हाथ बिकवाना।

(२) यदि सहकारी समिति उपरोक्त काम नही करती है तो भी १५०००) तक की आय करमुक्त होगी।

(३) यदि समिति उपर्युक्त कामो के अलावा अन्य काम करती है तो अन्य *कामो की आय करमुक्त नही है। परन्तु १५००० तक की छूट यहां भी मिलती है।*

(४) यदि समिति किसी अन्य सोसाइटी के अशो मे रुपया लगाती है तो उससे मिलने वाला लाभाश कर मुक्त होगा।

(५) यदि समिति के पास कोई गोदाम या भण्डारघर है तो उसे किराये पर उठाने से होने वाली आय।

(६) प्रतिभूतियो से मिलने वाला ब्याज तथा सम्पत्ति से होने वाली आय। इसकी शर्त यह है कि,

(i) समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक नही है।

(ii) समिति गृह समिति, शहरी उपभोक्ता समिति, यातायात समिति अथवा शक्ति का उपयोग करके उत्पादन करने वाली समिति नही है।

(७) ऊपर लिखी हुई कोई भी छूट सहकारी बीमा कम्पनियो को प्राप्त नही होगी।

२. सहकारी समिति के अंशो पर लाभाश [८२]

यदि किसी व्यक्ति अथवा सस्था के पास किसी सहकारी समिति के अश हैं तो ऊपर मिलने वाला लाभाश कर मुक्त होता है।

३. विक्रय सस्था की आय [८३]

यदि कानून द्वारा किसी सस्था को वस्तुओ के विपणन का अधिकार दे दिया गया है तो उसकी निम्नलिखित प्रकार की आय कर मुक्त होगी।

(१) गोदाम या भण्डारघर किराये पर उठाने से होने वाली आय ।
(२) Processing की क्रियाओ से होने वाला लाभ ।
(३) विपणन के कार्य मे सहायता देने के लिये मिलने वाली आय ।

बिना रजिस्ट्री की फर्म मे लाभ का हिस्सा [८६ (३)], [९९ (१)]

यदि करदाता किसी बिना रजिस्ट्री की फर्म का साझीदार है तथा फर्म आय कर और अधिकर दे चुकी है तो साझीदार को उस पर आयकर तथा अधिकर नही देना पड़ेगा ।

५ अन्य लाभ का हिस्सा, जिस पर कर दिया जा चुका है [८६ (५)] तथा [९९ (२)]

यदि कोई करदाता किसी व्यक्तियो व समुदाय (Associ tion of persons) (सयुक्त परिवार को छोड़कर) अथवा कम्पनी या फर्म का सदस्य है तथा समुदाय, कपनी अथवा फर्म आय पर कर दे चुकी है तो करदाता को उसके हिस्से पर कर नही देना पड़ेगा ।

६ नए स्थापित औद्योगिक सस्थानो तथा होटलो की आय । [८४] तथा [१०१ (१)]

नये औद्योगिक सस्थानो तथा होटलो की आय जो प्रयुक्त पूंजी के ६%से अधिक न हो, आयकर से मुक्त हाती है । इसकी अन्य शर्तें इस प्रकार है ।

(क) औद्योगिक सस्था के लिए

(१) वह किसी पुरानी सस्था को विभाजित करके अथवा पुनर्स गठित करके नही बनाई गई है ।

(२) उसका निर्माण किसी पुरानी इमारत, मशीन अथवा कल को स्थानान्तरित करके नही किया गया है ।

(३) वह १ अप्रैल १९४८ से १८ साल के अन्दर भारत के किसी भाग मे वस्तुओ का निर्माण कार्य आरम्भ कर देती है ।

(४) यदि वह शक्ति का प्रयोग करती है तो १० या अधिक लोगो को नौकर रखती है, यदि वह शक्ति का प्रयोग नही करती तो कम से कम २० आदमी नौकर रखती है ।

(ख) होटल के लिए

(१) वह १ अप्रैल १९६१ को अथवा उसके बाद कार्य आरम्भ करता है।

(२) वह किसी पुराने व्यापार को विभाजित करके अथवा पुनर्सगठित करके नही बनाया गया है।

(३) उसका स्वामित्व तथा सचालन भारतीय कम्पनी के हाथ मे है तथा चुकता पूजी ५ लाख से कम नही है।

(४) होटल की इमारत स्वय कपनी की है।

(५) सरकारी निर्देश के अनुसार कमरे तथा ठहरने का प्रबन्ध है।

(६) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

कर मुक्ति की सुविधा का समय इस प्रकार होगा।

(१) यदि औद्योगिक सस्था एक सहकारी समिति है तो कार्य आरम्भ करने वाले वर्ष तथा उसके बाद ६ साल तक अर्थात कुल मिलाकर ७ वर्ष तक।

(२) यदि औद्योगिक सस्था अन्य कोई सस्था है तो कार्यारम्भ करने के साल तथा अगले ४ वर्ष तक अथात् कुल मिला कर ५ वर्ष तक।

(३) होटल के लिए कार्यारम्भ करने वाले वर्ष तथा अगले चार वर्ष तक अर्थात् कुल मिलाकर ५ वर्ष तक।

७ नई औद्योगिक सस्थाओ तथा होटलो का लाभाश [८५], [१०१ (२)]

धारा ८४ के अन्तर्गत जितनी रकम की छूट नई औद्योगिक सस्थाओ तथा होटलो को प्राप्त है, उसे लाभाश के रूप मे बाटने पर अशधारियो को भी उस पर आय कर नही देना पडेगा।

३. आय जो केवल आयकर से मुक्त है, अधिकर से नहीं तथा कुल आय मे जोड़ी जाती है

१. कर मुक्त प्रतिभूतियो पर ब्याज [८६ (१,२)]

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो द्वारा निकाली जाने वाली करमुक्त प्रतिभूतियो पर ब्याज आयकर स मुक्त होता है। राज्य सरकार द्वारा निकाली हुई ऐसी प्रतिभूतियो पर आयकर राज्य स्वय देता है।

२ रजिस्टर्ड फर्म क लाभ का हिस्सा [८६ (४)]

यदि करदाता किसी रजिस्टर्ड फर्म का साझीदार है तो निम्नलिखित रकमो का अन्तर करमुक्त रहेगा।

(अ) फर्म की कुल आय मे करदाता का हिस्सा।

(आ) आयकर देने के बाद बची हुई आय मे उसका हिस्सा।

रजिस्टर्ड फर्म एक सीमा तक स्वय कर नही देती। लाभ साझीदारो मे बाट दिया जाता है वे ही कर देते है। परन्तु उस सीमा के बाद फर्म को स्वय भी कर देना पडता है। १९६१-६२ तक यह सीमा ४०,००० रु० थी, परन्तु १९६२-६३ से इसे घटाकर २५००० हजार कर दिया गया है। अतएव साझीदार को फर्म से जो लाभ प्राप्त होता है उसके एक अश पर कर दिया जा चुका होता है तथा एक अश पर नही दिया होता है। जिस अश पर कर दिया जा चुका है। वह करमुक्त होती है।

रजिस्टर्ड फर्म के लाभ के हिस्से पर अधिकर की भी छूट है परन्तु उसकी गणना की विधि भिन्न है।

आयकर के लिए तो ऐसी समस्त रकम पर छूट मिलती है जो आयकर के रूप मे दी जा चुकी है परन्तु अधिकर म छूट केवल ऐसी रकम पर दिए जाने वाले आयकर के सम्बन्ध मे मिलती है जो व्यापार के अलावा अन्य साधनो से प्राप्त हो।

४. आय जो केवल अधिकर से मुक्त है

१ कुछ विशिष्ट प्रकार की कम्पनियो का लाभाश [९९ (८)]

यदि पाँचवी अनुसूची मे वर्णित कम्पनियो द्वारा विभाजित लाभाश किसी कम्पनी को प्राप्त होता है तो उसे (पाने वाली कम्पनी को) उस पर अधिकर नही देना पडता। पाँचवी अनुसूची म कुछ ऐसी वस्तुओ की सूची है जिनका निर्माण करने वाली कम्पनियो के लाभाश पर इस प्रकार की छूट है। १ अप्रैल १९६१ के बाद स्थापित की गई कम्पनियो के लिए छूट की वस्तुओ की सख्या बढा दी गई है तथा वे अनुसूची के 'ब' भाग मे दी गई है।

छूट (Rebate)

नए अधिनियम मे कुछ विशिष्ट प्रकार के खर्चों पर आयकर तथा अधिकर की छूट दी गई है। पहले उन्हे कर मुक्त आय मे सम्मिलित किया जाता था, परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उन्हें आय मे सम्मिलित करके करमुक्त आय घोषित करना ठीक नही था क्योकि वे आय के अन्तर्गत न आते थे।

जिन मदो पर इस प्रकार की छूट दी जाती है उन्हे पहले कुल आय मे सम्मिलित कर लिया जाता है, बाद मे औसत दर से छूट दी जाती है। छूट को भी निम्नलिखित भागो मे बाँटा जा सकता है।

५ ऐसी मदें जिन पर आयकर तथा अधिकर दोनों की ही छूट है ।

१ दान (**Donatations for charitable purpose**) [८८]

लोक हितकारी सस्थाओ को दिए जाने वाले दान पर औसत दर से आयकर तथा अधिकर दोनो को ही छूट मिलती है। इस सम्बन्ध मे मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार हैं।

(१) दान निम्नलिखित सस्थाओं मे से किसी को दिया गया हो ।

(क) लोक हितकारी सस्था अथवा कोष ।

(ख) सरकार अथवा स्थानीय सस्थाओ द्वारा निर्मित कोई लोक हितकारी कोष जैसे बाढ पीड़ितो के सहायतार्थ कोष। छूट १ अप्रैल ९६० के बाद दिये हुये दान पर ही मिलेगी ।

(ग) किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरद्वारा, चर्च इत्यादि की मरम्मत के लिये दिया हुआ दान यदि उसका ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा पुरातत्व सम्बन्धी महत्व है ।

(२) लोक हितकारी सस्था निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो ।

(क) सस्था की आय धारा ११,१२ अथवा १० (२२) के अन्तर्गत कर मुक्त हो ।

(ख) धन का उपयोग केवल लोक हितकारी कामो मे हो ।

(ग) वह सस्था किसो विशेष धर्म समाज या जाति के लिए न हो। अनुसूचित जातियो, स्त्रियो अथवा बच्चो के लिए बनाई गई सस्थाओ पर यह बात लागू नही होती ।

(घ) सस्था ठीक ढग से आय व्यय का हिसाब रखती हो ।

(३) दान की रकम २५० रु० से कम नही होनी चाहिए ।

(४) दान की अधिकतम रकम करदाता की कुल आय का ७½%अथवा १ लाख ५० हजार रुपया (इनमे जो भी कम हो) हो सकती है। कुल आय निकालने मे कर मुक्त आय घटा दी जाती है ।

(५) आयकर तथा अधिकर मिलाकर दान की हुई रकम के आधे से अधिक नही होना चाहिये ।

(६) कर निर्धारण वर्ष (assessment year) १९६३-६४ से अधिकतम दान की रकम बढ़ाकर कुल आय का १०%अथवा २ लाख ५ हजार रु० (जो भी कम हो) कर दी गई है। [फाइनेंस एक्ट १९६२]

(७) कम्पनी को केवल आयकर की छूट मिलती है अधिकर न अन्य करदाताओं को आयकर तथा अधिकर दोनों की ही छूट मिलती है।

६. ऐसी मदें जिन पर केवल आयकर की छूट है।

निम्नलिखित मदो पर केवल आयकर की ही छूट है अधिकर की नहीं।

१. जीवन बीमे का प्रीमियम

जीवन बीमे के प्रीमियम पर छूट की निम्नलिखित शर्तें है।

(१) बीमा स्वयं करदाता, उसकी पत्नी या अगर संयुक्त हिन्दू परिवार है तो किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी का किया गया हो।

(२) प्रीमियम की रकम कुल बीमे की रकम की १० प्रतिशत से अधिक न हो। बीमे की रकम निकालने मे 'बोनस' नही जोडा जायेगा। यदि पालिसी लाभ सहित ली गई है तो बीमित रकम के अलावा कुछ रकम बोनस के रूप मे भी मिलती है। इस रकम को छोड दिया जाता है। वास्तविक बीमित रकम का १० प्रतिशत लिया जाता है।

(३) प्रीमियम का भुगतान ऐसी रकम से होना चाहिए जिस पर कर पडता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राविडेन्ट फण्ड से रुपया लेकर प्रीमियम का भुगतान करता है तो उस पर छूट न मिलेगी।

२. स्थगित वार्षिक वृत्ति (Deferred Annuity) का चदा

वार्षिक वृत्ति स्वयं करदाता अथवा करदाता की पत्नी के जीवन के लिए हो। प्रीमियम के सम्बन्ध मे लागू १०%का नियम वार्षिक वृत्ति पर नही लागू होता तथा दी जाने वाली रकम प्राप्त होने वाली रकम के १० प्रतिशत मे अधिक हो सकती है।

३. वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड का चन्दा

करदाता यदि किसी वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड (जिस पर प्रा० फ० एक्ट १९२५ लागू होता है, का सदस्य है तो उसके द्वारा दी गई रकम पर छूट मिलती है।

४. सरकारी नौकरी की स्थगित वार्षिकी का चदा

यदि सरकार ने किसी कर्मचारी के वेतन से उसके बच्चो तथा पत्नी को स्थगित वार्षिक वृत्ति प्रदान करने के लिये उसके वेतन से कोई रकम काटी है तो उस पर आयकर की छूट मिलेगी। परन्तु यह रकम उसके वेतन के १/५ से अधिक नही होनी चाहिये।

५ प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड मे कर्मचारी का अशदान

यदि कर्मचारी किसी प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड का सदस्य है तो फण्ड मे उसके अशदान पर छूट मिलती है। परन्तु यह अशदान वेतन के १/५ से अधिक नही होना चाहिये।

छूट की रकम

छूट की रकम के सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम है।

(१) किसी व्यक्तिगत कर दाता के लिये ऊपर की पाँचो मदो को मिलाकर कुल रकम उसकी कुल आय के १/४ अथवा ८००० रु० (जो भी कम हो) से अधिक नही होनी चाहिए।

(२) सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए-ऊपर की पाँचो मदो को मिलाकर कुल छूट की रकम परिवार की कुल आय के १/४ अथवा १६००० (जो भी कम हो) से अधिक नही होना चाहिए।

(३) लेखक, नाटककार, कलाकार, सगीतकार, तथा एक्टर के लिए विशेष छूट की व्यवस्था की गई है जो समय समय पर प्रकाशित होगी।

१९६२-६३ के सुधार

फाइनेंस एक्ट १९६२ मे ऊपर बतलाई हुई ५ मदो मे एक और जोड दी गई है।

(६) यदि करदाता कोई व्यक्ति है तथा वह पोस्ट आफिस के १० वर्षीय तथा १५ वर्षीय सचयी टाइम डिपाजिट (Cumulative deposit) में कुछ रुपया जमा करता है तो ऐसी जमा की गई रकम पर गत वर्ष मे औसत दर पर छूट मिलेगी।

छूट की रकम

31230

छूट की रकम भी बढा दी गई है तथा अधिकतम सीमा सभी ६ मदो का मिलाकर व्यक्ति के लिये कुल आय के १/८ अथवा १० ०० रु० (जो भी कम हो तथा सयुक्त परिवार के लिए कुल आय का १/४ तथा २०,००० (जो भी कम हो) कर दिया गया है।

प्रश्न

1 (a) Certain classes of incomes are totally exempt (both from Income tax and Super tax and are not included in the total income Give four instances of such income

(b) Give four instances of incomes which are exempt from income tax (not from super tax) but are to be included in the total income of an assessee

[Agra B Com 1960]

2 What are the classes of income to which Income Tax Act does not apply

[Agra B Com 1959]

3. The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provision fully

[Agra B Com 1951]

4 Write short notes on

(a) Casual income
(b) Charitable donations

[Agra B Com 1946,50 57]

5 State the provisions of Section 15 B (in respect of exemption of donations for charitable purposes) and Section 15 C in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings

[Raj B Com 1956]

Note —Provisions of Section 15 B are given in Section 88 and of Section 15 C in Section 84 and 85 in the New Act

6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from Income tax and Super tax on its incomes

[Agra M Com 1960]

7 State the incomes which though exempt from income tax are nevertheless included in finding out the total income

[Allahabad B. Com 1958]

8 Enumerate with illustrations the classes of incomes which are exempt from both Income Tax and Super Tax

[Allahabad B. Com 1953]

५

आय की मदें — वेतन

[Heads of Income — Salary]

आयकर विधान मे सुविधा के लिये आय को निम्नलिखित ६ भागो मे बाँटा गया है।

(१) वेतन (Salaries)

(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Securities)

(३) गृह सम्पत्ति से आय (Income from House Property)

(४) व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्ति (Profits and gains from business or profession)

(५) पूंजीगत लाभ (Capital gain)

(६) अन्य साधनो से आय (Income from other sources)

वेतन (Salary)

वेतन किसी कर्मचारी को उसके स्वामी से सेवाओ के बदले मिलने वाली आय को कहते हैं। इस प्रकार वेतन की सबसे पहली शर्त यह है कि रकम पाने वाले तथा देने वाले मे सेवक तथा स्वामी का सम्बन्ध हो।

नये आयकर विधान की धारा १५ के अनुसार वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार की आय पर कर लगेगा।

(१) वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा देय वेतन। वेतन देय होना काफी है, भुगतान चाहे हुआ हो या नहीं।

(२) कोई भी वेतन जिसका पेशगी भुगतान वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा अथवा उनके बदले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

(३) कोई भी पिछला बकाया वेतन, यदि उस पर आयकर न ले लिया गया हो।

वेतन में सम्मिलित आय की मदों का और भी स्पष्टीकरण धारा १७ में किया गया है। इसके अनुसार आयकर में निम्नलिखित मदें शामिल हैं।

(१) मजदूरी।

(२) किसी प्रकार की वार्षिक वृत्ति (Annuity) अथवा पेंशन।

(३) किसी प्रकार की ग्रेच्युटी। वर्तमान समय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कुछ विभागों तथा कुछ स्थानीय संस्थाओं ने Death cum-retirement Gratuity की योजनायें चलाई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारी को मिलने वाली रकम कर मुक्त होती है। [धारा १० (१६)]

(४ किसी प्रकार की फीस अथवा कमीशन

(५) पेशगी वेतन

(६) मान्यता प्राप्त प्राविडेन्ट फन्ड में वार्षिक वृद्धि—

(अ) नियोक्ता द्वारा दिया गया चन्दा जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो।

(ब) जमा रकम पर ब्याज जो वेतन के १/३ से अधिक हो अथवा ब्याज की दर ६ प्रतिशत से अधिक हो।

(७ किसी प्रकार का अनुलाभ (Perquisite)। इसमें आय की निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं।

(i) नियोक्ता द्वारा रहने के लिये मिला हुआ बिना किराये का मकान। आय में जोड़ी जाने वाली रकम के निर्धारण के लिए आगे के पृष्ठों में देखिये।

(ii) यदि कोई मकान रियायती भाड़े पर मिला हो तो रियायत का मूल्य।

(iii) कोई अन्य प्रकार की सुविधा या सहूलियत जो मुफ्त अथवा रियायती दर पर निम्नलिखित लोगों को प्रदान की गई हो।

(क) कम्पनी द्वारा डायरेक्टर को।

(ख) कम्पनी द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसका उसमे पर्याप्त हित हो *

(ग) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जिसका वार्षिक वेतन १८ हजार रुपये से अधिक है।

(iv) नियोक्ता द्वारा भुगतान की हुई ऐसी रकम, जिसका भुगतान कर दाता को करना पड़ता। उदाहरणार्थ कर दाता के बदले चुकाया हुआ कर्ज।

(v) कर्मचारी के बदले नियोक्ता द्वारा अदा की गई बीमा की किश्त अथवा वार्षिक वृत्ति (Annuity) की रकम।

(८) वेतन के स्थान पर मिलने वाला लाभ। उदाहरणार्थ कोई क्षति पूर्ति की रकम जो वर्तमान अथवा भूत पूर्व नियोक्ता द्वारा नौकरी समाप्त करने अथवा उसकी शर्तों मे परिवर्तन करने के लिए दी गई हो। [धारा ७ (-1)]

यद्यपि अधिनियम मे क ी भी इसका जिक्र नहीं है, परन्तु परम्परा के आधार पर प्राय. निम्नलिखित सुविधाये आय मे नहीं जोडी जाती।

(१) किसी कर्मचारी, उसके परिवार के किसी सदस्य का प्रदान की जाने वाली मुफ्त चिकित्सा की सुविधा। यदि चिकित्सा पर व्यय नकद दे दिया जाय तो भी उसे नही जोडा जाता है।

(२) यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को दिये हुये मकान या बगले के लिये कोई माली रखा है और उसका वेतन स्वय नियोक्ता देता है तो माली का वेतन कर्मचारी की आय मे नही जोडा जायेगा।

(३) यदि कर्मचारी अथवा कर्मचारियो के लिये मनोरजन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गई हैं।

(४) दफ्तर के कार्यकाल मे प्रदान की जाने वाली जलपान सम्बन्धी सुविधा। भोजन (lunch) की व्यवस्था इसमे नहीं आती।

अनुलाभ का मूल्य निर्धारण

कर्मचारी को अनेक सुविधायें जैसे मुफ्त मकान इत्यादि मिलते है, द्रव्य के रूप मे उसका मूल्याकन क्या होगा यह जानना आवश्यक है। कुछ खास-खास अनुलाभो का मूल्याकन निम्नलिखित प्रकार से होगा।

---

* पर्याप्त हित से तात्पर्य २०% से अधिक मताधिकार से है।

मकान के किराये का भत्ता—

(१) यदि भत्ता नकद रुपये मे मिलता है तो पूरी रकम।

(२) यदि मुफ्त मकान मिला है तो बिना फर्नीचर के होने पर वेतन के १०% के बराबर तथा फर्नीचर युक्त होने पर १२½ % के बराबर काटा जायेगा। यदि मकान का किराया इससे कम हो तो वास्तविक किराया लिया जायेगा।

यदि मकान का उचित किराया वेतन के आधार पर निकाले हुए किराये के दूने से अधिक हो अर्थात् बिना साजसज्जा के मकान मे वेतन के २०% तथा साज-सज्जा युक्त मकान मे वेतन के २५% से अधिक हो तो इस सीमा मे ऊपर का किराया आय मे जुड़ जायेगा।

उदाहरण—

(१) 'क' का मासिक वेतन २५० रु० प्रतिमास है। उसे ४० रु० प्रतिमास मकान के किराये का मिलता है। यद्यपि यह वेतन के ०% से अधिक है फिर भी पूरी रकम उसके वेतन की आय म जुड़ जायेगी।

(२) राम प्रसाद को २४००० रु० वार्षिक वेतन मिलता है। साथ ही साथ उसे रहने का बंगला भी मिला है जिसका उचित किराया १५० रु० प्रतिमास है। बंगले का किराया अधिक से अधिक २४०० रु० हो सकता है। वास्तविक किराया १८०० रु० है जो इससे कम है अतएव १८०० रु० ही इसमे जोड़ा जायेगा।

(३) एक कम्पनी के मैनेजर को साज सज्जा युक्त बंगला मिला है जिसका वार्षिक किराया १००० रु० साल है। यदि मैनेजर का वेतन ५०० रु० मासिक है तो किराये की कितनी रकम उसके वेतन मे सम्मिलित होगी।

वेतन का १२½ % = ६०००×$\frac{२५}{२००}$=७५० रु०

यह रकम वास्तविक किराये १००० रु० से कम है अतएव आय मे ७५० रु० की रकम जोड़ी जायेगी।

(४) एक ओवरसियर को २०० रु० प्रति माह वेतन मिलता है। उसे बिना फर्नीचर का एक क्वार्टर मिला है जिसका किराया ५० रु० प्रतिमाह है। उसके वेतन मे किराय की कितनी रकम शामिल होगी?

वार्षिक वेतन = २४०० रु०

वार्षिक किराया = ६०० रु०

वेतन का १०% = २४० रु०

वेतन का २०% = ४८० रु०

अतिरिक्त जोडी जाने वाली किराय की रकम = ६००–४८० = १२०

कुल जोडी जाने वाली आय = २४० + १२० = ३६०

(५) एक कर्मचारी का वार्षिक वेतन ८००० रु० है उसे एक बिना फरनीचर का बँगला रहने के लिए मिला है जिसका वार्षिक किराया उसे ५०० रु० साल देना पडता है। बँगले का उचित किराया १००० रु० साल है। वेतन मे जोडी जाने वाली किराये की रकम बताओ।

रियायत की रकम = १००० — ५०० = ५०० रु०

किराये की अधिकतम रकम (वेतन ८००० का १०%) = ८०० रु०

नकद दी हुई रकम = ५०० रु०

वेतन मे जोडी जाने वाली रकम = ८००—५०० = ३०० रु०

(६) किसी तेल मिल के मैनेजर का वेतन ६००० रु० साल है उसे एक मकान भी रहने के लिये मिला है जिसके लिए उसे ४०० रु० वार्षिक देना पडता है। मकान का उचित किराया ५५० रु० है। वेतन मे जोडी जाने वाली रकम क्या होगी।

किराये की अधिकतम रकम (६००० का १०%) = ६०० रु०

नकद किराये की रकम = ४०० रु०

अन्तर = ६०० — ४०० = २०० रु०

उचित किराये तथा वास्तविक किराये का अन्तर = ५५० — ४०० = १५० रु० यह रकम २०० रु० से कम है अतएव उसके वेतन मे १५० रु० जोडे जायगे।

मोटर कार—

यदि मालिक की तरफ से कर्मचारी को कोई मोटर कार मिली है, और उसका खर्चा मालिक को देना पडता है तो उसके अनुलाभ का निर्णय इस प्रकार होगा।

(१) यदि कार केवल मालिक के काम के लिए काम मे आती है तो कुछ भी रकम नही जोडी जायेगी।

(२) यदि कार कर्मचारी के व्यक्तिगत काम के लिए काम आती है तो सब रकम जोडी जायेगी।

(३) यदि कार आंशिक रूप से मालिक के काम के लिये तथा आंशिक रूप से कर्मचारी के किसी काम मे आती है। तो सानुपातिक रूप से उसका विभाजन कर कर लिया जायेगा और जितना भाग कर्मचारी के हिस्से का होगा उसकी आय मे जोड दिया जायेगा।

अन्य सुविधायें—

यदि मालिक द्वारा कर्मचारी को अन्य सुविधायें जैसे मुफ्त बिजली, या यातायात की सुविधा (Transport), या बच्चों की शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है तो जितना रुपया मालिक इस काम के लिए खर्च करता है उतना उसकी आय मे जोड लिया जायेगा। यदि वह इस प्रकार की व्यवस्था अपने निज के साधनों मे करता है जैसे निजी गाड़ियों पर आने जाने की व्यवस्था, अथवा कर्मचारियों के लिये चलाये हुये स्कूल मे शिक्षा की व्यवस्था तो उसका मूल्य शून्य माना जायेगा, और वेतन में कुछ भी नही जोडा जायेगा।

वेतन मे घटाई जाने वाली रकमे

आयकर की धारा १६ मे उन समस्त मदों का उल्लेख है जिन्हे वेतन में से घटाकर कर देय आय निकाली जाती है।

(१) ५०० रु० तक की रकम जो किताबों अथवा आवश्यक साहित्य के खरीदने के लिये व्यय किया गया हो।

(२ यदि कर्मचारी को कोई मनोरंजन भत्ता (Entertainment allowance) मिलता है तो उसे निम्नलिखित प्रकार मे घटाया जायेगा।

(i) यदि कर दाता को सरकार से वेतन मिलता है तो वेतन (भत्ता इत्यादि को छोड़कर) के १/५ अथवा ५००० रु० मे जो भी कम हो उसके बराबर।

(ii) यदि कर दाता गैर सरकारी कर्मचारी है तो वेतन (भत्ता इत्यादि को छोड़ कर) के १/५ अथवा ७५०० रु० में जो भी कम हो।

(iii) यदि कर दाता को १ अप्रैल १९५५ से पहले से इसी नियोक्ता द्वारा कोई रकम लगातार मिलती आयी है तो वही रकम घटाई जायेगी चाहे वह ऊपर बताई हुई सीमाओं स अधिक ही क्यो न हो।

(३) यदि सरकार ने कर दाता के पेशे, अथवा, रोजगार पर कोई कर लगाया है तो उस कर की रकम।

(४) यदि कर दाता को किसी प्रकार का यात्रा व्यय (Conveyance

allowance) नही मिलता है और अपने नौकरी के काम के लिए उसे कोई सवारी रखनी पडती है तो उसका उचित खर्चा।

(५) अन्य कोई खर्चा जो कर दाता को अपनी नौकरी की शर्तों के हिसाब से करना पडता हो अथवा जिन्हे करना जरुरी हो।

कटौती (Rebate)

वेतन सम्बन्धी आय मे कुछ कटौती भी वापस मिलती है। ऊपर घटाई जाने वाली रकमों तथा कटौती मे अन्तर यह है कि घटाई जाने वाली रकम कुल कर देय आय मे घटा दी जाती है। जबकि कटौती की रकम कुल आय मे नही घटाई जाती। उस पर औसत दर से कर निकाल कर बाद म घटाया जाता है। वेतन मे निम्न-लिखित प्रकार की छूटें सम्मिलित है।

(१) प्राविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी छूट

(२) सुपर एन्युएशन सम्बन्धी छूट

(३) जीवन बीमा सम्बन्धी छूट

(४) १० साल तथा १५ साल के पोस्ट आफिस के सवमी टाइम डिपाजिट सम्बन्धी छूट।

प्राविडेन्ट फन्ड

प्राविडेन्ट फण्ड एक ऐसी योजना होती है जिसम कर्मचारी अपने वेतन से कुछ रकम प्रतिमास कटवाता जाता है। उसका मालिक भी उसमे कुछ रकम देता है। समस्त रकम किसी विनियोग मे लगा दी जाती है। जब कर्मचारी नौकरी छोडता है तो उसे कुल रकम जिसमे उसका अपना हिस्सा, मालिक का हिस्सा तथा ब्याज सम्मिलित रहता है, मिल जाता है। इस प्रकार वृद्धावस्था मे एक मुश्त रकम प्राप्त हो जाती है जिससे वह अपने जीवन के अंतिम दिन सुविधा से बिता सकता है।

प्राविडेन्ट फण्ड तीन श्रेणियो मे बाँटे जा सकते है।

(१) वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड—(Statutory Provident Fund)

(२) प्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड (Recognised Provident Fund)

(३) अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)

वैधानिक प्राविडेन्ट फन्ड—

इस प्रकार के प्राविडेन्ट फण्ड, प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट १९२५ के अनुसार सचालित होते है। वे प्राय. सरकारी दफ्तरो, रेलवे, विश्वविद्यालयो, स्कूलो इत्यादि मे

प्रयोग किये जाते है। इस प्रकार के प्राविडेन्ट फण्ड की सुविधा मालिक को आवश्यक रूप से देनी पडती है।

आय कर पर प्रभाव

(१) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा आयकर से मुक्त होता है तथा कर्मचारी की आय मे नही जोडा जाता।

(२) कर्मचारी का चन्दा जो उसके वेतन मे से कट जाता है, उसके कुल वेतन मे तो जोड दिया जाता है, परन्तु बाद मे औसत दर से उस पर छूट मिल जाती है।

(३) फण्ड पर मिलने वाला व्याज पूर्णतया कर मुक्त होता है तथा उसका कोई लेखा नही रक्खा जाता।

(४) रिटायर होते समय मिलनेवाली रकम पूर्णतया करमुक्त होती है।

प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड—

जिन उद्योगो अथवा सस्थाओ मे प्राविडेन्ट फण्ड वैधानिक रूप से आवश्यक है, उनके अलावा भी कोई सस्था अपने कर्मचारियो मे इस प्रकार की योजना चला सकती है। कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने पर कमिश्नर उसे मान्यता प्रदान कर सकता है। ऐसी दशा मे उसे प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड कहेगे। कमिश्नर यदि किसी समय समझे कि प्राइवेट फण्ड का सचालन नियमो के विरुद्ध हो रहा है तो वह स्वीकृति वापस ले सकता है।

मान्यता की मुख्य मुख्य शर्तें इस प्रकार है

(१) सभी कर्मचारियो की नियुक्ति भारत मे हो, अथवा नियोक्ता का व्यापार मुख्यत भारत से होता हो।

(२) प्रत्येक वेतन के भुगतान के समय कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित भाग काट लिया जाय तथा उस कर्मचारी के प्राविडेन्ट फण्ड खाते मे जमा कर लिया जाय।

(३) नियोक्ता का चन्दा, कर्मचारी के चन्दे से अधिक न हो तथा अधिक से के अधिक एक साल मे वह कर्मचारी के खाते म जमा कर दिया जाय।

(४) फण्ड का सचालन दो या अधिक ट्रस्टियो अथवा सरकारी ट्रस्टी के हाथ मे हो। ट्रस्ट का प्रसविदा ऐसा हो कि उसे सदस्यो की अनुमति बिना वापस न किया जा सके।

(५) फण्ड की सम्पत्ति मे कर्मचारियो तथा नियोक्ता का चदा, विनियोग पर मिलने वाला व्याज तथा अन्य कोई पूजीगत लाभ शामिल है जो उन विनियोगो को वेचने से प्राप्त हो ।

(६) नियोक्ता को जमा की हुई रकम मे से कुछ भी वापस लेने का अधिकार न हो । यदि कर्मचारी दुर्व्यवहार के कारण निकाल दिया जाता है, अथवा स्वय निश्चित समय के पहले छोड देता है, तो नियोक्ता को इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है ।

(७) फण्ड की रकम कर्मचारी को उसके नौकरी छोडने ही देय हो जानी चाहिए।

आयकर पर प्रभाव

प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड का आयकर पर निम्नलिखित प्रभाव पडता है ।

(१) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय के १० प्रतिशत तक दी हुई रकम पूर्ण तया कर मुक्त है । इससे ऊपर उसे कर्मचारी के वेतन मे जोड दिया जायेगा ।

(२) कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान उसके वेतन म जोड दिया जाता है । बाद मे वेतन के $\frac{1}{6}$ अथवा ८००० (जो भी कम हो) की छूट औसत दर से दी जाती है ।

(३) कर्मचारी के खाते का व्याज, यदि वह उसके वेतन के १/३ से अधिक नहीं है तथा उस पर ६ प्रतिशत से अधिक व्याज दर नही है तो वह करमुक्त रहगा। वेतन के १/३ से अधिक व्याज अथवा ६ प्रतिशत म अधिक दर पर मिला हुआ व्याज उसके वेतन मे जोड दिया जायेगा ।

(४) रिटायर होने अथवा नौकरी छोडन पर कर्मचारी को जो रकम मिलती है वह भी कर मुक्त होती है परन्तु उसम निम्नलिखित शर्तें रहनी है ।

(i) यदि उसने कम से कम ५ साल तक लगातार सेवा की हो । अथवा

(ii) यदि उसे स्वास्थ के खराब होने, अथवा नियोक्ता का काम वद हो जाने अथवा अन्य किसी ऐसे कारण से नौकरी छोडनी पडी है, जो कर्मचारी के नियत्रण के बाहर हो ।

फण्ड के सम्बन्ध म समस्त आवश्यक शर्तें आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में दी है ।

(iii) यदि ऊपर लिखी दोनो शर्तों के पूरी न होने का कारण वापस मिलने वाली जमा रकम पर कर देना पडे तो सबसे पहले पिछले वर्षो मे कर की रकम यह सोचकर निकालनी पडेगी जैसे प्राविडेन्ट फण्ड अप्रमाणित हो । इसके पश्चात् जितना कर उसे देना चाहिए तथा जितना कर वह दे चुका है उसका अतर उसे करके रूप मे देना पडेगा ।

अप्रमाणित प्राविडेन्ट फड

यदि प्राविडेन्ट फण्ड प्रमाणित नहीं है तो आय के सम्बन्ध मे उसकी स्थिति इस प्रकार होगी ।

(१) कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चदा उसकी आय मे जुड आवेगा ।

(२) मालिक का चदा तथा ब्याज कर मुक्त रहेगे ।

(३) रिटायर होते समय अथवा फण्ड की रकम वापस मिलने पर कुल रकम मे से कर्मचारी का प्राविडेन्ड फण्ड का चन्दा तथा उसका ब्याज घटा कर बाकी रकम पर कर लग जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि नियोक्ता द्वारा दिए गए अशदान पर प्रतिवर्ष कर न लगाकर इकट्ठा रकम मिलने पर कर लग जाता है ।

अप्रमाणित प्राविडेन्ट फड को प्रमाणित करवाना

यदि अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड को बाद मे मान्यता प्राप्त हो जाय तो प्राय कर्मचारी के खाते म जमा रकम पूर्णत अथवा आशिक रूप से नए खाते मे हस्तातरित कर दी जाती है । आय कर पर उसका निम्नलिखित प्रभाव पडता है ।

(१) जो रकम नए खाते मे नही डाली गई है वह कर देय होगी । परन्तु यदि उस पर कर दिया जा चुका है जैसे कर्मचारी का अंशदान तो उस पर दुबारा कर नही पडेगा ।

(२) जो रकम नए खाते मे हस्तातरित की गई है उसमे यदि कोई ऐसी रकम सम्मिलित है, जिस पर यदि फण्ड आरम्भ से ही प्रमाणित होता तो कर देना पडता, तो ऐसी आय का एक साथ गतवर्ष की आय मे जोड दिया जावेगा ।

विभिन्न प्रकार के प्राविडेंट फण्ड का आयकर पर क्या प्रभाव पड़ता है हम संक्षेप मे निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझ सकते हैं।

वैधानिक	प्रमाणित	अप्रमाणित
१. प्रतिवर्ष	**१. प्रतिवर्ष**	**१ प्रतिवर्ष**
(क) कुल वेतन १. कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर)	(क) कुल वेतन १ कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर) २ मालिक का अंशदान (जो वेतन के १०% से अधिक हो) ३. जमा रकम पर ब्याज (जो वेतन के १/३ से अधिक हो अथवा दर ६% से अधिक हो)	(क) कुल वेतन १ कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर)
(ख) छूट (औसत दर पर) १. कर्मचारी का अंशदान	(ख) छूट (औसत दर पर) १. कर्मचारी का अंशदान (वेतन के १/५ अथवा ८००० रु० तक)	(ख) छूट (औसत दर पर) १ कोई छूट नही।
२. धन वापस मिलने पर	**२. धन वापस मिलने पर**	**२ धन वापस मिलने पर**
१. कोई कर नही। कुल आय मे भी नही जोडा जायगा।	१ कोई कर नही। कुल आय मे भी नही जोडा जायगा।	१ नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर मिला हुआ ब्याज आय मे जोडा जायेगा।

सुपर एन्युएशन फण्ड (Super annuation Fund)

यह व्यवस्था प्राविडेन्ट फण्ड की व्यवस्था से मिलती जुलती होती है। इसमे भी नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनो ही अपना अशदान देते है। जो फण्ड इस प्रकार बनता है उसे कही विनियोग मे लगा दिया जाता है। कर्मचारी के रिटायर होने अथवा अन्य कारणो से अवकाश ग्रहण करने पर उसे पेंशन, वार्षिक वृत्ति अथवा ऐसी अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। कभी कभी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितो को भी सुविधा प्रदान की जाती है।

सुपर एन्युएशन फण्ड को मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

(१) फण्ड का सचालन एक अप्रत्यावर्तनशील (Irrevocable Trust) के अधीन होगा।

(२) फण्ड चलाने वाली सस्था का कार्यक्षेत्र भारत मे हो तथा कम से कम ६० प्रतिशत कर्मचारी भारत मे काम करते हो।

(३) फण्ड का एक मात्र उद्देश्य कर्मचारियो को उनके अवकाश ग्रहण करने पर वार्षिक वृत्ति प्रदान करना हो। यह वृत्ति उनके रिटायर होने, एक निश्चित आयु के पश्चात् अवकाश ग्रहण करने अथवा उसके पहले काम करने के अयोग्य हो जाने पर देय होना चाहिये। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितो को भी इस प्रकार की वार्षिक वृत्ति देय हो सकती है।

(४) नियोक्ता भी फण्ड मे अशदान करता हो।

(५) फण्ड द्वारा मिलने वाली सहायता का उपयोग भारत मे ही हो।

आय कर पर प्रभाव

(१) कर्मचारी का अपना अशदान उसकी आय मे जोड दिया जाता है परन्तु बाद मे औसत दर से उस पर छूट मिल जाती है। [धारा ८७ (c)]

(२) नियोक्ता के अश दान पर कोई कर नही लगता और न वह आय मे जोडा जाता है।

(३) यदि फण्ड मे से कोई सहायता कर्मचारी को उसके जीवन काल मे दी जाती है तो उसे दी जाने वाली रकम मे नियोक्ता के अशदान तथा उस पर मिली हुई ब्याज की रकम पर कर लगेगा। यह कर कर्मचारी द्वारा दी गई पिछले तीन वर्षों की आयकर की दर के अनुसार निकाला जायेगा। यदि कर्मचारी ने ३ साल से कम काम किया है तो कुल कार्य काल मे कर की औसत दर पर लगाया जायेगा।

उदाहरण के लिए यदि किसी फण्ड मे कोई कर्मचारी तथा नियो— बराबर अशदान देते है और रिटायर होने पर कर्मचारी का २४ ० । तो १२०० रु० पर आयकर औसत दर से लगेगा। यदि कर की औस त साल मे क्रमश १०, ११ तथा १२ प्रतिशत रही हो तो १२०० रु० पर ११% की दर से काटा जायेगा।

आयकर नियोक्ता उद्गम स्थान पर ही काट लेता है।

(४) यदि फण्ड से भुगतान कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात दिया — अथवा वार्षिक वृत्ति समाप्त करने पर दिया जाय अथवा नियोक्ता के अशदान की वापसी (refund) के रूप मे कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात दिया जाय तो वह रकम आयकर से पूर्णतया मुक्त रहेगी। और कुल आय मे भी शामिल नही की जायगी। [धारा १० (११)]

बीमे का प्रीमियम

प्राविडेन्ट फण्ड के समान ही जीवन बीमे पर भी छूट मिलती है। इस सम्बन्ध मे मुख्य नियम इस प्रकार है।

(१) बीमा करदाता, उसकी स्त्री (यदि करदाता स्त्री है तो उसके पति) के जीवन पर होना चाहिये। सयुक्त हिन्दू परिवार मे बीमा किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन पर किया जा सकता है।

(२) बीमे की किश्त कुल बीमा की हुई रकम के १० प्रतिशत से कम नही होनी चाहिये।

(३) प्रीमियम करदेय आय से ही देना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई प्राविडेन्ट फण्ड से रुपया लेकर अथवा बीमा राशि से रुपया लेकर प्रीमियम अदा करता है तो उस पर छूट नही मिलेगी।

(४) स्थगित वार्षिक वृत्ति (Deferred Annuity) की जमा की जाने वाली राशि पर प्रीमियम के समान ही छूट मिलती है। उस पर १०% की नही लगती।

छूट की अन्य मदें

(१)यदि सरकार द्वारा किसी कर्मचारी के वेतन से उसके लिए स्थगित वार्षिक वृत्ति की व्यवस्था करने अथवा उसके स्त्री बच्चो के लिए कोई रकम उसके वेतन से

काटी जाती है तो इस रकम पर छूट दी जायेगी। अर्थात् पहले तो यह उसकी आय मे जोड दी दाएगी बाद मे उस पर औसत दर से छूट दी जायेगी।

(२) यदि करदाता व्यक्ति है तथा वह अपनी करदेय आय से पोस्ट आफिस के १० वर्ष अथवा १५ वर्षीय सचयी टाइम डिपाजिट (Cumulative time Deposit) मे रुपया जमा करता है तो ऐसी रकम पर भी आयकर से औसत दर पर छूट दी जायेगी। यह छूट फाइनेंस एक्ट १९६२ से आरम्भ की गई है।

छूट की सीमा

१ ६२ से पहले छूट की सीमा इस प्रकार थी।

(१) वैधानिक तथा प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड।

(२) स्वीकृत सुपर एन्युएशन फण्ड।

(३) जीवन बीमा की किश्त।

(४) सरकार द्वारा स्थगित वार्षिक के लिये काटी हुई रकम पर मिलने वाली छूट कुल मिलाकर निम्नलिखित हो सकती है।

व्यक्ति के लिए—आय के १/४ अथवा ८००० रु० मे जो भी कम हो
सयुक्त परिवार के लिए—आय के १/४ अथवा १६००० रु० मे जो भी कम हो।

१९६२ के बाद मे

ऊपर दी हुई चारो मदो तथा

(५) व्यक्ति द्वारा १० वर्षीय अथवा १५ वर्षीय (Post office Cumulative Time Deposits) मे वेतन से जमा की हुई रकम।

कुल मिला कर छूट की रकम इस प्रकार है।

व्यक्ति—कुल आय का १/४ अथवा १०००० रु० मे जो भी कम हो।
सयुक्त परिवार—कुल आय का १/४ अथवा २०,००० रु० मे जो भी कम हो।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती

वेतन पर आयकर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है। प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह वेतन बाँटने के पहले (यदि उस कर्मचारी का वेतन करमुक्त सीमा से ऊपर है) उस पर कर की रकम काट ले तथा उसे सरकार के पास जमा करने की व्यवस्था करे। यदि किसी कारण से वह आयकर नही काटता तो वह स्वय कर के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा उससे कर उसी प्रकार वसूल किया जा सकता है जैसे वह स्वय करदाता हो।

पुराने अथवा अग्रिम वेतन से सम्बन्धित छूट

यदि किसी व्यक्ति को पुराना वेतन इकट्ठा प्राप्त हो अथवा अग्रिम वेतन प्राप्त हो जाय जिसके कारण उसकी आय पर लगने वाली कर की दर भी बढ़ जाय तो आय कर कमिश्नर उसको प्रार्थनापत्र देने पर दर सम्बन्धी उचित छूट दे सकता है। [८६ (१)]

वेतन पर कर निर्धारण

फाइनेंस एक्ट १९६३ मे कर की दरें भी बदल दी गई है परन्तु करदेय वर्ष १९६२-६३ में वेतन की आय पर कर १९६१ ६२ की दर से ही लगेगा। अन्य आय की मदो पर कर १९६२-६ की दर से लगेगा। इसलिए कर का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

(१) पहिले कुल आय पर (वेतन को मिलाकर) १९६१-६२ की दर से आयकर तथा अधिकर निकालो। वेतन पर औसत दर स उतना ही कर लगेगा।

(२) कुल आय पर (वेतन को मिलाकर) १९६२-६३ की दर से आयकर तथा अधिकर निकालो। वेतन पर औसत दर से कर निकालो।

(३) ऊपर भाग (२) के अनुसार निकाले हुये समस्त कर मे वेतन पर लगने वाला कर घटाओ तथा भाग (१) के अनुसार निकाला हुआ औसत कर जोडो।

SUMMARY

Total Salary

(1) Regular Salary including Dearness Allowance
(2) Advance Salary
(2) Past Salary (if untaxed)
(4) Annuity or pension
(5) Gratuity.
(6) Fee or Commission (from his own employer)
(7) In a Recognised P F.
    (i) Employers contribution more than 10% of basic salary
    (ii) Interest on accumulated balance exceeding $\frac{1}{3}$ of salary or higher interest rate than 6 %

(8) House rent allowance or fair rent of free quarters
(9) Payment by employer on behalf of assessee
(10) Compensation for discontinuance of service
(11) Any other benefit in cost or kind
(12) In an unrecognised P F, at the time of repayment of accumulated balance, (Total money received—employee's contribution and interest on it)
(13) Part of the entertainment allowance or any other allow ance if not permitted for deducation under the act

Deductions allowed

(1) Expenditure on books upto Rs 500
(2) Entertainment allowance
 (i) Government employee—1/5 of salary or Rs 5000 (whichever is less)
 (ii) Other employees—1/5 of salary or Rs 7500 (whichever is less)
(3) Expenditure on conveyance (if not paid)
(4) Anv tax levied by the Government upon the profession of assessee
(5) Any other expenditure necessary for service

Exempted income

(1) Free medical aid in cash or kind
(2) Wages of the gardeners paid by the employer
(3) Expenditure on entertainment paid by the the employer
(4) Refreshment during office hours, but not lunch
(5) Any other facility from the resources of the employer e g free education at their own school
(6) Passage money for coming home (self, wife and children)
(7) Allowance paid to any Citizen of India by Government for services outside the country
(8) Payment received under Death cum retirement Gratuity

(9) Repayment of accumulated balance of Statutory P F

(10) Repayment of accumulated balance of Recognised P F.

(11) Payment from Super Annuation Fund after the death of the employee

(12) Any other allowance granted for meeting particular expenditure and actually paid

Rebate on average rate

(1) Statutory P F —Employee s contribution

(2) In a Recognised P F —Employee's contribution (upto 1/5 salary or Rs 8000 whichever is less)

(3) Approved Super annuation Fund Employee's contribution

(4) Life insurance premium

(5) Amount deducted by Government for Deferred Annuity for helping the wife and children of assessee

(6) Contribution to 10 yearly or 15 yearly Post office Cumulative Savings Deposits (available from 1962)

Limit of exemption—

Till Assessment year 1961 62

(From item 1 to 5 above)
Individual — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 8000
H U F — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 16000

From 1961-62

(From item 1 to 6 above)
Individual — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 10000
H U F — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 20000

PRACTICAL ILLUSTRATIONS

Illustration 1

Sri Ram Prakash is the manager of an oil mill getting a salary of Rs 1000 per month plus D A at 10% of salary During the year he was paid bonus equal to 2 months salary. He has been allowed free bungalow, the rental value of which is Rs 150 per month During the year he has taken a loan of Rs 4000 with a promise to get it deducted from his salary next year

Calculate his income taxable under the head "Salary"

Solution

Total income from salary	Rs
1 Salary including D A	13,200
2 Bonus	2,000
3 Rental value of Bungalow (10% of salary)	1,320
Total	16,520

Note —1 The loan of Rs 4000 will not be included in the salary as it is not advance payment of salary

Illustration 2

Mr X is an employee in a firm at a salary of Rs 800 On 1st July 1961 the management terminated his services and paid him compensation Rs 2400 On 1st August 1961 he joined another firm as accountant with initial salary of Rs 600 plus 15% D A On 1st January 1962 he took as an advance 6 months salary What is his income from salary for the year ending 31st March 1962

Solution

Total income from salary —	Rs
1 Salary from previous employer	2400
2 Compensation from previous employer	2400
3 Salary including D A from new employer upto 1st January	3450
4 Advance salary (including D A)	2070
Total	10320

Illustration 3

Mr Bose is a University Professor getting a monthly salary of Rs 800 per month with 12½% D A Being the warden of the hostel he gets an allowance of Rs 100 per month His income

from examining answerbooks was Rs 2800 Due to certain financial difficulties in the University his pay for February and March 1961 remained unpaid As warden of the hostel he was allowed a furnished bungalow, the rental value of which is Rs 100 per month

Calculate his taxable income under Salary for the assessment year 1962-63

Total income from salary —		Rs
	Salary for 12 months	9600
2	D A (12½% of salary)	1200
3	Warden's allowance	1200
4	House allowance (being less than or 12½% of 12000)	1200
	Total	13 00

Note —Income from examinership is taxable under the head 'Income from other sources'

2 Salary for February and March although not received is taxable

3 For calculating house allowance all regular income under the head Salary viz pay + D A + warden's allowance will be taken into consideration

Illustration 4

A is an employee in a firm getting a salary of Rs 450 per month plus Rs 50 per month as dearness allowance He is a member of the provident fund to which he contributes 8% of his salary while his employer contributes 12% The amount is invested in the Government securities The interest on his accumulated balance was Rs 240

What will be his income taxable under the head salary if the provident fund is (1) Statutory (2) Recognised and (3) Unrecognised

Solution

When Provident Fund is Statutory

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Total	6000

Rebate —

Employee's contribution to P F, 432

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Employer's contribution (above 10% of salary)	108
Total	6108

Rebate —

Employee's contribution to P F being less than 1/5 of salary and Rs 8000	432

When Provident Fund is Unrecognised

Note —1 Interest on accumulated balance being less than 1/3 of salary and rate of interest assumed to be not more than 6% has been ignored

When Provident Fund is Recognised

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Total	6000

Rebate —

Illustration 5

Ram Prasad, an employee in a concern, has been a member of Provident Fund He has been contributing 10% of his salary to which his employer has also contributed an equal sum At the time of retirement he received Rs 12000 from P F account How will this amount be dealt for income tax purposes supposing that P. F is (a) Statutory (b Recognised and (c) Unrecognised

Solution

(a) If the P F is statutory the sum of Rs 12000 would be free from tax and will not be included in the total income either

(b) If the P F is recognised the sum of Rs 12000 would be free from tax and would not be included it the total Income either

(c) If it is unrecognised Rs 6000 being the employer's contribution an dinterest thereon, will be taxable under the head 'salary'.

Illustration 6

Mr Chaturvedi is employee getting a salary of Rs 400 per month He is a member of Approved Superanuation Fund to which he contributes 10% of his salary, the employer also contributing an equal sum Supposing that he had no other source of income what will be his taxable income under salary

Solution

	Rs
Salary for the year	4800
Total taxable income	4800
Exempted income :—	
Employee's contribution to A S F	480

Illustration 7

X having worked in a concern for 25 years retired from service on 31st March 1962. His salary during that year was Rs 2500

He received a gratuity of Rs 2000 He had also been a member of Approved Superanuation Fund out of which he was

paid Rs 860 as first instalment the employer having deducted Rs 20 for income tax on the portion of his own contribution

What is his income from salary What difference would it make if the amount had been paid to him on his death

Solution

Income from salary —

	Rs
Basic salary	2500
Gratuity	2000
Receipt from S A Fund (employer's contribution)	440
Total	4940

If the amount had been paid to his successors after his death the amount of employers contribution would not have been included in his total income

Note —It has been assumed that contribution of the employer to S A Fund has been the same as that of the employee

Illustration 8

Mr Kohli is a gazetted officer in the Ministry of Finance getting a salary of Rs 1000 per month plus 10% D A He is also paid Rs 3000 as entertainment allowance Show how these sums will be treated for income tax purposes

Solution

Total income from salary

		Rs	
1.	Basic salary	12000	
2	Dearness Allowance	1200	
3	Entertainment Alllowance	3000	
		16200	16.00

Less—

1	Entertainment allowance 1/5 of the salary Rs 12000	2400
	Taxable income	13800

Illustration 9

Sri A S Pillai is a manager of a well known bank with a salary of Rs 3500 per month He is also allowed bonus equal to two months salary Besides the above he is paid entertainment allowance of Rs 8000 per year Show how this amount will be dealt with for income tax purposes

Solution

	Rs
Salary	42000
Bonus	7000
Entertainment allowance	8000
	57000

Less—

Entertainment allowance	7500
Taxable income under salary	49500

Note —Maximum limit for entertainment allowance in case of an employee other than a government employee is 1/5 of salary or Rs 7500 which ever is less

Illustration 10

Mr Chandola is an employee in a concern getting a salary of Rs 800 per month He is a member of Provident Fund to which he contributes 12½% of his salary the management contributing an equal sum He gets D A at the rate of 10% of salary and two months salary as bonus He has been allowed a rent free quarter the rental value of which is Rs 100 per month He has also taken an insurance policy for Rs 30000 on which he pays Rs 3000 as

premium Interest accrued on the balance of P F account was Rs 110 His income from other sources is Rs 600 only

Calculate his income from salary and also his total taxable income supposing that Provident Fund is (a) Statutory (b) Recognised and (c) Unrecognised

Solution

When the P F is Statutory

Income from salary—

	Rs	
Basic salary	9600	
D A (10% of salary)	960	
Bonus equal to two month salary	1600	
House allowance (10% of salary including D A)	1056	13216
Other income		600
Total taxable income		13816

Rebate —

	Rs
1 Employee's contribution to P F	1200
2 Insurance Premium	2254
Total	3454

Note —P F and insurance premium together should not exceed 1/4 of total income or Rs 10,000 which ever is less

When the P F is Recognised

Income from salary —

	Rs	
Basic salary	9600	
D A	960	
Bonus	1600	
House Allowance	1056	
Employer's contribution in excess of 10% of salary	240	13456
Other income		600
Total taxable income		14056

Rebate :—

1	Employee's contribution to P. F being less than 1/5 of salary	1200
2.	Insurance premium	2314
	Total	3514

When the P. F. is unrecognised

Income from salary —

	Rs	
Basic salary	9600	
D. A	960	
Bonus	1600	
House allowance	1056	13216
Other income		600
Total taxable income		13816

Rebate —

1. Insurance premium 3000

Illustration 11

Following are the particulars of income of Shri O P Varshney for the previous year ended 31st March 1962.

(1) Salary Rs 300 p m.

(2) His contribution towards P. F. @ $6\frac{1}{4}\%$ and his employers contribution at the same rate

(3) He is provided with rent free quarters of the annual value of Rs 400

(4) Interest credited to his P. F during the year was Rs 620

He paid Rs 450 Insurance Premium on his our policy Ascertain his total income and income exempted from tax.

(i) When P. F. is recognised.

(ii) When it is not recognised

Solution

1 When P. F is recognised

Income from salary	Rs
Salary	3600
House allowance (10% of salary)	360
Total taxable income	3960

Rebate —

1 Employees contribution to P. F. (being less than 1/5 of salary and Rs 8000)	225
2 Insurance premium	450
	675

When P F. is unrecognised

Income from salary —

Salary	3600
House allowance	360
Tatal	3960

Rebate —

3. Insurance premium	450

Illustration 12

An employee is in receipt of a salary of Rs 600 per month 8% of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12% He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of his house being Rs 600 per annum and he also received from the employer Rs 1200 as bonus The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 5% per annum is Rs 450 He paid Rs 2000 as life insurance premium Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1962-63 if the provident fund in question is —

(a) a provident fund to which Provident Fund Act 1925 applies
(b) a Recognised Provident Fund
(c) an Unrecognised Provident fund

Agra B Com 1960

Solution

(a) *When the provident fund is such to which the Provident Fund Act 1925 is applicable*

Total Income—		Rs
1	Salary	7200
2	House allowance	600
3	Bonus	1200
	Total	9000

Rebate	Rs
1. P. F Contribution (Employee's Share)	576
2. Life insurance premium	1674
	2250

The total exemption limit for P F and Life insurance premium is ¼ of total income or Rs 9000 i e Rs. 2250

(b) *When P F is Recognised P F*

Total Income		Rs
Salary		7200
House allowance		600
Bonus		1200
Employers contribution to P F (in excess of 10% of his salary of Rs 72(0)	144	
Interest credited to P F in excess of ⅓ of salary and 6% per annum rate	Nil	144
		9144

Rebate	Rs
P F Contribution (Employee's Share)	576
Life Insurance Premium	1710
	2286

Total exemption limit is ¼ of Rs 9144

(c) *When P F is Unrecognised P F*

Total Income—	Rs
Salary	7200
House allowance	600
Bonus	1200
	9000

Rebate	Rs
Life insurance premium	2000

Illustration—13

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1962 63

(a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs 14200

(b) Income tax deducted from salary Rs 2000

(c) His contribution to recognised provident fund Rs 1800

(d) Employers contribution to Provident fund Rs 1800

(e) Interest at 9% per annum credited to P F Rs 1200

(f) Dividends received Rs 4400 income tax deducted at source being Rs 1885 71

(g) Life insurance premium paid Rs 1800

(Agra B Com 1958 Adapted)

Soluton

		Rs	
1	Income from salary—		
	Net amount received	14200	
	Add		
	Income tax deducted	2000	
	Provident fund	1800	
		18000	
	Interest on P F being in excess of 6%	400	
	Taxable income from Salary	18400	18400
2	Income from other sources		
	Dividend (4400+1885 71)		6285.71
	Total taxable income		24685 71

Rebate	Rs
P F (Employees Contribution)	1800
Life insurance premium	1800
	3600

Illustration—14

A is an employee of a limited company getting a salary of Rs 2000 per month and rent free quarters He gets free lunch during office hours the cost of which is estimated to be Rs 50 p m The annual premium on the assurance of his own life is Rs 5000 of which he pays Rs 3000 out of his own salary and company pays Rs 2000 Two gardeners are paid by the company to maintain the compound of the house in which A lives free of charge Calculate A's taxable income from Salary

Solution

Income from Salary	Rs
(1) Salary @ Rs 2000 p. m	24000
(2) Rent free quarter (10% of Salary)	2400
(3) Value of free lunch	600
(4) Insurance Prem paid by Company	2000
Taxable income from salary	29000

Rebate
Life insurance premium Rs 5000

Note

1 Refreshment during the office hours is free from tax but not lunch Therefore lunch has been added to the income

2 Expenditure on gardeners is free from tax under executive orders

६

आय की मदें-प्रतिभूतियों पर ब्याज

[Interest on Securities]

आयकर विधान की धारा १८ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय को प्रतिभूतियो पर ब्याज—के मद मे सम्मिलित किया जावेगा ।

(१) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारो की प्रतिभूतियो पर ब्याज ।

(२) स्थानीय सस्थाओ तथा अर्द्ध सरकारी कारपोरेशनो द्वारा निर्गमित ऋण पत्रो पर ब्याज ।

(३) कम्पनियो द्वारा निर्गमित ऋण पत्रो तथा अन्य प्रतिभूतियो पर ब्याज ।

(४) कम्पनियों द्वारा निकाले हुए अशों पर लाभाश इस मद के अन्तर्गत नही आता, चाहे वे साधारण अश हो अथवा अधिमान अश। लाभाश को 'अन्य साधनो से आय मे सम्मिलित किया जाता है ।

(५) यदि कोई व्यापारिक सस्था प्रतिभूतियो की खरीद बिक्री का काम करती है तो प्रतिभूतियां उसके लिए व्यापारिक स्टाक का काम देंगी, मगर फिर भी ऊपर लिखी हुई प्रतिभूतियो पर ब्याज के द्वारा होने वाली आय को 'प्रतिभूतियो पर ब्याज' की मद मे ही सम्मिलित किया जायगा ।

(६) इस मद मे केवल ब्याज से मिलने वाली रकम ही सम्मिलित की जाती है, प्रतिभूतियों को बेचने पर जो लाभ या हानि होती है उसे सम्मिलित नही किया जाता ।

घटाई जाने वाली रकमें

निम्नलिखित खर्च की रकमें प्रतिभूतियों पर ब्याज से होने वाली आय में घटा दी जाती हैं।

(१) ब्याज की रकम एकत्र करने के लिये किया गया उचित खर्चा जैसे बैंक कमीशन इत्यादि।

(२) यदि कर दाता ने प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये रुपया उधार लिया है, तो उस उधार ली हुई रकम पर ब्याज।

परन्तु यदि ब्याज का भुगतान देश के बाहर करना हो अर्थात् रुपया किसी विदेशी व्यक्ति से लिया गया हो तथा उसको मिलने वाली ब्याज की रकम पर न तो टैक्स काटा गया हो, न पाने वाले ने कर दिया हो और न उसका कोई एजेन्ट भारत में हो जिससे कर वसूल किया जा सके, तो ऐसी ब्याज की रकम प्रतिभूतियों पर मिलने वाली ब्याज की रकम से नहीं घटाई जा सकती। [धारा २१]

यदि ऋण 'कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों' को खरीदने के लिए लिया गया हो तो ब्याज की रकम केवल करमुक्त ब्याज की आय में ही घटाई जा सकती है। इस प्रकार यदि उधार ली हुई रकम पर ब्याज मिलने वाले ब्याज से अधिक हो तो उसे हानि होगी। इस हानि को ऐसी प्रतिभूतियों से मिलने वाली ब्याज की आय से नहीं घटाया जा सकता जो कर मुक्त नहीं है।

कर मुक्त प्रतिभूतियां (Tax free Securities)

कर मुक्त प्रतिभूतियों से तात्पर्य यह होता है कि कर दाता को उस पर और कर नहीं देना पड़ेगा तथा वह उसकी विशुद्ध आय है। इस सम्बन्ध में कर मुक्त प्रतिभूतियों का निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है।

(१) वे प्रतिभूतियां जो आयकर से पूर्णतया मुक्त हैं [अधिकर से नहीं] तथा कुल आय में भी नहीं जोड़ी जाती।

इस प्रकार की प्रतिभूतियां निम्नलिखित हैं।

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली हुई १५ वर्षीय एन्युटी सर्टिफिकेट पर मिलने वाली वार्षिक रकम।

(ii) ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट।

(iii) पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट।

(iv) पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

(v) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट।

(vi) १२ वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट।

(vii) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक पर ब्याज।

(ख) वे प्रतिभूतियाँ जो आयकर से तो मुक्त हैं (सुपर टैक्स से नहीं) तथा जो कुल आय में जोडी जाती हैं।

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की अन्य कर मुक्त प्रतिभूतियाँ। जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है।

(२) कम्पनियों द्वारा निकाले हुए कर मुक्त ऋण पत्र।

ऐसी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज को पहले 'सम्पूर्ण' (Gross up) किया जाता है। अर्थात् मिली हुई नकद रकम मे काटी हुई कर की रकम जोड दी जाती है। इसके पश्चात् उसे कुल आय मे जोड दिया जाता है। अन्त मे औसत दर पर उसमे कर की कटौती कर दी जाती है। इस प्रकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों मे ऐसा मान लिया जाता है कि कम्पनी अथवा सरकार ने प्रतिभूति के स्वामी के बदले स्वयं कर दे दिया है अतएव उसे प्रतिभूतियों के स्वामी की ही आय माना जावेगा।

सम्पूर्ण करने की विधि (Method of Grossing up)

'सम्पूर्ण' करने की विधि तो हमेशा एक रहती है परन्तु वास्तविक रकम आय कर की दर के हिसाब मे बदलती रहती है। सन् १९६२ के फाइनेंस एक्ट मे इस सम्बन्ध मे कोई परिवर्तन नही किया गया है तथा पुरानी दर २५% +५% को कायम रक्खा गया है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ब्याज के १०० रु० देने हैं तो देने वाला कर के ३०% अर्थात् ३० रु० काट कर उसे ७० रु० भेज देगा। अतएव शुद्ध रकम का $\frac{१०}{७}$ कर देने पर उससे कुल रकम मालूम हो जाती है।

उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को १५० रु० प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो उसकी कुल आय १०५ × $\frac{१०}{७}$ = १५० रु० मानी जायेगी।

कर-युक्त प्रतिभूतियां (Less tax Securities)

कभी कभी प्रतिभूतियां कर युक्त (Less tax) के रूप मे भी निकाली जाती हैं। यह कोई आवश्यक नही कि कर युक्त (Less tax) प्रतिभूतियों के साथ लिखा हो जाय। जो प्रतिभूतियाँ कर मुक्त नही होती हैं वे सभी कर युक्त होती है चाहे उन पर कर युक्त लिखा हो या न लिखा हो। कर युक्त प्रतिभूतियों मे ब्याज को जो

दर दी रहती है उस पर आयकर काटकर बाकी रकम प्रतिभूतियो के स्वामी के पास भेजी जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास १००० रु० के ४% (Less tex debenture) हो तो उसे साल के अन्त मे ४० रु० व्याज का नही मिलेगा बल्कि इस रकम मे आय कर काट कर बाकी रकम उसको दी जायेगी। इसके विपरीत यदि य ४% Iex free होने तो उसके स्वामी को ४० रु० नकद दिया जाता, कम्पनी कर अपने पास से देती। ऐसी दशा मे व्याज की रकम को 'सम्पूर्ण' (Gross up) करने की भी आवश्यकता पडती और करदाता की वास्तविक आय ४० रु० के बराबर मानी जाती।

प्रतिभूतियो की व्याज सहित (Cum-interest) तथा व्याज रहित (Ex interest) खरीद बिक्री—

प्राय प्रतिभूतियाँ बराबर हस्तान्तरित होती है। यह हस्तान्तरण दो प्रकार का होता है। (१) व्याज सहित (Cum interest) जिसमे अगला व्याज खरीदार को मिलता है और दूसरा व्याज रहित (ex-interest) जिसमे अगला व्याज तो विक्रेता को ही मिलता है पहली दशा मे विक्रेता जितने दिन तक सिक्यूरिटी अपने पास रखता है उतने दिन का व्याज कीमत मे जोड लेता है। दूसरी दशा म जितने दिन व्याज मिलने मे बाकी रह जाते हैं उतने दिन का व्याज वह रकम म काट देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने १००० रु० के सरकारी ऋण २ महीने अपने पास रखने के बाद उसे व्याज सहित किसी को बेच दिया तो वह उस कीमत म एक प्रकार से २ महीने का व्याज शामिल कर लेगा और अगला व्याज क्रेता को मिलेगा। इसके विपरीत यदि वह १० महीने अपने पास रखने के बाद उसे व्याज रहित बेचता है तो अगला व्याज उसे स्वय मिलेगा। इसलिए वह २ महीने का व्याज वास्तविक मूल्य मे कम कर देगा।

आय कर के दृष्टिकोण मे इन सब बातो का कोई महत्व नही है। उसमे कर उस व्यक्ति म लिया जाता है जिसको उसका रुपया मिलता है और व्याज की समस्त रकम एक ही व्यक्ति की आय मानी जाती है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने १०,००० रु० के ४% ऋण पत्र जिन पर व्याज ३१ दिसम्बर को देय था, १ जुलाई १९६१ को खरीदे। विक्रेता ने ६ मास का व्याज २०० रु० कीमत मे जोड दिया था। साल के अन्त मे ३१ दिसम्बर १९६१ को उसे व्याज के ४०० रु० मिलेंगे। यद्यपि उसको वास्तविक आय केवल २०० रु० है परन्तु ४०० रु० पर कर देना पड़ेगा।

प्रतिभूतियो का नकली क्रय विक्रय (Bond washing Transactions)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि आयकर, प्रतिभूतियों के व्याज पर उसी समय पडता है जब व्याज देने वाली कम्पनी से उसे मिला हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति को बेच कर उससे व्याज की रकम वसूल कर ली जाय तो उस पर कर नही देना पडेगा। कुछ लोग इसका उपयोग कर बचाने के लिये करते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है।

वे व्याज की रकम देय होने के कुछ समय पहिले प्रतिभूतियो को व्याज सहित बेच देते है। इस प्रकार उन्हे प्रतिभूतियो की कीमत तथा व्याज की रकम मिल जाती है। व्याज की रकम देय हो जाने के बाद वे उन्हे फिर खरीद लेते है इस प्रकार वे आय कर से बच जाते हैं। इन सौदो को Bond Washing transaction कहते हैं।

Bond Washing Transactions की रोक-थाम के लिए नए अधिनियम की धारा ६४ में समुचित व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है।

(१) यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियो को बेच देता है अथवा हस्तान्तरित कर देता है तथा कुछ समय बाद फिर खरीद लेता है अथवा प्राप्त कर लेता है तथा इस प्रकार आयकर बचाता है तो ऐसी प्रतिभूतियो पर मिलने वाले व्याज को उसकी आय मे जोडा जावेगा चाहे कम्पनी ■ उसे व्याज न मिला हो।

(२) यह कोई आवश्यक नही है कि वह उन्ही प्रतिभूतियो को खरीदता बेचता है। उसी प्रकार की प्रतिभूतियो के खरीदने बचने पर भी यही नियम लागू होगा।

(३) यदि कोई सस्था प्रतिभूतियो के खरीदने बेचने का काम करती है तथा इस प्रकार आयकर बचाने के लिए किए गए सौदो के दौरान मे उसे कुछ हानि होती है, तो व्याज की रकम पर आयकर तो लग जावेगा परन्तु हानि का कोई मुआविजा न मिलेगा। उदाहरणार्थ यदि बेचने मे उसे कुछ कम और खरीदने मे कुछ अधिक दाम देने पडते है तो उसे हानि होगी परन्तु आयकर मे इसका कोई ध्यान नही रक्खा जायेगा।

(४) आयकर अधिकारी कर दाता म किसी भी समय इस बात की सूचना मांग सकता है कि उसके पास किसी विशेष समय के अन्दर कौन-कौन सी प्रतिभूतियां थी।

(५) यदि करदाता इनकमटैक्स आफिसर को सतुष्ट कर दे कि कर का बचना केवल आकस्मिक है तथा जान-बूझ कर नही किया गया है तथा गत वर्ष से पहले के तीन वर्षो मे कभी इस प्रकार आय कर की बचत नही हुई है तो आयकर अधिकारी उसे व्याज की रकम को न शामिल करने की छूट दे सकता है।

SUMMARY

1 Types of Securities included—

1 Interest on Central Govt or State Govt loans, bonds etc

2 Interest on Debentures of Local bodies and Corporations

3 Interest on Debentures of Companies

2 Deduct the following—

1 Expenses on collection of tax

2 Interest on loan for purchasing securities

3 Following are not admissible

1 Expenses on purchase or sale

2 Profit or loss on purchase or sale

3 Interest on loan payable to a foreigner, if tax has not been deducted

4 Excess of interest on loan borrowed for purchasing tax free Govt Securities over interest received from such securities

4 Securities totally exempted from tax

(1) 15 year Annuity Certificates

(2) Treasury Savings Deposit Certificates

(3) Post Office National Savings Certificates

(4) Post Office Cash Certificates

(5) National Plan Certificates

(6) 12 yearly National Plan Savings Certificates

(7) Interest on Post Office Savings Bank Account

5 Tax Liability—

1 Tax is payable in the hand of person who receives interest

2 All net interest must be grossed up

PRACTICAL ILLUSTRATIONS

Illustration 1

Sri Ram Prakash received income from various securities with him as under Calculate his income taxable under the head 'Interest on Securitie's All sums represent gross income

		Rs
1	Interest on 3% Government Bond	600
2	Interest on 4½% Municipal Debentures	200
3	Interest on 3¾% U P Government Loan	500
4	Interest on Post Office Saving Bank Deposit	140
5	Dividend on 6% Preference Shares of a Company	800
6	Interest on 5% Debentures of the same Company	400
	Total	2640

Solution

Total income from Securities

		Rs
1	Interest on 3% Govt Bond	600
2	Interest 4½% Municipal Debentures	200
3	Interest 3¾% U P Govt Loan	500
4	Interest on 5% Debentures	400
	Total income taxable under the head	1700

Interest on Post Office Savings Bank Deposits will not be included in the income as it is tax free

Dividend on Preference Shares is not taxable under this head It is taxable under the head 'Income from other sources'

Illustration 2

Following is the income of Sri Bankey Lal from different securities Calculate his total income taxable under this head

		Rs
1	Interest on 4% Central Government loan	600
2	Income from 15 year Annuity Certificates	1200
3	Profit on sale of securities	140
4	Interest on National Savings Certificates	350

Solution

His income taxable under the head interest on securities—

		Rs
1	Interest on 4% Central Government Loan	600
	Total	600

Items 2 and 4 are tax free Item 3 is a capital gain

Illustration 3

On 1st April 1961 A had following investments

1. Rs 10 000 in 4% Central Government Loan
2. Rs 30 000 in Kanpur Corporation 4½% bonds
3. *Rs 20 000 in 6% Debentures of J K Rayon*

He had borrowed Rs 20 0000 to purchase 6% debentures, interest paid upon it being Rs 800 The bank had charged Rs 45 for purchasing these securities for him and Rs 15 for collecting interest upon them

Find his income taxable under the head interest on securities

Solution

		Rs
1	Interest on 4% Central Govt Loan	400
2	Interest on Kanpur Corporation bonds	1350
3	Interest on Debentures	1200
	Total	2950

Less Deductions allowed

1	Interest on Loan borrowed 800	
2.	Charges of collection of interest 15	815
	Taxable Income	2135

Note —Rs 45 being the charges for purchasing securities is not a permissible deduction being in the nature of a capital expenditure

Illustration 4

The following is the record of B s transactions in various securities.

April 1, 1961—Purchased 3% Government Bond worth Rs 10,000

June 30, 1961—Bought Rs 5000 worth 6% Debentures of Hindustan Lever for Rs 7500 cum interest, Commission for purchase being Rs 10

July 1 1961—Sold 3% Govt Bonds at a profit of Rs 150 and purchased on the same date 5% Debentures of Dunlop Rubber Co, ex interest.

31st December 1961—Sold Rs 3000 worth 6% Debentures of Hindustan Lever at a loss of Rs 240 ex interest

Interest in each case is due on 31st March annually Calculate his income taxable under the head interest on securities for the assessment year 1962 63

Solution

Interest on Securites

		Rs.
1.	Interest on 6% Debentures	300
	Total income taxable under the head	300

Explanation

1 Interest on 3°₀ Govt Bonds was not received by him as they were sold out before interest was received

2 Commission on purchase of bonds is not admissible expenditure

3 Interest on 5% Debentures of Dunlop Rubber was not received by him during 1961 62 as they were purchased ex interest

4 Although 6% Debentures worth Rs 3000 were sold off on 31st December, yet interest on the whole amount of Rs 5000 was received by him on 31st March 1962 as they were sold ex interest

5. Profit on the sale of Govt Bonds and loss on sale of Debentures will not be included under this head

Illustration 5

Sri Suresh Chandra had following securities with him on 1st April 1961

1 Rs 10,000 worth 4% U P Government Loans
2 Rs 6000 worth 6% Debentures of Rohtas Industries interest being payable on 30th June and 31st Dec
3 Rs 14000 worth 3% tax free Central Government Loans

Following were his transactions for the year

27th June 1961—Bought 5% Debenture of Bajaj Auto Ltd worth Rs 8000 ex interest, interest being payable on30th June and 31st Dec

25th Nov 1961—Sold half of U P Govt loan at a loss of Rs 110

1st Dec —1961 Borrowed a loan of Rs 4000 for the marriage of daughter and pledged remaining U P Govt bonds Interest due on 31st March, 1962 was Rs 60

Jan 1 1962—Sold Debentures of Rohtas Industries and bought on the same date 5°₀ Debentures of Orient Paper Mills worth Rs. 12000 ex-interest, Interest payable on them was 31st Jan and 31st July

In order to procure finance for the purchase of these debentures he had borrowed from a friend in England On 31st March interest amounting to Rs 50 had been paid to him without deducting income tax upon it His friend had also paid no tax upon it

He had borrowed a loan of Rs 10,000 for his daughter's marriage by pledging Securities Interest payable on 31st March was Rs 150

Calculate his total income taxable under the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1962-63

Solution

Interes on Securities

	Rs.
(1) Interest on Rs 5000, 4% U.P. Govt. Loan	200
(2) Interest on Debentures of Rohtas Industries Rs 6000, @ 6%	360
(3) Interest on Tax Free Govt Securities Rs 10,000, 3%	420
(4) Interest on Debentures of Bajaj Auto- Rs 8000, at 5% for 6 months	200
Total tarable income	1180

Exempted income—

Interest on Tax free Govt Securities Rs. 420

Note —1. Although debentures in Rohtas Industries were sold on Jan. 1, two instalments of interest on 30th June and 31st Dec. were received.

2 Interest on loan for daughter's marriage will not be allowed as deduction because it was not taken for the purchase of Securities

3. Interest on debentures of Orient Paper Mills has not been added as the same was not received till 31st March. The first instalment was due on 31st Jan. 1961, but as debentures were purchased ex-interest no interest was received.

4. Interest on loan borrowed from the foreigner on which neither the interest was deducted by person paying it

nor paid by the recipient is not admissible for deduction.

Illustration 6

Mr. A's investments are—

(i) Rs 20000, 5% Govt Paper.

(ii) Rs 10000, 4% Municipal Debentures.

(iii) Rs. 10000, 6% Pref Shares

His bankers charged Rs. 25 as commission for collecting interest. He paid Rs. 500 as interest on loan which he had specially taken for purchasing securities. His other income from property in this period was Rs. 3000. Calculate his assessable income.

Solution

1. *Interest on Securities.*

			Rs.	
	5% Govt. Paper		1000	
	Interest on Municipal Debentures		400	
			1400	
Less—				
	Collection charges	25		
	Interest on loan	500	525	875
2	Income from property			3000
3.	Income from other sources			
	Dividends.			600
	Total taxable income.			4475

Illustration 7

The following are the investments of the Upper India Trading Co You are required to calculate their income from Interest on Securities.

Investment on 1st April 1961

(a) Rs. 60,000 4% U. P. Govt. Loan

(b) Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debenture.

(c) Rs. 15,000 6% Peference shares of a Cotton Mills Co.

(d) Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan.

(e) Rs 40,000 6% Debentures of Imperial Trading Co.

On 1st Sept 1961 the company sold the above Rs. 40,000 6% Debentures of Imperial Trading Co cum interest and purchased Rs 70,000 6½% Debentures cum interest of the Eastern Bengal Jute mill Co Ltd The additional sum of Rs 30,000 needed for the purpose was borrowed from the bank at ½% interest The banker of the company charged commission for selling and buying of investment at the rate of 1 anna per cent and on collection of interest at the rate of /1/- per cent, calculated on the gross amount Interest or dividend on investment is payable half yearly on 1st July and 1st Jan. each year

Solution

Interest on securities—

			Rs
1.	Rs. 60,000 4% U. P Govt. Loan		2400
2.	Rs. 30,000 5% Calcutta I T Debentures		1500
3	Rs. 20,000 5% Free of Tax Govt Loan		1000
4.	Rs. 40,000 6% Debenture of Imp Trading Co		1200
5.	Rs. 70,000 6½% Debenture of Eastern Bengal Jute Mill		2275
			8375

Less—

1.	Interest on Loan (Rs 30,000 for 7 months @ 7½%)	1312 50	
2.	Bank Commission.	21 00	
		1333 5	1333 50
	Taxable income—		7041 50

Note —1. Commission for purchase and sale of securities is not a permissible deduction, being a capital expenditure

2. Dividend on shares of cotton mill company is taxable under the head 'income from other sources'

Illustration 8

X is the holder of a number of securities the interest on the same being as follows.

		Rs.
1	Interest on Tax free debentures of National Rayon	1750
2	Interest on 4% Tax free Govt Bonds	200
3	Interest on 12 yearly National Plan Certificates	600
4	Interest on 3½% Tax free debentures worth 4000	140
5.	Interest on Port Trust Bonds (Nett)	350

Collection charges	Rs. 20

Solution

Income from Securities—

		Rs.
1	Debentures of National Rayon (grossed)	2500
2	Interest on 4% Tax free Govt. Bonds	200
3.	Interest on 3½% Debentures (grossed)	200
4	Interest on Port Trust Bonds (grossed)	500
		3400
Deductions—		
	Collection charges	20
	Taxable income	3380

Exempted income—

1 Tax free Govt. bonds	200

Note —Interest on National Plan Certificates is exempted from tax totally.

७

आय की मदें-गृह-सम्पत्ति की आय

[Income from Property]

आयकर अधिनियम की धारा ३२ मे गृह सम्पत्ति से मिलनेवाली आय का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य (Annual value) पर जिसमे इमारतें तथा उससे लगी हुई भूमि (ऐसे अश को छोडकर जिसका प्रयोग ऐसे व्यापार के काम मे होता है जिस पर कि आय कर देय है) सम्मिलित है तथा जिसका स्वामित्व कर दाता के पास है, 'गृह सम्पति की आय' शीर्षक के अतर्गत आयकर लगेगा ।

इस धारा के अनुसार गृह सम्पति मे निम्नलिखित विशेषताऐं होती हैं ।

(१) यह आय मकानो से प्राप्त होती है । खाली पडी हुई जमीन पर मिलने वाला किराया इसके अतर्गत नही आवेगा ।

(२) यदि मुख्य मकान से लगी हुई कोई खाली जमीन है तो उस पर मिलने वाला किराया मकान की ही आय समझा जावेगा ।

(३) मकान पर कर दाता का स्वामित्व होना चाहिए । यदि कोई किरायेदार मकान को एक साथ लेकर उसके किसी भाग को किराये पर उठा देता है तो किरायेदार की इस प्रकार की आय को गृह सम्पति की आय के अदर्गत नही माना जायेगा । उस पर 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक के अतर्गत कर लगेगा ।

(४) यदि मकान का कोई हिस्सा व्यापार के लिए कर दाता द्वारा प्रयोग

किया जाता है तथा व्यापार की आय पर कर लगाता है तो उस हिस्से की किराये की रकम इस शीर्षक के अतर्गत नही शामिल की जायेगी।

(५) मकानो पर कर उसके वार्षिक मूल्य के आधार पर लगता है।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

जैसा ऊपर बताया जा चुका है गृह सम्पति मे कर का आधार वार्षिक मूल्य होता है। वार्षिक मूल्य उससे मिलने वाली वास्तविक आय से भिन्न होता है। "यह एक ऐसी रकम होती है जिस पर वह मकान किराये पर उठाया जा सकता है" [धारा २३] वार्षिक मूल्य के निर्धारण मे समय समय पर परिवर्तन हुआ है। उसे तीन भागो मे बाँटा जा सकता है।

(१) वे मकान जो १ अप्रैल १९५० से पहिले बने हैं।

(२) वे मकान जो १ अप्रैल १९५० से बाद मगर १ अप्रैल १९६१ से पहले बने हैं।

(३) वे मकान जो १ अप्रैल १९६१ के बाद बनना आरम्भ हुए।

[१] यदि मकान पूर्णतया किराये पर उठा है—

यदि मकान पूर्णतया किराये पर उठा है तथा १ अप्रैल १९५० से पहले का बना है तो साल भर के कुल किराये मे म्युनिसपल तथा स्थानीय कर जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इत्यादि घटाने से वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है।
सक्षेप मे—

वार्षिक मूल्य= वार्षिक किराया—स्थानीय कर

यदि मकान १ अप्रैल १९५० के बाद मे तथा १ अप्रैल १९६१ के भीतर बना है—तो किराये की आय से स्थानीय करो का आधा घटाया जायेगा।
सक्षेप मे,

वार्षिक मूल्य= वार्षिक किराया—$\frac{1}{2}$ स्थानीय कर

[२] जब मकान मे मालिक स्वय रहता हो—

यदि मकान मालिक स्वय मकान मे रहता हो तो मकान का उचित किराया म्युनिसपल बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय सस्थाओ के मूल्याकन के आधार पर माना जाता

है। स्थानीय सस्थाएँ शहरो मे बने हुए मकान पर हाउस टैक्स लेती है जो मकान के किराये की आय पर लगाया जाता है। जहाँ मकान मालिक स्वय रहता है वहाँ स्थानीय-सस्थाएँ उसका उचित किराये का मूल्य लगा लेती है। इसे म्युनिस्पल मूल्याकन (Municipal Valuation) कहते हैं। अन्य किसी प्रमाण के अभाव मे म्युनिस्पल मूल्याकन ही उचित किराये का आधार माना जाता है।

यदि मकान मे स्वय मालिक रहता है तो उसके वार्षिक मूल्य की दो सीमाएँ रहती है।

[१] पहले किराये के मकान के समान ही वार्षिक मूल्य निकाल कर उसमे से वार्षिक मूल्य का आधा अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो घटा दिया जायेगा।

सूत्र रूप मे इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रकट कर सकते है।

(१) यदि मकान १ अप्रैल १९५० से पहले बना है।

सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य= उचित वार्षिक किराया—स्थानीय कर

शुद्ध वार्षिक मूल्य= सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य—[½ सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो]

(२) यदि मकान १ अप्रैल १९५० से बाद मे बना है।

सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य= उचित वार्षिक किराया—½ स्थानीय कर

शुद्ध वार्षिक मूल्य= सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य—[½ सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो]

[२] वार्षिक मूल्य करदाता की कुल आय के १/१० से अधिक नही होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र काम मे लाया जा सकता है।

वार्षिक मूल्य=(मकान को छोडकर अन्य आय—मकान से घटाए जाने वाले व्यय) × ९/८८

इसकी विधि सक्षेप मे इस प्रकार है।

(i) पहिले मकान को छोडकर अन्य साधनो से प्राप्त होने वाली कर देय आय मालूम करो।

(ii) मकान मे घटाए जाने वाले व्यय (मरम्मत व्यय तथा स्थानीयकरो को छोडकर) मालूम करो। इस प्रकार के व्यय म जमीन का किराया, मकान के लिए, लिए हुए ऋण पर व्याज, मकान के बीमे की रकम इत्यादि मुख्य है।

(iii) भाग (i) की आय मे भाग (ii) का खर्चा घटाओ।

(iv) बची हुई रकम का ९/५५ भाग करो। वार्षिक मूल्य इससे अधिक नही होना चाहिए।

[३] यदि मकान आंशिक रूप से उठा हो—

यदि मकान आंशिक रूप से उठा हो तो तथा बाकी हिस्से में मकान मालिक स्वयं रहता हो ऐसी दशा में वार्षिक मूल्य निकालने की क्रिया उसी प्रकार होती है जैसे एक के बजाय दो मकान हों जिसमें से एक में मकान मालिक स्वयं रहता हो दूसरा किराये पर उठा हो। किराये का मूल्य तथा अन्य खर्च समानुपातिक रूप में बाँट लिए जाते हैं।

[१] यदि मकान का बनना १ अप्रैल १९६१ के बाद में शुरू हुआ है, तथा मकान किराये पर उठाया गया है

तो उसका वार्षिक मूल्य मकान पूरा होने के तीन साल तक निम्नलिखित प्रकार से निकाला जायेगा।

(१) यदि पहले बताये हुए नियम (वार्षिक किराया—½ म्युनिस्पल कर) के अनुसार वार्षिक मूल्य ६०० रु० अथवा उससे कम है तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। [२३-(Proviso-i)]

(२) यदि इस प्रकार निकाला हुआ वार्षिक मूल्य ६०० रु० से अधिक है तो उसमें ६०० रु० घटाकर वार्षिक मूल्य निकाला जायेगा। [धारा-२३ (Proviso ii)] सूत्र रूप में—

वार्षिक मूल्य= (वार्षिक किराया—½ म्युनिस्पल कर—६०० रु०)

[२] यदि मकान में मकान मालिक स्वयं रहता है—तो उसे वैधानिक छूट ही प्राप्त होगी, ६०० की छूट और न मिलेगी। इस प्रकार ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य पहले बताई हुई विधि के अनुसार ही लगेगा।

यदि करदाता को व्यापार अथवा रोजगार के कारण अन्य किसी स्थान पर किराये का मकान लेकर रहना पड़ता है तथा वह अपने निजी मकान में नहीं रह पाता तथा वह साल भर खाली पड़ा रहता है तो वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा।

यदि वह साल के कुछ महीने अपने मकान में भी रहता है तो वार्षिक मूल्य उतने महीनों के किराये के आधार पर माना जावेगा जितने दिन वह उसमें रहता है। इसमें शर्त यह है कि वार्षिक मूल्य में घटाने योग्य व्यय घटाकर कोई हानि नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें अधिकतम रकम मूल्य के बराबर ही घटाई जा सकती है।

घटाए जाने वाले व्यय

१. मरम्मत सम्बन्धी व्यय

(१) यदि मकान की मरम्मत का भार स्वयं मकान मालिक पर हो तो वार्षिक मूल्य का ⅙ मरम्मत के लिए काटा जावेगा, चाहे कुछ खर्च हुआ हो या न हुआ हो।

(२) यदि किराये दार ने मरम्मत का भार अपने ऊपर लिया है तो वार्षिक मूल्य के ⅙ तथा वार्षिक मूल्य व वास्तविक किराये के अन्तर मे जो भी कम हो माना जायेगा।

२ मकान के बीमे की किश्त।

३ यदि मकान को गिरवी रख कर कोई ऋण लिया गया है तो एसी ऋण की रकम पर ब्याज।

४. यदि मकान पर अन्य कोई वार्षिक खर्च देना पडता है तो वह खर्च की रकम

५ यदि कोई भूमि कर (Ground rent) लगता हो तो ऐसी भूमिकर की रकम।

६. यदि मकान खरीदने, बनवाने, अथवा मरम्मत कराने के लिए कर्ज लिया गया है तो उस पर ब्याज।

७ भूमि पर दिया हुआ कोई लगान (Land revenue)

८ किराया वसूल करने के लिए किया हुआ खर्च। यह वार्षिक मूल्य के ६% से अधिक नही होना चाहिए।

६. यदि वर्ष के कुछ भाग मे मकान खाली पडा रहता है तो सानुपातिक रूप से उतने समय का वार्षिक मूल्य। उदाहरणार्थ यदि मकान तीन महीने खाली पडा रहा है तो वार्षिक मूल्य का १/४ भाग।

१० यदि किराये का कुछ भाग वसूल नही किया जा सकता तो उस पर भी छूट दी जाती है।

निम्नलिखित व्यय नही घटाया जा सकता

यदि ब्याज की रकम भारत के बाहर देय हो तथा,

(१) उस पर न तो कर दिया गया है और न कर काटा गया है, तथा

(२) ऐसा कोई व्यक्ति नही है जिसे उसका प्रतिनिधि मानकर कर वसूल किया जा सके तो ऐसी ब्याज की रकम नही घटाई जावेगी।

निम्नलिखित दशाओ मे गृह सम्पत्ति की आय पर कर नही लगता--

(१) यदि मकान खेतो के पास है तथा खेती के काम के लिए ही उसका उपयोग होता है।

(२) यदि मकान किसी धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट की सम्पत्ति है।

(३) यदि उसका उपयोग मालिक द्वारा व्यापार अथवा पेशे के लिए होता है।

(४) यदि मकान गोदाम अथवा भण्डार घरो (ware houses) के रूप म है तथा वे सहकारी समिति की सम्पत्ति है।

(५) एसी सहकारी समिति की गृह सम्पत्ति से होनेवाली आय, जिसकी कुल आय २०,००० रु० स अधिक नहा है, तथा जो हाउसिंग सोसाइटी,अथवा शहरी उपभोक्ता समिति नही है।

(६) यदि कानून द्वारा किसी सस्था का निर्माण वस्तुओ के विपणन (marketing) के लिए हुआ है तो ऐसी सस्था की गोदामो से होने वाली आय।

SUMMARY

Calculation of Annual Value

Built before 1 4 1950 (A)	*Built after 1 4 1950* (B)	*Built after 1 4 1961* (C)
	Rented House	
A V = Rental Value Less M Tax	A V = Rental Value Less 1/2 M Tax	*For first three years* A V = [Rental Value —1/2 M Tax] Less Above amount or Rs 600 which ever is less *Afterwards* Same as in (B)
	Residential House	
A. V = [R V — M Tax] Less 1/2 of above or Rs 1800 whichever is less or 1/10 of total income whichever is less	A V = [R V — 1/2 M Tax] Less 1/2 of above or Rs 1800 whichever is less or 1/10 of total income whichever is less	Same as in (B)

Calculation of 1 10 of total income—

1/10 of Total income = [Total income excluding income of residential house—Admissible expenditure not already deducted $\times \frac{6}{55}$]

Deductions allowed

1. Repairs—
   (i) If done by the land lord, [1/6 of A V]
   (ii) If under taken by the tenant [Rental Value—Actual rent] or [1/6 of A. V] whichever is less
2. Interest on loan—
   (i) Taken for any purpose if house is mortgaged
   (ii) Taken for construction, purchase, repairs of the house even if house is not mortgaged
3. Insurance premium on house
4. Any other annual charge
5. Ground rent
6. Land revenue.
7. Charges of rent collection up to 6% of A V
8. Vacancy allowance $\left[\frac{\text{A V} + \text{Vacancy Months}}{12}\right]$
9. Rent rendered unrealisable

Expenses not allowed

1. Interest paid outside the country if tax not paid or deducted
2. Any expenditure of a Capital nature

House income exempted from tax

1. Houses near agricultural land and used for agricultural purposes
2. Houses of religious trusts
3. Godowns and warehouses of Cooperative Societies
4. Income from property due to Coop Society with less than 20,000 income
5. Houses used by the landlord for trading purposes, the income of trade being taxable
6. Warehouses of authorised marketing institutions

Illustration 1

Sri T. N Pandey is the owner of a house built in 1940. The house is wholly let out at monthly rent of Rs 100, municipal valuation for the same being Rs 1000 He pays 10 % of municipal value as house and water tax and Rs 50 per year as ground rent. What is the annual value of the house.

Solution

	Rs.
Annual rent	1200
Less municipal taxes	100
Annual value of the house	1100

Ground rent will not be included in the municipal taxes for calculating annual value

Illustration 2

Mr A. K. Jain is the owner of a building built in 1954. It is let out to a tenant for Rs 400 per month, the municipal valuation of the same being Rs 4000. He pays Rs 450 for municipal taxes Find out the annual value of the house

Solution

	Rs.
Rental value of the house	4800
Less 1/2 of municipal taxes	225
Annual value of the house	4575

Illustration 3

Sri Om Prakash is the owner of a house, built after April 1950. The house is occupied by himself, the municipal valuation of the same being Rs 3000 He pays house tax at the rate of 10% of annual value. The house is insured and insurance premimum paid upon it is Rs 80 He paid further Rs 20 as ground rent.

His income from other sources is Rs 3400 What s the anr i value of the house for 1961 62

Solution

Annual value on tl e basis of rental value

	Rs
Rental value	3000
Less 1/2 of Municipal taxes	150
	2850
Less statutory allowance (1/2 of 2850)	1425
Annual value	1425

2 Anuual value on the basis of income

	Rs
Income from other sources	3400
Less admissible expenses on house (80+20)	100
Taxable income from other sources	3300

1/10 of total income including income from the house occupied $3300 \times \frac{6}{55} = 360$

Annual value of the house will there fore be Rs 360

Illustration 4

Sri Ram Prakash is the owner of a house built in 1954 which is solely occupied by himself The rental value of the house according to Municipal valuation is Rs 50 per month on which he pays Rs 60 as municipal taxes He is employed in an office and gets a salary of Rs 250 per month What is the annual value of the house for 1961 62

Solution

Annual value on the basis of rent

	Rs
Annual letting value	600
Less 1/2 of municipal taxes	30
	570
Less statutory allowance (1/2 of 570)	285
Annual value =	285

As this is less than 1/10 of the salary it will also be less than 1/10 of total income

Annual value therefore will be taken as Rs 285

Illustration 5

A is the owner of a house $\frac{1}{3}$ of which is occupied by himself and remaining 2/3 let out for Rs 200 per month The municipal valuation of the house is Rs 3000 on which he pays municipal tax at the rate of $6\frac{1}{4}\%$ what is the annual value of the house

Solution

		Rs	Rs
1	Annual value of the portion let out		
	Rental value	2400	
	Less, 1/2 of 2/3 M tax (1/2×2/3×187)	62	2338
2	Annual value of self occupied portion		
	Rental value (on the portion rented)	1200	
	Less $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ of M Taxes	31	
		1169	
	Less Statutory allowance	584	585
	Annual value of the whole house		2923

Note —Calculations have been made to the nearest rupee

Illustration 6

B is the owner of a house $\frac{3}{4}$ of which is occupied by him and the remaining let out on rent of Rs 120 per month He pays

Rs. 520 as Municipal tax upon it His income from other sources is Rs. 4354. What is the annual value of the house

Solution

	Rs	Rs
Annual value of the portion let out		
Rental value	1440	
Less ½ of prop M tax (½×¼×520)	65	1375
Annual value of the self occupied portion being 1/10 of the total income		600
Annual value of the whole building		1975

Calculation

Annual value of the self occupied portion has been arrived at in the following manner—

1. Annual value on the basis of rent.

	Rs.
Rental value on the basis of portion let out	4320
Less ½ of Municipal taxes	195
	4125
Less statutory allowance	1800
	2325

2. Annual value on the basis of 1/10 th of income.

Total income excluding income from self occupied house.

Income from portion let out being annual value less ⅙ for repairs [1375—229]	1146
Other Income	4354
	5500

$$\frac{1}{10} \text{ th of total income} = 5500 \times \frac{6}{55} = 600$$

As the amount of Rs 600 is less than Rs. 2325 calculated on the basis of rental value the same has been taken as annual value

Illustration 7[1]

Y is the owner of a house the construction of which was started and completed after 1st April 1961. The house is let out for Rs. 200 per month, municipal taxes on the same being paid at the rate of 10%. What will the annual value of the house during the first year after completion

Solution

	Rs.
Rental value	2400
Less 1/2 of municipal taxes	120
	2280
Less allowance under Sec. 23 Proviso II	600
Annual value	1680

Illustration 8

Mr. X is a professor in a College at Kanpur. He has a residential house, the municipal valuation of which is Rs 1900. He pays Rs. 200 as municipal tax on it During 1961-62 he was at Delhi as a member of a committee and could live in his house only for 3 months What is the annual value of the house.

Solution

Annual value for the whole year.

Rental value	1900
Less 1/2 of municipal taxes	100
	1800
Less statutory allowance	900
	900

$$\text{Value for 3 months} = 900 \times \frac{3}{12} = 225$$

Note :—It is assumed that 900 is not more than 1/10 of his total income.

Illustration 9

Mr X is the owner of a house the constuction of which started in May, 1961 and completed in June, 1916 and completed in Jnne 1961 The municipal valuation of the house ■ Rs 600. Muncipal tax paid upon it are Rs 80 The house is let out for an annual rent of Rs 620 Find out the annual value of the house for the assessment year 19o3 64

Solution

	Rs
Rental value of the house	620
Less 1/2 of Municipal Taxes	40
	580
Less allowance (under Sec 23 proviso I)	580
Annual value	Nil

Illustration 10

Mr R P Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8000 which he has let to Mr Kamthan at Rs 7000 per annum, Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 25 0 excluding the cost of repairs You are required to calculate his taxable income from property

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6000 per annum instead of Rs 7000 per annum

Solution

	Rs
(1) Annual Value	8000
Less Repairs	
(Annual Value—actual rent, Rs 8000 — Rs 7000)	1000
Taxable income from property	7000

The amount of Rs 1000 being the difference between annual value and actual rent has been taken because it is less than 1/6 of the annual value Rs 8000, which would be Rs 1333

(ii) When the house is let out for Rs. 6000

	Rs
Annual Value	8000
Less Repairs	
(being 1/6 of 8000)	1333
Taxable income from property	6667

The difference between annual value and actual rent in the case is (8000—6000) Rs 2000 which is more than 1/6 of annual value Therefore repairs will be taken at 1/6 of the annual value

Illustration 11

Mr Rama Nand is the owner of a house built in 1954. The municipal valuation of the house is Rs 3600 per annum During 1961-62 following expenses were incurred in connection with the house

1	Municipal taxes	Rs 600
2	Ground rent	,, 20
3	Electric fitting	,, 150
4.	Insurance premium	,, 110
5	Repairs	,, 120

The house had remained vacant for two months.

Calculate the taxable income from property

Solution

Annual value of the house—

	Rs	
Rental value	3600	
Less 1/2 of municipal taxes	*300*	*3300*

Less admissible deductions—

1.	Repairs (1/6 of A V)		
2	Ground rent		
3	Insurance premium	1	
	Vacancy allo vcnc	55	12 0
	Income taxable under property		7

Note —Expenses on electric fittings are not admissible being in the nature of capital expenditure

Illustration 12

Y is the owner of a house which he inherited from a widow on condition that she will be paid Rs 50 per month for maintenance The municipal valuation of the house is Rs 4800 per annum and taxes paid upon it amount to Rs 600 During the rainy season he had to undertake some major repairs costing Rs 1200, which he borrowed from a banker Interest due upon it was Rs 60 On 31st May 1961 he had borrowed Rs 1000 by mortgaging the house, interest being paid at the rate of 6% per annum He engaged a servant on the monthly wages of Rs 30 for the collection of rent

What will be his income from house property

Solution

Annual value—

		Rs	
	Rental value of the house	4800	
	Less Municipal taxes paid	600	4200
Less Permissible deductions			
1	Repairs (1/6 of A V)	700	
2	Interest on loans (60+180)	240	
3	Collection charges (6% of A V)	252	
4	Annual charge on property (payment to widow)	600	1792
Taxable income from property			2408

Illustration 13

Sri K K Tewary is the manager of a firm getting Rs 500 per month as salary plus 10% D A He is a member of Recognised Provident Fund to which he contributes 8%, his employer contributing 12% Accrued interest on his balance during 1961-62 was Rs 50 He held following securities during the year

Rs 10,000 4% Government Bonds

Rs 4000 6% Debentures in Orient Paper Mills

Rs 1500 in Savings Bank Account Interest on the same being Rs 50

He had paid Rs 10 for purchasing securities and Rs 12 for collection of interest upon it He had borrowed Rs 5000 for purchasing ecurities, interest payable at 5% per annum

He is also the owner of a house half of which is let out at Rs 150 per month, municipal taxes upon the same being Rs 600 He paid Rs 50 on the insurance of the house and Rs 500 as premium on his own life

What is his total taxable income.

Solution

1 Salary

		Rs	Rs
1	Salary	6000	
2	D A	600	
3	Employers contribution more than 10% of salary	120	6720

2 Income from Securities—

1	Interest on 4% Govt bonds	400
2	Interest on 6% Debentures	240
		640

Less,

Interest on loan	250		
Collection charges	12	262	[illegible] 3

3. Income from property

Annual value of portion let	1650
Annual value of self-occupied part	825
A. V. of the whole house	2475

Less,

1/6 for repairs	412 50		
Insurance premium	50 00	462 50	2012 50
Total Taxable Income			9110 50

Rebate

1. Employees contribution to P. F.	480
2. Insurance premium	500
	980

Calculations

1. Annual value of the portion let out.

Rental value	1800	
Less 1/2 of prop M. Tax	150	1650

2. Annual value of the self-occupied part.

Rental value	1800	
Less 1/2 of prop. M. Tax	150	
	1650	
Less Statutory allowance	825	825

1/10 of income=

$$[(6720 + 378 + 1650) - (\frac{1650}{6} + 50)] \times \frac{6}{55}]$$

$$= [8748 - 325] \times \frac{6}{55} = 918$$

As this is greater than the annual value computed on the basis of rental value, Rs. 825 will be taken as annual value.

Illustration 13

Sri Lajpat Rai owns several properties the annual letting value *of which amounts to* Rs 25000 *including* Rs. 7000 for a bungalow where he resides He claims the following expenses in addition to statutory allowance for repairs viz Rs. 100 insurance premium, Rs 700 for interest on mortgage, Rs. 500 for vacancy allowance, Rs. 25 ground rent, Rs. 10 land revenue and Rs. 1200 for rent collection charges.

Ascertain his taxable income from property.

Solution

Income from property

	Rs.
Annual value of property let (25000–7000)	18000
Annual value of residential house (1/10 of total income)	1373
Total annual value	19373

Less—

1.	⅙ for repairs	3229
2.	Insurance premium	100
3.	Interest on mortgage	700
4.	Vacancy allowance	500
5.	Ground rent	25
6.	Land revenue	10

7	Collection charges (6% of A V of rented property)	1080	
		5644	56
	Taxable income from property		13729

Calculation

Annual value of residential house

(i) On the basis of rental value—

Rental value	7000	
Less Statutory allowance	3500	3500

(ii) On the basis of 1/10 of total income

$$[\ 18000 - (100+700+500+25+10+1080 + \frac{1800}{6})\ ] \times \frac{6}{55}$$

$$= (18000 - 5415) \times \frac{6}{55} = 1373$$

Illustration 14

A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month He contributes one anna per rupee of his salary to a Recognised Provident Fund to which the college also contributes an equal amount The interest on his provident fund account for the year ended 31st March 1962 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672

He is also the owner of two houses one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1000) let at Rs 100 per month His expenses for two houses were

Municipal taxes Rs 180, Land revenue for the house let Rs 40 Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200 Fire insurance premium Rs 120, cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property, his total *income* and the amount exempt from income tax for the previous year ending 31st March 1952 Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium on his life policy for Rs 8000

(Adapted from Agra B Com 1959)

Solution

1 Salary

		Rs
Basic Salary	9600	
Other additions	Nil	9600

2 Income from property

Annual value of the rented house	1150	
Annual value of *residential house*	460	
Total annual value	1610	

Less—

	Rs		
$\frac{1}{6}$ for repairs	268 33		
Land revenue	40		
Interest on loan	200		
Fire insurance premium	120		
Vacancy allowance (2/12 of 1150)	191 67	820	
Taxable income from property		790	790
Total taxable income			10390

Exempted income

	Rs
P F (Employees contribution)	600
Insurance premium	800
	1400

Calculation Work

1 Annual value of the rented house

	Rs
Rental value	1200
Less ½ municipal tax	50
	1150

2 Annual value of residential house

(a) On the basis of rental value—

	Rs
Rental value raised on the basis of house rented $\left(\frac{1200}{1000} \times 800\right)$	960
Less ½ of Municipal tax	40
	920
Less Statutory allowance (½ of 920)	460
	460

(b) On the basis of 10% income—

The annual value Rs 460 is much less than 10% of even income from salary Therefore Rs 460 will be less than 10% of the total income, and the same will be taken as annual value of residential house

Note —1 In case of insurance premium the amount of premium should not be more than 10% of the sum insured There fore only Rs 800 $(8000 \times \frac{10}{100})$ will be exempted

2 Cost of electric fitting is not admissible as it is a capital expenditure

3 It is assumed that house was built after 1st April 1950

4 Municipal tax in respect of two houses has been divided in the proportion of 800 , 1000 i e Rs 80 and Rs 100

Illustration 15

Sri Murli Manohar owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence the annual value of the same being Rs 960 He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second The municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 120 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both bungalows

You are required to find out his taxable income from property assuming that both of these bungalows were constructed after 1st April 1950

—Agra II Com 1958

Solution

1 Income from the rented bungalow—

		Rs	
Annual rental value		1440	
Less 1/2 Municipal tax		75	
Annual value		1365	
Deduct—			
	Rs		
1/6 for repairs	227 50		
Ground rent and insurance	200 0	427.50	
Taxable income			937 50

2. Income from residential bungalow

		Rs	
Annual value		85 90	
Deduct—			
⅙ for repairs	14 30		
Ground rent etc	150 00	164 30	
Loss on the residential bungalow			—78 40
Taxable income from property			859 10

Calculation

Annual value of residential bungalow

(a) On the basis of rental value—

Annual value	960
Less Statutory allowance	480
	480

(b) 10 % of total income

$$(937\ 50 - 150) \times \frac{6}{55} = 85\ 90$$

Therefore rental value of Second Bungalow will be 85 90

Note —Municipal taxes have not been deducted from the residential bungalow as the annual value is given It has been assumed that statutory allowance was not deducted but even if it were already deducted that would not have made any effect upon the annual value which is calculated on the basis of 10% of income

Illustration 16

X is employed in a business office at Rs 300 per month He owns Rs 20,000 4½% Govt Tax Free securities He also owns a big house the municipal valuation of which is Rs 800 He has let out ½ of the house at Rs 50 while the remainder of the house is occupied by him The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister s marriage The interest on mortgage was Rs 250 for the year and municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150 Ascertain his taxable income from property and also his total income for the previous year ending 31st March 1962

(Agra B. Com 1957 Adapted)

Solution

			Rs.
1. Income from salary—			3600
2. Income from property—			
Annual value of portion let out	562.50		
Annual value of the portion occupied less ½ statutory allowance	281.25		
	843.75		
Less—			
Repairs (⅙ of A V.)	140.62		
Interest on mortgage	250 00	390 62	453.13
3 Interest on *securities*			900.00
Total taxable income			4953 13

Calculation

1. Annual value of the portion let out.

Rental value	600
Less 1/2 of M. Taxes	37-50
	562-50

2. Annual value of the portion occupied by himself.

Rental value (less 1/2 of M. Tax)	562-50
Less Statutory allowance	*281 25*
	.81-25

This is less than 1/10 of salary and therefore less than 1/10 of total income.

Illustration 17

Following are the particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinary resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1961 You are required to prepare his total income in proper from for the year 1961-62

(a) Salary Rs 300 per month, House rent allowance Rs 50 per month Employees contribution to Unrecognised provident fund 5% Interest on P F (5% per annum) Rs 300

(b) His investment during the year were

(i) Rs 5 000 in 6% preference shares of a company

(ii) Rs 2000 in 3% fixed deposit in a Bank

(iii) Rs 4000 in 4% Tax free Government Loan

(c) He owns a house ½ of which is occupied by his son for his residence and other half is let at Rs 40 per month

(d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs 120 on the policy of his wife

(Agra B Com 1955 Adapted)

Solution

		Rs	Rs
1	Income from salary		
	1 Salary	3600	4200
	2 House allowance	600	
2	Interest from Securities		
	1 4% Tax free Govt loan	160	160
3	Income from property—		
	Annual value of the house	720	
	Less, ⅙ for repairs	120	600
4	Income from other sources		
	1 Dividend on Pref shares	300	
	2 Interest on bank deposits	60	360
	Total taxable income		5320

Exempted income—

1	Interest on tax free Govt loan	160
2	Insurance premium	360
		Rs 520

Calculation

1 Annual value

(1) Annual value of the rented portion	480	
Less ½ of M Taxes	Nil	480
(2) Annual value of the self occupied portion		
Rental value	480	
Less Statutory allowances	240	240
		720

Note —The house occupied by his son is deemed to be occupied by the assessee himself as there is no proof that the son is living separately from him

Illustration 18

Gopal is employed in a factory on a monthly salary of Rs 120 He is the owner of a big house whose municipal valuation is Rs 800 p a has let ⅓ portion of his house on a monthly rent of Rs 30 and the remaining 2/3 is occupied by his family He has mortgaged the house for a loan of Rs 5000 taken at 6% p a for educating his son in America The house is subject to local tax of Rs 150 p a Gopal's taxable income from other sources during the previous year was Rs 1400 Find out Gopal s total income.

(B Com Agra 1954)

Solution

1. Income from salary		
Salary for 12 months	1440	1440

2 Income from property

Annual value of the house,		642 50	
Less—			
Repairs (1/6 of A V)	107 10		
Interest on mortgage	300 00	407 10	235 40

3 Income from other sources	1400
Total taxable income	3075 40

Calculation

1. Annual value

Annual value of the portion let	360	
Less ½ of M Tax (150×⅓×½)	25	335

2 Annual value of self occupied portion—

Rental value (360×2)	720	
Less ½ of M Taxes (150×2/3×½)	50	
	670	
Less Statutory allowance	335	335

10% income=

$$[(1440 + 1400 + 335) - (300 + \frac{335}{6})] \times \frac{6}{55}$$

$$= (3175 - 356) \times \frac{6}{55}$$

$$= 2819 \times \frac{6}{55}$$

$$= 307\ 50$$

As this is less than 335, Rs 307 50 will be taken as annual value of self occupied part	307.50
Annual value of the whole house	642.50

Illustration 19

X is employed as a Professor in a College on Rs 800 p. m. He contributes 5½% of his salary to a recognised P. F. the college also contributing the same amount. The Interest on his P. F. account for the year amounted to Rs 672 He also owns house one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his residence and the other (municipal valuation Rs 1000) let at Rs. 100 p. m His expenses in respect of property were.

(a) Interest on Mortage of house	*1200*
(b) Land revenue for both houses	40
(c) Premium for fire insurance	120
(d) Interest on loan taken to repair his residential house	105

The house which is let remained vacant for 2 months during the year. He paid Rss 850 as premium on his life policies

Ascertain his total income and exempted income.

(Agra B. Com 1946, Raj B Com. 1951)

Solution

	Rs.	Rs.
1. Income from salary	9600	9600

2. Income from property.

Annual value			
Rented house		1200	
Residential house—			
Rental value $(\frac{1200}{1000} \times 800) = 960$			
Less Statutory allowance	4 0	480	
		1680	
Less			
$\frac{1}{6}$ for repairs	280		
Interest on Mortgage	1200		
Land revenue	40		
Prem. on Fire insurance	120		
Interest on loan taken for repairs of the house	105		
Vacancy allowance $(1200 \times \frac{2}{12})$	200	1945	—265
			9335

Exempted income—

Employee's cont. to P. F.	528
Insurance premium	850
	1378

Illustration 20

Mr X is the owner of a house its municipal valuation is Rs 3000 but he receives Rs 280 per month as rent He claims the following expenses

	Rs
(i) Repairs	1200
(ii) Interest on Mortgage of property	1500
(iii) Collection charges	185
(iv) Interest on loan taken to construct the house	1800
(v) Ground rent	120
(iv) Fire insurance premium	300

His income from interest on fixed deposits is Rs 4500 Ascertain his taxable liability

(Raj B Com 1952)

Solution

1 Income from property

Annual value of the house—

Rental value	3360	
Less ½ M Taxes	—	3360

Less—

1	Repairs (⅙ of A V)	560
2	Interest of Mortgage	1500
3	Collection charges	185
4	Interest on loan for construction of the house	1800
5	Ground rent	120

6. Fire insurance prem	300	4365	−1005

2. Income from other sources

Interest on fixed deposits	4500
Total taxable income	3495

८

आय की मदें-व्यापारिक लाभ

[Income or Gains from Business or Professions]

पुराने अधिनियम मे व्यापार, व्यवसाय तथा धधा (business, profession or vocation) को सम्मिलित किया गया था। नए एक्ट मे केवल दो व्यापार तथा व्यवसाय रक्खे गय है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय तथा धधे मे कोई मौलिक अन्तर नही है तथा एक ही से काम चलाया जा सकता है।

परिभाषाएँ

व्यापार (Business)—व्यापार का अर्थ केवल दूकानदारी ही नही है। आयकर के लिए इसका अर्थ अत्यन्त व्यापक रक्खा गया है। आयकर अधिनियम की धारा २ (१३) के अनुसार व्यापार मे व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन अथवा अन्य कोई उपक्रम जो उपर्युक्त प्रकृति का हो, सम्मिलित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार न केवल स्थायी व्यापार, व्यवसाय और उद्योग को इस मद मे सम्मिलित किया जायगा बल्कि एक-आध सौदे को भी जो आकस्मिक रूप से किया गया है इस मद मे सम्मिलित किया जायेगा।

व्यवसाय (Profession)—आयकर विधान मे व्यवसाय की कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल इतना लिखा है कि व्यवसाय मे धधा (vocation) भी सम्मिलित है। परन्तु प्रचलित उपयोग के अनुसार इसमे वे सब धधे आते हैं जिनमे बुद्धि तथा कौशल के द्वारा अपनी सेवाओ को बेचकर धनोपार्जन किया जाता है।

इस प्रकार वकील, डाक्टर, लेखा परीक्षक, तान्त्रिक सलाहकार इत्यादि को इस श्रेणी मे रक्खा जाता है। व्यवसाय के लिये यह आवश्यक है कि ये लोग अपना काम स्वतन्त्र रूप से करते हो तथा किसी एक व्यक्ति के नौकर न हो। जो डाक्टर किसी सस्था मे नौकरी करता है उसे मिलने वाली रकम वेतन के अन्तर्गत आएगी, व्यवसाय के अन्तर्गत नही।

लाभ तथा प्राप्ति (Profits and gains)—अधिनियम मे लाभ तथा प्राप्ति दोनो दिए गये हैं। यह केवल इसलिये है कि व्यवसाय द्वारा मिलने वाली रकम को लाभ नही कहा जा सकता। उसे 'प्राप्ति' कह सकते हैं।

आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय को इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

१ किसी व्यापार अथवा व्यवसाय की आय। [धारा २८ (१)]

२ प्रबन्ध अभिकर्ता को मिलने वाला लाभ।

३ यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय कम्पनी के कारोबार अथवा किसी अन्य कम्पनी के भारतीय कारोबार को पूर्ण रूप से सभाल रहा है तो उसके इस अधिकार को समाप्त करने अथवा उसमे परिवर्तन करने के कारण मिलने वाली क्षतिपूर्ति की रकम को इसी मद मे सम्मिलित किया जाता है। [धारा २८ (१—a, b)]

४ यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एजेन्सी का काम है तो उस एजेन्सी के समाप्त होने अथवा उसकी शर्तों मे परिवर्तन होने के कारण मिलने वाली क्षतिपूर्ति की रकम। [धारा २८ (१—c)]

५. यदि कोई करदाता सट्टे का काम करता है तो इससे होने वाली आय को 'सट्टे की आय' कहा जायेगा तथा इसे साधारण व्यापारिक आय से भिन्न माना जायेगा।

निम्नलिखित प्रकार की आय परम्पराओ तथा निर्णयो के आधार पर व्यापारिक आय मानी जायेगी।

(१) व्यापार समाप्त करने पर अन्तिम स्टाक को बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ। अन्य स्थायी सम्पत्ति को बेचने से होने वाले लाभ को इसमे नही सम्मिलित किया जाता।

(२) साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाला लाभ का हिस्सा। [Mohan Lal Hira Lal Vs C I T -1952]

आंशिक रूप से व्यापारिक आय

(१) चाय कम्पनियाँ—४० प्रतिशत व्यापारिक आय तथा ६० प्रतिशत कृषि आय।

(२) शक्कर मिल—यदि स्वयं अपने फार्म का गन्ना इस्तेमाल करे तो गन्ने का मूल्य *कृषि आय माना जायेगा, बाकी व्यापारिक आय।*

स्वीकृत व्यय

व्यापार के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का आवश्यक खर्चा स्वीकृत माना जाता है और उसे आय मे से घटाया जाता है। यह बहुत कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियो पर निर्भर रहता है। कुछ विशेष प्रकार व्यय की मदों का उल्लेख आयकर विधान मे किया गया है जो इस प्रकार है।

१. किराया—(१) यदि करदाता ने दूकान किराए पर ली है तो समस्त किराए की रकम तथा मरम्मत के लिए खर्च की गई रकम को स्वीकृत व्यय माना जायेगा। [१० (a-i)]

(२) यदि दूकान स्वय करदाता की है तो सिर्फ मरम्मत का खर्चा। [१० (a-ii)]

२ दूकान के सम्बन्ध में अन्य कोई खर्च जैसे बीमे की किश्त। [१० (c)]

३ *दूकान के लिये दिया हुआ लगान, स्थानीय कर, इत्यादि।* [१० (b)]

यदि दूकान का कोई हिस्सा निवास स्थान के रूप मे प्रयोग किया जाता है तो व्यापारिक व्यय के रूप मे उसका सानुपातिक हिस्सा ही घटाया जायेगा। उदाहरणार्थ *यदि मकान के आधे भाग को दूकान के रूप मे तथा शेष आधे भाग को* निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किराया, मरम्मत खर्च, बीमे की किश्त अथवा स्थानीय करों का केवल आधा भाग ही घटाने योग्य व्यापारिक व्यय माना जा सकता है। [१८ (१)]

४ मशीनरी की चालू मरम्मत का खर्चा। [३१ (१)]

५ मशीनरी के बीमे की किश्त। [३१ (२)]

६ *मशीनरी इत्यादि की घिसावट। इस सम्बन्ध मे विस्तार पूर्वक आगे* देखिये।

७ अनुसंधान सम्बन्धी कार्य पर व्यय—(१) व्यापार से सम्बन्धित अनुसधान पर कोई भी चालू व्यय जो वास्तव मे किया गया हो। [३५ (१)]

(२) किसी भी वैज्ञानिक अनुसधान सस्था, यूनिवर्सिटी अथवा कालेज को दी जाने वाली रकम। [३५ (१ ii)]

(३) व्यापार से सम्बन्धित अनुसधान पर किया जाने वाला पूजीगत व्यय इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

(i) पिछले वर्ष मे जितना पूजीगत व्यय हुआ है उसका १/५ तो पिछले वर्ष ही स्वीकृत व्यय माना जायेगा। शेष अगले ४ वर्षो मे बराबर बराबर घटाया जा सकता है। [३५ (२-१)]

यदि व्यापार आरम्भ करने के पहले सम्बन्धित अनुसधान पर कोई व्यय किया गया है तो व्यापार आरम्भ करने से पहले तीन वर्ष का इस प्रकार का खर्चा पिछले वर्ष का खर्चा मान लिया जावेगा।

(ii) यदि अनुसधान कार्य के लिए खरीदा हुआ कोई सामान गत वर्ष मे इस काम मे न आवे तो केवल गत वर्ष म निम्नलिखित व्यय स्वीकृत माना जावेगा।

स्वीकृत व्यय=[(वस्तु पर किया गया कुल खर्चा—छूट, जो पिछले वर्षों मे दी जा चुकी है)—वस्तु का वर्तमान मूल्य]

अगले वर्षों मे इस पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।

= स्टाक के बीमे की किश्त। [३६ (१-1)]

६. किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला वोनस अथवा कमीशन। [३६ (१-ii)] वोनस की रकम कर्मचारी के वेतन तथा उसके कार्य, व्यापार के लाभ तथा अन्य उसी प्रकार की फर्मों की परम्परा के अनुसार उचित होना चाहिये।

१० व्यापार अथवा व्यवसाय के लिये उधार ली गई पूजी पर व्याज। [३६ (१-iii)]

११ नियोक्ता के रूप मे प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड अथवा स्वीकृत सुपर एन्युएशन फण्ड मे दिया गया अशदान। [३६ (१-iv)

१२ नियोक्ता के रूप मे कर्मचारियो के हित मे रक्खे जाने वाले ग्रेच्युटी फण्ड में उसका अशदान। [३६ (१-v)]

१३ यदि व्यापार के काम मे पशुओ का उपयोग होता है तो उनके मर जाने या काम के अयोग्य हो जाने पर उनकी लागत तथा घटी हुई कीमत मे अतर। यदि जानवर मर गया है तो कीमत मे खालो से मिलने वाली रकम घटाई जावेगी। यदि सस्था जानवरो की खरीद-विक्री करती है तो यह सुविधा न मिलेगी। [३६ (१-vi)]

१४. भारत मे औद्योगिक विकास के लिए दीर्घ-कालीन ऋण देने वाली सस्था यदि किसी विशेष कोष (Special reserve) की रचना करती है तो उस कोष मे डाली गई रकम । बशर्ते कि रकम कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो तथा पिछले वर्षों को मिलाकर ऐसी कुल रकम उसकी चुकता पू जी से अधिक न हो । [३६ (१-viii)]

१५ अप्राप्य ऋण(Bad debts) । अदत्त ऋण को रकम घटाने योग्य व्यय माना जाता है परन्तु इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित शर्तें काम करती हैं ।

(१) कर्ज बही खातों मे अप्राप्य (irrecoverable) लिख दिया गया है ।

(२) यदि समस्त ऋण का कोई अ श ही अपलिखित किया गया है तथा बाद में बची हुई रकम से भी कम वसूल होता है तो जो भी कमी हो उसे अप्राप्य ऋण माना जायेगा और स्वीकृत व्यय समझा जावेगा । [३६ (२-ii)] । उदाहरणार्थ यदि कुल ऋण १००० रु० है, उसमे से २०० रु० अप्राप्य लिख दिया गया, अगले वर्ष म उसमे से केवल ७०० रु० वसूल हुए तो अगले वर्ष ८००-७००=१०० रु० और घटाने योग्य व्यय माना जावेगा ।

(३) यदि कोई ऋण जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका है बाद मे वसूल हो जाता है, तो उसे उस वर्ष की व्यापारिक आय माना जायेगा जिस वर्ष वह वसूल हुआ है ।

(४) यदि पिछले वर्षो मे फर्म ने किसी ऋण को अप्राप्य लिख दिया हो परन्तु इन्कम टैक्स आफिसर ने उसे स्वीकार न किया हो और घटाने की इजाजत न दी हो तो अगले वर्षों मे जब उसका अप्राप्य होना सिद्ध हो जाय तो उसे घटाया जा सकता है । [३६ (२-iii)]

(५) यह आवश्यक है कि ऋण जिस वर्ष अपलिखित किया जाता है उसी वर्ष अप्राप्य हुआ हो । यदि इन्कमटैक्स आफिसर को मालूम हो जाय कि ऋण इसके पहले अप्राप्य हो चुका था तो उसे घटाने योग्य व्यय निम्नलिखित शर्त पर ही माना जा सकता है ।

(i) ऋण गत वर्ष से, जिसमे कि वह अपलिखित किया गया है, पहले के चार वर्षों के भीतर अप्राप्य हुआ है ।

(ii) करदाता इस बात के लिये तैयार है कि वह उसे सही वर्ष मे अपलिखित करेगा तथा इस प्रकारलाभ मे होने वाले परिवर्तन को उसी वर्ष मे दर्ज करेगा । [१५५ (६)]

१६ सत्कार व्यय (Entertainment Expenditure)–प्रत्येक व्यापारिक सस्था कुछ सत्कार व्यय करती है उसके लिए स्वीकृत व्यय की सीमा निम्नलिखित है। [३७ (२)]

(१) प्रथम १० लाख के लाभ पर—१% अथवा ५००० रु० मे जो भी अधिक हो।

(२) अगले ४० लाख के लाभ पर—३/४% की दर से

(३) अगले १२० लाख के लाभ पर—१/२% की दर से

(४) अगले लाभ पर — कुछ नही।

१७ यदि कोई सस्था अथवा व्यक्ति किसी कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता है तथा उसे प्राप्त कमीशन का कोई अ श किसी अन्य व्यक्ति को देना पड़ता है तो प्रबन्ध अभिकर्त्ता के लाभ मे से ऐसी रकम जो दूसरे पक्ष को दी गई है घटा दी जाएगी। परन्तु इसकी शर्त यह है कि दोनो पक्षो के बीच मे लिखित समझौता हो तथा दोनो पक्ष लिखित रूप से इन्कम टैक्स अधिकारी को अपने अपने हिस्से के बारे मे बतलावें। [३६]

१८ अन्य कोई व्यय जो व्यक्तिगत व्यय अथवा पू जीगत व्यय नही है तथा पूर्णतया व्यापार अथवा व्यवसाय के लिये ही प्रयोग किया गया है। [३७ (१)]

इस धारा के अन्तर्गत सभी प्रकार के आवश्यक व्यय आ जाते हैं। उन सभी का लेखा देना यहाँ सम्भव नही है परन्तु कुछ खास खास व्यय इस प्रकार है।

(१) *वर्ष के आरम्भ मे मुजन करने तथा नई बहियाँ बनाने का व्यय, अधिकतम* २०० रु० तक।

(२) खातो को रखने, आडिट कराने तथा आय के विवरण को आयकर अधिकारियो के सामने पेश करने का व्यय। परन्तु आयकर अथवा बिक्री कर के खिलाफ अपील करने का खर्चा मान्य नही है।

(३) व्यापार के सम्बन्ध मे कोई कानूनी खर्चा। यदि कम्पनी के डायरेक्टर के चुनाव पर कोई आपत्ति करे तो उसकी रक्षा के लिये कानूनी व्यय मान्य समझा जावेगा।

(४) विज्ञापन सम्बन्धी खर्चा।

(५) कोई भी क्षतिपूर्ति को रकम यदि वह व्यापार के स्वाभाविक दौरान मे दी गई है। जैसे किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से अलग करने अथवा उसकी शर्तों मे परिवर्तन करने के लिए दिया हुआ हरजाना या किसी एजेन्ट को हटाने के लिए दिया *गया हरजाना।*

(६) किसी कर्मचारी को किसी उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए दिया हुआ विशेष भत्ता।

(७) माल बेचने के लिए दी गई दलाली।

(८) Workmen's Compensation Act के अन्तर्गत दिया गया हरजाना।

अमान्य खर्च (Inadmissible Expenditure)

निम्नलिखित खर्च अमान्य हैं तथा व्यापारिक खर्चे के रूप मे नही घटाये जा सकते।

१ यदि उधार ली हुई रकम पर ब्याज किसी विदेशी को देना है तथा न तो ब्याज देने वाले ने उस पर आयकर घटाया है, न पाने वाले ने ही दिया है और न उसका कोई एजेन्ट भारत म है जिससे आयकर वसूल किया जा सके। [४० (a-i)]।

२ कोई भी कर जो लाभ पर लगता हो जैसे आयकर। [४० (a-ii)]

३ कोई भी वेतन की रकम जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर कर नही काटा गया है। [४० (a-iii)]

४ कर्मचारियो के लिए स्थापित प्राविडेन्ट फण्ड अथवा अन्य किसी फण्ड मे दिया हुआ अशदान जब इस बात का समुचित प्रबन्ध न हो उसमे से दी जाने वाली जो भी रकम करदेय हो उस पर उद्गम स्थान पर ही कर ले लिया जाय। [४० (a-iv)]

५ किसी फर्म द्वारा साझीदार को दिया हुआ ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पुरस्कार।[४० (b)]

६ किसी कम्पनी द्वारा डायरेक्टर अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जिसका कम्पनी मे पर्याप्त हित हो अथवा उसके किसी रिश्तेदार को दी गई कोई सुविधा अथवा कोई रकम। [४० (c-i)]

७ किसी कम्पनी द्वारा ऊपर धारा ४० (c-i) मे वर्णित व्यक्तियो द्वारा कम्पनी की किसी सम्पत्ति को उपयोग करने की सुविधा। उदाहरणार्थ कम्पनी की कार को किसी डायरेक्टर द्वारा निजी उपयोग मे लाना।

८. मालिक अथवा साझीदार द्वारा आहरण (drawings) अथवा अन्य निजी व्यय।

९. प्राप्य ऋण के लिए संचिति अथवा अन्य कोई फण्ड।

१०. यदि व्यापारी अपने निजी मकान मे व्यापार करता है तो मका। ?ा किराया।

११ आयकर, अधिकर अथवा अन्य किसी कर की अपील का खर्चा।

१२ अधिकर की रकम, यदि वह बिक्री मे जोड कर नही दिखाई गई है।

१३. किसी कम्पनी के सचालक को दिया जाने वाला आवश्यकता से अधिक पारिश्रमिक।

१४ पूँजीगत व्यय अथवा पूँजीगत हानि।

१५ नकद साख (Cash credit) यदि वहीखातो मे किसी व्यक्ति का रुपया जमा है अथवा कोई विनियोग किया गया है परन्तु उसके लिए रकम कहाँ से प्राप्त हुई इसका ठीक ठीक प्रमाण करदाता के पास न हो तो आयकर अधिकारी उसे आय मान कर गत वर्ष की आय मे जोड सकता है।

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि पूँजीगत व्यय तथा पूँजीगत हानियाँ आय मे से नही घटाई जा सकती। अतएव पूँजीगत व्यय तथा व्यापारिक व्यय (revenue expenditure) मे अन्तर जानना आवश्यक है। आयकर विधान मे पूँजीगत व्यय की परिभाषा नही दी गई है अतएव उसका निर्णय कुछ मौलिक सिद्धान्तो तथा न्यायाधीशो के निर्णयो के आधार पर किया जाता है।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय मे सैद्धातिक रूप से निम्नलिखित प्रकार के व्यय आते हैं।

(१) किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिये किये गये खर्चे। उदाहरणार्थ, एक मशीन को खरीदने पर उससे सम्बन्धित कानूनी व्यय, भाडा, बीमा, मशीन लगवाने की मजदूरी। यदि पुरानी मशीन ली गई है और उसे चालू करने के लिये मरम्मत पर व्यय किया जाता है तो ऐसा व्यय पूँजीगत व्यय कहलाता है।

(२) किसी स्थायी सम्पत्ति मे किया जाने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी हैसियत बढ जाय जैसे किसी इमारत मे बिजली या सैनिटरी फिटिंग लगवाना। सामान्य मरम्मत को व्यापारिक व्यय माना जाता है।

(३) अश पूँजी अथवा अन्य प्रकार की पूँजी प्राप्त करने के लिये किया

हुआ खर्चा। उदाहरणार्थ अण्डर राइटर का कमीशन, कानूनी व्यय इत्यादि। उसपर दिया हुआ ब्याज तथा लाभांश व्यापारिक व्यय है।

(४) कम्पनी को चालू करने पर प्रारम्भिक खर्च (Preliminary expenses)।

यदि कारखाने अथवा कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाय तो उसका खर्चा पूँजीगत व्यय कहलायेगा।

(५) नई दूकान की सजावट इत्यादि पर किया हुआ व्यय।

(६) प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के कापी राइट को खरीदने पर किया हुआ व्यय।

[Hira lal Phool chand Vs C.I T. 1947]

निम्नलिखित प्रकार के व्यय व्यापारिक व्यय माने जावेंगे।

(१) यदि कोई व्यापारिक सस्था अपने व्यापारिक दायित्वो से छुटकारा पाने के लिये कोई व्यय करती है तो उसे व्यापारिक व्यय माना जावेगा। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को निकालने पर उसे दिया हुआ मुआविजा।

(२) यदि कोई भूमि व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है तो उसके स्वामित्व की रक्षा के लिए किया गया व्यय व्यापारिक व्यय माना जावेगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापारिक चिन्ह का उपयोग करता है तो उसके स्वामी द्वारा उसकी रक्षा के लिये किया हुआ व्यय, व्यापारिक व्यय माना जावेगा। [Central India Spinning Co Vs C I. T.]

(४) व्यापारिक चिन्ह की रजिस्ट्री कराने का खर्चा भी व्यापारिक व्यय है।

[Century Spinning and Weaving Co Vs C. I T.]

पूँजीगत हानि

व्यापारिक हानि को घटाने योग्य व्यय माना जाता है परन्तु पूँजीगत हानि को नहीं। निम्नलिखित प्रकार की हानि पूँजीगत हानि कहलाती है।

(१) किसी पूँजीगत सम्पत्ति (Capital asset) के नष्ट हो जाने से होने वाली हानि। जैसे मकान का जल जाना या बिजली से गिर जाना।

(२) डूब जाने वाला ऋण। यदि ऋणदाता कर्ज देने का काम करता है तो डूब जाने वाली रकम व्यापारिक हानि मानी जायेगी। अन्य लोगो के लिए यह पूँजीगत हानि है।

(३) यदि बैंक मे जमा करने के लिए ले जाते समय रुपया खो जाय तो इसे पूँजीगत हानि माना जावेगा। [Mul chand Hira La C I T]

परन्तु यदि मुनीम अथवा खजान्ची रुपये का गबन करता है तो उसे व्यापारिक हानि माना जावेगा। [Venkatachalapatery Iyer Vs C I T]

(४) दूकान से किसी पूँजीगत सम्पत्ति की चोरी पूंजीगत हानि है स्टाक की चोरी व्यापारिक हानि है। इसी प्रकार दूकान बन्द हो जाने के बाद की गई चोरी (नकद, स्टाक अथवा अन्य किसी वस्तु की) पूँजीगत हानि है।

(५) किसी एजेंसी या व्यापार की प्राप्ति के लिए यदि किसी को पेशगी रुपया दिया जाय और बाद मे यह रुपया डूब जाय तो इसे पूंजीगत हानि माना जावेगा।

औसत दर से मिलने वाली छूट

निम्नलिखित मदो पर औसत दर से छूट मिलती है अतएव उनको खर्चे के रूप मे नहीं घटाया जा सकता।

(१) धर्मार्थ चन्दा (Donations for charitable purpose)। चन्दे की रकम फाइनेंस एक्ट १९६२ के अनुसार कम से कम २५० रु० तथा अधिक से अधिक कुल आय का १० प्रतिशत अथवा २ लाख रुपया (जो भी कम हो) हो सकती है। कर देय वर्ष १९६२–६३ के लिये अधिकतम रकम आय का ७½% अथवा १ लाख ५० हजार रु० है।

करमुक्त आय

निम्नलिखित आय करमुक्त होने के कारण कुल आय मे नहीं जोडी जाती।

(१) आकस्मिक आय।

(२) पूँजीगत आय (इस पर कर निर्धारण अन्य प्रकार से होता है)

कर देय आय निकालने की विधि

व्यापारिक आय प्राय लाभ हानि खाते के रूप मे दी जाती है जिसमे आय तथा व्यय की रकमे दी रहती हैं तथा शुद्ध लाभ जिस पर कर लगना है दिया जाता है। आयकर के लिये इसमे कुछ सुधार करने पडते हैं। इसका कारण यह है कि लाभ-हानि खाते मे कुछ खर्चे की ऐसी मदे हो सकती हैं जो आयकर के अनुसार

स्वीकृत न हो, साथ ही साथ आय मे ऐसी रकमे हो सकती हैं जिन पर व्यापारिक लाभ के अन्तर्गत कर न लगता हो। कर देय आय निकालने की विधि सक्षेप मे इस प्रकार है।

१. लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ।

२ घटाइये—

(१) ऐसी आय जिस पर अन्य मदों के अन्तर्गत कर लगेगा। जैसे, गृह-सम्पत्ति की आय अथवा प्रतिभूतियो पर ब्याज।

(२) ऐसी आय जिस पर कर नही लगेगा, जैसे आकस्मिक आय।

(३) पूँजीगत आय।

(४) ऐसा कोई व्यय जिसको घटाया जा सकता है, परन्तु घटाया नही गया है।

३ जोडिये—

(१) न घटाने योग्य व्यय।

(२) स्वीकृत सीमा से ऊपर लिखा हुआ ह्रास।

(३) ऐसी आय जिसे सम्मिलित करना चाहिए, मगर जोडी नही गई है।

SUMMARY

Type of incomes included under the head.

1. Income from any business, trade, industry or profession.
2. Profit of managing agents
3. Compensation received by manager of an Indian Company for termination of his post or change in terms.
4. Compensation for termination of agency or change in the terms
5. Profit on sale of stock at the time of liquidation.
6. Share of profit in the firm received by a partner.
7. Bad debts recovered.

Partly business profits

1 Tea companies — 40 % of total profits

2 Sugar mills— Profit after deducting the profit fo sugar cane grown in own farm

Admissible expenditure

1 Rent and repairs to shop, if the shop is rented
2 Repairs only if the shop is owned
3 Other expenses on shop viz insurance premium
4 Any taxes paid on the shop
5 Current repairs to machinery
6 Insurance premium on machinery
7 Depreciation on machinery, building etc
8 Expenditure on scientific research
   (1) Current expenditure—the whole amount spent
   (2) Capital expenditure—in five equal instalments
9 Insurance of stock
10 Bonus or commission to any employee
11 Interest on capital borrowed
12 Contribution to recognised P F or approved Super Annuation Fund
13 Contribution to Gratuity Fund
14 Loss on death or disablement of animals used for the purpose of business
15 Transfer to special reserve from the profits, by a corporation supplying long term capital, upto 10% of total income
16 Bad debts actually written off
17 Entertainment allowance, to the extent of limits specified in the act
18 Expenses in connection with calebration of new accounting year to the extent of Rs 200
19 Any legal expenses in the normal course

20. Loss from embezzlement by cashier or employee of the shop
21 Compensation paid to retrenched employee, or agent
22 Commission for securing a contract
23 Suit filed for infringing trade mark

Expenses not allowed

1. Any tax on profit e g income tax
2 Any reserve e g reserve for bad debts, reserve for discounts etc
3 Salary payable outside India on which tax has not been deducted
4 Interest, salary, bonus, commission or remuneration paid by firm to a partner
5 Any benefit from company to a director, person with sustantial interest in company or his relation
6 Use of the assets of company by any of the above mentioned persons
7 Interest on loan payable outside India, if tax not deducted or not paid upon it by the receiver
8 Drawings or personal expenses
9 Rent of the shop owned
10 Interest on capital if not borrowed
11 Expenses of the appeal for income tax or sales tax
12 Amount of sales tax if not included in sale
13 Excessive remuneration paid to a director
14 Depreciation beyond the admissible limit
15 Any fine or penalty paid for non compliance of an order
16 *Brokerage for loans or under writing commission But* interest on loan is admissible
17 Loss of any capital asset through theft or fire etc
18 Loss of cash through robbery while being taken to bank
19 Gifts or presents given

20 Expenses of shifting a business

21 Special advertising expenses of a capital nature

22 Donation for charitable purpose

Practical Illustrations

Illustration 1

State whether the following expenses can be allowed as deductions

(1) Income tax
(2) Reserve for bad and doubtful debts
(3) Embezzlement by the cashier
(4) Contribution by the employer towards approved Super Annuation Fund
(5) Compensation paid under Workmen s Compensation Act
(6) Donation to a political party

Solution

(1) Income tax is not admissible as it is not a part of trade expenses
(2) Reserve for bad and doubtful debts is not admissible Actual bad debts are, however admissble expenditure
(3) It is admissible being a loss in the normal course of business
(4) It is admissible
(5) It is admissible being in the nature of normal expenditure in the course of business
(6) It is not admissible

Illustration 2

State how the following items will be dealt for the sake of income tax

1 A company spent Rs 50 000 on establishing a research laboratory within the mill and paid Rs 2000 on staff and stores for carrying on research during the year

2. A company issued shares worth Rs 1,00,000 at a discount of 5% and also paid 1% as under writing commission

3. X, the owner of a shop carries on business in his own house Half of the house is used for residential purpose Municipal valuation of the house is Rs 2000

4 A sum of Rs 400 which had been written off as bad debt during 1960 61 was recovered in 1961 62.

Solution

1 Deductions will be allowed in respect of Rs 10,000 (1/5 of capital expenditure Rs 50 000) and the whole of Rs 2000

2 No deductions will be allowed either in respect of discount on issue of debentures or under writing commission upon them

3. Half of the rental value after permissible deductions will be treated as income from property No account will be kept of the other half used for the shop

4 Rs 400 will be treated as income for the previous year 1961-62

Illustration 3

The following items are found debited to the Profit and Loss Account of a company for the year ended 31st December, 1960 Are these items deductible in computing the income of the company for income tax purposes, for the assessment year 962-63

(a) Rs 100 000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased

(b) Rs 10 000 commission paid by the company for securing a contract in the course of business

(c) Rs 20,000 bad debts written off These bad debts were sustained by the company in respect of loans advanced to customers and written off

(d) Rs 80,000 loans on shares written off The company had formed another company to take over its buying agency at Delhi and had taken up 80 shares of Rs 1000 each therein

The new company being un uccessful the amount of Rs 80,000 paid on shares was lost and hence written off

(Adapted from Agra – II Com 19 6)

Solution

[a] It is capital expenditure and hence not deductible

[b] It is deductible The amount has been spent in the normal course of business

[c] It is not deductible Granting loans to customers is not the part of business If it had been a banking firm the deduction would have been allowed

[d] It is not deductible as it is a capital loss

Illustration 4

Advise your cl ent about advisability or otherwise of the following claims, giving reason

(1) Loss of cash by an employee who was robbed on his way to deposit money in the assessee s bank

(2) Embezzelment of cash by an employee

(3) Compensation paid to an employee for premature termi nation of s rvice

(4) Amount spent in successful suit filed against another firm for infringing the assessee s trade mark

(5) Salary paid to an engineer for three months to supervise the erection of new machinery and plant

(6) Fees paid to an advocate in connection with a reference appl cation to High Court under Section 66 of Income Tax Act in respect of an earlier assessment

(7) Penalty paid to Customs Authorities for importing prohibited goods which yielded a large margin of profit

(8) Brokerage for raising a loan which was paid off during the accounting year

(9) Travelling expenses of Director who went to Europe to negotiate the purchase of new heavy machinery which was eventually installed during the next year.

(10) Cost of erecting a Medical Annexe to the factory for emergency treatment of the employees

(C A Nov 1956)

Solution

1 It is not deductible Such a loss is capital loss as it is not incidental to business [Mulchand Hira Lal Vs C I.T.]

2. It is admissible, as it is in the normal course of business

3 It is admissible It is assumed that removal of the employee was in the interest of business.

4. It is admissible, being in the normal course of business. [C I T Vs Purushottum Dass Thakur Dass]

5. It is not admissible as it is a capital expenditure.

6. It not admissible Any expenditure for making appeal against tax is not allowed as deduction

7 Not admissible Penalty for illegal act is not allowed as it is not paid in the normal course of business.

8 Not admissible, as it is capital expenditure.

9 Not admissible It is in the nature of preliminary expense and hence a capital expenditure.

10. Not admissible It is a capital expenditure.

Illustration 5

The income of an individual (a resident and ordinary resident) for the year ending 31st March, 1962 is as follows:

(a) Business profits (after setting off Rs. 5000 donation paid to a University and Rs 2000 life insurance premium) Rs 31,000

(b) Interest on tax-free Government Securities Rs 8000

(c) Dividend from a limited company which has paid tax on its entire income Rs 3000

Find out his total assessable income

(Adapted from B Com Agra 1956)

Solution

		Rs	Rs	Rs
1	Interst on Securities			8000
2.	Profits from business			
	Add—			
	Profits as per P L A/c		31000	
	Donations	5000		
	Life Insurance Premuim	2000	7000	38000
3.	Income from other sources—			4285
	Dividends (3000×10/7)			
	Total taxable income			50,285

Rebate—

1.	Life insurance premium	2000
2.	Donations (7½% of total income—Insurance Premium)	3621
		5621

Illustration 7

Following is the Profit and Loss Account of Shri Ram Gopal for the year ending 31st December, 1961 What will be his taxable income under the head "Profit from business"

	Rs.		Rs
Salaries	8300	Gross profit	40800
Travelling expenses	1600	Interest (trade)	200
Office expenses	1150	Commission	600
Insurance	450	Rent received	800
Stamp and Stationary	100	Interest on investment	600
Depreciation	1200		
Res. for bad debts	800		
Net profit	19200		
	43000		43000

Following further information was revealed

1. Office expenses include the price of typewriter purchased for Rs 800.
2. Depreciation allowable is Rs 900.

Solution

		Rs.
1. Net profit as per Profit and Loss Account		19200
Add expenditure not admissible		
Excess depreciation	300	
Reserve for bad debts	800	
Cost of typewriter (capital expenditure)	800	1900
		21100
Less—		
Rent received (taxable under property)	800	
Interest on investment (taxable under interest on Securities)	600	1400
Taxable income under Profits from Business		19700

Illustration 7

From the following Profit and Loss Account of Sri Ram Nath, a general merchant of Kanpur find out the taxable income under the head Profits and gains from business

	Rs		Rs
General expenses	11200	Gross profit	56500
Salaries and wages	8000	Profit on sale of Securities	2500
Loss through fire	8400	Misc receipts	400
Rent	400		
Contribution to P F	2600		
Legal expenses	2800		
Bad debts	300		
Donations	2000		
Interest on capital	600		
Repairs and renewals	2500		
Income tax reserve	1400		
Depreciation	3200		
Net profit	16000		
	59400		59400

The following further information was revealed

1 Legal expenses include Rs 500 in respect of appeal against the higher assessment of income tax during the past year.
2 The shop is the personal property of Sri Ram Nath
3. P F is unrecognised
4 Donations include Rs 800 paid to a political party
5 Admissible depreciation is Rs 3000
6. Loss through fire pertains to a portion of building

Solutoin

		Rs.
1. Profit as per Profit and Loss Account		16000
Add Expenses not allowed—		
(1) Loss through fire (capital exp.)	8400	
(2) Rent of self owned shop	400	
(3) Contribution to P. F. (being unrecognised)	2600	
(4) Legal expenses in connection with Income Tax appeal	500	
(5) Donations	2000	
(6) Depreciation in excess of permissible limit	200	
(7) Interest on capital	2500	
(8) Income tax reserve	1400	18000
Less—		34000
(1) Profit on Sale of Securities		2500
Taxable Income for Business Profit		31500

Illustration 8

Following is the Profit and Loss Account of % Company Ltd. for the year ending 31st March 1962.

	Rs.		Rs.
Salary	32000	Gross profit	163400
Office expenses	18400	Transfer fees	200
Travelling expenses	2600		
Interest & discount	1800		
Under writing commission	1200		
Directors, fee	2400		
Audit fee	800		

	Rs		Rs
Expenses on Scientific-Research	4800		
Donations	1200		
Depreciation including development rebate	14600		
Preliminary expenses	7500		
General Expenses	25000		
Income tax Reserve	2800		
Loss on investment	1303		
Net profit	47200		
	163 600		163,600

Compute the taxable income of the company for the assessment year 1962 63 after taking the following into consideration

1 Interest and discount includes Rs 1000 paid for discount on the issue of shares

2 Rs 4000 of the expenditure on Scientific Research is Capital Expenditure

3 Admissible depreciation is Rs 12000

4 Salary includes the following

(1) Rs 1000 paid to an employee as compensation for retrenchment

(2) Bonus paid to employees Rs 3600

(3) Contribution to Approved Gratuity Fund for employee. Rs 4000

5 Sales tax paid was Rs 7600 but the same had not been included in Gross Sales

Solution

			Rs.
1.	Profit as per Profit and Loss Account		163400
	Add Expenditure not allowed		
	(1) Discount on issue of shares	1000	
	(2) Under writing commission	1200	
	(3) Expenses on Scientific Reserch (4/5 of capital expenditure Rs. 4000)	3200	
	(4) Donations	1200	
	(5) Excess Depreciation	2600	
	(6) Preliminary expenses	7500	
	(7) Income tax reserve	2800	
	(8) Loss on investment	1300	20800
	Taxable Income		184200

Note :—1. Compensation paid to employee, bonus to employees and contribution to Gratuity Fund ■ admissible expenditure.

2. As the sales tax has not been included in the Gross sales no account will be made of the same. Sales tax is a permissible expenditure only when it is added to gross sales.

Illustration 9

Shri Radhey Lal, the proprietor of a flour mill has prepared the following P&L A/c for the year ending 31st March 1962 You are required to compute his total taxable income from business Also give reasons why you treat some of the expenses as in admissible.

Dr:	Rs		Rs Cr
To Trade Expenses	450	By Gross Profit	22400
,, Establishment charges	2200	,, Profit on sale of investments	2600
,, Rent, rates and taxes	1400		
,, House hold expenses	1850		
,, Discount & allowances	200		
,, Income tax	700		
,, Advertisement	450		
,, Postage telegrams	100		
,, Gifts and presents	125		
,, Fire insurance premium	250		
,, Charities	375		
,, Donations	400		
,, Repairs and renewals	250		
,, Loss on sale of motor car	1400		
,, Life insurance premium	850		
,, Reserve for bad debts	600		
,, Interest on capital	150		
,, Salaries	250		
,, Net profit transferred to capital account	13000		
	25000		25000

[Agra II Com 1951 Adapted]

Solution

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		13000
Add Expenditure not allowed —		
(1) House hold expenses	1850	
(2) *Income tax*	700	
(3) Gifts and presents	125	
(4) Charities	375	
(5) Donations	400	
(6) Loss on sale of Motor Car	1400	
(7) Reserve for bad debts	600	
(8) Interest on capital	150	
(9) Life insurance premium	*850*	*6450*
Less—		19450
(1) Profit on sale of Investment		2600
Taxable income		16850

Illustration 10

The following is the Manufacturing and P & L Account of a Sugar Mill Company for the year ending March 31, 1962

	Rs		Rs.
To Opening Stock	182000	By sales	24,51,500
" Cost of cane crushed	1257700	" Misc. receipts	6,700
" *Manufacturing exp*	798500	" *Closing stock*	366,000
" Repairs and renewals	40,700		
" Establishment charges	41 600		
" Miscellanous Expenses	17,800		
" Commission on Sales etc.	63,800		

	Rs		Rs.
,, Directors fees	1,600		
,, Auditors fees	2,000		
,, Managing Agents Allowance and Commission	78,600		
,, Depreciation written off	130,700		
,, Balance being Profit c/d	209,200		
	28,24,200		26,24,200
To Reserve Fund	25000	By Profit b/d	209,200
,, Reserve for Income Tax	90,000		
,, Balace c/d	94200		
	209,200		209,200

Prepare the companys assessment for the year 1962-63 after taking the following information into consideration.

(a) Cane crushed includes Rs, 154,000 the cost of cane grown on company's own farms, the average market price of the same being Rs. 196,000.

(b) Manufacturing expenses include.

(i) Rs. 426,000 for excise duty

(ii) Rs. 78,000 Spent on scientific Research as follows: Rs. 67,000 on Capital Expenditure on the fitting of a new Research Laboratory and Rs 11000 for current expenditure.

(c) Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards Employee's Provident Fund which is unrecognised.

(d) Misc expenses include Rs 50,000 for donation to local educational institutions and Rs 2000 for donation to public hospital where the company's employees are treated free

(e) Sugar worth Rs 1000 was distributed free which is included in the misc expenses

(f) Rs 15000, cost of additions to factory building has been charged to repairs and renewals

(g) Amount of Depreciation admissible according to rules work out at Rs 98200

(Adapted from Agra B Com. 1949)

Solution

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		2,09,200
Add Expenses not deductible	Rs	
(1) Contribution to P F (unrecognised)	3200	
(2) Excess Depreciation	32500	
(3) Expenditure on Scientific Research (4/5 of Capital Exp)	53600	
(4) Donations	5000	
(5) Sugar given in charity	1000	
(6) Addition to factory building	15000	110,300
Less—		319,500
Agricultural income		
Profit on cane (1,96,000—1,54,000)		42,000
Taxable income		2,77,500

Illustration 11

Following is the Profit and Loss Account of Assam Tea Co. for the year ending 31st December 1961. Calculate its taxable income for the assessment year 1962-63.

	Rs.		Rs.
To opening stock	1,50,000	By Sales	3,10,000
,, Manufacturing Exp.	1,20,000	,, Stock	70,000
,, Gross Profit	1,10,000		
	3,80,000		3,80,000
To Salary	10,800	By Gross Profit	1,10,000
,, Office expenses	7,200		
,, General expenses	6,900		
,, Advertising	8,100		
,, Establishment charges	17,500		
,, Land tax	6,000		
,, Research expenditure	8,000		
,, Commission on sales	8,400		
,, Sales tax	6,400		
,, Directors fee	2,000		
,, Audit fee	1,400		
,, Net Profit	27,300		
	110,000		1,10,000

1. 50% of research expenditure is capital in nature.
2. Sales Tax has not been included in total sales.
3. Establishment charges include Rs. 5000 paid in connection with shifting of a plant.

Solution

		Rs
Profit as per profit and Loss Account		27,300
Add Expenses not allowed		
1 4/5 of capital exp on research (4/5×4000)	3200	
2 Sales Tax	6400	
3 Expenses of shifting the plant	5000	14,600
		41,900
Less—		
1 60% of 41900, being Agr income		29,140
Taxable income from business		12,760

Illustration 12

From the following Profit and Loss account of a merchant for the year ended 31st March 1962 find his taxable income from business

		Rs		Rs
To Office Salaries		7220	By Gross profit	27635
,, General Expenses		2640	,, Interest on Govt. Securities	1460
,, Interest—				
Bank loan	480		,, Discount	365
Capital	1580	2060	,, Bad debts recovered	640
,, Fire insurance charges		775	,, Profit on sale of investment	750
,, Reserve for bad debts		835		
,, Audit Fee		400	,, Sundry receipts	350
,, Income tax		1760		
,, Charity		485		
,, Law charges		370		
,, Compensation to retrenched employee		1500		
,, Rent		1155		
,, Net profit		12000		
		31200		31200

In computing the income following facts should be taken into consideration

(a) In the item of rent Rs 600 is included in respect of the rent of office building which belongs to the proprietor himself

(b) In the amount of salaries Rs 320 is included in respect of employer's contribution to P F which is recognised

(c) General expenses include Rs 350 in respect of cost of new furniture purchased during the year

(d) Amount of depreciation allowance according to rules on the assets used for business purpose is worked out at Rs 1475

Solution

		Rs
Profit as per profit and Loss Account		12000
Add Expenses not admissible		
	Rs	
(1) Interest on capital	1580	
(2) Reserve for bad debts	835	
(3) Income tax	1760	
(4) Charity	485	
(5) Rent (building being self owned)	600	
(6) Cost of furniture	350	5610
		17610
Less—		
(1) Interest on Securities	1460	
(2) Profit on Sale of Investment	750	
(3) Depreciation (not included)	1475	3685
Taxable income		13925

Illustration 13

Given below is the Profit and Loss Account of the Bhatia Cotton Mill Co for the year ended 31st December 1961

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1961	17,82,105	Sales	61,90,327
Cotton consumed	25,83,685	Rent of Staff Quarters	25,362
Manufacturing expenses	9,45,395	Stock 31st Dec 1961	13,59,480
Wages and salaries	8,65,972		
Marketing	61,215		
Insurance	27,156		
Establishment	2,79,762		
Welfare expenses	17,825		
Balance c/d	10,12 054		
	75,75 169		75,75,169
Directors fee	2500	Balance b/d	10,12,054
Auditors fee	2500	Transfer fees	1500
Law charges	3250		
Interest	105,250		
Repairs to building and machinery	14,640		
General charges	25,875		
Managing agents	60,420		
Contribution to War Fund	10,000		
Contribution to Staff P F.	20,000		
Debenture Sinking Fund	25000		
General reserve	100000		
Taxation reserve	300000		
Balance	344,119		
	10,13,554		1013554

You are required to compute company's taxable income from business and also its total income for the year 1961 after taking into consideration the following informations

(a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pucka well built for the use of company workmen

(b) Insurance Rs 1000, Repairs Rs 3750 and Municipal taxes Rs 2150 (included in General charges were in respect of staff quarters

(c) Law charges amounting to Rs 1500 were incurred in connection with additional land purchased during the year

(d) The staff P F is recognised

(e) Amount of depreciation allowable = Rs 264,325

(Adapted from Agra B Com 1942)

Solution

			Rs
Profit as per profit and Loss Account			3,44,119
Add Expenses not admissible			
		Rs	
(1) Contribution to war fund		10 000	
(2) Debenture Sinking Fund		25,000	
(3) General Reserve		1,00,000	
(4) Taxation Reserve		3,00,000	
(5) Cost of well		825	
(6) Law charges		1500	
(7) Expenses on staff quarters			
(i) Insurance	1000		
(ii) Repairs	3750		
(iii) M. Tax	2150	6900	4,44,225
			788,344
Less—			
(1) Rent of staff quarters		25,362	
(2) Depreciation		264,325	2,89,687
Taxable income from business			4,98,657

Statement of Total income—

1 Income from property—			
Annual value—			
Rental value	25362		
Less ½ M Tax	1,075	24287	
Less—			
Repairs (1/6 of A.V.)	4048		
Insurance	1000	5048	19239
2 Profits from business			498,657
Total taxable income			5,17,896

Illustration 14

Mr Z requests you to ascertain his total assessable income and his income from business His profit and loss account for the year is as follows

	Rs		Rs
To Salaries (including Z's salary Rs 2400	8400	By Gross profit	35000
„ Office Expenses	1500	„ Interest on Securities	1400
„ Reserve for doubtful debts	1200		
„ Fire insurance premium	300		
„ Bad debts	500		
„ Rent	3000		
„ Advertising	1000		
„ Income tax	600		
„ Disconut	800		
„ Loss on sale of furniture	125		
„ Interest on bank over draft	350		

	Rs.		Rs.
,, Interest on Z's Capital	450		
,, Depreciation allowable	400		
,, Net Profit transferred to capital account	17775		
	36400		36,600

There is a carried forward business loss of Rs. 1560 from the last assessment year.

(Patna B. Com. 1948)

Solution

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		17,775
Add Expenditure not allowed.		
	Rs.	
(1) Z's Salary	2400	
(2) Reserve for bad debts	1,200	
(3) Income Tax	600	
(4) Loss on sale of furniture	125	
(5) Interest on Capital	450	4,775
		22,550
Less—		
Interest from Securities		1,400
Taxable Income from business		21,150

Statement of Total income—

		Rs.
1. Interest on Securities (1400 × 10/7)		2000
2. Profit from business	2,150	
Less loss carried forward from last year	1,560	19590
Total Taxable income		21,590

प्रश्न

1. What deductions are allowed to business in computing the profits. Specify the expenses disallowed.
(Agra B. Com. 1944, 1954)

2. In what circumstances are the following items allowed as deduction in computing the taxable income from business.
   (a) Repairs.
   (b) Insurance premium.
   (c) Interest.
   (d) Legal charges
   (e) Depreciation of investment.
(Agra B. Com. 1950)

. Define business and state the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business.
(Raj B. Com. 1960)

९

ह्रास

[Depreciation]

'ह्रास' की कोई परिभाषा आयकर विधान मे नही दी गई है, परन्तु बही-खाता प्रणाली के सिद्धान्तो के अनुसार ह्रास से तात्पर्य उपयोग के कारण किसी सम्पत्ति मे होने वाली घिसावट से है। ह्रास प्राय इमारतो, मशीनरी, कल, तथा फरनीचर पर प्रदान किया जाता है। 'ह्रास' की उत्पत्ति सम्पत्ति के प्रयोग से उसमे होने वाली घिसावट के कारण होती है। यदि बाजार भाव गिर जाने से किसी सम्पत्ति का दाम गिर जाय तो उसे ह्रास नही माना जावेगा। इसीलिए स्टाक, तथा प्रतिभूतियो पर ह्रास नही काटा जाता।

ह्रास का अधिकार किसे है

ह्रास का अधिकार केवल सम्पत्ति के स्वामी को होता है। यदि किसी व्यक्ति ने लीज पर किसी मशीन अथवा इमारत को लिया है, तो उसे ह्रास काटने का अधिकार न होगा। ह्रास की रकम को उसका मालिक ही घटा सकता है। यदि कर दाता ने दूसरे की सम्पत्ति मे कोई पूँजीगत व्यय किया है तो भी उसे ह्रास काटने का अधिकार न होगा। [Poona Electric Co Vs C I. T.]

यदि कोई सम्पत्ति हायर परचेज (Hire Purchase) प्रणाली के आधार पर ली गई है तो उसके सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

(१) प्रसंविदे की नकल आयकर अधिकारी को दिखलाई जाय।

(२) इस पर दो प्रकार की कटौती मिलती है। पहला, हायर परचेज का व्यय और दूसरा ह्रास। इसका निर्णय इस प्रकार होगा।

जो भी चीज हायर परचेज पर दी जाती है, उसका मूल्य नकद दाम (Cash price) से अधिक रक्खा जाता है। इन दोनो का अन्तर ही हायर परचेज का व्यय समझना चाहिए। नकद मूल्य का उपयोग ह्रास काटने के लिए होता है। उदाहरणार्थ, एक मशीन १० ००० रु० मे हायर परचेज के आधार पर क्रय की गई उसका तात्कालिक बाजार भाव ९५०० रु० है। भुगतान ५ साल मे बराबर किश्तों मे किया जाता है। ऐसी दशा में ५०० रु० हायर परचेज का व्यय है जो ५ साल तक बराबर-बराबर (प्रतिवर्ष १०० रु०) घटाने योग्य व्यय माना जायेगा। ह्रास ९५०० की रकम पर कटेगा।

(३) यदि कोई सम्पत्ति किश्त के आधार पर (Instalment Payment System) खरीदी गई है, तो समस्त मूल्य पर ह्रास काटा जायेगा। किश्त के आधार पर खरीदने म सम्पत्ति पर क्रेता का अधिकार पहली किश्त से हो जाता है तथा विक्रेता बकाया रकम का दावा तो कर सकता है, परन्तु सम्पत्ति को वापस नहीं ले सकता।

विभिन्न प्रकार के ह्रास

ह्रास के नियमो मे समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। अभी तक भारत मे निम्नलिखित प्रकार के ह्रास प्रदान किय गये हैं।

१ सामान्य ह्रास (Normal Depreciation)

यह ह्रास समस्त सम्पत्तियों पर निश्चित दरों से काटा जाता है।

२ अतिरिक्त पाली का भत्ता (Extra-shift Allowance)

कुछ मशीने एक से अधिक (दो या तीन) पाली मे काम करती हैं। निश्चित ही उनमे घिसावट अधिक होती है। इसलिए उन पर सामान्य ह्रास के अतिरिक्त और भी छूट मिलती है। इस भत्ते की दरें इस प्रकार हैं।

कर देय वर्ष १९५३-५४ तक

(क) दो पाली के लिये—सामान्य ह्रास का ५०%

(ख) तीन पाली के लिए—सामान्य ह्रास का १००%

यदि दो या तीन पाली का काम वर्ष के कुछ ही महीने हुआ है तो वर्ष ३०० दिन का माना जावेगा। इस दशा मे अतिरिक्त ह्रास का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

दो शिफ्ट के लिए—

$$\text{वर्ष भर का सामान्य ह्रास} \times \frac{\text{दो शिफ्ट चलने का समय}}{३००} \times \frac{५०}{१००}$$

तीन शिफ्ट के लिए—

$$\text{वर्ष भर का सामान्य ह्रास} \times \frac{\text{तीन शिफ्ट चलने का समय}}{३००} \times \frac{१००}{१००}$$

कर वेय वर्ष १९५४-५५ से—इस वर्ष से अतिरिक्त पाली के भत्ते मे परिवर्तन कर दिया गया है। अब दो पाली तथा तीन पाली का भेद समाप्त कर दिया गया है। तथा दोनों के लिए सामान्य ह्रास का आधा प्रदान किया जायेगा। अब यदि कोई कारखाना १०० दिन २ शिफ्ट तथा अन्य १०० दिन तीन शिफ्ट चले तो अतिरिक्त शिफ्ट का भत्ता (सामान्य ह्रास × $\frac{२००}{३००}$ × $\frac{१}{२}$) के बराबर होगा।

३. अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation)

यह ह्रास ३१ मार्च १९४८ से ३१ मार्च १९५६ तक दिया गया। यह ह्रास इमारतों तथा मशीन पर दिया जाता था। यह सामान्य ह्रास के बराबर होता था तथा जिस वर्ष इमारत बनाई गई हो या मशीन खरीदी गई हो उसमे ५ साल तक लगातार दिया जाता था।

४. प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)

यह १ अप्रैल १९४६ तथा ३१ मार्च १९५६ के बीच मे दिया गया। यह ऐसे मकानों तथा मशीनों पर दिया जाता था, जिन पर डेवलपमेट रिबेट प्राप्त नही था। यह छूट केवल प्रथम वर्ष तक ही प्राप्त थी। इसकी दरें इस प्रकार थी।

(i) उन इमारतो पर जो १ अप्रैल १९४६ तथा ३१ मार्च १९५६ के बीच बनाई गई —लागत का १५%

(ii) अन्य इमारतो पर —लागत का १०%

(iii) मशीनो पर —लागत का २०%

३१ मार्च के बाद बनाई हुई निम्नलिखित प्रकार की इमारतो पर प्रारम्भिक ह्रास २०% की दर से दिया जावेगा।

(१) नियोक्ता द्वारा २०० रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के निवास के लिए बनवाये हुये भवन।

(२) ऐसे कर्मचारियों के लिए बनवाये हुए अस्पताल, स्कूल, कैन्टीन, पुस्तकालय के भवन।

२ डेवलपमेंट रिबेट (Development Rebate)

इस प्रकार की छूट औद्योगिक विकास के लिए नई मशीनों के लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। इसलिए इस प्रकार की छूट केवल उन्हीं मशीनों अथवा जहाजों पर दी जाती है जो नई नई लगाई गई हों। मशीनों में आफिस की मशीनें तथा मोटरें सम्मिलित नहीं हैं। [३३ (१)] यदि कोई पुरानी मशीन की मरम्मत करवा कर उसे लगवाता है तो इस प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। इस प्रकार की छूट उन मशीनों तथा जहाजों पर प्राप्त है जो ३१ मार्च १९५४ के बाद में खरीदे गये हैं तथा पूर्णतया व्यापार के काम में ही लाये जाते हैं।

छूट की दरें इस प्रकार हैं--

(१) वे जलपोत (Ship) जो १ अप्रैल १९५४ तथा ३१ दिसम्बर १९५७ के बीच में खरीदे गये हैं—४०%

(२) वे जलपोत (Ship) जो इसके बाद में खरीदे गये—२५%

(३) मशीनें जो १ अप्रैल १९५४ तथा १ अप्रैल १९६१ के बीच में लगाई गई—२५%

(४) मशीनें जो इसके बाद में लगाई गई—२०%

सामान्यतः डेवलपमेंट रिबेट केवल पहले साल मिलती है, परन्तु यदि पहले साल इतना लाभ न हो कि समस्त रिबेट की रकम घटाई जा सके तो जितनी रकम इस प्रकार घटाने से बच रहती है उसे अगले साल ले जाया जाता है तथा अगले साल के लाभ से घटाया जाता है। इस प्रकार उसकी रकम को ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है।

'डेवलपमेंट रिबेट' निम्नलिखित शर्तों पर मिलती है।

(१) गत वर्ष में 'डेवलपमेंट रिबेट' का ७५% लाभ हानि खाते में 'डेबिट' किया गया हो तथा विशेष रिजर्व के खाते में क्रेडिट किया गया हो, तथा उसे ८ साल

तक न तो लाभ के रूप मे बाँटा जाय और न भारत के बाहर लाभ के रूप मे या किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिए भेजा जाय। [३४ (3a)]

यह नियम निम्नलिखित दशाओं मे नहीं लागू होगा

(क) यदि करदाता बिजली कम्पनी है तथा उसे १९४८ के अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स मिला है।

(ख) यदि जलपोत अथवा मशीन १ जनवरी १९५८ के पहले ली गई है।

(२) गत वर्ष (जिसमे कि मशीन ली गई है) के बाद ८ साल तक उसे हस्तान्तरित न किया जाय। [३४ (३ b)]

यह नियम निम्नलिखित दशाओ मे न लागू होगा।

(१) यदि जहाज अथवा मशीन १ जनवरी १९५८ से पहले ली गई है।

(२) यदि बिक्री अथवा हस्तातरण सरकार, स्थानीय सस्था, सरकारी कम्पनी अथवा सरकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कारपोरेशन को किया गया है।

(३) यदि हस्तातरण उत्तराधिकार अथवा समामेलन (Amalgamation) के कारण हुआ है।

६. अशोपित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी वर्ष व्यापार मे हानि हो अथवा लाभ कम हो तो ह्रास के द्वारा मिलने वाली आयकर की छूट नही मिल पाती। वास्तव मे ह्रास की रकम आय की रकम को कम कर देती है। इस प्रकार उस पर कर की रकम कम हो जाती है और करदाता को उस सीमा तक लाभ होता है। परन्तु यदि आय 'कर मुक्त-सीमा' (exempted limit) के बराबर है तो उस पर कोई कर योंही नही पडेगा। इससे ह्रास की रकम घटाने से कर दाता कोई छूट नही मिलेगी। अतएव जब आय शून्य हो जाती है तो उसमे ह्रास की रकम घटाने से कोई लाभ नहीं होता और जो ह्रास की रकम इस प्रकार बच जाती है उसे 'अशोपित ह्रास' कहते हैं।

अशोपित ह्रास की रकम को उसी वर्ष आय के अन्य साधनो से अपलिखित किया जा सकता है। परन्तु यदि आय के अन्य साधन न हो, या उनमे आय की

रकम इतनी न हो कि पूरी ह्रास की रकम घटाई जा सके तो उसे अगले साल ले जाया जाता है तथा अगले वर्ष उसी साधन की आय अथवा अन्य किसी आय से घटाया जाता है। परन्तु यदि वह व्यापार बन्द हो जाय तो ह्रास की रकम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि ह्रास के साथ साथ व्यापार की हानि को भी आगे बढ़ाया गया तो हानि की रकम को पहले अपलिखित किया जावेगा, बाद में हानि की रकम को।

७ अन्तिम ह्रास (Balancing Depreciation)

यदि कोई मशीन या भवन बेकार हो जाय, या नष्ट हो जाय या घिस जाने से काम के लायक न रह जाय तो उसे प्राय बेच दिया जाता है। ऐसी दशा में उसका मलवा (Scrap) बचने से कुछ दाम वसूल हो जाते हैं। यदि मशीन या भवन आग इत्यादि लगने से नष्ट हुई है तो बीमा कम्पनी से कुछ रुपया वसूल हो सकता है। ऐसी दशा में ह्रास की रकम सम्पत्ति के खातो में लिखे हुए मूल्य तथा प्राप्त होने वाली रकम के अन्तर के बराबर माना जायगा। ऐसा भी सम्भव है कि प्राप्त होने वाली रकम खातो मे लिखे मूल्य से अधिक हो। ऐसी दशा में इस अधिक रकम को साधारण आय माना जावेगा और उस पर कर लगेगा। यदि प्राप्त होने वाली रकम क्रय मूल्य में भी अधिक है तो उस आधिक्य को पूंजीगत आय माना जावेगा तथा उस पर कर नहीं लगेगा।

अन्तिम ह्रास (Balancing Depreciation) निकालने की विधि इस प्रकार है।

१ लागत में उस तारीख तक अपलिखित ह्रास (प्रारम्भिक ह्रास को भी मिला कर) घटाओ। यदि ह्रासित शेष (W. D V) दिया है तो उसमे प्रारम्भिक ह्रास (Initial depreciation) यदि कोई हो तो उसे घटाओ।

२ इस नव ह्रासित मूल्य में बिक्री का दाम घटाओ। यही अन्तिम ह्रास होगा।

३ यदि विक्रय मूल्य ह्रासित मूल्य से अधिक है तो उतनी रकम पर कर लगेगा। इसे Balancing charge कहते हैं।

४ यदि विक्रय मूल्य लागत से भी अधिक है तो अधिक्य पूंजीगत आय (Capital gain) कहलाएगी। तथा लागत और ह्रासित शेष के अन्तर पर कर लगेगा।

८. ह्रासित शेष (Written Down Value)

आय कर की गणना जिस रकम पर की जाती है उसे ह्रासित शेष कहा जाता है। आय कर विधान १९६१ के अनुसार ह्रासित शेष के सम्बन्ध में नियम इस प्रकार है।

(१) यदि सम्पत्ति गत वर्ष मे ही प्राप्त की गई है तो उसकी लागत ही ह्रासित शेष होगी। [४३ (६–a)]

(२) यदि सम्पत्ति गत वर्ष से पहले प्राप्त की गई हो तो लागत मे उस समय तक के स्वीकृत ह्रास की रकम घटाने से ह्रासित शेष प्राप्त होगा। [४३ (६ b)]

(३) यदि व्यापार उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ है तो उत्तराधिकारी के लिए ह्रासित शेष वही रकम होगी जो पूर्वाधिकारी के लिए होती।

(४) यदि कोई सम्पत्ति किसी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी (Subsidiary) को हस्तान्तरित कर दी जाती है, तो सहायक कम्पनी के लिए ह्रासित मूल्य वही होगा जो प्रमुख कम्पनी के लिए था।

(५) यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न होने के कारण ह्रास की रकम आगे बढाई जाय तो ऐसी रकम को भी 'स्वीकृत ह्रास' मान लिया जावेगा और उसे पिछले ह्रासित शेष मे घटा दिया जायेगा। उदाहरणार्थ, ३१ मार्च १९६१ को किसी मशीन का ह्रासित शेष २५०० रू० था। उस पर १०% कर लगता है परन्तु पर्याप्त लाभ न होने के कारण २५० रु० की रकम १९६०-६१ मे नही घटाई जा सकी तथा उसे अगले वर्ष मे ले जाया गया। फिर भी १९६१-६२ के लिए ह्रासित शेष २५००–२५०=२२५० रु० ही होगा तथा ह्रास इसी रकम पर लगाया जावेगा।

डेवलपमेंट रिबेट तथा प्रारम्भिक ह्रास (Initial depreciation) ह्रासित शेष निकालने के लिए नही घटाए जाते है। उसमे केवल सामान्य ह्रास, अतिरिक्त पालो की की छूट तथा अतिरिक्त ह्रास ही घटाए जाते हैं।

सक्षेप में,

ह्रासित शेष = लागत अथवा पुराना ह्रासित मूल्य

घटाया–(१) सामान्य ह्रास।

(२) अतिरिक्त पाली की छूट।

(३) अतिरिक्त ह्रास।

ह्रास की दरें (Depreciation rates)

विभिन्न सम्पत्तियों पर ह्रास की निश्चित दरें इस प्रकार हैं।

इमारत—

(१) प्रथम श्रेणी	२½%
(२) द्वितीय श्रेणी	५%
(३) तृतीय श्रेणी	७½%
(४) अस्थायी। कोई स्थायी दर नहीं। नवीनीकरण का खर्च मान्य होता है। कारखाने के लिए ह्रास की दरें दूनी हैं।	

फरनीचर इत्यादि—

(१) सामान्य	१०%
(२) होटल, सिनेमा, बोडिंग इत्यादि में प्रयुक्त	१५%

मशीन और कल—

(१) सामान्य	७%
(२) आटा, चावल हड्डी, शक्कर, बर्फ, दियासलाई, चाय तथा जूते के कारखाने	९%
(३) कागज, दफ्ती, जहाज (जल) लोहा, ताँबा, तेल, मोटर की मरम्मत, सीमेंट के कारखाने	१०%
(४) रबड़ और प्लास्टिक के कारखाने	१२%
(५) सिल्क के कारखाने	१२%
(६) नमक के कारखाने	१५%
(७) बिजली की मशीनें—	
बैटरी	२०%
अन्य मशीनें	१०%
(८) सिनेमा की फिल्म के कारखाने	२०%
(९) बिजली की रेलें	६%
(१०) हवाई जहाज	३०%

(११)	सूती मिल	१०%
(१२)	जूट की मिलें	६%
(१३)	ऊनी मिलें	१०%
(१४)	ट्यूबवेल खोदने की मशीने	१२%
(१५)	गणना करने की मशीन, टाइप मशीन, अन्य मशीने	१५%
(१६)	मोटर कार	२०%
(१७)	चीर फाड के औजार	१५%
(१८)	शकर बनाने के कोल्हू	१८%
(१९)	मोटर टैक्सी	२५%
(२०)	रेलवे लाइन	७%
(२१)	शीशे के कारखाने	२०%
(२२)	बाग म प्रयोग होने वाले टैक्टर	२५%
(२३)	मोटर ट्रक	२५%

Depreciation

Type of Dep	Period when applicable	Assets upon which allowed	Rate
1 Normal	All times	All assets subject to depreciation and used for business or industry	Prescribed rates for different assets
2 Extra Shift allowance	All times	All plant, machinery, building etc *except following* x'ray apparatus, weighing machines, office machines, typewriter, wireless sets, Motor taxies, motor lorries, buses cars, cycles, aircraft, railway siding	Double Shift & Triple shift 50% of Normal Dep
3 Additional Dep	Assessment year 1949-50 to 1958-59	New building and new plant for 5 years	Equal to Normal Dep single shift

1	2	3	4	5
4	Initial Dep	Assessment year 1946-47 to 1955-56	Building, and machinery specially office equipment etc not entitled to Development rebate Available for 1 year when asset is purchased or constructed	Buildings—Constructions between 1 4 46—31 3 56, 15% other buildings 10% ; Machinery & Plant 20%
		Assessment year 1962 63 to—	1 Buildings for low paid employees with salary less than Rs. 200 p m built by the employer 2 Hospital, School, canteen, library etc. for them Construction after 31 3 61	20% of cost
5	Development rebate	Assessment year 1955 56—	1 Machinery & Plant 2 Ships [office machines and motor cars etc not included]	Plant installed-1 4 54 31. 3 61, 25% After this, 20% Ships, bought 1 4 54-31 12 57, 40% After this 25%
6	Balancing Dep	All times (Available when the asset is sold, distroyed or discarded)	All assets upon which depreciation is allowed	(Cost—Dep including initial dep) Less sales price. or (W.D V —Initial dep if any) Less sales price If sales price is more it will show a profit and subject to income tax

Practical Illustrations

Illustration 1

A factory installs a new plant worth Rs 40,000 on 1st July, accounts being closed on 31st December each year What would be total depreciation allowable if the plant is purchased during (a) 1957 (b) 1958 (c) 1961 Rate of normal depreciation is 10%

Solution

If purchased in 1957

	Rs
Normal depreciation—10% of 40,000 for 6 months	2000
Additional depreciation—Equal to Normal dep	2000
Development rebate 25% of 40,000	10 000
Total	14,000

If purchased in 1958

Normal depreciation	2000
Development rebate	10,000
	12,000

If purchased in 1961

Normal depreciation	2000
Development rebate 20% of 40,000	8,000
	10,000

Illustration 2

An assessee established a new industry on 1st Jan 1961 for which he purchased a new machinery for Rs 50,000 and new furniture for Rs 10,000 He also purchased a second hand machinery for Rs 20 000 on 1st April, 1961 His accounting year ends on 31st December each year Find the allowable depreciation for the assessment year 1962-63 and written down value for 1963 64 taking the rate of normal depreciation to be 10% on machinery and 6 per cent on furniture

Solution

	Asset	*W. D. V. for 1962-63*	*Rate*	*Period*	*Dep.*	*W.D.V. for 1963-64*
1.	Machinery (New)	50,000	10%	1 year	Rs. 500	50,000 − 5000 45,000
2.	Machinery (Second hand)	20,000	10%	9 months	1500	20,000 − 1,500 18,500
3.	Furniture	10,000	6%	1 year	600	10,000 − 600 9400
					7100	
4.	Development rebate on *New Machinery*	50,000	20%		10,000	
				Total	17,100	

Illustration 3

From the following particulars regarding the assets of a Jute Mill Co. for the year ending 31st March, 1962, calculate the allowable depreciation for the assessment year 1962-63.

Buildings—

First class factory W. D. V. on 1. 4. 61	Rs. 80,000	@ 5%
Additions on 15. 10. 61	Rs. 40,000	
First class non-factory W. D. V.	Rs. 50,000	@ 2½%

Plant and Machinery—

Old machinery W. D. V. 1. 4. 61	Rs. 1,00,000	@ 10%
Additions (New) 1. 10. 61	Rs. 50,000	
Additions (Second hand) 1. 1. 62	Rs. 40,000	

Furniture—

Old W. D V. on 1. 4. 61	Rs 10,000	6%
Additions on 1. 10. 61	Rs. 2,000	

Also calculate the W. D V. in each case.

Solution

Asset	*W D V. 1. 4. 61*	*Rate*	*Period*	*Amt*	*W D V. 1 4 62*
Building					
Old	80,000	5%	1 year	4000	72,000
New (cost)	10,000	5%	6 months	250	9,750
Non-factory	50,000	2½%	1 year	1250	48,750
Plant and Machinery					
Old	2,00,000	10%	1 year	20,000	1,80,000
Additions (New)	50,000	10%	6 months	2,500	47,500
Additions (Second hand)	40,000	10%	3 months	1000	39,000
Furniture :					
Old	10,000	6%	1 year	600	9,400
Additions	2,000	6%	[illegible] months	60	1,940
Development rebate on New Plant	50,000	20%		10,000	—

Illustration 4

From the following information calculate the total depreciation allowable for the assessment year 1962-63.

1. Building (First class) W D.V. 40,000 Rate 5%
   Additions 1-7-61 10,000

2	Furniture	W D V.	8,000	Rate	6%
	Additions 1-4-61		1200		
3	Machinery	W.D V.	30,000	Rate	10%
	Additions 1 10-61		10,000		

Accounting year ends on 31st December each year

Solution

	Asset	W D V (1-1 61)	Rate	Period	Dep Rs	W. D. V. (1-1-62)
1	Building—					
	Old	40,000	5%	1 yr	2,000	38,000
	Addition	10,000		6 months	250	9,750
2	Furniture—					
	Old	8000	6%	1 yr	480	7,520
	Additions	1200		9 months	54	1,146
3	Machinery—					
	Old	30,000	10%	1 yr	3000	27,000
	Additions	10,000		3 months	250	9,750
4	Develop rebate	10,000	25%	1 yr.	2500	

Illustration 5

A factory has machinery W D V 20,000 on 1st April, 1961 On the same date additions worth Rs 10,000 are made to it in the form of a new plant The factory worked double shift for 100 days and triple shift for another 100 days What will be depreciation and development rebate allowable for the year ending 31st March 1962. Rate of depreciation is 10%

Solution

1. Normal Depreciation—

Old Machinery	2,000	
New Machinery	1,000	3 000

2 Extra shift allowance—

$$3000 \times \frac{200}{300} \times \frac{1}{2} \qquad 1000$$

4000

3. Development rebate—

20% on Rs 10,000 — 2,000

Illustration 6

A Jute Mills Co , closes its books on 31st December, each year. From the following information workout the amount of depreciation admissible for 1962 63 assessment year.

Total cost of machinery upto 31st December, 1961 is 9,00,000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1960 Rs 1,00 000 and on 1st January 1961 Rs. 2,000,00 The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including 1961-62 assessment year is Rs. 1,50,000 The rate of depreciation on the asset is 10% In the year 1961 the whole of the machinery w. s employed for double shift working for 100 days and triple shift for another 100 days.

[Raj B Com 1955-Adapted]

Solution

1. Normal Depreciation

		Rs	Rs
1	Old Machinery W. D V. 5,50,000 @ 10%	55,000	
2	New Machinery cost 2,00,000 @ 10%	20,000	75000

2. Extra shift Allowance

$$\frac{200}{300} \times \frac{1}{2} \times 75000 \qquad 25,000$$

3 Development rebate—

New Machinery @ 25% on 2,00,000 — 50,000

1,50,000

Illustration 7

From the following particulars work out the amount of depreciation admissible for the assessment year 1962-63 to K Engineering Co which closes its books of account on 31st December each year

(a) Machinery—Total cost upto 31st December 1961 Rs 4,50 000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1958 Rs 50,000 and on 1st January 1961 Rs 1,00,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this sum upto and including 196 -62 assessment is Rs 1,00 000 The rate of depreciation on this asset is 10% In the year 1961 the whole machinery was employed double shift for 100 days and triple shift for another 100 days

b) Building—Total cost upto 31st Dec 1961, Rs 300,000 which includes the cost of additions made on 1st Jan 1961 Rs 75,000 and on 1st July, 1961 Rs 25,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including 1961 62 assessment is Rs 75 000 The rate of depreciation is 2½%

[Raj B Com 1953—Adapted]

Solution

1 Normal Depreciation (Plant)

Old machinery W D V

2,50,000 @ 10%	25,000	
New machinery cost 1,00,000 @ 10%	10,000	35,000

2. Extra shift Allowance

$35000 \times \frac{200}{300} \times \frac{1}{2}$ 11,667

3 Building—

Old building W D V 2,00,000 @ 2½%	5000	
New building cost 25,000 @ 2½% (for 6 months)	312	5312
		51,979

4 Development rebate

New machinery @ 25% on 1,00,000	25,000

Illustration 8

A company started new business in Jan 1958 and purchased a second hand plant at the cost of Rs 40, 00 and a new plant costing Rs 60,000 on July 10, 1958 In September 1961 both the plants were sold out for Rs 70 000 Calculate the depreciation allowable for all these years assuming that Rs 500 remained unabsorbed during the assessment year 1960-61 Rate of Depreciation is 10% and books are closed on 31 Dec each year

Solution

Assessment year	Amt	W D V
1959 60		
Normal Depreciation on Rs 1,00,000 for 6 months @ 10%	5,000	
Development rebate on New plant on Rs 60 000 @ 25%	15,000	95,000
	20,000	
1960-61		
Normal Depreciation on Rs 95,000 @ 10%	9,500	
Less Amount unabsorbed	500	85,500
	9,000	

1961-62

Normal Depreciation on Rs 85,500 @ 10%	8,550	
Add amount unabsorbed last year	500	76,950
	9,050	

1962-63

Balancing Depreciation (76950—70,000)	6,950

Illustration 9

A machinery cost Rs 2,00,000 Its, written down value on 31st Dec 1961 ■ Rs ,00,000 Initial depreciation provided ■ Rs 40,000 On 1st Jan 1962 it ■ destroyed by fire the scrap being sold for Rs 20,000 What would be the balancing depreciation if insurance money received were (a) Rs 30,000, (b) Rs 40,000, (c) Rs *1,00,000,* (d) Rs *1,80,000* and Rs *2,20,000*

[Adapted from Raj B Com 1956]

Solution

(a) When insurance money received ■ Rs 30,000

		Rs
W D V		1,00,000
Less		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	30,000	90,000
Balancing Depreciation		10,000

(b) When insurance money received is Rs 40,000

W. D. V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	40,000	1,00,000
Balancing Depreciation		Nil

(c) When insurance money received is Rs 1,00,000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	1,00,000	1,60,000
Balancing charge		60,000

(d) When Insurance money received is Rs 1,80 000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	1,80,000	2,40,000
Balancing charge		1,40,000

(e) When insurance money is Rs 2,20 000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	2,00,000	2,60,000
Balancing charge		1,60,000

Rs 20,000 (2,20,000—2,00 000) will be treated as capital gain

Note—It has been assumed that insurance money received is over and above the scrap value

Illustration 10

A machinery standing in the books of a company at Rs 6,000 was discarded on 1st Jan 1960 The scrap value was estimated to be Rs 2,000 How will you treat the amount of depreciation if the scrap was subsequently sold for (a) Rs 3,500 (b) Rs 1,000. Accounts are closed on 31st December each year

Solution

1961-62

Balancing Depreciation Rs 4,000

1962-63

(i) If scrap was sold for Rs. 3,500, there will be a deductable loss of Rs 1,500

(ii) If scrap was sold for Rs 1,000, there will be a deductable loss of Rs 1,000

प्रश्न

1 What do you understand by the term depreciation? Explain how the unabsorbed depreciation of one year can be allowed subsequently Does the carry forward of depreciation in any way differ from the carry forward of losses Explain the provisions fully

[Raj B Com 1956]

2 Write short notes on —

(1) Unabsorbed depreciation [Agra B Com 1945, 46, 49, 51, 55, 56]
[Alld B Com 1955]

(2) W D V [Agra B Com 1943, 44, 48, 50]

(3) Extra shift Allowance [Agra B Com 1950, 55]

(4) Initial Depreciation [Agra B Com 1953, 55]

(5) Balancing charge [Agra B Com 1955, 60]

(6) Depreciation Allowance [Raj B Com 1959]

(7) Development rebate [Agra B Com 1960]
[Raj B Com. 1950]

१०

आय की मदें-पूँजीगत लाभ

[Capital gains]

पूँजीगत लाभ

पूँजीगत लाभ पर कर पहली बार १९४६-४७ में लगाया गया, परन्तु विरोध होने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया। सन् १९५६ में उसे फिर से लगाया गया। अधिनियम में पूँजीगत लाभ की परिभाषा इस प्रकार दी है।

"किसी भी पूँजीगत सम्पत्ति (Capital asset) के हस्तातरण द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ अथवा प्राप्ति को पूँजीगत लाभ कहते हैं" [४५]

इस प्रकार इसमे दो विशेषताएं हैं—

(१) लाभ की उत्पत्ति हस्तातरण से होनी है। यदि सम्पत्ति करदाता के पास पहले से है तथा उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है तो उसे आय नही माना जावेगा। पिछले एक्ट मे हस्तातरण के स्थान पर 'विक्री, विनिमय, त्याग तथा हस्तातरण' शब्द का प्रयोग किया गया था। नये अधिनियम के हस्तातरण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है—विक्री, विनिमय, सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकार त्याग तथा किसी नियम के अन्तर्गत सम्पत्ति को प्राप्त करना* [२(४७)]

---

* Transfer in relation to a Capital asset includes the sale, exchange, or relinquishment of the asset or extinguishment of any rights there in or compulsory acquisition there of under any law

इस प्रकार नए अधिनियम में हस्तांतरण की परिभाषा काफी व्यापक बना दी गई है। उदाहरणार्थ एक मैनेजिंग एजेन्सी के हस्तांतरण को पुराने अधिनियम के अन्तर्गत इसे पूँजीगत लाभ नहीं माना गया। [C.I.T. VS Provident Investment Co 1957] परन्तु नई परिभाषा के अन्तर्गत इस प्रकार के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूँजीगत लाभ की श्रेणी में आ जावेगा।

(२) हस्तांतरण पूँजीगत सम्पत्ति का होना चाहिए। आयकर-विधान १९६१ की धारा २ (१४) में पूँजीगत सम्पत्ति की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है।

'पूँजीगत सम्पत्ति' से तात्पर्य करदाता की किसी भी सम्पत्ति से है चाहे वह व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए हो अथवा अन्य किसी कार्य के लिए पूँजीगत सम्पत्ति में निम्नलिखित प्रकार की सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है—

(i) स्टाक, स्टोर, कच्चामाल जो व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए है।

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे चल सम्पत्ति (फरनीचर, आभूषण, वस्त्र इ०) जो करदाता अपने प्रयोग के लिए रखता है अथवा उसके आश्रित किसी व्यक्ति के अधिकार में है।

(iii) भारत में स्थित कृषि भूमि।

निम्नलिखित सौदों का हस्तांतरण नहीं माना जायेगा

(१) किसी कम्पनी के विघटन पर उसकी सम्पत्ति का अंशधारियों में विभाजन। विभाजन सम्पत्ति के रूप में होना चाहिए। यदि यह विभाजन द्रव्य के रूप में होता अथवा कम्पनी की सम्पत्ति के अलावा और कोई सम्पत्ति दी जाती है तो उस पर पूँजीगत लाभ के अन्तर्गत कर लगाया जावेगा। परन्तु सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण के लिए उसमें से एसी समस्त रकम घटा दी जावेगी जो कम्पनी के अविभाजित लाभ में से दी गई है। संक्षेप में,

सम्पत्ति का मूल्य = कुल प्राप्त द्रव्य अथवा सम्पत्ति का बाजार मूल्य—अविभाजित लाभ में से दी हुई रकम। [४६(१,२)]

(२) किसी संयुक्त हिन्दू-परिवार का पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन होने पर सम्पत्ति का बंटवारा। [४७(i)]

(३) किसी फर्म अथवा समुदाय के विघटन पर सदस्यों में सम्पत्ति का बंटवारा। [४७(ii)]

(४) उपहार, वसीयत अथवा अप्रत्यावर्तनशील ट्रस्ट (irrevocable trust) मे दी गई सम्पत्ति । [४७(iii)]

(५) निम्नलिखित शर्तों पर किसी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी (Subsidiary) को हस्तांतरित सम्पत्ति ।

(क) मुख्य कम्पनी (Parent Company) अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति के पास सहायक कम्पनी के समस्त अंश हैं ।

(ख) सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है ।

लाभ का निर्धारण

लाभ की रकम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है ।
लाभ = प्रतिफल का मूल्य (Value of Consideration) − (लागत + हस्तांतरण का व्यय)

लागत (Cost)—

लाभ के निर्धारण मे लागत का विशेष महत्व है । लागत के निर्धारण के सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रकार के नियम हैं ।

१ निम्नलिखित दशाओ मे कर दाता के लिए वही लागत मानी जायेगी जो उसके पिछले स्वामी के लिये थी । अर्थात् पिछले स्वामी द्वारा सम्पत्ति को खरीदने का व्यय + उसके किये हुए सुधार ।

(१) संयुक्त हिन्दू-परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर सम्पत्ति का वितरण ।
(२) भेंट अथवा वसीयत मे प्राप्त सम्पत्ति ।
(३) उत्तराधिकार मे प्राप्त सम्पत्ति ।
(४) फर्म अथवा समुदाय के विघटन पर विभाजित सम्पत्ति ।
(५) कम्पनी के विघटन पर विभाजित सम्पत्ति ।
(६) अप्रत्यावर्तनशील अथवा प्रत्यावर्तनशील ट्रस्ट मे हस्तांतरित सम्पत्ति ।
(७) मुख्य कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण । [४९]

२ जिन सम्पत्तियो पर ह्रास लगता है उनकी लागत निम्नलिखित प्रकार से निकाली जाती है ।

(१) सम्पत्ति का ह्रासित मूल्य (written down value)

(२) यदि सम्पत्ति करदाता के पास १ जनवरी १९५४ से पहले थी तो उसकी लागत, वास्तविक लागत अथवा १ जनवरी १९५४ को उसके बाजार मूल्य के आधार पर मानी जायगी, परन्तु इसमे से उस समय (१ जनवरी १९५४) के बाद दिये गये ह्रास इत्यादि के लिए समायोजन करना पड़ेगा।

(३) यदि सम्पत्ति कर दाता को धारा ४९ के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, और वह पूर्व अधिकारी के पास १ जनवरी १९५४ से थी, तो भी उसकी लागत ऊपर भाग (२) मे दी हुई विधि के अनुसार होगी।

३ यदि किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति कम्पनी के विघटन पर प्राप्त हुई हो तथा उस पर पूँजीगत लाभ कर लगे तो उसकी लागत उसका उचित बाजार भाव मानी जायेगी।

४ यदि पूर्वाधिकारी की लागत का पता न लगाया जा सके तो कर दाता के लिए उसकी लागत 'उचित बाजार भाव' मानी जावेगी। [५५(३)]

५ यदि सम्पत्ति प्राप्तकर्ता हस्तातरणकर्ता से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा इनकम टैक्स आफिसर को विश्वास है कि उसका प्रतिफल (Consideration) उचित मूल्य से कम रखा गया है तो वह उसका उचित बाजार भाव प्रतिफल मान सकता है। [५२]

पूँजीगत लाभ से उन्मुक्तियाँ (Exemptions from Capital gains Tax)

निम्नलिखित दशाओ मे पूँजीगत लाभ पर कर नहीं पड़ेगा।

१ यदि हस्तातरण मकान या उसमे लगी हुई जमीन का हुआ है तथा उस पर 'गृहसम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत कर लगता रहा है, और उसका प्रतिफल (Consideration) २५००० रु० से अधिक नही है।

यदि हस्तातरण के समय कर दाता की समस्त गृह सम्पत्तियो का मूल्य ५०००० रु० से अधिक हो तो यह सुविधा नही प्राप्त होगी। [५३]

२ यदि हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति 'पूँजीगत सम्पत्ति' की परिभाषा मे नही आती तो भी उस पर इस मद मे कर नही लगेगा, क्योकि उसे पूँजीगत लाभ नही माना जा सकता।

३ यदि हस्तातरण को अधिनियम मे वर्णित हस्तातरण न माना जाय तो भी इस मद के अन्तर्गत कर न लगेगा। कौन से सौदे को हस्तातरण नही माना जायेगा, इस सम्बन्ध मे इसी अध्याय मे पहले देखिये।

४ यदि कर दाता की कुल आय १० हजार रुपया से अधिक नही है।

(५) यदि पूँजीगत लाभ ५ हजार रु० से कम है।

निजी रहने के मकान का हस्तातरण

यदि कोई ऐसी गृह सम्पत्ति हस्तातरित की जाती है जिस पर धारा ५३ मे वर्णित छूट नही प्राप्त है, तथा

(१) हस्तातरण से पहले दो वर्षों मे स्वय कर दाता द्वारा अथवा उसके माता पिता द्वारा निजी निवास के काम आता था।

(२) कर दाता ने हस्तातरण से पहले साल भर के अन्दर, अथवा हस्तानरण के बाद मे २ साल के अन्दर अपने निवास के लिए कोई मकान बनवाया अथवा क्रय किया है।

तो उसका पूँजीगत लाभ निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होगा।

(अ) यदि नए मकान की लागत पुराने मकान के पूँजीगत लाभ से कम है तो कर देय पूँजीगत लाभ = पुराने मकान का पूँजीगत लाभ —नए मकान की लागत।

(ब) यदि नए मकान की लागत पुराने मकान के पूँजीगत लाभ से अधिक है तो करदेय लाभशून्य होगा।

यदि यह नया मकान निर्माण अथवा क्रय के तीन साल के अन्दर बेच दिया जाता है तो नए मकान पर पूँजीगत लाभ निकालने के लिये उसकी लागत निम्न-लिखित प्रकार से मालूम की जायेगी।

(१) यदि पुराने मकान का कर देय लाभ ऊपर भाग (अ) के अनुसार निकाला गया है तो लागत शून्य मानी जायेगी।

(२) यदि पुराने मकान का कर देय लाभ ऊपर भाग (ब) के अनुसार निकाला गया है, तो लागत (नए मकान की लागत–पुराने मकान का पूँजीगत लाभ) के बराबर मानी जायगी।

कर निर्धारण की विधि (Method of Computation of tax)

कम्पनियो को छोडकर अन्य कर दाताओ के लिए—

१. यदि कर दाता की कुल आय १० हजार से अधिक नही है तो उस पर पूँजी गत लाभ के अन्तर्गत कर नही लगेगा।

२. कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नही होगी।
१/२ (पूँजीगत लाभ — ५०००)

३. करदेय रकम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होगी।

(१) पूँजीगत लाभ को छोड कर बाकी करदेय रकम निकालो। यदि कर दाता किसी भारतीय कम्पनी का, अथवा किसी अन्य कम्पनी के भारतीय कारबार का प्रबन्धक रहा हैं अथवा एजेन्ट रहा है तो प्रबन्धक या एजेन्ट का पद समाप्त करने या उसमे परिवर्तन करने के लिये कोई हरजाना मिला है तो इस हरजाने की रकम कुल आय मे सम्मिलित नही की जावेगी। [आ१]

(२) पहिले ऊपर वर्णित आय (आ१) पर आय कर तथा अधिकर निकालो।

(३) पूँजीगत लाभ पर कर औसत दर से निकाला जायेगा। औसत दर का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

औसत दर के लिए कुल आय (आ२) = समस्त आय — मुआविजे की रकम — ½ पूँजीलाभ।

अथवा

औसत दर के लिए कुल आय (आ२) = आ१ + ½ पूँजीगत लाभ।
इस रकम पर कर निकाल कर औसत दर से पूँजीगत लाभ पर कर निकाला जावेगा।

कम्पनियो के लिए

पुराने एक्ट मे कम्पनियों के पूँजीगत लाभ पर अधिकर नही पडता था परन्तु नए एक्ट मे अधिकर १०% की दर से लिया जावेगा। गणना की विधि इस प्रकार है।

(१) पूँजीलाभ को मिलाकर समस्त लाभ पर आयकर निकालो।

(२) पूँजीगत लाभ पर १०% की दर से अधिकर निकालो, बाकी आय पर सामान्यदर पर अधिकर निकालो।

१९६२ के परिवर्तन

फाइनेंस एक्ट १९६२ मे पूँजीगत लाभ के सम्बन्ध मे अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गए है। ये सुधार निम्नलिखित हैं।

(१) पूँजीगत सम्पत्ति को दो भागो मे बाँटा गया है।

(अ) अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति—जो सम्पत्ति कर दाता एक वर्ष से अधिक अपने पास नही रखता।

(ब) दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति—जो एक साल से अधिक समय बाद बेची जाती है।

(२) १९६२ से पहले कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओंको पूँजीगत लाभ पर अधिकर नही देना पडता था, परन्तु नए फाइनेंस एक्ट मे अल्पकालीन पूँजीगत लाभ पर अधिकर भी लगाया गया है।

(३) कर निर्धारण की विधि इस प्रकार है।

(अ) कम्पनी को छोडकर अन्य करदाताओ के लिए—

(१) अल्पकालीन पूँजीगत लाभ पर आयकर तथा अधिकर औसत दर से लगेगा।

औसत दर के लिए कुल आय=समस्त आय — मुआविजे की रकम – दीर्घकालीन पूँजी लाभ।

(२) दीर्घकालीन पूँजी के गतलाभ के लिए निम्नलिखित मे जो भी कम हो।

(अ) औसत दर से निकाला हुआ आयकर तथा अधिकर, औसत दर के लिए कुल आय=समस्त आय — मुआविजे की रकम-अल्पकालीन पूँजीगत लाभ।

(ब) दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर २५% की दर से निकाला हुआ केवल आयकर।

(ब) कम्पनियों के लिए—

(१) आय कर समस्त लाभ पर (पूँजीगत लाभ को मिलाकर) सामान्य दर पर पड़ेगा।

(२) अधिकर दीर्घकालीन पूँजीगत आय पर ५% तथा अन्य समस्त आय पर औसत दर से पड़ता। अर्थात् नए परिवर्तन के अनुसार अल्पकालीन पूँजीगत आय पर कर उसी दर से पड़ेगा जिस दर पर सामान्य व्यापारिक लाभ पर पड़ता था। १९६२ से पहले दीर्घकालीन तथा अल्प कालीन दोनों ही प्रकार की पूँजीगत आय पर अधिकर १०% की दर से पड़ता था।

Summary

1 Capital gain arises with transfer of capital asset at a price higher than cost

2 **Following are not Capital asset**

(1) Stock in trade, Cansumable store, raw-materials

(2) Personal effects for u e of assessee or any member of family e g dress jewellery, furniture etc

(3) Agricultural land in India

3 **Following is not taken as transfer**

(1) Distribution of the assets of company among share holders at the time of liquidation

(2) Payment in money or other assets is chargeable under capital gains

(3) Distribution of cash from undistributed profit is not taxable under capital gains

(4) Distribution of the assets of H U F. at the time of partition

(5) Distribution of capital assets of a firm or association among its members.

(6) Transfer of capital asset under gift, will or irrevocable trust

(7) Transfer by a company to its Subsidiary if

(i) If parent company holds whole of share capital &

(ii) Subsidiary is an Indian Company

4 Determination of Capital gains

Capital gain = Value of Consideration — (Cost + transfer charges)

5 Determination of Cost

1 Same as that of the past owner in following cases

(i) Received through partition o H U F

(ii) Received through succession

(iii) Received through gift or will

(iv) Received through dissolution of a firm

(v) Received through liquidation of Company

(vi) Received by a trust

(vii) Received by subsidiary from parent company

2 Incase of depreciable assets—W D V

If the asset was in existence before jan 1 1954 its cost on that date would be taken at Market value or W D V according to choice of owner

Its Cost in 1962 will be

Market value on jan 1 1954—Dep allowed uptodate

3 If Cost can not be determined—fair market price

6 Exempted income

1 Transfer of house property if not more than Rs 25000

2 Total value of house property of transfer at the time of transfer does not exceed Rs 50000

3 If it is not a transfer [see part 3 above]

4 If it is not a Capital asset [See part 2 above]

5 Transfer of residential house [See page—185]

7 Short term Capital asset

Capital asset transfered with in one year of its acquisition

Practical Illustrations

Illustration 1

Explain whether the income in each of the following cases is taxable under Capital gains

1 A sells the ornaments of his wife worth 10 000 for a sum of Rs 15 000

2 B sells his agricultural land in Nepal for 8000, the Cost being Rs 3000

3 A cotton mill sells cotton @ Rs 890 per bale This was ovginally purchased @ Rs 850 per bale

4 Ms X before going to England sells his furniture for Rs 2000 which was Rs 400 more than the cost

Solution

1 Not taxable Ornaments of wife are not capital assets

2 Taxable Agricultural land in India is not taxable as it is not a capital asset but land outside India, is taxable

3 Not taxable Raw material is not a capital asset

4 Not taxable Personal effects are not taken as capital assets

Illustration 2

State whether the following are taxable uneder Capital gains

1 Mr X a share holder in Y Co Ltd receives the furniture of the company at the time of liquidation The W. D V of furniture was Rs 8000 and it was given in the settlement of claim of Rs 5000

2 Mr A is a share holder in a company holding 10 shares of Rs 100 each The company is liquidated and he receives in cash Rs 2600 for his shares Rs 700 of this amount was distributed from the undistributed profits of the company

3 B is a partner in the firm with his capital amounting to Rs 10,000 The firm is dissolved and he receives in full settlement

of the claim a house valued at Rs 15 000

4 C is a member of Hindu undivided family He receives from the property of the family Rs 10,000 as his share

Solution

1 The profit of Rs 3000 is not taxable, as it does not arise from the transfer of capital assets Distribution of the assets of a company at the time of liquidation is not a transfer

2 Rs 900 (2,600—700—1000) is taxable The total gain is Rs 1600 out of which Rs 700 is in form of dividend, being the distribution from accumulated profits Distribution of cash at the time of liquidation is taken as transfer and taxable under capital gains

3 The gain of Rs 5000 is not taxable, as it is not a transfer

4 Not taxable Amount received from H U F on partition is not regarded as transfer

Illustration 3

State which of the following are taxable under Capital gains

1 X transfers a house costing Rs 8000 to a charitable Trust The value of the house in the books of the trust is written at Rs 12,000

2. Y received a house worth Rs 17,000 from his uncle under a will

3 A company transfers a plant (book value Rs 80,000) to its Subsidiary, B Co Ltd for Rs 100,000 A company holds all the shares of B Company

4 X Company Ltd owning 60% shares in Y Co transfers to it a factory building for Rs 1,50,000 The cost of building was Rs. 1,00 000

Solution

1. Not taxable Transfer under trust is not regarded as transfer.

2 Not taxable It is not a transfer of capital asset

3 Not taxable Transfer of asset to Subsidiary wholly owned is not regarded a transfer

4 Rs 50,000 will be taxable in the hands of X company This is because X Co does not hold all the shares in Y Co

Illustration 4

From the following statement of income of Mr X for the year ending 31st March 1962, calculate his income taxable under the head capital gains

1 A house costing Rs 20 000 was sold for Rs 24 000
2 Shares purchased by him for Rs 20,000 in 1955 were sold for Rs 28 000, Transfer fee Rs 100 was paid by him
3 Gold worth Rs 16,000 which he had purchased at the rate of Rs 100 per tola was sold at the rate of Rs 120 per tola
4 Shares in Y Co costing Rs 6,000 were sold for Rs 5,500

Solution

Capital gains—

1 Shares	8 000	
Less Exp	100	7 900
2 Gold		3,200
	Total	11,100
Less loss on shares of Y Co		500
		10 600

Note—Gain of Rs 4,000 in respect of house is exempted from tax as the consideration does not exceed Rs 25,000

Illustration 5

A is the owner of a house the cost of which is Rs 60,000 It is used for residential purpose by his parents In 1960 the house was sold for Rs 80,000 and A purchased a new house for Rs 45 000 for his own residence In 1962 he sold this house also for Rs 60,000

Calculate his income taxable under capital gains for the year 1960 and 1962.

Solution

1 Capital gain for 1960		
Consideration of the house sold		80,000
Less cost		60,000
Capital gain		20 000
Cost of the house purchased		45,000
Taxable capital gain		Nil
2 Capital gain for 1962		
Consideration of house sold		60,000
Less, cost—		
1 Cost of the new house	45,000	
Less capital gain of previous house	20,000	25,000
Income taxable under capital gains		35,000

Illustration 6

Sharad Bajpai owns a house costing Rs 40,000 which he uses for his own residential purpose On Jan 1960 he sold the house for Rs 65,000 On the same date he purchased a small plot and by June 1961 constructed a residential house for his own use at the cost of Rs 20,000. In May 1962 this house was also sold by him for Rs 30,000 What will be capital gain taxable in case o both the houses and when will it be payable.

Solution

1. Capital gain in respect of the first house	
Consideration for sale	65,000
Less Cost	40,000

Capital gain	25,000
Less Cost of newly constructed house	20,000
Taxable Capital gain	5,000

Tax will be payable in the assessment year 1962—63

2 Capital gain in respect of the Second house

Consideration for sale	30,000
Less Cost	Nil
Taxable Capital gain	30 000

The tax will be payble in the year 1963—64

Illustration 7

Ram Prasad has submitted the following account of his income during 1961—62 Calculate his taxable income under capital gains

1 A house costing Rs 15,000 was sold for Rs 20 000 He has another house valued at Rs 45,000

2 500 Shares of Omega Co costing Rs 10 each were sold at Rs 12 per share

3 Received Bonus shares worth Rs 2000 from Snow products Ltd The bonus shares were paid from undistributed Profit of the company

4 He had purchased a car for Rs 2,500 and spent Rs 1 500 on its overhauling It was sold for 6000 to a person

Solution

1 Capital gain

1	House property (20,000—15,000)	5000
2	500 Shares in Omega Co @ Rs 2/- pershare	1000
3	Profit on car (6000—4000)	2000
		8000

Note —

1 Bonus shares paid from undistributed profit are not Capital gain They are to be treated as dividend

2 Gain on house, is taxable in spite of consideration being less than 20,000 because total value of house property is more than Rs 50 000

Illustration 8

X Company Ltd had a plant purchased in 1950 at the cost of Rs 50,000 On 1st Jan, 1954 its market value was Rs 60 000 On Jan 1, 1962 it was sold for Rs 65 000 Depreciation allowed was Rs 20,000 of which Rs 20,000 was for the period after Jan 1, 1954

What will be the taxable incom under capital gains

Solution

Sale consideration	65,000
Less cost (W D V) 60,000—20,000	40 000
Total gain	25 000

Of this Rs 20,000 will be taxable under balancing charge and Rss 50,000 under capital gains

Illustration 9

From the following particulars regarding the income of Sri Johari for the year ending 31 Dec, 1961, calculate the income taxable under capital gains giving separately the short term and long term capital gains

1 A house costing Rs 50 000 built in 1958 was sold for Rs 70,000 on Nov 30, 1961 Commission paid to broker Rs 2,000

2 Shares worth Rs 15 000, were received by him from the partition of H U F on 1st July, 1961 These shares were sold by him for Rs 18,000 H U F had held these shares for 5 years

3 50 Pref Shares in Mahindra and Mahindra costing Rs 120 each (face value Rs 100 each) were sold at Rs 150 per share on Nov 25, 1961 These shares were acquired by him on Jan 1, 1961

4. He had purchased 100 shares in Ace Mining Co at the cost of Rs 50 per share on Nov., 1960 The company went into liquidation on July 1, 1961 The shares wer sold by him in Dec , 961 at Rs. 60 each.

Solution

Short term capital gain—		Rs
1. 50 Shares in Mahindra & Mahindra @ Rs 30/ per share		1,500
2 100 Shares in Ace Mining Co @ Rs 10 per shares		1,000
		2,500

Other capital gain—	Rs	Rs.
1 House property (70,000 – 50,000)	20,000	
Less expenses of sale	2,000	18,000
2 Shares from H U F		3,000
		21,000

Note—1 In case of shares from H U F the date of acquiring them will be taken as the date when they were acquired by H U F

2 In case of shares of company under liquidation the period since the company went into liquidation will not be counted

११

आय की मदें-अन्य साधनों की आय

[Income from Other Sources]

आयकर विधान की धारा ५६ के अनुसार 'अन्य साधनो की आय' के अन्तर्गत कर उसी दशा मे पडेगा जब कि वह आय की मद अन्य किसी मद के अन्तर्गत न आती हो। इससे यह स्पष्ट है कि किसी आय को इस मद के अन्तर्गत तब तक नही रखा जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इसे अन्य किसी भी मद के अन्तर्गत नही रखा जा सकता है। [C I.T. Vs Basant Rai Takhat Singh 1933]

विधान मे निम्नलिखित प्रकार की आय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(१) लाभांश

(२) मशीन फर्नीचर इत्यादि को भाडे पर उठाने से होने वाली आय।

(३) यदि मकान या भूमि का किराया इस भाडे से अलग नही किया जा सकता तो किराये की रकम पर भी इसी मद के अन्तर्गत कर लगेगा। अन्य प्रकार की आय जो इस मद के अन्तर्गत आती है।

(१) खानो से मिलने वाली अधिकार शुल्क (Royalty) अथवा किराया। (C.I T. Vs. Kamakhya Narain Singh 1953)

(२) जमीन्दारी की ऐसी आय जो कृषि आय के अन्तर्गत नही आती। [C I.T. Vs Prabhat Chandra]

उदाहरणार्थ बाजारो की आय, जगली लकडी की आय इ०

(३) किसी वसीयतनामे के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक वृत्ति ।

(४) प्रतिभूतियो पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ब्याज की रकम ।

(५) भूमि का किराया ।

(६) मकान मे शिकमी किरायेदार रखने (Subletting) की आय ।

(७) डायरेक्टर की फीस, कमीशन आदि ।

(८) किसी विदेशी सरकार से मिलने वाली पेंशन या वेतन

(९) भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि की आय ।

(१०) अभिगोपन का कमीशन (Underwriting Commission)

(११) किसी अध्यापक की परीक्षक अथवा निरीक्षक के रूप मे काम करने से होने वाली आय ।

(१२) विदेशी, बिना कर दी हुई आय, जो भारत मे लाई गई है ।

(१३) अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई फीस या कमीशन ।

घटाने योग्य व्यय

अधिनियम मे घटाने योग्य खर्चे का विशेष उल्लेख नही है । परन्तु निम्नलिखित प्रकार के व्यय घटाने योग्य माने गये हैं ।

(१) लाभांश की रकम इकट्ठा करने के लिए दिया गया कमीशन ।

(२) अन्य कोई व्यय जो,

(i) पूर्णतया सम्बन्धित आय प्राप्त करने के लिए किया गया हो ।

(ii) उसी वर्ष किया गया हो जिस वर्ष आय प्राप्त की गई है

निम्नलिखित प्रकार के व्यय घटाने योग्य नही हैं ।

(१) करदाता के व्यक्तिगत खर्चे ।

(२) कोई ब्याज की रकम जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर न तो कर काटा गया है और न भारत म उसका कोई प्रतिनिधि है जिससे कर वसूल किया जा सके ।

(३) वेतन के रूप मे दिया गया रुपया जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर कर नहीं काटा गया है।

(४) कम्पनी द्वारा किया गया ऐसा खर्च जिससे किसी डायरेक्टर अन्य व्यक्ति जिसका कम्पनी मे पर्याप्त हित हो अथवा उसके किसी सम्बन्धी को लाभ या सुविधा प्राप्त होती है। यदि कर की रकम सम्बन्धित व्यक्तियो की आय मे जुड जाती है तो भी छूट नही मिल सकती।

लाभांश (Dividend)

अन्य साधनो की आय मे सबसे महत्वपूर्ण आय लाभाश के रूप म मिलने वाली आय है अतएव उसको विस्तारपूर्वक समझने की आवश्यकता है।

आयकर अधिनियम की धारा २ (२२) मे लाभाश के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।

(१) कम्पनी के सचित लाभ से से किसी प्रकार का विभाजन जिससे कम्पनी की कोई सम्पत्ति अशधारियो को प्राप्त हो जाती है।

(२) कम्पनी के सचित लाभ मे से अशधारियो को दिये गये डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, डिपाजिट सर्टिफिकेट (चाहे उन पर ब्याज देय हो या न हो)

(३) कम्पनी के सचित लाभ मे से अधिमान अशो (Preference Shares) पर दिया गया बोनस। साधारण अशो पर दिया गया बोनस इससे सम्मिलित नही है।

(४) कम्पनी के विघटन के समय सचित लाभ मे से बाँटी गई कोई रकम

(५) किसी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे अशधारी को जिसका कम्पनी मे पर्याप्त हित है दिया गया कोई अग्रिम धन, अथवा ऋण अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए दिया गया भुगतान या खर्चा यदि कम्पनी के पास सचित लाभ है।

यह नियम ऐसी कम्पनियो पर नही लागू होगा जिनमे जनता का पर्याप्त हित है।

लाभाश मे निम्नलिखित रकम नहीं सम्मिलित की जाती।

(१) यदि कम्पनी के विघटन के समय भुगतान ऐसे अशो के लिए किया

गया है जिनको नकद रुपये के बदले बेचा गया है तथा जिनके साथ यह शर्त थी कि विघटन के समय आधिक्य (Surplus) मे उन्हें कोई हिस्सा नही मिलेगा।

यदि कम्पनी रुपया उधार देने का काम करती है और किसी अंशधारी (चाहे उसका पर्याप्त हित ही क्यो न हो) को कोई अग्रिम राशि या ऋण दिया गया है।

(३) यदि ऊपर के भाग (५) मे वर्णित व्यक्ति को किसी प्रकार की अग्रिम राशि दी गई है तथा बाद मे लाभाश की रकम उस अग्रिम राशि मे काट ली गई है तो ऐसी लाभाश की रकम फिर लाभाश नही मानी जायेगी।

लाभाश को सम्पूर्ण करना (Grossing up Dividends)

लाभाश पर कर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है अतएव प्रतिभूतियों पर ब्याज के समान ही उनको सम्पूर्ण करने की आवश्यकता पडती है। लाभाश की वास्तविक रकम-नकद लाभाश+काटे हुए कर के बराबर मानी जाती है। नकद लाभाश की रकम तो मालूम रहती है, काटे हुए कर की रकम मालूम करनी पडती है। लाभाश को सम्पूर्ण करने विधि मे १९५९-६० मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।

करदेय वर्ष १९५९-६० तक—ऐसा समझा जाता था कि कम्पनी अंशधारियों के बदले आय कर दे देती है अतएव कम्पनी द्वारा दिये गये आय कर तथा अधिकर को अंशधारी का अंश मान लिया जाता था। १९५९-६० तक कम्पनी के लाभाश पर ३० प्रतिशत आय कर तथा १५ प्रतिशत अधिकर लगता था। अतएव सम्पूर्ण लाभ शुद्ध लाभ का $\frac{२००}{१५५}$ गुना होता था।

संक्षेप मे, Gross Dividend = Net dividend × $\frac{200}{155}$

यदि कम्पनी का समस्त लाभ करदेय नही है केवल एक अंश पर ही कर लगता है तो लाभ को सकल बनाने का सूत्र निम्न लिखित है।

$$\text{Gross Dividend} = \frac{\text{Net dividend} \times 100}{T-(T \times \frac{5}{100})+(100-T)}$$

$$\text{अथवा} = \frac{\text{Net dividend}}{100-315\,T}$$

यहां T से तात्पर्य है लाभाश का वह प्रतिशत जिस पर कर लगेगा।*

कर देय वर्ष १९५९-६० के बाद—ऐसा नही माना जावेगा कि कम्पनी द्वारा दिया गया आयकर अशधारी के बदले दिया गया है। अतएव यदि लाभाश की वितरित रकम दी गई है तो उसको सम्पूर्ण करने की आवश्यकता नही है परन्तु लाभाश बांटते समय कम्पनी कर उद्गम स्थान पर काट लेती है, अतएव यदि कर दाता को प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम दी है तो उसे सम्पूर्ण करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी दशा मे सम्पूर्ण करने की विधि इस प्रकार होगी.—

$$\text{सम्पूर्ण लाभाश} = \text{शुद्ध लाभाश} \times \frac{१००}{७०}$$

इसका कारण यह है कि उद्गम स्थान पर कर ३० % की दर से काटा जावेगा।

SUMMARY

1 Income taxable under this head

1. Dividend.
2. Rent from machinery, plant or furniture let on hire.
3. Rent from building attached to machinery etc. let out if the same can not be separately determined.

---

*The formula has been derived as follows

Suppose total income of the Company is 100

Taxed portion = T

Therefore untaxed portion = (100—T)

Tax on taxed portion $= \left(T \times \frac{31\cdot5}{100}\right)$

Balance available $= T - \left(T \times \frac{31\ 5}{100}\right)$

Net amount available $= \left[T - \left(T \times \frac{31\cdot5}{100}\right)\right] + [100 - T]$

$= 100 - \cdot315\ T$

When Net amount is (100—·315 T), gross amount is 100

There fore when net amount is 1 gross amount will be $\dfrac{100}{100 - \cdot315\ T}$

4 Royalty or rent from mines
5 Income from zamindari, not falling under the head Agr income
6 Annuities received under will
7 Interest other than interest on securities
8 Rent of vacant land
9 Rent of seb letting a house
10 Any fee or commission received by a director
11 Pension or salary from a foreign government
12 Agr income from land situated out side India
13 Under writing commission
14 Income of a teacher from examination or invigilation
15 Untaxed foreign income brought into India
16 Any fee or commission received from a person other than the employer

Deductions Allowed

1 In case of dividends—collection charges
2 Any other income—incurred exclusively and in the previous year

Income included in Dividends

1 Any amount paid in cash by way of distribution of profits
2 Debentures debenture stock or deposit certificates issued to share holders
3 Bonus shares issued to preference share holders from accumulated profits
4 Distribution to share holders from accumulated profits at the time of liquidation
5 Any advance or loan to a share holder having substantial interest
6 Any payment to such share holder from accumulated profits of company

Illustration 1

The following are the particulars of the income of Sri Ram Chandra Sharma who is ordinarily resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1962 You are required to ascertain his total income for the year 1962 63

(a) His salary was Rs 300 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1500, the actual expenditure incurred by him in travelling being only Rs. 1100

(b) He was getting a house rent allowance of Rs 50 per month and a cycle allowance of Rs 10 per month

(c) He contributed one anna in the rupee to a provident fund governed by the Provident Fund Act of 1925, his employer contributing an equal amount Interest on his P F account amounted to Rs 400

(d) He received Rs 300 from tax free Government Securities, Rs 500 as dividend and Rs 100 as interest on fixed deposits in banks

(e) He owns a house half of which is occupied by his son for his residence and the other helf is let out at Rs 50 per month

(f) He gets 8% dividend from P Co Ltd on an investment of Rs 12,000

(Adapted from Agra B Com 1957)

Solution

1 Income from Salary

	Rs	Rs
Salary	3600	
House allowance	600	
Cycle allowance	120	
Taxable income	4320	4320

2 Interest on Securities

Interest on Tax-free Government Securities	300

3 Income from property

Annual value of the portion let		600	
Annual value of residential portion—			
Rental value	600		
Less statutory allowance	300	300	
Total annual value		900	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs		150	
Taxable income		750	750

4 Income from other sources

Dividend $\frac{500 \times 10}{7}$ =	714	
Dividend from P Co Ltd	960	
Interest on fixed deposits	100	
Travelling allowance (Surplus)	400	
Taxable income	2174	2174
Total Taxable income		7544

Exempted income

	Rs.
P F (Employee s Contribution)	225
Interest on tax free Government Securities	300
	525

Note—1 In case of cycle allowance deductions equal to the expenditure on maintenance and wear and tear on cycle will be allowed

2 The portion occupied by his son has been deemed to be occupied by him as it is not mentioned that the son is living separately from him

3 It is assumed that Rs 500 is the amount of dividend actually received and not the amount declared It has therefore been grossed up

Illustration 2

The following are the particulars of the income of P K Datta, a Government servant for the year ended 31st March 1952

(a) Salary at Rs 750 p m and travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1800, the actual amount spent being Rs 1500

(b) He contributed one anna per rupee for his P F to which the Government contributed an equal amount The interest on P F amounted to Rs 250

(c) He owns two bungalows one of which is let at Rs 100 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960 He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second. Municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 100 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both bungalows

(d) He received during the year Rs 250 as tax free interest on Government Securities and Rs 300 as dividend from a company He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1250 on his policies Ascertain his total income, taxable income and exempted income

(Adapted from B Com Agra 1952)

Solution

		Rs	Rs
1	Income from Salary		
	Salary for 12 months	9000	
	Travelling allowance	300	9300
2	Interest on Securities	250	250

3. Income from property

(a) Rented Bungalow—

Rental value	1440		
Less ½ M. Taxes	75		
Annual value	1365	1365	
Less—			
Repairs (⅙ of A.V.)	227		
Ground rent	200	427	938

(b) Self occupied bungalow

Rental value	960		
Less Statutory allowance	480		
	480		
Annual value		480	
Less—			
Repairs (⅙ of A. V.)	80		
Ground rent	150	230	250

4 Income from other sources

Dividend gross $\left(\frac{300 \times 10}{7}\right)$	428
Total taxable income	11,166

Rebate

		Rs.
1.	Employee's contribution to P.F.	562
2.	Insurance premium	1250
3	Interest on tax free Government Securities	250
		2062

Illustration 3

Following are the particulars of the income of a University professor.

(a) Salary Rs. 1200 p m from which 8% is deducted for P. F. to which University contributes 12%.

(b) Proctorship allowance Rs 1200 per annum.

(c) Rent free bungalow of which the annual letting value is Rs 720.

(d) 5% dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company.

(e) 3% tax free interest on Government Loan of Rs 5000.

(f) Income from property let Rs 1200

(g) Interest on Postal Savings Bank deposit Rs 120

(h) Profit on sale of property Rs 100,000

During the year he paid Rs 900 as life insurance premium on his own policy

Find out his total income, taxable income and exempted income for the year 1962-63

(B Com Agra 1951)

Solution

1. Income from salary—

	Rs	Rs
1. Salary	14,400	
2 Proctorship allowance	1200	
3 House allowance	720	16320
2. Income from Securities		
3% Tax free Government Loan	150	150
3. Income from property		
Annual value	1200	1000
Less Repairs (⅙ of A. V.)	200	
4. Income from other sources		
5% tax free dividend	250	250
Total taxable income		17720

Rebate

Employee's contribution to P. F.	1152
Tax free Government Securities	150
Insurance premium	900
	2202

Illustration 4

Mr Hari Har Nath is an employee in the Capital Stores Ltd. New Delhi The following are the particulars about his income for the year ending 31st March 1962

(a) Salary Rs 480 p m He contributes $6\frac{1}{4}\%$ of his salary towards recognised P F. his employer contributing an equal sum On the occassion of independence day celebration he received two months salary as bonus. Rs 375 was credited to his P F. account during the year in respect of interest on accumulated balance.

(b) He owns a house at Agra which is let at Rs 60 a month: At the same rent he hired a house for his residence in New Delhi

(c) He received Rs 385 as dividend on his investment in the ordinary shares of the Indian Iron and Steel Co. Ltd.

(d) He received Rs 4000 from the Post Office in respect of cash certificates which he purchased 5 years ago at the rate of Rs. 88/2/-.

(e) He paid Rs. 370 as premium on his life insurance policy.

You are required to find out his total income, taxable income and exempted income.

(Agra B. Com. 1949)

Solution

I Income from salary	Rs.	Rs.
Salary	5760	
Bonus	960	6720

2. Income from property

Annual value	720	
Less Repairs ($\frac{1}{6}$ of A. V.)	120	600

3. Income from other sources

Dividend $\left(385 \times \frac{10}{7}\right)$		550
Total taxable income		7870

Rebate

1. P.F. (Employee's contribution)	360
2. Insurance premium	370
	730

1. Income from Post Office Cash Certificates is totally free from tax.

2. Relief in respect house is available only when residential house is kept vacant for his own use. As the same has been let out the income will be taxable.

Illustration 5

The following are the particulars about the income of Mr X of Allahabad University.

(a) He was employed at a starting salary in the grade of Rs. 500—30—800 plus D. A. at 10% of salary.

(b) He is a member of Statutory P. F. and contributes 8% of the salary towards his P. F. while the University contributes 12%.

(c) As a proctor of University he received

(i) An allowance of Rs. 100 p. m.

(ii) House allowance Rs. 540.

(iii) An orderly who was paid Rs. 35 p m. by the University.

(iv) A motor car allowance of Rs. 45 per month.

(d) His income from examinership amounted to Rs 1150 and from royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in Upper India Trading Co Ltd on which he received dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 350 in a Common Sense Cross word competition

He paid Rs 1520 as premium on his life insurance policy You are required to prepare his assessment for the year 1962-63

(B Com Agra 1948)

Solution

		Rs	Rs
1 Income from salary—			
1	Salary	6000	
2	D A	600	
3	Proctor's allowance	1200	
4	House allowance	540	
5	Motor Car allowance	540	8880
2 Income from other sources			
1	Examinership	1150	
2	Royalty	750	
3	Dividend (gross)	600	2500
	Total taxable income		11380

Rebate

		Rs
1	Employees Contribution to P F	480
2	Insurance premium	1520
		2000

Note—1 Prize in common sense cross word is casual income and hence free from tax

2 Salary of the orderly is similarly not taxable being the actual expenditure of the company

Illustration 6

The following are particulars about the income of Mr. D. D. Pandey, a Government servant.

(a) His salary was Rs. 750 per month and his T. A. bills for the whole year amounted to Rs. 1660. The actual expenditure incurred by him on travelling being Rs. 1140.

(b) He contributed one anna in a rupee to a Government Provident Fund. His employer contributing an equal amount. Interest on his P.F. account balance for the year amounted to Rs. 1580.

(c) He owns two bungalows in the civil lines, one of these is let at Rs. 125 p. m. and the other, the monthly rental value of which is Rs. 150 is occupied by him for his own residence. He pays Rs. 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 210 per year in respect of the second one.

(d) His investments during the year were as follows.

(i) Rs. 5000 in 5% Free of Tax Government Securities.

(ii) Rs. 8000, 6% Prefrence Shares of a Sugar mill.

(e) He is insured and pays an annual premium of Rs. 1250.

You are required to find out his total income and his exempted income.

B. Com. Agra 1947

Solution

	Rs.	Rs.
1. Income from Salary		
1. Salary	9000	
2. Surplus of Travelling allowance	520	9520
2. Interest on Securities		
5% Tax Free Government Securities	250	250

3. Income from property			
1 Annual value			
Rented house		1500	
Residential house	1800		
Less Statutory allowance	900	900	
Less—		2400	
1/6 for repairs	400		
Ground rent & Insurance	360	760	1640
4. Income from other sources—			
Dividend		480	480
			11890

Exempted income—

1. Employee's contribution to P.F.	562
2. Insurance premium	1250
3. Interest on tax free Government Securities	250
	2062

Illustration 7

From the following particulars find the taxable income of A

(a) Profit from an unregistered firm (untaxed) Rs. 750

(b) Income from Postal Cash Certificates Rs. 600

(c) 3% war bonds (Free of tax) of the value of Rs. 20,000

(d) Shares in a bank of the value of Rs 5000, a dividend of 15% declared on them.

(e) Shares in a cotton mill to the value of Rs 5000 and a dividend of 10% declared on them (less tax).

(f) His wife's life insurance premium amounts to Rs 800 yearly.

B. Com Agra 1945

Solution

		Rs.	Rs.
1.	Interest on Securities—		
	3% War bonds	600	600
2.	Profits from business or profession—		
	Shares of profit of unregd. firm	750	750
3.	Income from other sources—		
	1. Dividends on bank shares	750	
	2. Dividend on cotton mill shares	500	1250
	Total taxable income		2600

Exempted income—

1:	Interest on Tax free Government Securities	600
2:	Insurance Premium 1/4 of 2600	650
		1250

Illustration 8

A doctor's income consists of Rs. 5400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 tax free Government Securities and Rs. 100 as director's fees. He owns a bungalow which he uses for his residence. The Municipal valuation of this is Rs. 1000 and he paid Rs. 150 for fire insurance premium and Rs. 50 as ground rent. The bungalow is mortgaged and interest on it amounts to Rs. 800. He paid Rs. 1200 life insurance premium on his own life.

Ascertain his taxable income.

B. Com. Agra 1944

Solution

		Rs.	Rs.
1.	Interest on Securities—	500	500

		Rs	Rs	Rs.
2	Income from property—			
	Municipal Valuation	1000		
	Less Statutory allowance	500		
	Annual value	500	500	
	Less—			
	1/6 for repairs	83		
	Fire insurance premium	150		
	Ground rent	50		
	Interest on mortgage	800	1083	— 583
3	Gains from profession			5400
4	Income from other sources—			
	Directors fee		100	100
	Total taxable income			5416

Exempted income—

		Rs
1	Insurance premium	1200
2	Interest on tax free Government Securities	500
		1700

Illustration 9

The following are the particulars of income of a Government Servant for the year ended 31st March 1962

(a) Salary at Rs 600 p m His travelling allowance bills for the year amounted to Rs 2005 the actual expenditure on travelling being Rs 1730

(b) He contributed to his P F at 8% of his Salary and the Government contributed an equal amount The interest on his P F amounted to Rs 350 for the year

(c) He owns two houses one of which is let out at Rs 150 p m and the other, whose annual value is Rs 1200 is

occupied by him for his own residence He has paid Rs 300 as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs 180 in respect of the second The municipal taxes in respect of the two houses amounted to Rs 100 and Rs 175 respectively and he spent Rs 600 on white washing and other repairs in respect of both the houses

(d) He received Rs 350 as interest on tax free Government Securities and Rs 500 as dividend from a company

(e) He pays an annual premium of Rs 1800 on his life policies

Prepare his assessment for 1962-63

(Adapted from Alld II Com 1959)

Solution

			Rs	Rs
1	Income from Salary			
	Salary		10800	
	Excess of travelling allowance		275	11075
2	Interest on Securities			350
3	Income from property			
	Annual value of the house let	1720		
	Annual value of residential house	600		
	Total Annual Value		2320	
	Less—			
	1/6 for repairs	387		
	Ground rent	400	787	1533
4	Income from other Sources—			
	Dividends (gross) $\frac{500 \times 10}{7}$			714
	Total taxable income			13592

Exempted income—

1.	Employee's Contribution to P.F.	864	
2.	Insurance premium	1800	2664
3.	Interest on tax free securities		350
			3014

Calculation

1 Annual value of rented house—

Rental value	1800
Less ½ M taxes	80
	1720

2. Annual value of residential house—

Rental value less tax	1200
Less Statutory allowance	600
	600

Illustration 10

From the following particulars of income of Shri L. B. Saxena a Government servant ascertain his total income, taxable, income, and exempted income.

(a) Salary for the year Rs. 6000, Travelling allowance bill for the whole year amounted to Rs. 1500 while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs. 1000 only.

(b) He contributed 6¼% of his salary to the Government Provident Fund (under Act of 1925), the Government also contributes the same amount

(c) His income from property is as follows.

(i) First house let at Rs. 100 per month, payment for ground rent and insurance charges being Rs. 100 and local taxes. Rs. 266.

(ii) Second house occupied by him for his own residence gross annual value being Rs. 2000.

(d) His income from investment was—

(i) Tata debentures—interest received Rs 500
(ii) Dividend gross Rs 800 from Modi Soap Co

(e) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of his wife

(Alld II Com 1958)

Solution

1 Income from Salary—

	Rs	Rs
Salary	6000	
Excess of travelling allowance	500	6500

2 Interest on Securities—

Interest on Debentures $\left(\frac{500 \times 10}{7}\right)$ 714

3 Income from property—

Annual value of house let		1067	
A V of residential house		960	
Total A V		2027	
Less,			
1/6 for repairs	338		
Ground rent and Insurance	100	438	1589

4 Income from other sources—

Dividend	800	800
Total taxable income		9603

Exempted income—

Employees contribution to P F	375
Insurance premium	1000
	1375

Calculations

1 Annual value of rented house—

Rental value	1200
Less $\frac{1}{9}$ of local tax	133
	1067

2 Annual value of residential house—

Gross annual value	2000
Less Statutory allowance	1000
	1000

1/10 of total income—

$$\left[\left(6500 + 714 + 1067 + 800\right) - \left(100 + \frac{1067}{6}\right)\right] + \frac{6}{55}$$

$$\left[9081 - 278\right] \times \frac{6}{55}$$

$= 960$

As 10% of income is less than Annual Value calculated on the basis of rental value 960 will be regarded as A V of residential house

Illustration 11

Sita Ram has following income for the year ending 31st March, 1962

(a) Salary Rs 500 per month He has contributed 6 per cent of his salary to a recognised P F to which an equal amount has been contributed by his employer The interest at $4\frac{1}{2}\%$ p a on his P. F amounts to Rs 300.

(b) He owns a house, the municipal valuation of which is Rs 1800 The house has been let out on a rent of Rs 175 per month. He has incurred the following expenses in respect of this house

1 Interest on the mortgage of the property Rs 120
2 Land revenue Rs 40
3 Premium for fire insurance Rs 150
4 Municipal taxes Rs 50.

The house remained vacant for two months during the year

(c) He has received dividend at 5% on 50 shares of Rs 100 each

(d) 3% interest (free of tax) on Govt Securities of Rs 5,000

(e) Profit on sale of property Rs 10,000

(f) He is a member of Joint Hindu Family getting Rs 2,400 as his share of income

During the year he paid Rs 1,000 as premium on his life insurance policy

Prepare his assessment for 1962-63

(Adapted from Alld B Com 1955)

Solution

			Rs	Rs
1	Income from Salary			
	1. Salary		6,000	6,000
2	Interest on Securities		150	150
3	Income from property—			
	Rental value	2,100		
	Less ½ of M tax	25		
	Annual value	2,075	2,075	
	Less—			
	⅙ for repairs	346		
	Interest on Mortgage	120		
	Land revenue	40		
	Fire insurance premium	150		
	Vacancy allowance $(2,075 \times \frac{2}{12})$	346	1,002	1,073

4	Income from other sources—		
	Dividends		250
	Total taxable income		7,473
	Exempted income—		
1	Employee's contribution to P F	360	
2	Premium	1,000	1,360
3	Interest on tax free securities		150
			1,510

Note —1. Share of income from H U. F is totally free from tax

2 Profit on sale of property is capital gain

Illustration 12

Prepare assessment of Mr X from the following particulars of his income for the previous year ended 31st March, 1962

(a) He is a Secretary in the company on a salary of Rs 750 per month He contributes at the rate of 8 p c to a recognised P F to which employer contributes at the rate of 12% Interest on his P F balance amounted to Rs 800 during the year

(b) He owns a house which he lets out at Rs 12,000 p a The admissible deduction for insurance is Rs 200 His collection charges are Rs 800

(c) He earned Rs 2,600 from dividends and Rs 1,800 from tax-free Govt Securities

(d) He is an equal partner with F in an unregistered firm from which he gets Rs 3,(00 as his share of profit

(e) As a member of Hindu joint family he gets Rs 3,600. During the year he paid Rs 1,200 as a premium on his life insurance policies

(Adapted from Alld B Com. 1954)

Solution

		Rs	Rs
1 Income from Salary			
1 Salary		9,000	
2 Employers contribution to P F in excess of 10% of salary		180	9,180
2 Interest on securities			1 800
3 Income from property			
Annual value of the house		12,000	
Less—			
⅙ for repairs	200		
Insurance	200		
Collection charges (6% of A V.)	720	1,120	10,380
4 Profits from business—			
Share of profit from unregistered firm			3 000
5 Income from other sources			
Dividend (gross)			2,600
Total taxable income			27,460
Exempted income—			
1 Employer's contribution to P F		720	
2 Insurance premium		1,200	1,920
3 Profits of unregistered firm			3,000
			4,920

Illustration 13

A is a manager of a firm drawing a salary of Rs 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month He contributed Rs 700 to a recognised P F, the employer contributing the same amount The interest on his P F account for the year was Rs 915 He received his two months salary as bonus during the year His other income consisted of (a) Rs 900 as a share of profit from an

unregistered firm which has been taxed (b) Rs 1275 from property (c) Rs 500 interest from tax free Govt Securities (d) Rs 810 received as dividends The premium paid on his life insurance policy was Rs 600 and that on his wife's insurance policy was Rs 265 Find out his total income for the year ending 31st March, 1962

(Adapted from Raj B Com 1956)

Solution

		Rs	Rs
1	Income from salary—		
	1 Salary	7,200	
	2 House allowance	600	
	3 Bonus	1,200	9,000
2	Interest on securities		
	1 Tax free Govt Securities		500
3	Income from property		
	1 Annual value	1,275	
	2 Less $\frac{1}{6}$ for repairs	212	10,163
4	Business profits—		
	Profit of unregistered firm	900	900
5	Income from other sources		
	Dividend (gross) $\left(\frac{810 \times 10}{7}\right)$		1,157
	Total taxable income		12,620

Exempted income—

1	Employee's contribution to P F	700	
2	Life insurance premium	865	1,565
3	Profit from unregistered firm already taxed		900
4	Interest on tax free Govt Securities		500
			2 965

Illustration 14

Sohan Lal is an ordinary resident of India His income for the year ended 31st March, 1962 is as follows :—

(a) Salary Rs. 6000 p a.

(b) Property income.

	Rs.
Annual value	8220
Municipal taxes	600
Interest on Mortgage of property	450
Fire insurance premium	350
Ground rent Rs. 50 p. a.	

(c) Share of profit in an unregistered firm 5000.

(d) Interest on 3% Government Securities for Rs. 50,000.

(e) Director's fee Rs. 500.

During the year in question he paid Rs 1500 as premium on his life policies of the face value of Rs. 12000. Find out his total income and exempted income.

(Adapted from Raj. B. Com. 1950)

Solution

			Rs.	Rs.
1.	Income from Salary		6000	6000
2.	Interest on Securities		1500	1500
3.	Income from property			
	Annual value		8220	
	Less—			
	Repairs (1/6 of A. V.)	1370		
	Interest on Mortgage	450		
	Fire insurance premium	350		
	Ground rent	50	2220	6000

4	Profits from business—	
	Share of profit from unregistered firm	5000
5	Income from other Sources—	
	Director's fee	500
	Total taxable incom	19000

Exempted income—

1	Insurance premium	1200
2	Share of profit in un registered firm	5000
		6200

Note—1. Rs 600 for Municipal tax have been ignored as Annual Value is already given

2 Insurance premium should not be more than 10% of the sum insured Hence only 1200 (10% of 1200) have been considerd for exemption

Illustration 15

Mr Abraham, a structural engineer, has furnished particulars of his income as follows —

(1) He received a salary of Rs 3500 p m and a fixed entertainment allowance of Rs 7200 during the year ending 31st March, 1962 from M/s Structural Engineers Ltd Bombay with whom he was employed as an engineer with effect from 1st April, 1961 He incurred an expenditure of Rs 6000 during the year on entertainment

(2) Prior to joining M/s Structural Engineers Ltd Bombay he was employed with M/s Pioneer Builders Ltd According to his contract of service with that company the service with them was to continue for 3 years from 1st October, 1958 on a salary of Rs 3000 p m But due to some dis-

agreement with the management his services were terminated with effect from 31st March, 1961 before the expiry of his term of service and he was paid Rs 18000 on 4th April 1961 as compensation for the loss of his employment.

(3) He wote a book on Structural Engineering which had a great demand in the market. He took 48 months in writing this book. He assigned his interest in copy right there of to M/s Book Publishing Company and received Rs. 15000 on 1st June 1960 as consideration He has claimed that this should be spread over for four years

(4) He owned a house at Nagpur, the annual value of which was Rs. 3600. It was kept reserved for his occupation. During the whole of the previous year ended March 1961 the property remained vacant as he had to remain at Bombay where he occupied another building through out the year during his employment

(5) He paid Life Insurance Premium amounting to Rs. 15000 on his own life and Rs. 15000 on the life of his wife

calculate his taxable income for the year 1961-62.

Solution

	Rs	Rs.
1. Income from Salary—		
1. Salary from M/s Structural Engineers Bombay @ Rs 5500/- p m.	42000	
2. Entertainment Allowance	7200	
3. Compensation from previous employer	18000	
Income taxable under salary	67200	67200
2. Income from property	Nil	—
3. Income from other sources		
Consideration for the book	5000	5000
Total taxable income		72200

Rebate

Life Insurance Premium Rs 10,000

Note —1 As the property remained vacant throughout the year and the assessee had to stay in a rented house due to his employment, the income from such property will be Nil—under section 23 (3)

2 As he has taken more than 24 months to write the book the amount received may be spread over to 3 years

3 Life Insurance Premium Max limit from 1962 has been raised to Rs 10,000 or ¼ of total income which ever is less

Illustration 16

A is the manager of a firm drawing Rs 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month He contributed Rs 800 to a recognised provident fund The employer contributed the same amount The interest on his P F Account for the year was Rs 915 He received two months salary as bonus during the year His other income consisted of (a) Rs 900 as share of profits from an unregistered firm which has been taxed (b) Rs 1275 from property and (c) Rs 500 interest from tax—free Government Securities and (d) Rs 810 received as dividend The premium paid on his life insurance policy was Rs 600 and on his wife's insurance policy was Rs 265 Prepare his assessment for previous year ended 31st March, 1962

Solution

I Income from Salary

	Rs	Rs
(1) Salary @ Rs 600 p m	7200	
(2) Bonus (2 months salary)	1200	
(3) House rent allowance @ 50 p m	600	
(4) Employers contribution to recognised P F in excess of 10% of sal ry (Rs 800—720)	80	9080

2.	Interest on Securities	500
3.	Income from property	1275
4.	Income from business profits (share of unregistered firm)	900
5.	Income from other sources	
	Dividend $\left(810 \times \frac{10}{7}\right)$	1157
	Total taxable income	12912

Exempted income

		Rs.	
1.	P. F. (Employee's contribution)	800	
2.	Interest on tax—free Government Securities	500	
3.	Share of profit from unregistered firm (being already taxed)	900	
4.	Insurance Premium	865	3065

१२

करदाता-व्यक्ति तथा संयुक्त हिन्दू-परिवार

[Individual and H. U. F.]

कर निर्धारण के लिए करदाताओ को निम्नलिखित भागो मे बाँटा गया है ।

(१) व्यक्ति ।
(२) सयुक्त हि दू परिवार ।
(३) फम ।
(४) अ य व्यक्तियो के समुदाय ।
(५) कम्पनी ।
(६) स्थानीय सरकार ।
(८) अ य कृत्रिम व्यक्ति (An artificial juridical person)

१ व्यक्ति (Individual)

व्यक्ति से तात्पय किसी भी व्यक्ति से होता है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । व्यक्ति पर कर उसके निजी नाम पर लगता है । व्यक्ति की स्थिति सस्थाओ से भिन्न होती है और प्राय सस्थाओ के कर दे चुकने के बाद भी व्यक्ति पर कर

निर्धारण की कार्यवाही की जाती है। अनेक देशो मे व्यक्ति को ही वास्तविक तथा अंतिम रूप मे करदाता मानते हैं। संस्थाओ पर कर को एक प्रकार से उद्गम स्थान पर कर वसूली मान लिया जाता है क्योकि अन्त मे व्यक्ति के आय की अनुसार ही उसमे परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की आय पर कर देना पडता है।

१. **निजी आय**—यदि व्यक्ति स्वय कोई नौकरी, व्यापार, व्यवसाय अथवा अन्य कोई कार्य करता है तो इस साधन से होने वाली आय पर उसे कर देना पडेगा।

२. **संयुक्त हिन्दू-परिवार की आय का भाग**—यदि कोई करदाता किसी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है तथा सदस्य के रूप म उसे कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर न तो कर लगता है और न उसे व्यक्ति की कुल आय मे सम्मिलित किया जाता है, चाहे संयुक्त परिवार न उस पर कर दिया हो या न दिया हो। परन्तु यदि किसी सदस्य ने स्वय कोई रोजगार या व्यवसाय किया हो तो उस पर व्यक्ति के रूप मे उसे कर देना पडेगा।

३ **रजिस्टर्ड फर्म की आय का भाग**—यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड फर्म मे साझीदार है तो फर्म से प्राप्त होने वाला लाभ उसकी आय मे जोड दिया जावगा। इसके बाद यदि फर्म ने स्वय कर दिया है, उस कर मे उसके हिस्से के बराबर छूट दी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म मे एक चौथाई का हिस्सेदार है और फर्म ने ४०० रु० कर दिया है तो उसे चौथाई भाग अर्थात् १०० रु० के बराबर छूट मिलेगी। यदि फर्म ने कोई कर न दिया हो तो उसे इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। फर्म की व्यापारिक आय पर केवल आयकर की छूट मिलती है, अन्य आय पर अधिकर की भी छूट मिलती है।

४ **बिना रजिस्ट्री की फर्म का भाग**—यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्री वाली फर्म का साझीदार है तथा फर्म ने उस पर कर दिया है तो फर्म के हिस्से की आय को उसकी कुल आय में जोड दिया जाता है, बाद मे अपने हिस्से की कर पर उसे छूट दी जाती है। यदि फर्म ने कोई कर नही दिया है तो कोई छूट न मिलेगी।

५ **अन्य संस्थाओं के लाभ का अंश**—यदि व्यक्ति किसी अन्य संस्था अथवा समुदाय का सदस्य है तथा सदस्य के रूप मे उसे कोई आय प्राप्त होती है तो उसे भी उसकी आय मे जोड दिया जावेगा।

६ कम्पनी का लाभाश—यदि व्यक्ति किसी कम्पनी का अशधारी है तथा इस रूप मे उसे कोई लाभाश प्राप्त होता है तो उसे भी उसकी कुल आय मे जोड दिया जाता है। यद्यपि पुरानी व्यवस्था को, जिसके अनुसार यह माना जाता था कि कम्पनी कर दाताओ के बदले कर देती है, समाप्त कर दिया गया है, फिर भी कम्पनी उद्गम स्थान पर ३०% की दर से कर काट लेती है। लाभाश को सम्पूर्ण बनाकर उसे कुल आय मे जोड दिया जाता है, परन्तु काटे हुए कर के बराबर छूट बाद मे दी जाती है।

७. अन्य व्यक्तियो की आय—निम्नलिखित दशाओ मे अन्य व्यक्तियो की आय भी व्यक्ति की आय मे जोड दी जाती है।

(१) यदि व्यक्ति ने किसी सम्पत्ति की आय को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया हो परन्तु स्वय सम्पत्ति को अपने अधिकार मे रक्खा हो, उस आय को उसकी निजी आय ही माना जावेगा। हस्तातरण चाहे नए अधिनियम बनने से पहले हुआ हो या बाद मे, इससे कोई अन्तर नही पडता है। [६०]

(२) यदि सम्पत्ति का हस्तातरण प्रत्यावर्तनशील (Revocable) हो जिसमे हस्तातरण कर्ता को हस्तातरण वापस लेने का अधिकार हो तो उस की आय को हस्तातरण कर्ता की आय माना जायेगा, चाहे वह उसे मिली हो या न मिली हो।

(३) यदि व्यक्ति तथा उसकी पत्नी किसी फर्म मे साझीदार हो तो पत्नी की आय को पति की आय मे जोडा जावेगा। [६४ (i)]

(४) यदि व्यक्ति तथा उसकी नाबालिग सतान एक ही फर्म मे साझीदार हों तो नाबालिग का हिस्सा पिता की आय मे जुड जावेगा। [६४ (ii)]

(५) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम कोई सम्पत्ति लिख दी है, उससे मिलने वाली आय को उसकी निजी आय माना जावेगा।

इसके दो अपवाद हैं।

(अ) यदि सम्पत्ति का हस्तातरण उचित प्रतिफल के बदले किया गया है तो उसकी आय पत्नी की आय मानी जावेगी।

(ब) यदि सम्पत्ति इस शर्त पर हस्तातरित की गई है कि पत्नी पति से अलग रहेगी तो भी उसकी आय पति की आय मे नही जोडी जावेगी। [६४ (iii)]

(६) यदि सम्पत्ति किसी नाबालिग संतान के नाम हस्तांतरित की गई है तो उसकी आय भी हस्तांतरण कर्ता की आय मानी जावेगी।

इसके भी दो अपवाद हैं।

(अ) यदि संतान विवाहित पुत्री है, तो आय हस्तातरण कर्ता की आय मे न जुडेगी।

(ब) यदि हस्तातरण उचित प्रतिफल के बदले किया गया है तो भी उसे हस्तातरणकर्ता की आय मे न जोडा जावेगा। [६४(iv)]

(७) यदि कोई सम्पत्ति बिना उचित प्रतिफल (Consideration) के किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को दी गई है तथा उसकी आय का कोई अश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हस्तातरण कर्ता की नाबालिग सतान अथवा पत्नी को प्राप्त होता है, तो उतना अंश उसकी आय मे जोड दिया जावेगा। नाबालिग सतान में विवाहित पुत्री को सम्मिलित नही किया जाता। [६४(v)]

संयुक्त हिन्दू परिवार

आयकर विधान के अन्तर्गत सयुक्त हिन्दू परिवार के कर निर्धारण की विशेष व्यवस्था है। यद्यपि सयुक्त हिन्दू परिवार के सम्पत्ति सम्बन्धी नियमो का निर्धारण हिन्दू विधि (Hindu Law) के अनुसार होता है परन्तु आयकर विधान सयुक्त हिन्दू परिवार को दूसरे ही अर्थ मे लेता है। आयकर के लिए सयुक्त हिन्दू परिवार मे दो विशेषताओ का होना आवश्यक है।

१. सम्मिलित सम्पत्ति।

२. सहभागिता।

1. सम्मिलित सम्पत्ति (Common Property

यह सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकती है।

१. पैतृक सम्पत्ति—वह सम्पत्ति जो पूर्वजो से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है।

२. पैतृक सम्पत्तिद्वारा प्राप्त सम्पत्ति—वह सम्पत्ति जो पैतृक सम्पत्ति की सहायता से खरीदी अथवा प्राप्त की गई है।

३. व्यक्तिगत सम्पत्ति—यदि सयुक्त हिन्दू परिवार का कोई सदस्य निजी काम द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित करता है अथवा उसे सयुक्त परिवार के साधनो के

अतिरिक्त अन्य साधनो से कोई सम्पत्ति प्राप्त होती है तो उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहा जावेगा। यदि परिवार के किसी सदस्य ने सम्पत्ति अर्जित करने के लिए संयुक्त परिवार से ऋण लिया हो तो भी उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जावेगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति तभी माना जा सकता है, जब लिखित रूप से उसका हस्तांतरण संयुक्त परिवार को कर दिया गया हो।

२ सहभागिता (*Coparcenary*)

परिवार में कम से कम दो वयस्क ऐसे होने चाहिए जो सम्पत्ति को बँटवाने के अधिकारी हो। यदि किसी परिवार मे एक ही व्यक्ति हो तो उसका कर निर्धारण व्यक्ति के समान होगा, संयुक्त हिन्दू परिवार की भाँति नही, भले ही पहले वह संयुक्त परिवार रहा हो। पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध मे भारत मे से दो प्रकार के नियम प्रचलित हैं।

(क) दाय भाग।

(ख) मिताक्षर।

दायभाग

यह नियम बंगाल मे प्रचलित है। इसके अनुसार पुत्र को पैतृक सम्पत्ति मे अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। अपने जीवनकाल मे पिता स्वयं निजी सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्ति दोनो पर पूर्ण अधिकार रखता है और इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कुछ पैतृक सम्पत्ति प्राप्त की है, परन्तु उसके भाई नही हैं तो अपने पुत्रो के होते हुए भी उन्हें सहभागी नही माना जावेगा और उस पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा। परन्तु उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् यदि उसके दो या अधिक पुत्र हैं तो वे सम्पत्ति के सहभागी माने जावेंगे और उसे संयुक्त हिन्दू परिवार माना जा सकेगा।

मिताक्षर

यह नियम भारत के अन्य स्थानों मे प्रचलित है। इससे पुत्र को जन्म के साथ ही पैतृक सम्पत्ति म अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अन्तर्गत वह सम्पत्ति दो प्रकार की होती है। (१) वह सम्पत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त हुई है (२) वह सम्पत्ति जो उसकी स्वयं अर्जित है। पहले प्रकार की सम्पत्ति पर उसके पुत्रों का जन्म से ही अधिकार हो जाता है। पिता को सम्पत्ति के प्रबन्ध का

अधिकार तो होता है परन्तु उसे बेचने, रेहन करने अथवा अन्य प्रकार से अलग करने का अधिकारी नहीं होता। इस प्रकार यदि किसी परिवार मे एक ही पुरुष सदस्य है शेष लड़कियाँ या विधवाएँ हैं तो उसे सयुक्त परिवार नही माना जा सकता तथा उसका कर निर्धारण व्यक्ति के समान होगा।

संयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण

(Assessment of H U F)

सयुक्त हिन्दू परिवार के कर निर्धारण के दो अग है।

(१) सयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण।

(२) सदस्यो का कर निर्धारण।

१ सयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण

सयुक्त हिन्दू परिवार पर कर उसी प्रकार लगाया जाता है जैसे वह एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो। उस पर आयकर तथा अधिकर दोनो ही स्वतन्त्र रूप से लगते हैं। कर को अदा करने का भार परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्ता पर होता है।

सयुक्त हिन्दू परिवार को कर सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

(१) यदि परिवार की आय ६००० रु० तक है तो उस पर कोई कर न पडेगा परन्तु गत वर्ष मे निम्नलिखित दो शर्तों मे किसी एक का पूरा होना आवश्यक है।

(क) उसके कम से कम दो वयस्क सदस्य हो जो सम्पत्ति विभाजन कराने के अधिकारी हो।

(ख) दो सदस्य हो जो विभाजन कराने के अधिकारी हो परन्तु एक दूसरे के वशधर न हो (जैसे पिता पुत्र) अथवा एक ही व्यक्ति के वशधर न हो।

(२) यदि सयुक्त परिवार की आय २०,००० रु० से कम है तो उस पर विवाहित व्यक्ति के समान ही कर लगेगा। यदि परिवार मे एक भी नाबालिग सहभागी नही है तथा ऊपर भाग (१) मे वर्णित शर्तों मे एक भी पूरी नही होती तो

करमुक्त आय की सीमा ३००० रु० होगी, यदि एक नावालिग सहभागी है तो ३३०० रु० यदि दो या अधिक नावालिग सहभागी है तो ३६०० रु० होगी ।

(३) यदि सयुक्त परिवार कोई व्यापार करता है तो वह किसी सदस्य को वेतन दे सकता है। परन्तु उसे दिखलाना पडेगा कि वेतन उचित तथा आवश्यक है और सदस्य ने उसके बदले अपनी सेवाएँ अर्पित की है। कर्ता को किसी प्रकार का वेतन नही दिया जा सकता है।

(४) सयुक्त परिवार मे बीमे की छूट तथा सचयी डिपाजिट (Post office Cumulative deposits) मे रुपया जमा करने पर छूट की सीमा व्यक्ति की अपेक्षा दूनी है। दोनो को मिलाकर यह सीमा कुल आय के १/४ अथवा २०,००० (जो भी कम हो) कर दी गई है। बीमे के लिए किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी का बीमा कराया जा सकता है।

२ सयुक्त परिवार के सदस्य का कर निर्धारण

यदि सयुक्त परिवार का कोई सदस्य अपना निजी व्यापार अथवा व्यवसाय करता है अथवा उसकी कोई निजी सम्पत्ति है तो उस पर उसे व्यक्ति के समान ही करदेना पडेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य मुख्य नियम इस प्रकार है।

(१) यदि किसी व्यक्ति को सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के रूप मे कोई आय प्राप्त हुई है तो वह आय पूर्णतया कर मुक्त रहेगी। न तो वह उसकी कुल आय मे जोडी जायेगी न उस पर कोई कर लगेगा। यदि सयुक्त परिवार ने स्वय कर न दिया हो तो भी कोई अन्तर नही पडेगा।

(२) यदि कोई सयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार का लाभ उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जावेगा। भले ही उसने सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए धन लिया हो।

(Sir Padampat Singhania Vs CIT, 1953)

(३) यदि कोई अविभाज्य सम्पत्ति है जैसे प्रतिभूतियाँ, मकान भूमि इत्यादि तो जिस व्यक्ति के अधिकार मे वे होगी उसकी सम्पत्ति मानी जायेगी। तथा उनसे होने वाली आय उनकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जायेगी। परन्तु यदि उस सम्पत्ति की आय से किसी सदस्य को कोई गुजारे की रकम देनी पडे तो उसे सम्पत्ति की आय से घटा दिया जावेगा।

(४) यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता परिवार के बदले किसी फर्म का साझीदार बनता है अथवा किसी कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेन्ट बनता है तो उसकी आय परिवार की आय मानी जावेगी। परन्तु यदि वह निजी हैसियत से ऐसा करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत आय समझी जायेगी। कोई व्यक्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की ओर से सदस्य बना है इसकी मुख्य पहिचान यह है कि उसने रुपया संयुक्त परिवार से लिया हो। परन्तु यदि अन्य कोई सदस्य मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो उसका कमीशन उसकी निजी आय माना जायेगा।

(५) यदि किसी संयुक्त परिवार के सदस्य फर्म के रूप मे काम करते है तो उसे फर्म ही माना जायेगा और उसी के अनुसार कर लगेगा।

(६) मिताक्षर नियम के अन्तर्गत यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता ने कोई सम्पत्ति अपनी पत्नी को उपहार मे दे दी है तो उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नही माना जावेगा और पत्नी को व्यक्तिगत रूप से उस पर कर देना पडेगा।

संयुक्त हिन्दू परिवार का विभाजन

(Division of Hindu Undivided Family)

संयुक्त हिन्दू परिवार का विभाजन दो प्रकार का होता है।

१ पूर्ण विभाजन
२ आंशिक विभाजन

१ पूर्ण विभाजन (Partition)

परिवार का पूर्ण विभाजन निम्नलिखित दशाओ मे माना जावेगा।

(१) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन (Physical division) हो सकता है तो भौतिक विभाजन होना चाहिये। यदि सम्पत्ति को विभाजित न करके केवल आय का विभाजन किया गया है तो उसे विभाजन नही माना जावेगा।

(२ यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव नही है तो जिस प्रकार का भी विभाजन सम्भव है वह किया गया हो। परन्तु यदि केवल स्थिति (Status) मे परिवर्तन किया गया है तो उसे विभाजन नही माना जावेगा।

२. आंशिक विभाजन (Partial Partition)

आंशिक विभाजन दो प्रकार का हो सकता है।

(१) आंशिक रूप से सम्पत्ति विभाजित कर दी गई हो परन्तु कुछ भाग अब भी सम्मिलित परिवार में हो।

(२) कुछ सदस्यों को उनका हिस्सा बांट दिया गया हो, परन्तु शेष सदस्य अब भी संयुक्त परिवार के सदस्य हो।

३. विभाजन का निर्धारण (Determination of Partition)

आयकर के लिये केवल विभाजन ही पर्याप्त नहीं है, आयकर अधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। यदि कर निर्धारण के समय कोई करदाता इस बात की सूचना देता है कि उसका विभाजन हो गया है तो इनकम टैक्स आफिसर उसकी स्वयं जांच करता है, तथा उसके फलस्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक जो भी विभाजन हुआ हो उसे दर्ज करता है। यदि उसे पता चले कि विभाजन नहीं हुआ है तो उसका कर निर्धारण संयुक्त परिवार के रूप में ही किया जावेगा। यदि पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन हुआ मान लिया जाय तो उसका कर निर्धारण उसी के अनुरूप किया जावेगा।

यदि विभाजन वर्ष के बीच में हुआ हो तो आयकर अधिकारी को विभाजन की तारीख भी नोट कर देना चाहिये। उसके पहले कर संयुक्त परिवार के रूप में लगता है परन्तु बाद में व्यक्तिगत रूप से। परन्तु समस्त सहभागी कर की रकम के लिये सम्मिलित तथा पृथक् रूप से उत्तरदायी होते हैं। सहभागियों का पृथक दायित्व संयुक्त परिवार में उनके हिस्से के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कर की वसूली के सम्बन्ध में जो नियम लागू होते हैं वही नियम जुर्माने, ब्याज, तथा अन्य वसूल की जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

कर की दरें

(Rates of Tax)

सन् १९६४ के फाइनेंस एक्ट के अनुसार व्यक्ति तथा संयुक्त परिवार के लिये कर की दरें इस प्रकार हैं।

(१) विवाहित व्यक्तियो तथा संयुक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक नही है।

यदि व्यक्ति के सतान नही है, या सयुक्त परिवार के नाबालिग सहभागी न हो।	यदि व्यक्ति के १ सतान हो अथवा सयुक्त परिवार मे १ नाबालिग सह-भागी हो।	यदि व्यक्ति के २ या अधिक सताने है अथवा सयुक्त परिवार मे २ या अधिक नाबालिग सह-भागी हैं।	दर
प्रथम ३००० पर	३३००	३६००	कुछ नही
अगले २००० ,,	१७००	१४००	३%
२५०० ,,	२५००	२५००	७%
२५०० ,,	२५००	२५००	१०%
२५०० ,,	२५००	२५००	१२%
२५०० ,,	२५००	२५००	१५%
२५०० ,,	२५००	२५००	२०%
२५०० ,,	२५००	२५००	२३%

(२) अविवाहित व्यक्तियो तथा सयुक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २० ००० रु० से अधिक है।

प्रथम १०००	रु०	पर	कुछ नही
अगले ४०००	,,	,,	३%
,, २५००	,,	,,	७%
,, २५००	,,	,,	१०%
,, २५००	,,	,,	१२%
,, २५००	,,	,,	१५%
,, २५००	,,	,,	२०%
,, २५००	,,	,,	२३%
बाकी रकम पर			२५%

SUMMARY

Individual

1. Incomes included in his total income
   - (1) Own income.
   - (2) Share of profit from regist red firm
   - (3) Share of profit from unregistered firm
   - (4) Share of profit from other Associat on of persons
   - (5) Incomes of other people included
     - (i) Income of assets not transferred even though income itself may be transferred
     - *(ii) Income of assets given under revocable transfer.*
     - (iii Share of profit of wife from a firm in which husband is also partner
     - (iv) Share of profit of minor children from the firm in which father is also a partner.
     - (v) Income from asset transferred to his wife

       Exceptions—
       - (a) made for due consideration or
       - (b) made on consideration for living separately.
     - (vi) Income from asset transferred to minor children

       Exceptions—
       - (a) given to married daughter
       - (b) transferred for due consideration
     - (vii) Income from property transferred to any other person or nstitution without consideration equal *to the* benefit derived by his wife or minor children.

H U F

1 Conditions for H U F
   - (i) Joint property.
   - *(ii) Coparcenary*

2. **H U. F** is assessed as an *individual with following* exceptions—
   - (i) Exempted limit is Rs. 6,000

(ii) Limit of rebate for Life insurance premium and Deposits in Cumulative Savings Deposits are double of those allowed for individual It is ¼ of total income or Rs 20 000 in case of H U F

(iii) Salary to karta is not allowed, but to others it is allowed provided they have rendered due service

3 Income from property held separately or business conducted separately by any memb r of H U F will be taxable as his personal income

4 Share of income from H U F in the hands of a member is totally free from tax

5 Income from an impartible estate is taxable in the hands of the owner

6 A, H U F may be divided totally or partially The division whether total or partial will be established only when enquiry has been made by the I T O and his findings recorded to that effect

Practical Illustrations

Illustration 1

Mr X has submitted the following accounts of his income for the year ending 31s March, 1962

1 He is a grain merchant and the net profit from his business after deducting interest on capital Rs 1,000 and salary to his son Rs 1,200 is Rs 1,600

2 He is also a partner in a registered firm holding ½ share His share of profit for the year is Rs 4,000 The firm paid no income tax upon it.

3 He is a member of a H U F, which owns several houses His share of rent after deducting usual charges is Rs 1,200

4 He has paid Rs 1,000 as insurance premium on his own life.

What will be his taxable income

Solution

Statement of the total income of X for the year ending 31st March, 1962

1 Profit from business—		
(1) Own business		
Profit as per P & L A/c	16,000	
Add—		
Int on capital	1,000	
Salary to his son	1,200	18,200
(2) Share from Regd firm		4,000
Total taxable income		22,200

Rebate

Insurance premium 1,000

Note—Income from H U F is not included in the total income

Illustration 2

From the following statement of the income of A, calculate his taxable income for the year ending 31st Dec 1961

1 Profit from his own business Rs 17,000
2 *Dividend (gross)* *Rs 2,000*
3 He is a partner of registered firm with ½ share, to which his wife is also a partner with ½ share His share of profit was Rs 8 000, while that of his wife was Rs 4,000 The firm paid Rs 350 as tax
4 He also owns a house Municipal valuation Rs 6,000, which he has transferred equally among his son and two daughters all of them minors One of the daughters was married last year

Solution

Statement of the income of A for the year ending 31st Dec, 1961

		Rs
1 *Income from property*—		
Municipal valuation	6 000	
Less ⅙ for repairs	1,000	
	5,000	
2/3 share of above		3,333

2	Profit from business—		
	1 Own business	17 000	
	2 Share (his own) from registered firm	8 000	
	3 Share of his wife	4,000	29 000
3	Income from other sources		
	Dividend (gross)		2 000
	Total taxable income		34,333

Rebate—

$$\left(350 \times \frac{3}{8} \right) = \text{Rs } 131, \text{ being}$$

the share of his wife and his own

Illustration 3

Ganesh Prasad, his brother and two major sons of Ganesh Prasad are members of a Hindu Undivided family They submitted the account for the year ending 31st March 1962 as under

1 Profit from joint family business Rs 48000 after deducting the following expenses
Rs 12000 paid as salary to Ganesh Prasad for managing business and another Rs 2400 to his brother for working as accountant

2 The family owns three houses rental values 6000, 4000 and 8000 respectively The first house is occupied by joint family

3 The lives of the two sons of Ganesh Prasad are insured and the premium paid is Rs 12000

4 The family also owns shares jointly Dividend declared upon them was Rs 1600

Solution

1	Profits from business		
	Profit as per Profit and Loss A/c	48,000	
	Add—		
	Salary paid to Karta	12,000	60,000

2	Income from house property		
	Annual value—		
	First house—(6,000 × ½)	3000	
	Second house	4000	
	Third house	8000	
		15,000	
	Less ⅙ for repairs	2,500	12,500
3	*Income from other sources*		
	Dividend		1,600
	Total taxable income		74,100

Rebate

Life insurance premium (being less than ⅙ of total income and Rs 16,000)	Rs 12000

Note —Salary paid to Karta is not allowed, but it is permissible in case of other members provided they have *worked*

Illustration 4

Following persons are members of a Hindu family

1 Ram Prasad (Head of the family and Karta)
2 Gopi Nath (Ram Prasad's brother)
3 Ganga Prasad (Ram Prasad's son, major)
4 Shyama (Gopi Nath s daughter—unmarried)

The details of the income are as follows

1 The family has a grain business which showed a profit of Rs 36 000 after paying Rs 6000 to Ram Prasad as his salary and Rs 4000 to Gopi Nath
2 *The family holds jointly controlling shares in* Public Ltd, Company and Gopi Nath is its managing director He is paid Rs 8000 as commission Gross dividend received by the family on shares is Rs 2000

3. The family owns a house, rental value 3000 per year which was transferred to Shyama without cons deration.
4. Gopı Nath ıs doıng a separate busıness, the profit from which ■ Rs 500^ He had borrowed morey from the joint family to start the business

What will be the taxable income of the family

Solution

1	Profit from business—			
	Profit as per Profit and Loss Account		36000	
	Add—			
	Salary paid to Karta		6003	42000
2	Income from I ouse property			
	Annual value	3000		
	Less ⅙ for repairs	500		2500
3	Income from other sources			
	Dividend—			2000
	Total taxable income			46,500

Note —1. Managing agency commission received by Gopı Nath will be treated as his personal income becau ■ it is earned by him through services rendered It is immaterial that the post has been given to him because of the controlling shares in the hands of the joint family

2 Income from separate business of Gopı Nath will be treated as his personal income irrespective of the fact that he borro ved money from the family

3 Transfer of house to unmarried daughter without due consideration ■ not recogni ed and the same has been taken as the income of the family

१३

करदाता- साझेदारी फर्म तथा समुदाय

[Partnership Firms and Associations]

परिभाषा

आयकर अधिनियम की धारा २ (२३) मे फर्म, साझेदार तथा साझेदारी की वही परिभाषा रक्खी गई है जो साझेदारी अधिनियम १९३२ मे दी गई है, आयकर के लिए नाबालिग को भी साझीदार माना गया है। साझीदारी अधिनियम मे साझीदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

'साझीदारी उन व्यक्तियो के बीच के सम्बन्ध को कहते है, जिन्होने ऐसे व्यापार का लाभ बाटने का समझौता किया है जिसका सचालन समस्त व्यक्तियो द्वारा अथवा सबके बदले किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को साझेदार तथा सम्मिलित रूप से उन्हें फर्म कहा जायेगा।" (धारा ४)

साझीदारी मे इस प्रकार निम्नलिखित लक्षण होते हैं।

(१) इसमे दो या अधिक व्यक्तियो का होना आवश्यक है।

(२) फर्म कोई व्यापार करती हो तथा सभी साझीदार लाभ मे भाग बँटाते हो।

(३) यह कोई आवश्यक नही है कि सभी साझीदार सक्रिय रूप से व्यापार मे भाग लेते हो, कोई एक व्यक्ति सबके बदले काम की देखरेख कर सकता है।

(४) साझेदारी पति तथा पत्नी के बीच मे हो सकती है। यदि पति को फर्म के मामलों में पूरा अधिकार हो तो भी फर्म माने जाने मे कोई अपत्ति नही होगी।

(५) साझेदारी मे नाबालिग को साझेदारी का लाभ तो मिल सकता है परन्तु उसे साझीदार नही माना जाता। आयकर के दृष्टिकोण से बालिग तथा नाबालिग मे इस प्रकार का अन्तर नही किया जाता।

फर्म की रजिस्ट्री

फर्म की रजिस्ट्री की विधि आयकर में साझेदारी से भिन्न है। संक्षेप में उसकी विधि निम्नलिखित है।

१. रजिस्ट्री का प्रार्थना पत्र [१८४]

रजिस्ट्री के लिए सबसे पहिले इनकमटैक्स आफिसर के पास एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक है कि साझेदारी का सविदा हो तथा प्रत्येक साझीदार के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रार्थनापत्र फर्म के जीवन काल मे अथवा उसके भग हो जाने के बाद भी दिया जा सकता है। अन्य आवश्यकतायें इस प्रकार है।

(१) प्रार्थनापत्र आयकर अधिकारी को, जिसे फर्म का कर निर्धारण करना हो दिया जाता है।

(२) प्रार्थनापत्र पर सभी बालिग साझीदारो के हस्ताक्षर हों। यदि फर्म भग हो चुकने के बाद प्रार्थना पत्र दिया जाय तो सभी साझीदार जो फर्म भग होने के समय साझीदार थे हस्ताक्षर करेंगे। यदि किसी साझीदार की मृत्यु हो चुकी हो गो उसका कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर हो अथवा पागल, या मूर्ख हो तो प्रर्थनापत्र पर उसके बदले उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिए जा सकते हैं।

(३) प्रार्थनापत्र गतवर्ष की समाप्ति के पहले देना चाहिए, परन्तु आयकर अधिकारी को उचित कारण होने पर इसके बाद भी प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का अधिकार है।

(४) *प्रार्थनापत्र के साथ साझीदारी का प्रसंविदा तथा उसकी एक प्रतिलिपि* भी होनी चाहिए। यदि आयकर अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि असली संविदा पेश नही किया जा सकता है तो वह उसकी प्रतिलिपि स्वीकार कर सकता है, परन्तु इसकी शर्त यह है कि उस पर सभी बालिग साझीदारो के हस्ताक्षर हो।

(५) प्रार्थनापत्र एक छपे हुए फार्म पर दिया जाता है, जिसे भर कर भेजना पडता है।

(६) पहले *प्रार्थनापत्र प्रतिवर्ष देना पडता था परन्तु अब एकबार स्वीकृत* रजिस्ट्री अगले वर्षों मे भी चालू रहेगी। इसकी दो शर्तें हैं।

(क) फर्म के संविधान तथा साझीदारो के हिस्सो मे कोई परिवर्तन न हुआ हो।

(ख) फर्म आय के विवरण के साथ-साथ इस बात का घोषणा पत्र भेजे, कि फर्म के संविधान तथा साझीदारो के हिस्से मे कोई परिवर्तन नही हुआ है।

यदि इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है तो फर्म को रजिस्ट्री के लिए फिर से प्रार्थनापत्र देना होगा।

२ प्रार्थनापत्र के पश्चात् [१८५]

प्रार्थनापत्र की जाच तथा रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध मे नियम इस प्रकार है।

(१) आयकर अधिकारी प्रार्थनापत्र के आधार पर उसमे लिखित तथ्यों की सत्यता की जाँच करेगा। यदि उसे विश्वास हो जाय कि तथ्य सही है तो वह रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र दे सकता है। परन्तु यदि वह सन्तुष्ट न हो तो प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर सकता है।

(२) *आयकर अधिकारी केवल इस आधार पर प्रार्थनापत्र अस्वीकृत नही* कर सकता कि वह सही रूप मे नही है। उसे करदाता को इस बात का मौका देना चाहिए कि वह एक महीने के अन्दर गलतियाँ सुधार दे।

३. रजिस्ट्री की समाप्ति (Cancellation of registration) [१८६]

यदि आयकर अधिकारी को इस बात का विश्वास हो जाय कि गत वर्ष मे फर्म का अस्तित्व नही था अथवा फर्म द्वारा भेजे हुए तथ्य असत्य है तो वह

रजिस्ट्री को रद कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

(१) फर्म को अपनी बात स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया जाय।

(२) इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर से रजिस्ट्री रद करने की आज्ञा ले ली जाय।

(३) रजिस्ट्री के बाद यदि ८ साल हो चुके हो तो उसे रद नहीं किया जा सकता।

(४) यदि पुराना रजिस्ट्रेशन चालू हो तथा आयकर अधिकारी उसे रद करना चाहता है तो करदाता को १४ दिन का नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।

फर्म के सविधान मे परिवर्तन [१८७]

फर्म के सविधान मे परिवर्तन निम्नलिखित दशाओं मे माना जावेगा।

(१) यदि कोई साझीदार फर्म से अलग हो जाय या नया साझीदार सम्मिलित कर लिया जाय।

(२) यदि किसी एक या अधिक साझीदारो के हिस्से मे परिवर्तन कर दिया जाय।

यदि कर निर्धारण के समय इस बात का पता लग जाय कि फर्म के सविधान मे परिवर्तन हो गया है तो कर निर्धारण उसी आधार पर किया जावेगा जिस आधार पर फर्म का सगठन कर निर्धारण के समय था। इसका मुख्य प्रभाव दो बातों पर पडता है।

(१) प्रत्येक साझीदार के लाभ का हिस्सा निर्धारित करने मे।

(२) यदि किसी साझीदार से कर न वसूल हो सके तो फर्म से कर वसूल करने मे।

फर्म का उत्तराधिकार [१८८]

यदि एक फर्म का उत्तराधिकार किसी दूसरी फर्म को प्राप्त हो जाय तो उस वर्ष दो कर निर्धारण होगे। एक तो समाप्त होने वाली फर्म पर और दूसरा उत्तराधिकारी फर्म पर। कर निर्धारण की विधि निम्नलिखित है।

(१) उत्तराधिकार की तारीख तक की आय पर कर पूर्वाधिकारी को कर देना पड़ेगा। उसके बाद उत्तराधिकारी को।

(२) यदि पूर्वाधिकारी का पता न लग सके तो उत्तराधिकारी को पूरे वर्ष का कर देना पड़ेगा।

(३) यदि पूर्वाधिकारी पर गत वर्ष अथवा उसके पहले वर्ष की कुछ कर की रकम बाकी हो तो उसे उत्तराधिकारी से वसूल किया जा सकता है।

फर्म भंग होना अथवा व्यापार की समाप्ति [१८९]

यदि कोई फर्म भंग हो जाय अथवा उसका व्यापार समाप्त हो जाय तो उस पर आय कर यह समझ कर लगाया जावेगा जैसे फर्म भंग न हुई हो। तथा अधिनियम की समस्त व्यवस्थायें और जुर्माने उसी प्रकार से लागू होंगी।

प्रत्येक व्यक्ति जो फर्म के भंग होने के समय साझीदार था कर की रकम अथवा जुर्माने के लिए व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यदि इस बीच मे किसी साझीदार की मृत्यु हो गई हो तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उसके लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु कानूनी प्रतिनिधि उसी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जावेगा जिस सीमा तक रकम उसकी (मृतव्यक्ति) सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है। उसे अपनी निजी सम्पत्ति से कर की रकम नही देनी पड़ेगी।

यदि फर्म के भग होने से पहले कर निर्धारण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तो फर्म के भंग हो जाने पर भी वह उसी प्रकार चालू रहेगा, जैसे फर्म भग न हुई हो तथा समस्त साझीदार उसके लिए उत्तरदायी होगे।

फर्म पर कर निर्धारण

फर्म प्रायः व्यापार का काम करती है अतएव उसकी कर देय आय का निर्धारण पिछले अध्यायो मे बतलाए हुए नियमो के अनुसार ही होता है। फर्म के सम्बन्ध मे कुछ विशिष्ट बातें इस प्रकार हैं।

१. निम्नलिखित व्यय अमान्य समझे जाते हैं।

(१) साझीदारो को दिया हुआ वेतन, कमीशन, बोनस अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक।

(२) साझीदारो की पूँजी पर ब्याज।

(३) साझीदारो द्वारा फर्म को दिये गये ऋण पर ब्याज।

२ यदि किसी साझीदार ने फर्म को कोई ब्याज दिया हो तो उसे फर्म की आय में जोडा जा सकता है।

३ फर्म को आय को ५ विभिन्न साधनो मे उसी प्रकार बाँटा जाता है जिस प्रकार व्यक्ति की आय को। फर्म की जो आय जिस साधन के अन्तर्गत मानी गई है, साझेदार के व्यक्तिगत कर निर्धारण मे वह उसी मद मे रक्खी जावेगी। उदाहरणार्थ फर्म कर प्रतिभूतियो पर ब्याज से होने वाली आय, साझीदार के लिये भी प्रतिभूतियो पर ब्याज के अन्तर्गत रक्खी जावेगी।

कर निर्धारण के लिए फर्मों को २ भागो मे बाँटा जा सकता है।

(१) बिना रजिस्ट्री की फर्म।

(२) रजिस्ट्री शुदा फर्म।

बिना रजिस्ट्री की फर्म (Unregistered Firm)

बिना रजिस्ट्री की फर्म पर कर निर्धारण के सम्बन्ध म मुख्य नियम निम्नलिखित हैं।

१. फर्म को अपनी आय पर स्वय कर देना पडेगा। इस प्रकार फर्म पर कर व्यक्ति के समान लगता है।

२. यदि फर्म को कोई हानि हो तो साझीदार उसे व्यक्तिगत आय मे अपलिखित नही कर सकते, परन्तु फर्म स्वय अपनी हानि को आगे ले जा सकती और अपनी अगले वर्षों की आय से अपलिखित कर सकती है।

३ साझीदारो के कर निर्धारण के समय फर्म का लाभ उनकी कुल आय मे कर निर्धारण के लिए जुड जाता है, परन्तु बाद मे उस पर छूट मिल जाती है। वे फर्म की हानि को अपने लाभ मे नही घटा सकते।

४ यदि फर्म की आय कर देय सीमा से कम है और इसलिए उसने स्वय कर न दिया हो, तो साझीदार को उस पर छूट (rebate) नही मिलेगी।

रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firm)

१ रजिस्ट्री शुदा फर्म पर दो प्रकार का कर लगता है। एक तो फर्म को

स्वय कर देना पडता और दूसरे साझीदारो को। कर देय वर्ष १९५५ तक फर्म को स्वय कर नही देना पडता था। हानि अथवा लाभ साझेदारो मे बाँट दिया जाता था और उन्ही पर कर लगाया जाता था १९५६ से ४०,००० रु० से अधिक आय होने पर फर्म को स्वय कर देना पडता था। फाइनेस एक्ट १९६२ से कर मुक्त सीमा ४०,००० रु० से घटाकर २५,००० कर दी गई है।

२ यदि फर्म को कोई हानि हो तो साझेदार उसे अपनी व्यक्तिगत आय से अपलिखित कर सकते हैं।

३. साझीदारो का लाभ अथवा हानि उनकी आय मे जोड दिया जाता है और इस प्रकार शुद्ध हानि अथवा लाभ पर कर देना पडता है। परन्तु यदि फर्म ने कोई कर दे दिया है तो साझीदार को अपने हिस्से के अनुसार छूट मिल जाती है।

४ यदि फर्म का कोई साझीदार विदेशी है तो उसके हिस्से का कर निर्धारण कर लिया ज ता है तथा फर्म को स्वय वह कर जमा करना पडता है।

५ यदि कोई साझीदार कर न दे सके तो फर्म को उसके हिस्से का कर देना पडेगा अतएव फर्म को लाभ का ३० प्रतिशत तक अपने पास रोक रखना चाहिए। फर्म का दायित्व अधिक से अधिक ३० प्रतिशत तक ही हो सकता है।

यदि आयकर अधिकारी को यकीन हो कि किसी बिना रजिस्ट्री की फर्म को यदि रजिस्ट्री शुदा मान लिया जाय तो उसमे कर अधिक वसूल होगा तो वह बिना रजिस्ट्री की फर्म को रजिस्ट्री शुदा मान कर उसी के अनुसार कर निर्धारण कर सकता है। [१८३ (b)]

साझीदारो की सख्या

फाइनेंस एक्ट १९६२ मे फर्मो को दो भागो मे बाँटा गया है।

(१) वे फर्में जिनमे साझीदारो की सख्या ५ से कम है।

(२) वे फर्में जिनमे साझीदारो की सख्या ५ या अधिक है। दोनो के लिये कर की दरें इस प्रकार हैं।

			चार या कम साझीदारो मे	५ या अधिक साझीदारो मे
प्रथम	२५०००	रु० तक	कुछ नही	कुछ नही
,,	१५०००	,, पर	५%	७%
,,	२०,०००	,, ,,	६%	८%
,,	४०,०००	,, ,,	७%	९%
,,	५०,०००	,, ,,	८%	१०%
बाकी रकम पर			१०%	१२%

साझीदार का हिस्सा (Share of the Partner)

किसी फर्म में साझीदार का हिस्सा तथा उस पर कर निर्धारण की विधि इस प्रकार है।

(१) पहले साझीदारो को मिलने वाला वेतन, कमीशन, पूजी पर ब्याज अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक उसकी आय मे जोड दिया जाता है।

(२) इसके बाद यदि फर्म को कोई लाभ हुआ है तो उसे समस्त साझीदारो मे बाँट दिया जावेगा।

(३) यदि फर्म को कोई हानि हुई है तो वह इस प्रकार दिये हुये धन मे से घटा दी जायेगी और इस प्रकार उसकी शुद्ध हानि या लाभ का पता लग जायेगा।

(४) यदि साझीदार ने फर्म मे पूजी लगाने के लिए कोई रकम उधार ली है तथा उसे उस पर ब्याज देना पडा है तो ब्याज की रकम उसकी फर्म की आय मे घटाई जा सकती है।

(५) यदि साझीदार रजिस्टर्ड फर्म का साझीदार है तो वह फर्म की हानि को अपनी अन्य साधनो से होने वाली आय से अपलिखित कर सकता है। यदि वह बिना रजिस्ट्री की फर्म का साझेदार है तो वह ऐसा नही कर सकता।

(६) रजिस्टर्ड फर्म के साझीदार को आयकर के अलावा अधिकर की भी छूट मिलती है परन्तु यह छूट व्यापारिक लाभ पर नही प्राप्त होती। यदि फर्म को व्यापारिक लाभ के अलावा अन्य कोई आय प्राप्त हुई हो तो उतने हिस्से पर साझीदारो को अधिकर की छूट मिलेगी।

व्यक्तियों के समुदाय (Association of Persons)

आयकर विधान में कही भी व्यक्तियो के समुदाय की परिभाषा नही दी गई है *अतएव इसके लिये उसके शाब्दिक अर्थ तथा विभिन्न निर्णयो का सहारा लेना* पडता है। जब दो या अधिक लोगो का योग किसी आय के उपार्जन मे होता है तो उसे समुदाय कहगे। समुदाय तथा फर्म का अतर समझना आवश्यक है। फर्म की स्थापना प्रसंविदे द्वारा होती है, उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, उसकी समस्त व्यवस्थाएं साझीदारी कानून के हिसाब से नियन्त्रित होती हैं। समुदाय की स्थापना तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हो सकती है। उस पर साझीदारी कानून नही लागू होता है और न उसकी रजिस्ट्री आयकर विधान के अन्तर्गत हो सकती है।

समुदाय के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है ।

(१) यदि दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित सम्पत्ति को क्रय करें ।

(२) यदि किसी मुसलमान की सम्पत्ति को उसके वारिस एक साथ रक्खे और साथ साथ आय वसूल कर ।

समुदाय पर कर व्यक्ति अथवा बिना रजिस्ट्री की फर्म के अनुसार ही लगता है । अतएव आयकर के दृष्टिकोण से किसी संस्था के समुदाय व्यक्ति अथवा बिना रजिस्ट्री की फर्म माने जाने मे कोई अन्तर नही पडता ।

Illustration 1

A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{4}$ During the year ending 31st March 1962 the firm showed a profit of Rs 40 000 after charging the following items

	A	B
Salary	2000	2000
Interest on capital	1000	2 (0
Commission	1500	500

A had an income of Rs *10 000 from* house p operty while *B* had loss of Rs 6000 from another business Show the taxable income of the firm and the partners when (a) the firm is registered and (b) when it is not registered

Solution

Taxable income of the firm

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		40,000
Add Expenses not allowed		
Partners Salary	4000	
Interest on capital	3000	
Commission to partners	2000	9000
		49,000

If registered, the firm will pay tax on 49000 – 25000 = Rs 24000

If unregistered the firm will pay tax on the whole of Rs 49000

Taxable income of Partners

	A	B
Salary	2000	2000
Interest on capital	1000	2000
Commission	1500	500
Profit	30,000	10000
Taxable income from the firm	34,500	14500

If the firm is registered

A will be required to pay tax on his total income (34500 + 10,000) Rs 44,500 He will get rebate for his share of income tax paid by the firm

B can set off his loss of Rs 6,000 against the income of Rs 14500 and would be liable to pay tax on 8 500 only He will also get rebate for his share of income tax paid by the firm

If the firm is unregistered—

A will pay the same amount of tax

B can set off his loss against in ome of the firm

It is however assumed that loss suffered is either in the individual capacity or as partner of some registered firm If the loss suffered as a partner of unregistered firm the same can not be set off

Illustration 2

X has furnished you with the following particulars of his income and losses for the year ended 31st March 1963.

(a) Income from interest on Securities (gross) Rs 2,400 the income tax deducted at source being Rs 720

(b) Five eighth share of income from B and Co. assessed as an unregistered firm for the year 1962 63 the profits of which were taxed in the hands of the firm Rs 22,000

(c) One half share of loss in A and Co assessed as unregistered firm for the year 1962-63 Rs 10,000

(d) One third share of loss in G & Co also assessed in a registered firm for the year 1962 63, Rs 8,000 You are required to work out for the information of X his total income for assessment year 1962 63 and to indicate whether he will be entitled to benefit of carry forward of his share of losses in the two registered firms

Solution

Statement of total taxable income of X

			Rs
1	Interest on Securities (gross)		2,400
2	Income from business—		
	Profit from unregistered firm	22000	
	Less loss from registered firms	18000	4000
			6400

If the loss from registered firms could not be set off totally against the profits from other sources X would be entitled to carry it forward and set off in the succeeding years

Illustration 3

Following are the particulars of the income of Y from various sources Find out his taxable income and the loss that can be set off

1 Income from house property Rs 1800
2 Income from securities (net) Rs 1400 tax deducted at source Rs 200
3 Share of profit in a registered firm 2400
4 Share of loss in an unregistered firm A B & Son Rs 1600
5 *Share of profit in an unregistered firm C D & Co* Rs 2000

Solution

Statement of the taxable income of Y

		Rs
1	Income from property	1800
2	Interest on Securities (gross)	1600

3 Profit from business

Registered firm	400	
Unregistered firm C D & Co	2000	4400
Total Taxable income		7800

Share of loss in the unregistered firm can not be set off against income from other sources, not even profit from other unregistered firm The loss can be carried forward by the firm itself, and set off against its income during the successive years

Illustration 4

A and B are partners in a firm working in the name of A B & Co During the year ending 31st December 1961 the firm showed a loss of Rs 15000 after deducting the following expenses

	A	B
1. Interest on capital	2000	3000
2 Salary	1000	1200
3 Commission	1800	
4 Interest on loan advanced	500	
	5300	4200

A and B share profits and losses in the ratio of 2 1 Following are other sources of income of the two partners

	A	B
Interest on Securities	1200	3700
Income from other business	9600	

Solution

Taxable profit of the firm

		Rs
Loss as per Profit and Loss Account		15000
Deduct Expenses not allowed.		
1. Interest on Capital	5000	
2. Salary to partners	2200	

3	Commission to partners	1800	
4	Interest on loan advanced	500	9500
	Loss (Net)		5500

Share of the partners

		A	B
1	Interest on Capital	2000	3000
2	Salary	1000	1200
3	Commission	1800	
4	Interest on loan advanced	500	
	Total income from firm	5300	4200
	Less share of loss 15000	—10000	—5000
	Loss from the firm	— 4700	— 800

If the firm is registered

1 A can set off the loss of Rs 4700 against his other income and will be required to pay tax on Rs 6100 (9600+1200 —4700)

2 B can also set off his share of loss of Rs 800 against his other income As his net income will be only Rs 2900 (3700—800), he will not be required to pay any tax

If the firm is unregistered

The partners can not set off the loss of the firm from other sources of their personal income The firm can however, carry forward the loss of Rs 5500 for 8 years and set off against its own profit

A will be required to pay tax on Rs 10800 (9600+1200)

B will also pay tax on Rs 3 00

Illustration 5

A and B are partners in a registered firm sharing profits and losses in the ratio of 3 2 During the year 1961, the firm showed a profit of Rs 40,000 after making allowance for the following deductions

Salary to A	Rs 8,000
Interest to B	Rs. 2,000

The firm has paid tax Rs 1350. Show how it will effect the individual incomes of the partners

Solution

Total taxable income of the firm

	Rs.	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		40,000
Add Expenses not allowed		
Salary to partner A	8000	
Interest to partner B	2000	10,000
		50,000

Distribution of profit among partners.

		A	B
Salary		8000	—
Interest		—	2000
Profit	(3 : 2)	24000	16000
		32000	18000

	A	B
Rebate for tax paid by the firm Tax paid Rs. 1350 divided in the ratio of 3 : 2	810	540

As the whole of the income is from business no rebate for Super Tax will be allowed.

Illustration 6

Ramesh, Mahesh and Naresh, are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 · 1. The profit and loss account of the firm for the year 1961 showed a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items.

Interest on capital

Ramesh	Rs. 4000
Mahesh	Rs. 3,000
Naresh	Rs. 2,000

Salary—

Ramesh	Rs. 1000
Mahesh	Rs. 800
Naresh	Rs. 2000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs. 8000 while Mahe·h and Naresh had no other incomes

Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered (b) when it is unregistered.

(Adapted from Agra B. Com 1949)

Solution

		Rs	Rs
Loss as per Profi and Loss Account			20,000
Less—			
Interest-on capital	Rs		
Ramesh	4000		
Mahesh	3000		
Naresh	2000	9000	
Salary to partners.			
Ramesh	1000		
Mahesh	800		
Naresh	2000	3800	12800
			7200

Share of the partners—	Ramesh	Mahesh	Naresh
Interest on capital	4000	3000	2000
Salary	1000	800	2000
	5000	380	4000
Less share of firms loss	−10000	−7500	−2500
	−5000	−3700	+1500

When the firm is registered

1 Ramesh can set off his share of firm's loss of Rs 5000 against his taxable income from other sources Rs 8,000 As the net income left is only Rs 3000 (8000—5000) he will not be required to pay any tax

2 Mahesh can carry forward his loss of Rs 3700 for 8 years and set off against his income during these years

3 Naresh has net income of Rs 1500 but as it is below the exempted limit he will not be required to pay any tax

When the firm is unregistered

1 The firm itself can carry forward the loss of Rs 7200 for 8 years

2 Ramesh will pay tax on Rs 8000 He is not entitled to set off his loss from unregistered firm against his other sources of income

3 Mahesh can not carry forward the loss of Rs 3700, but he will not be required to pay tax as he has no other source of income

4 Naresh has net income of Rs 1500, but as at it is below exemption limit he will not be required to pay tax

Illustration 7

Profit and Loss Account for 1961 of a firm consisting of three partnes A, B and C (with shares 4, 3, and 1) showed a net loss of Rs 16000 after charging the following items

Interest on Capital A Rs 3,000 B, Rs 2000 C's salary Rs 3000 A's taxable income from other sources is Rs 5000 while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered (b) when it is unregistered

(Adapted from Agra B. Com 1945)

Solution

Taxable income of the firm

		Rs.
Net loss as per profit and Loss Account		16,000
Less—		
	Rs.	
Interest on A's capital	3000	
Interest on B's capital	2000	
Salary to partner C	3000	8000
Net Loss		8000

Share of the partners

	A	B	C
Interest on capital	3000	2000	—
Salary	—	—	3000
	3000	2000	3000
Less share of firms' loss	— 8000	— 6000	— 2000
Net loss	— 5000	— 4000	+ 1000

When the firm is registered

1. A can set off his loss of Rs. 5000 from the registered firm against his other sources of income He will not be required to pay any tax, as his net income will be zero
2. B can carry forward his loss for 8 years, and set off against his income from either firm or any other source.
3. C has income of Rs 1000 but he will not be required to pay any tax as the same is below exemption limit.

When the firm is unregistered

1. The firm can carry forward the loss of Rs. 8000 for 8 years.
2. A can not set off his loss against other sources of income and he will therefore be required to pay tax on Rs. 5000.
3. C will not pay any tax as his income of Rs. 1000 is below exemption limit.

Illustration 8

A, B and C are partners in a registered firm whose Profit and Loss Account for the year ending 31 December 1960 shows a loss of Rs. 30,000 after charging Rs. 10 000 interest on B's Capital

The other incomes of the partners for the same period are A, Rs. 10,000 from director's fees and B Rs 3000 from bank interest C had no other income that year but he claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from preceding assessment year on account of his individual cloth business which he managed himself personally On 1st April 1961 A retired and D joined as a partner taking over A's share

The firm's loss for the year ended 31st December 1961 has been computed at Rs. 12,000 the partners having no other income that year.

State clearly how the assessment, would be made for the years 1961-62 and 1962-63

(Adapted from Raj B Com. 1951)

Solution

Assessment year 1961-62

Taxable income of the firm

	Rs
Loss as per Profit and Loss Account	40,000
Less interest on partners capital	10,000
Net loss	30,000

Shares of the partners—

	A	B	C
Interest on capital	—	10,000	—
Firms Loss	— 10,000	— 10,000	— 10,000
	— 10,000	0	— 10,000

1 A can write off his share of firm's loss against his other income Rs 10,000 His net income will therefore be zero

2 B has net income of Rs 3000 but he will not be required to pay any tax as his income is below examption limit

3 C can carry forward his lo s of Rs 20,000 to the next 8 year The loss from the firm can be carried forward upto 8 years

Assessment year 1962 63

Total loss of the firm 12 months				Rs 12000
proportionate loss upto 1st April (3 months)				Rs 3000
Distribution of loss among partners				
	A	B	C	D
Share of loss upto 1st April (total Rs 3000)	1000	1000	1000	—
Share of loss after this (total Rs 9000)	—	3000	3000	3000
	1000	*4000*	*4000*	*3000*

All the partners can carry forward their loss to next years

Illustration 9

A B and C are three partners in a firm sharing profits and lo ses in the ratio of 4 3 1 The Profit and Lo s Account of the firm for the year ended 31st March showed a net loss of Rs 24 000 after charging the following items

		Rs		Rs		Rs
Interest on Capital	A	2000	B	1000	C	1000
Salary	A	4000	B	3000	C	2000
Commission	A	1500	B	1000	C	500

Taxable income of A from other sources was 7500 while B and C had no other incomes Explain how assessment would be made (a) when the firm s registered (b) when it is unreg stered

[Adapted from Raj B Com 195]

Solution

	Rs
Taxable income of the f rm	
Loss as per profit and Loss Account	*24,000*
Less Expenses not allowed	

1 Interest on partners capital

A	2000		
B	1000		
C	1000	4000	

2 Salary to partners

A	4000		
B	3000		
C	2000	9000	

3 Commission to partners

A	1500		
B	1000		
C	500	"000	16,000
	Net loss		8000

Share of the partners—

	A	B	C
Interest on capital	2000	1000	1000
Salary	4000	3000	2000
Commission	1500	1000	500
	7500	5000	3500
Less share of firms loss	12000	9000	3000
	— 4500	— 4000	+ 500

When the firm is registered

1 A can set off his loss of Rs 4500 from other income and his net income would therefore, be 7500—4500=3000 He will not be required to pay any tax as it is within the exemption limit

2 B can carry forward his loss for 8 years

3 C will not be required to pay any tax, his income being less than taxable limit

When the firm is unregistered

1 A can not set off his firm's loss and will have to pay tax on Rs 7500

2 B can not carry forward the loss, nor can he set it off against his income next year

3 C's position will remain uncharged

4. The firm can carry forward the loss of Rs 8000 for 8 years and set off against its own profit,

Illustration 10

A and B are in partnership under the name of Mr X & Co They share profit and loss in the ratio of 2 and 1 respectively and their profit and loss account for the year ending 31st December 1961 is as follows

		Rs		Rs.
Office salaries		75,000	Gross profit	1,64,000
Gen Expenses		20,000	Other receipts	
Bad debts		5,000	(Business)	19,000
Bad debts reserve		5 000		
Interest on A's loan		6,000		
Partner s salary				
A	6,000			
B	3,000	9,000		
Interest on capital				
A	5,000			
B	10,000	15 000		
Balance				
A	32 000			
B	16,000	48,000		
		1,83 000		1,83,000

A's other incomes for the year 1961 consisted of the following—

1 A net dividend of Rs 2/8/- per share on 2,000 ordinary shares in a jute mill

2 Rs 750 as director's fees

3 Interest on Rs 30 000 3½% Govt. paper

4 Rs 350 interest on postal cash certificates

During the year A paid Rs. 8,500 as premium on his life policy.

Ascertain A's taxable income if the firm is (a) registered (b) unregistered.

[Adapted from Agra B. Com. 1941]

Solution

			Rs.
Total income of the firm.			
Profit as per profit and loss account			48,000
Add inadmissible expenses—		Rs.	
Bad debts reserve		5,000	
Partners salary			
A	6,000		
B	3,000	9,000	
Interest on capital			
A	5,000		
B	10,000	15,000	
Interest on A's loan		6,000	35,000
			83,000

Share of partners

	A	B
Salary	6,000	3,000
Interest on capital	5,000	10,000
Interest on loan	6,000	—
Share of profit (Rs. 53,000)	35,333	17,667
	52,333	30,667

Note—The sum of Rs 53,000 has been arrived at in the following manner

Total income of the firm		83 000
Less income already distributed among partners		
Salary	9,000	
Interest on capital	15,000	
Interest on loan	6,000	30,000
		53,000

Statement of A's Total Income

(a) *When the firm is registered*

			Rs
1	Interest on securities Rs 30,000, 3½% Government paper		1,050
2	Profit from business Share of registered firm		52,333
3	Income from other sources	Rs	
	Director's fees	750	
	Dividend gross	7,143	7,893
	Total taxable income		61,276

Rebate will be available to him in respect of tax paid by the firm on its own profit and insurance premium of Rs 8,500 Interest on Postal Cash Certificates is totally free from tax

(b) *When the firm is unregistered*

A's taxable income will be Rs 61,276

The firm will pay tax on the whole of its income viz Rs 83 000 less usual exemption

A will get rebate on his share of profit from unregistered firm

Illustration 11

A and B are partners in a registered firm Their Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1962 is as follows.

		Rs		Rs.
To Salaries		20,000	By Gross profit	50,000
,, Rent		2,400	,, Dividend (gross)	900
,, Advertisement		2,600	,, Bad debts recovered	1,000
,, Charity		1,000		
,, Bad debts reserve		2,500		
,, Income Tax		5,000		
,, Sundry Expenses		6,000		
,, Interest on capital				
A	1,000			
B	1,000	2,000		
,, Partner's commission				
A	2,500			
B	2,000	4,500		
,, Net profit		5,900		
		51,900		51,900

The item salaries includes partners salaries A, Rs 3,000 and B, Rs 3,000 Furniture purchased for Rs. 2,000 has been debited to Sundry Expenses Find the total income of the partners.

[Adapted from Alld. B. Com 1957]

Solution

	Rs	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		5,900
Add Expenses not allowable		
1. Charity	1,000	
2. Bad debts reserve	2,500	
3 Income Tax	5,000	

4	Interest on partner's capital			
	A	1,000		
	B	1,000	2,000	
5	Commission to partners			
	A	2,500		
	B	2,000	4,500	
6	Salary to partners			
	A	3,000		
	B	3,000	6,000	
7	Capital expenditure		2,000	23,000
				28,900
	Less Dividends			900
	Income from business			28,000
	Total income of the firm			
	1 Income from business			28,000
	2 Income from other sources			900
	Total			28,900

* Balance divisible among partners

Total income of the firm	28,900
Less Amount already distributed (2,000+6,000+4, 00)	12,500
	16,400

---

* This could also be calculated in the following manner

Divisible profit for income tax purposes

Divisible profit as per Profit and Loss Account		5,900
Add—		
Expenses not allowed and not already transferred to partners' account		
Charity	1,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income Tax	5,000	
Capital Expenditure	2,000	10,500
		16,400

Distribution of firms income

	A	B
1. Interest on Capital	1,000	1,000
2. Salaries	3,000	3,000
3. Commission	2,500	2,000
4. Profit (16,400 distributed equally)	8,200	8 200
	14,700	14,200

Illustration 12

A and B are partners in a registered firm sharing profits and losses equally and the following in their Profit and Loss Account.

		Rs.		Rs.
Salaries		10,750	Gross profit	51,040
Rent, rates and insurance		1,200	Interest on tax-free	
Travelling Expenses		954	Government Securities	900
Interest on Bank loan		1,650	Profit on sale of	
Legal charges		1,103	investment	1,200
Discounts		897		
Carriage (Car)		601		
General Expenses		2,050		
Marketing		2,300		
Depreciation (Car)		500		
Interest on Capitals				
A	1,700			
B	1,550	3,250		
Reserve for bad debts		1,000		
Net profit		26,885		
		53,140		53,140

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1962.

1 Salaries include a partnership salary of Rs. 200 p m to B
2 Legal charges consist of Rs 500 for alteration of partnership agreement and balance for debt collection
3 Rs 200 paid as premium on an insurance policy on the life of a debtor is included in the insurance
4 General expenses include Rs 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new type writer
5 The car was used for domestic purpose

(Adapted from Raj B Com 1959)

Solution

				Rs
Net profit as per profit and loss account				26,885
Add Expenses not allowable			Rs	
1	Carriage		601	
2	Depreciation on car		500	
3	Interest on partners capitals			
	A	1,700		
	B	1,550	3 250	
4	Reserve for bad debts		1,000	
5	Partner's salary		2,400	
6	Legal charges for alteration in partnership deed		500	
7	Premium on the life of debtor		200	
8	Capital expenditure			
	Filing cabinet	210		
	Typewriter	360	570	9,021
				35,906
Less—				
Interest on Tax-Free Government Securities			900	
Profit on sale of investment			1,200	2 100
	Profit from business			33,806

Statement of Taxable Income of the firm

1.	Interest on securities	900
2	Profits from business	33 806
	Total taxable income	34,706

Rebate—

Interest on Tax free Government securities 900

प्रश्न

1 State briefly the difference between the registered and unregistered firm

(Agra B Com 1949, 50, 52, 56 58)

2 Differentiate between

(1) Losses of a registered firm and unregistered firm

(2) Assessment of a registered firm and unregistered firm

(Raj B Com 1956)

१४

करदाता–कम्पनी

(Assessees-Company)

कम्पनी की परिभाषा–

आय कर विधान की धारा [२(१७)] मे कम्पनी मे निम्नलिखित सस्थाएं सम्मिलित की गई है ।

(१) कोई भारतीय कम्पनी ।

(२) अन्य कोई सस्था चाहे उसका पजीयन (incorporation) हुआ हो या न हुआ हो, वह चाहे देशी हो अथवा विदेशी परन्तु निम्न-लिखित शर्तों मे किसी एक को पूरा करती हो ।

(क) कर देय वर्ष १९४७ ४८ मे आय कर विधान १९२२ के अन्तर्गत उसका कम्पनी के रूप मे कर निर्धारण हुआ हो अथवा हो सकता हो।

(ख) बोर्ड आफ रैवेन्यू ने किसी सामान्य आर्डर (General order) अथवा विशिष्ट आर्डर द्वारा उसे कम्पनी घोषित कर दिया हो ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कम्पनी की परिभाषा आयकर के लिए, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा से कही अधिक व्यापक है । इसमे समस्त भारतीय तथा विदेशी कम्पनिया तो शामिल हैं ही इसके अलावा अन्य सस्थाएं भी जिनका स्वभाव कम्पनियो के समान है सम्मिलित है ।

कम्पनी जिसमे जनता का पर्याप्त हित है–

आय कर विधान मे ऐसी कम्पनियो के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें जनता का पर्याप्त हित है। अधिनियम की धारा २ (१८) मे निम्नलिखित प्रकार की कम्पनियो को इस वर्ग के अन्दर सम्मिलित किया गया है।

(१) ऐसी कम्पनिया जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ मे है।

(२) ऐसी कम्पनिया जिनके कम से कम ४० प्रतिशत अश सरकार के पास है।

(३) अन्य पब्लिक कम्पनिया जिन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती है।

(क) ५० प्रतिशत से अधिक मताधिकार के अश (निश्चित दर से मिलने वाले लाभांश के अशो को छोडकर) सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अतर्गत स्थापित कारपोरेशन, या जनता (डायरेक्टर अथवा कपनी को छोडकर) के पास गत वर्ष थे।

(ख) गतवर्ष मे किसी स्वीकृत स्टाक एक्सचेन्ज मे उन अशो की खरीद बिक्री हुई है अथवा उसके स्वामियो ने जनता को ऐसे अश बेचे हैं।

(ग) कम्पनी का प्रबन्ध अथवा ५० प्रतिशत से अधिक मताधिकार वाले अश किसी भी समय ५ या उससे कम व्यक्तियो के पास नही थे।

कम्पनी का निवास स्थान–

कम्पनी या तो निवासी (resident) हो सकती है अथवा विदेशी (non-resident)। कोई कम्पनी निवासी निम्नलिखित दशाओ मे हो सकती है।

(१) वह भारतीय कम्पनी हो, अर्थात उसका पजीयन भारत मे भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा किसी विशेष कानून के अन्तर्गत हुआ हो।

(२) उसका प्रबन्ध तथा सचालन पूर्णतया भारत से हुआ हो।

कर सम्बन्धी दायित्व

आय कर के लिए कम्पनी स्वय उत्तरदायी होती हैं। कर देय वर्ष १९५९-६० तक कम्पनी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही था। अतएव कम्पनियो द्वारा दिये गये कर को ऐसा माना जाता था मानो वह अशधारियो के बदले दिया गया हो। परन्तु

कर देय वर्ष १९६०-६१ से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा अब कम्पनी का स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाता है। उसकी स्थिति अशधारियो की स्थिति से भिन्न है।

यदि कम्पनी ने पजीयन (incorporation) से पहले कोई लाभ प्राप्त किया है तो उस पर कर व्यापारिक लाभ के अनुसार ही लगेगा यद्यपि लाभ प्राप्त करने के समय कम्पनी की कोई कानूनी स्थिति न थी।

कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है अतएव आय कर के लिए उसका मुख्य अधिकारी उत्तरदायी माना जाता है। चालू कपनी के लिए उसका सेक्रेटरी, मैनेजर, मैनेजिग एजेन्ट अथवा अन्य कोई व्यक्ति मुख्य अधिकारी (Principal officer) माना जा सकता है। यदि कम्पनी भग होने की दशा मे है तो liquidator को मुख्य अधिकारी माना जावेगा।

कम्पनी को अपने समस्त लाभ पर आयकर तथा अधिकर देना पडता है। उसके लिए न्यूनतम सीमा कुछ भी नही होती है। कर की दर, कर देय वर्ष १९६१-६२ तक आयकर २०% तथा अधिकर के लिए २५% थी अर्थात् प्रत्येक कपनी को अपनी कुल आय पर ४५% कर देना पडता था। कर देय वर्ष १९६२-६३ से आयकर की दर बढाकर २५% कर दी गई है अर्थात् अब प्रत्येक कपनी को साधारण अवस्था मे ५०% की दर से कुल लाभ पर कर देना पडेगा। परन्तु कुछ विशेष प्रकार की कपनियो को विशेष सुविधाएं दी गई है जिनका वर्णन आगे किया गया है।

आय सम्बन्धी विवरण फाइल करना (Filing of Returns)

कपनी को व्यक्तियो के ही समान, अपना आय सबधी विवरण इन्कमटैक्स आफिसर के पास भेजना पडता है। आय कर विधान के अन्तर्गत कपनी को निम्न-लिखित प्रकार की सूचना भेजना अनिवार्य रहता है।

(१) कपनी का कुल आय का विवरण। [१३९ (१)]

(२) विदेशियो को दिये गये ब्याज तथा लाभांश इत्यादि का विवरण। [२०३] ऐसे समस्त भुगतान करते समय कपनी को उद्गम स्थान पर ही, कर काट लेना चाहिए तथा एक विवरण पत्र मे काटी हुई रकम, दर, तथा पाने वालो के नाम, इन्कमटैक्स आफिसर के पास भेज देने चाहिए।

(३) एक निश्चित रकम से अधिक वेतन पाने वालो के नाम व पते—यदि

किसी व्यक्ति का वेतन कर मुक्त सीमा से अधिक है तो कपनी को उस पर उद्गम स्थान पर, कर काट लेना चाहिए। ऐसे समस्त लोगो के नाम व पते तथा काटे हुए कर की रकम इन्कम टैक्स आफिसर के पास प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष आरभ होने के ३० दिन के अन्दर भेज देना चाहिये। [२०६(१)]

(४) ४०० रु से अधिक ब्याज पाने वालों के नाम व पते—यदि कपनी ने किन्ही लोगो को ४०० रु से अधिक ब्याज (प्रति भूतियो पर ब्याज छोडकर) दिया है तो उनके नाम व पते भी इन्कमटैक्स आफिसर के पास १५ जून से पहले प्रतिवर्ष भेजने चाहिये। [२८५]

(५) अशधारियो के नाम व पते—१५ जून से पहले प्रतिवर्ष उन समस्त अशधारियो के नाम व पते भी आयकर अधिकारी के पास भेज देने चाहिये, जिन्हे वास्तव मे लाभांश दिया गया है।

करदेय आय का निर्धारण [Determination of Taxable income]

कम्पनियो का मुख्य कार्य प्राय व्यापार अथवा उद्योग होता है अतएव उनकी कर देय आय बहुत कुछ 'व्यापारिक आय' मे वर्णित नियमो के आधार पर निश्चित की जाती है। कपनी के कर निर्धारण की कुछ निजी विशेषताएँ इस प्रकार है।

धारा १०४

कम्पनियो के सम्बन्ध मे धारा १०४ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुराने अधिनियम मे यह धारा २३ A कहलाती है। नई धारा मे अनेक सुधार किये गये है तथा सबधित नियम धारा १०४ से १०९ तक दिये हैं।

धारा १०४ अविभाजित लाभ के सबध मे है। जिन कपनियो मे किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का अधिकार होता है उसमे लोग लाभाश कम बांट कर आय कर बचाते हैं। इसको रोकने के लिये सरकार ने पिछले अधिनियम मे धारा २३ A का निर्माण किया था। धारा १०४ इस प्रकार है।

"यदि इन्कम टैक्स आफिसर को इस बात का यकीन है कि गतवर्ष मे किसी कंपनी ने अपनी 'विभाजन योग्य आय' मे से 'निर्धारित प्रतिशत' लाभाश के रूप मे नही बांटा है तो वह एक लिखित आर्डर कपनी के पास भेजेगा जिसके अनुसार कपनी को 'अतिरिक्त अधिकर' देना पडेगा।

अतिरिक्त अधिकर की दरें इस प्रकार हैं।

(१) विनियोग कपनी के लिए ५०%

(२) अन्य कपनियो के लिए ३७%

ऊपर की धारा म वर्णित कुछ विशिष्ट वाक्याशो का अर्थ इस प्रकार है। [१०६]

१ विभाजन योग्य आय (Distributable income)— विभाजन योग्य आय से तात्पय कपनी को कुल आय से है। इसम निम्नलिखित खर्चे घटाने योग्य माने जाते है।

(१) आय कर तथा अधिकर। धारा १०४ के अतर्गत अधिकर को छोडकर।

(२) अन्य कोई कर जो घटाया नही गया है।

(३) दान के निमित्त दी हुई रकम जिस पर धारा ८८ के अन्तर्गत छूट मिलती है।

(४) पू जीगत हानिया।

(५) ऐसे देश म उपार्जित आय, जिसके नियमो के अनुसार उसे भारत मे नही लाया जा सकता। परन्तु यदि इस प्रकार भारत मे आय को लाने की पाबन्दी हटा ली जाय तो उसे गत वर्ष (जिसमे पाबन्दी हटाई गई है) की आय माना जावेगा।

(६) बैंको के लिए, बैंकिंग कपनी एक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत रिजर्व फण्ड मे लिखी गई रकम। [१०६ (1)]

२ निर्धारित प्रतिशत (Statutory percentge)—विभिन्न प्रकार की कम्पनियो के लिए विभाजन योग्य लाभाश की दर अधिनियम की धारा [१०५ (iii)] मे दी गई है। ये प्रतिशत निम्नलिखित है।

(१) विनियोग कम्पनियो के लिए ९०%

(२) ऐसी भारतीय कम्पनियाँ, जो निम्नलिखित मे कोई काम करती हो।

(क) निर्माण अथवा प्रोसेस करने का काम।

(ख) खान खोदने का काम।

(ग) विद्युत के निर्माण अथवा वितरण का कार्य।

(घ) अन्य किसी प्रकार की शक्ति का उत्पादन ४५%

(३) जहा सचित लाभ तथा रिजर्व की रकम मिलाकर निम्नलिखित से अधिक हो।

(क) कम्पनी की चुकता पूँजी (ऋण तथा रिजर्व को छोड़ कर)

(ख) स्थायी सम्पत्ति (कम्पनी के खातो मे लिखे मूल्य पर) ६०%

(४) यदि किसी कम्पनी पर आंशिक रूप से ऊपर भाग (२) की शर्तें लागू होती हो तो उतनी आय के लिए दर ४५% होगी शेष रकम के लिए यदि उस पर भाग (३) मे वर्णित शर्तें लागू होती है तो दर ९०%, यदि नही लागू होती तो दर ६०%

(५) अन्य सभी कम्पनियो पर दर ६०%

३. विनिमय कम्पनी स तात्पर्य उस कम्पनी से है जिसका मुख्य कार्य पूर्णतया अथवा मुख्यतया विनिमय करने से है। [१०९ (ii)]

धारा १०४ निम्नलिखित दशाओ मे नही लागू होगी।

१. कम्पनी को पिछले वर्षो मे घाटा होता रहा है अथवा गत वर्ष मे उसे लाभ बहुत कम हुआ है जिसमे घोषित लाभांश से अधिक देना उचित न होगा। [१०४(२-i)]

२ अधिक लाभांश घोषित करने से सरकारी आय मे कोई वृद्धि न होगी। [१०४ (२-ii)]

३ पूँजी का कम से कम ७५ प्रतिशत लगातार गत वर्ष ऐसी भारतीय संस्था या फण्ड के पास रहा जिसकी आय धारा ११ के अंतर्गत कर मुक्त है। [१०४ (२-iii)]

४. यदि विनियोग कम्पनी ने विभाजन योग्य आय का ८० प्रतिशत तक बाँट दिया है। [१०५(१-i)]

५. अन्य किसी कम्पनी के लिए, यदि घोषित लाभांश की दर तथा निश्चित दर मे १० प्रतिशत से अधिक का अंतर नही है। [१०५ (१-ii)]

६ यदि कम्पनी ने अपने रिटर्न मे जो लाभ दिखलाया है उसके हिसाब से लाभांश की दर निर्धारित दर के बराबर है, परन्तु बाद मे इन्कमटैक्स आफिसर न आय को बढा दिया है जिसमे प्रतिशत कम हो गया है।

परन्तु रिटर्न मे लिखित आय तथा आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित आय मे अन्तर निम्नलिखित कारणो से न हुआ हो—

(क) खाता रखने की गलत विधि के कारण

(ख) सही सही तथा पूरे खाते न रखने के कारण

(ग) जान बूझ कर आय को छिपाने के कारण

७. कम्पनी का धारा १४७ के अ तर्गत दुबारा कर निर्धारण हुआ है तथा उसके अनुसार आय बढ जाने के कारण लाभांश की दर जो पहले ठीक थी अब कम हो गई है।

नोट .— ऊपर भाग ४, ५, ६ तथा ७ मे वर्णित कम्पनियों म आय कर अधिकारी सम्बन्धित कम्पनी को इस बात का नोटिस देगा कि उसका लाभांश निर्धारित दर से कम है तथा कम्पनी तीन महीने के अंदर घोषित लाभाश की दर बढा कर निर्धारित दर के बराबर कर देती है तो धारा १०४ न लागू होगी। परन्तु यदि कम्पनी ३ माह के अन्दर दर नही बढा पाती तो धारा १०४ लागू हो जावेगी।

८. ऐसी कम्पनी के लिए जिसमे जनता का पर्याप्त हित है धारा १०४ की पाबन्दी नही लागू होगी। [१०८ (a)]

९. यदि किसी मातहत कम्पनी के शत प्रतिशत अंश एक ही कम्पनी के पास हो तो मातहत कम्पनी पर भी धारा १०४ न लागू होगी। [१०८ (b)]

धारा १०४ से सम्बन्धित अन्य नियम इस प्रकार हैं।

( ) कर देय वर्ष स चार वप बीत जाने पर अथवा कर निर्धारण के बाद एक वप समाप्त हो जाने पर धारा १०४ के अन्तर्गत कारवाई नही की जा सकती। [१०६]

दोनो मे जो भी समय बाद मे होगा वही माना जावेगा।

(२) धारा १०४ के अ तर्गत नोटिस निकालने के पहले, इन्कम टैक्स आफिसर, इस्पेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर की स्वीकृति अवश्य ले लेगा तथा इस्पेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर तभी इस बात की इजाजत देगा जब कि वह सम्बन्धित पक्ष को बुला कर उसे अपनी बात कहने का अवसर द चुका हो। [१०७]

१५

आयकर अधिकारी

[Income Tax Authorities]

भारतवर्ष मे आयकर के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित ६ अधिकारियो की व्यवस्था की गई है।

१. सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू–४।

२. डायरेक्टर आफ इसपेक्शन।

३. कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स।

४ असिस्टेंट कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स।
   (अ) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर।
   (ब) इसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर।

५. इन्कम टैक्स आफिसर।

६ इस्पेक्टर।

प्रत्येक के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारो का वर्णन नीचे दिया जाता है।

१. इस्पेक्टर (Inspector of Income Tax)

यह आयकर अधिकारियो मे सबसे निचली सीढी है। आयकर विधान मे इस्पेक्टर के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख नही है। उसम केवल इतना वर्णन है कि "इन्सपेक्टर को इस अधिनियम के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे वे सब कार्य करने पड़ेगे जो इन्कम टैक्स आफिसर अथवा अन्य कोई अधिकारी उन्हे सौंपे।" [१२८]

इससे स्पष्ट है कि इसपेक्टर को साधारणतया इन्कम टैक्स आफिसर के मातहत काम करना पडेगा। *सामान्य रूप से उनका काम पर्यवेक्षण करना होता है।* यह पर्यवेक्षण सामान्य पर्यवेक्षण (General Survey) हो सकता है, जिसमे इसपेक्टर किसी विशेष क्षेत्र मे जाकर प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता लगाते है तथा कर देय आय होने पर उन्हे नोटिस भेजत हैं। इसके अलावा इसपेक्टर विशिष्ट पर्यवेक्षणों के द्वारा सम्बन्धित मामलों की जाँच भी करते है।

२. इन्कम टैक्स आफिसर (income Tax Officer)

यह आयकर प्रबन्ध म सबसे महत्वपूर्ण कडी है। वास्तविक कर निर्धारण इन्कम टैक्स आफिसर ही करते है। इन्कम टैक्स आफिसर को कमिश्नर तथा इस्पेक्टिंग असिस्टट कमिश्नर के मातहत काम करना पडता है। परन्तु डायरेक्टर आफ इसपक्शन का अधिकार भी उन पर रहता है। [११८ (२)] तथा उपर्युक्त अधिकारियो द्वारा निकाले गए निर्देशो का पालन इन्कम टैक्स आफिसरो को करना होगा। [११६ (२)]

इन्कम टैक्स आफिसर का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित होगा। [१२४]

१ कमिश्नर, इन्कम टैक्स आफिसरो के काम का विभाजन कर देगा। यह विभाजन क्षेत्रीय आधार पर हो सकता है अथवा व्यक्तियो के अनुसार अथवा आय की मदो के अनुसार।

२. *यदि काम का विभाजन क्षेत्रीय आधार पर हुआ है तो उस क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी लोगो के आयकर का निर्धारण उस इन्कम-टैक्स आफिसर द्वारा होगा।* यदि आय, व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त हुई है तो उसका निवास स्थान वहाँ माना जायेगा जहाँ कि व्यापार का काम होता है। यदि व्यापार की एक स अधिक शाखाएँ है तो जहाँ प्रमुख स्थान होगा, वही निवास माना जावेगा।

३ यदि कभी इस बात पर विवाद उत्पन्न हो, कि किसी विशेष व्यक्ति के आयकर निर्धारण का अधिकार किसी विशिष्ट इन्कम टैक्स आफिसर का है *या नही, तो इसका निर्णय कमिश्नर द्वारा किया जायेगा।*

४ निम्नलिखित दशाओ मे कर दाता इन्कम टैक्स आफिसर के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध मे विवाद नही कर सकता।

(अ) आय का हिसाब दाखिल करने के एक महीने बाद अथवा कर निर्धारण समाप्त हो जाने के बाद यदि कर निर्धारण एक माह के अदर हो गया है।

(ब) यदि धारा १३९ (२) अथवा १४८ के अंतर्गत नोटिस देने पर भी आय का हिसाब नही दाखिल किया गया है।

५. कमिश्नर को इस बात का अधिकार है, कि वह आयकर सम्बन्धी किसी मामले को एक इन्कम टैक्स आफिसर से दूसरे इन्कम टैक्स आफिसर को सौंप सकता है। परन्तु इसमे उसे हस्तांतरण का कारण दिखलाना पड़ेगा और करदाता को सूचना देकर अपनी बात करने का मौका देना पड़ेगा। मामले को उस दशा मे भी हस्तांतरित किया जा सकता है जब कि कर निर्धारण की कुछ कार्यवाही हो चुकी हो, तथा इसके लिए दुबारा नोटिस की भी आवश्यकता नही होगी। [१२७]

इन्कम टैक्स आफिसर के अधिकार [१३१]

१ आयकर सम्बन्धी किसी मुकदमे मे इन्कम टैक्स आफिसर को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि सिविल प्रोसीजर कोड (Civil Procedure Code) के अंतर्गत किसी अदालत को प्राप्त होते है। जिन मामलो मे इस प्रकार के अधिकार उसे प्राप्त होंगे वे निम्नलिखित है।

(क) कर देय आय का पता लगाने अथवा जाच करने मे,

(ख) किसी व्यक्ति को अपने यहाँ बुलवाने मे।

(ग) खाते अथवा अन्य कागजात मँगवाने मे।

२ यदि कोई व्यक्ति बुलाने पर जानबूझ कर नही आता, या खाताबही अथवा कागजात माँगने पर उन्हे जानबूझ कर पेश नही करता तो इन्कमटैक्स आफिसर उस पर ५०० रु० तक जुर्माना कर सकता है। [१३१-(२)]

३ यदि इन्कमटैक्स आफिसर आवश्यक समझे तो बही खातो अथवा कागजात को अपने अधिकार मे लेकर रोक सकता है। परन्तु इसकी आवश्यक शर्त यह है कि उसे इसके लिए उचित कारण बतलाना पड़ेगा और यदि वह कागजात को १५ दिन से अधिक रोक रखना चाहता है तो उसे कमिश्नर से आज्ञा लेनी पड़ेगी।

४ कमिश्नर से आज्ञा प्राप्त करके इन्कमटैक्स आफिसर आय की जाँच के लिए किसी भी मकान मे प्रवेश करके उसकी तलाशी ले सकता है, आवश्यक कागजात को अपने अधिकार में ले सकता है, किसी भी बही खाते या अन्य कागजात

पर हस्ताक्षर बना सकता है, उसके किसी भी अश की नकल कर सकता है अथवा आवश्यक कागजात या बहीखातो की सूची बना सकता है। इस प्रकार की पडताल मे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) के नियम लागू होगे। [१३२]

५. सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध मे इन्कमटैक्स आफिसर के निम्नलिखित अधिकार है। [१३३]

(१) किसी फर्म से उनके साझीदारो के नाम, पते अथवा उनके हिस्से से सम्बन्धित सूचना मांगना।

(२) किसी सयुक्त हिन्दू परिवार से प्रबन्धक, तथा अन्य सदस्यो के नाम व पते मांगना।

(३) किसी ट्रस्टी, अभिभावक (Guardian) अथवा एजेन्ट से उन व्यक्तियो के नाम व पते मांगना जिनका कि वह ट्रस्टी, अभिभावक अथवा एजेन्ट है।

(४) किसी कर दाता से ऐसे समस्त लोगो के नाम व पते मागना जिसको किसी वर्ष उसने किराया, व्याज, कमीशन, रायल्टी, दलाली अथवा अन्य कोई वार्षिक वृत्ति दी है। समस्त मामलो म भुगतान की रकम ४०० से अधिक होनी चाहिए।

(५) किसी स्टाक एक्सचेन्ज अथवा वस्तु एक्सचेन्ज के किसी डीलर, दलाल अथवा एजेन्ट से ऐसे लोगो के नाम व पते मांगना, जिनको उसने स्वय अथवा एक्सचेन्ज ने किसी सम्पत्ति की बिक्री अथवा हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे कोई रकम दी हो अथवा प्राप्त की हो। वह ऐसे समस्त सौदे का विवरण भी माग सकता है।

(६) किसी भी अन्य व्यक्ति से (इसमे बैंक भी शामिल है) ऐसी कोई भी सूचना मांगना जो इनकमटैक्स आफिसर की राय मे किसी मामले मे कर निर्धारण के लिए उपयोगी होगी।

(७) इन्कमटैक्स आफिसर यदि आवश्यक समझे तो किसी कम्पनी के सदस्यो के रजिस्टर, ऋणपत्रो के स्वामियो के रजिस्टर (Register of debenture holders) अथवा रेहननामे (Mortgage) के रजिस्टर मे से नाम नोट कर सकता है अथवा कोई भी अश नकल कर सकता है। [१३४]

असिस्टेंट कमिश्नर आफ इनकमटैक्स
(Assistant Commissioner of Income Tax)

असिस्टेट कमिश्नरो की दो श्रेणियां हैं।

(१) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistt. Commissioner)

(२) इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistt Commissioner)

अपीलेट असिस्टेट कमिश्नर

इसका मुख्य कार्य इन्कमटैक्स आफिसरो के मुकदमो की अपील सुनना और उनपर निर्णय देना होता है। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का कार्यक्षेत्र बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा निर्धारित किया जाता है जो भौगोलिक आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर अथवा आय की मदो के आधार पर हो सकता है। अपील सुनते समय अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो इन्कमटैक्स आफिसरो को प्राप्त होते है। उन समस्त अधिकारो का वर्णन पहले किया जा चुका है। अपील इत्यादि के सम्बन्ध मे विस्तार पूर्वक अगले अध्याय म दिया गया है।

इन्सपेक्टिग असिस्टेट कमिश्नर

इसका मुख्य कार्य अपने मातहत इनकमटैक्स आफिसरो के काम का निरीक्षण करना होता है। इनके कार्य क्षेत्र का विभाजन भी अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर की ही भांति होता है। उसे अपने क्षेत्र क कमिश्नर के मातहत काम करना पडता है।

कमिश्नर (Commissioner of Income Tax)

प्रत्येक क्षेत्र मे एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। कमिश्नर का कार्य मुख्यत प्रबन्ध सम्बन्धी होता है। क्षेत्र के समस्त आयकर अधिकारी उसके मातहत काम करते है। उसे द्वितीय श्रेणी के इन्कमटैक्स आफिसर तथा इन्सपेक्टरो की नियुक्ति का भी अधिकार है। कर सम्बन्धी पद्धति के सम्बन्ध मे वह उचित निर्देश निकाल सकता है जिसका पालन समस्त अधिकारियो के लिए आवश्यक होगा। इनकमटैक्स आफिसरो के कार्यक्षेत्र का विभाजन भी वही करता है। आवश्यक समझने पर वह आयकर के मुकदमे को एक इन्कमटैक्स आफिसर से दूसरे इनकमटैक्स आफिसर के पास हस्तांतरित कर सकता है। वह लिखित आज्ञा द्वारा किसी विशेष

मुकदमे अथवा मुक्दमो मे इनकमटैक्स आफिसर अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार, इसपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर को प्रदान कर सकता है अथवा स्वय ले सकता है।

डायरेक्टर आफ् इस्पेक्शन (Director of Inspection)

आयकर सम्बन्धी विशिष्ट मामलो की जाच पडताल तथा उससे सम्बन्धित नियम निर्धारित करने के लिए डायरेक्टर आफ् इस्पेक्शन होता है। इस प्रकार के डायरेक्टरो की तीन कोटियाँ हैं।

१ डायरेक्टर आफ इस्पेक्शन-जाच (Director of Inspection—Investigation)—इसका कार्य बडे-बडे आयकर के मुक्दमो की छानबीन करना तथा बडे बडे कर दाताओ की छिपी रकम का पता लगाना होता है।

२ डायरेक्टर आफ इस्पेक्शन इनकमटैक्स (Director of Inspection-Income Tax) इसका कार्य सामान्य रूप से आयकर सम्बन्धी मामलो की जाच करना तथा उनसे सम्बन्धित नियम निर्धारित करना होता है।

३ डायरेक्टर आफ इस्पेक्शन-अनुसधान तथा प्रकाशन (Director of Inspection—Research, Statistics and Publication)— इसका कार्य आयकर सम्बन्धी अनुसधान करना, उससे सम्बन्धित आंकडे एकत्र करना तथा प्रकाशित करवाना होता है।

४ डिप्टी डायरेक्टर—प्रत्यक डायरेक्टर आफ् इन्सपेक्शन के मातहत कई डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर का पद कमिश्नर के समकक्ष होता है, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर के समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार कुछ इन्कमटैक्स आफिसर दो अफसरो के मातहत हो जाते है, कुछ मामलो मे वे असिस्टेंट कमिश्नर के आधीन होते है तथा उनसे राय लेकर काम करते है, परन्तु कुछ विशिष्ट मामलो मे वे डिप्टी डायरेक्टर इसपेक्शन के अधीन रहते हैं।

बोर्ड आफ् रेवेन्यू (Board of Revenue)

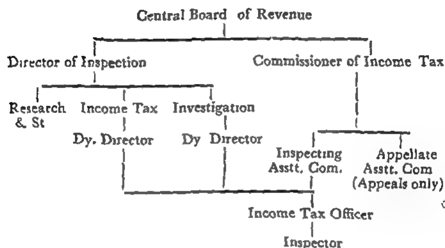
यह आयकर प्रबन्ध की सबसे ऊँची सीढी है। बोर्ड के ५ सदस्य होते हैं जिनमे एक चेयरमैन होता है। शेष चार सदस्य निम्नलिखित चार विभागो का प्रतिनिधित्व करते हैं।

१ आयकर (Income Tax)
२ उत्पादन कर (Excise)
३ तट कर (Customs)

४. अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे धन कर, उपहार कर, इत्यादि।

बोर्ड कर सम्बन्धी अनुसंधान करता है, प्रबन्ध सम्बन्धी नियम निर्धारित करता है, विशिष्ट मामलों मे अपनी सलाह देता है। बहुत से पदाधिकारियों की नियुक्ति का काम बोर्ड के ही जिम्मे होता है।

SUMMARY



प्रश्न

1. Name and describe the functions of various officers of Income Tax department ?
2. Write short notes on the following —
   (1) Central Board of Revenue
   (2) Director of Inspection
   (3) Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax.
3. Describe the powers and duties of Income Tax Officer ?

१६

कर-निर्धारण की विधि

[Procedure of assessment]

आयकर का नोटिस–

आय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे देना पडता है। वर्तमान अधिनियम से पहले दो प्रकार की नोटिसो की व्यवस्था थी। एक तो सामान्य नोटिस, जिसको अखबारो मे १ अप्रैल तथा १ मई के बीच प्रकाशित किया जाता था और दूसरा विशेष नोटिस जिसे खास तौर से लोगो के पास भेजा जाता था। अब आम नोटिस समाप्त कर दिया गया है तथा प्रत्येक करदाता को अपने आप आय का विवरण भेजना चाहिए।

विशेष नोटिस—*यदि आय कर अधिकारी को पता चल जाय कि किसी* व्यक्ति की आय कर देय सीमा के अन्दर है तो वह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले उसे नोटिस दे सकता है तथा नोटिस पाने के ३० दिन के अन्दर उसे आय का विवरण भेजना पडेगा।

आय का विवरण (**Return of Income**)

आय का जो विवरण पेश किया जाता है, उसे आय का विवरण पत्र (Return of Income) कहते है। यह विशेष फार्म पर भरा जाता है जो आय कर के दफ्तर से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की आय के लिए अलग-अलग फार्म का उपयोग होता है। आय के विवरण मे हानि अथवा पूंजीगत हानि का विवरण भी देना पडता है। इससे उस हानि को अगले वर्ष ले जाने तथा भविष्य की आय से अपलिखित करने मे सहायता होगी।

यदि कर दाता कोई व्यापार अथवा व्यवसाय करता है, तो उसे निम्नलिखित सूचना अलग से देनी पडेगी।

(१) व्यापार का नाम, तथा स्थान।

(२) समस्त शाखाएँ।

(३) साझीदारो अथवा सदस्यो के नाम व पते।

(४) कर दाता तथा अन्य सदस्यो या साझीदारो का हिस्सा।

आय के विवरण पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। व्यक्ति के विवरण पर स्वय व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, परन्तु यदि वह देश के बाहर है तो अन्य कोई व्यक्ति जिसको इस बात का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर कर सकता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विवरण तैयार करने मे समर्थ न हो, तो उसका अभिभावक हस्ताक्षर कर सकता है।

सयुक्त हिन्दूपरिवार के लिए कर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए परन्तु यदि वह देश के बाहर हो अथवा मानसिक रूप से काम को देखभाल न कर सकता हो, तो कोई भी बालिग सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है।

कम्पनी तथा स्थानीय सस्था के लिए मुख्य अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। फर्म के लिए कोई साझीदार (नाबालिग को छोडकर) हस्ताक्षर कर सकता है। अन्य संस्थाओ के लिए कोई भी सदस्य अथवा मुख्य अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है।

आय विवरण पेश करने का समय—

आय विवरण पेश करने के समय के सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम लागू होगे।

(१) यदि आय मे व्यापारिक लाभ की कोई रकम सम्मिलित है तो व्यापार का गतवर्ष समाप्त हो जाने के ६ महीने के अन्दर 'आय का विवरण' पेश हो सकता है।

(२) अन्य समस्त लोगो के लिए रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तारीख ३० जून होगी। विशेष परिस्थितियों मे आयकर अधिकारी इसे बढाकर ३० सितम्बर तक कर सकता है।

(३) यदि करदाता की आय मे कोई व्यापारिक आय सम्मिलित है तथा व्यापार के खाते ३१ दिसम्बर से पहले बन्द किये जाते है तो आय कर

अधिकारी तारीख ३० सितम्बर तक बढा सकता है, यदि खाते ३१ दिसम्बर के बाद मे बन्द किये गये हैं तो रिटर्न दाखिल करने की तारीख ३१ दिसम्बर तक बढाई जा सकती है।

(४) उपर्युक्त तारीखो (३० सितम्बर तथा ३१ दिसम्बर) के बाद रिटर्न दाखिल करने पर ६ प्रतिशत की दर से ब्याज देना पडेगा। ब्याज की गणना १ अक्टूबर अथवा १ जनवरी से की जावेगी।

(५) कोई भी व्यक्ति जिसने समय पर आपका विवरण नही भेजा है, कर निर्धारण के पहले किसी भी समय रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसका अधिकतम समय गत वर्ष से सबधित कर देय वर्ष से ४ वर्ष तक होता है। अर्थात् खाते बन्द करने के बाद पडने वाले वित्तीय वर्षो मे ५ साल के अन्दर कभी भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

(६) यदि एक बार रिटर्न दाखिल करने के बाद उसमे कोई सुधार करना हो तो नया रिटर्न बनाकर निर्धारण के पहले किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है।

तात्कालिक कर निर्धारण (Provisional Asessmant) [१४१]

रिटर्न मिल जाने के पश्चात् आय कर अधिकारी तात्कालिक रूप से काम चलाऊ कर निर्धारण कर सकता है तथा कर वसूल कर सकता है। तात्कालिक कर निर्धारण का नियमित कर निर्धारण पर कोई प्रभाव न पडेगा तथा वह इससे अधिक या कम हो सकता है। यदि नियमित कर निर्धारण के अनुसार कर अधिक हो तो बकाया कर उसे और जमा करना पडेगा। यदि वह कम हो तो बाकी रकम उसे वापस मिलेगी। तात्कालिक कर निर्धारण के खिलाफ कोई अपील नही हो सकती।

तात्कालिक कर निर्धारण मे पिछली हानि का जो आगे लाई गई है, विशेष रूप से ध्यान रखना पडता है। किसी साझेदार पर तात्कालिक कर निर्धारण फर्म द्वारा दाखिल किये हुए रिटर्न के आधार पर हो सकता है, चाहे उसने स्वय रिटर्न न दाखिल किया हो।

किसी फर्म पर बिना रजिस्ट्री की फर्म मानकर तात्कालिक कर निर्धारण हो सकता है, परन्तु निम्नलिखित दशाओं मे यह सम्भव नही है।

(१) यदि पिछले वर्ष तक फर्म का कर निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म के रूप मे

हुआ है तथा वतमान रिटर्न के साथ फर्म ने इस बात की घोषणा की है कि फम के सविधान मे कोई परिवर्तन नही हुआ है अथवा रजिस्ट्रेशन चालू रखने का प्रार्थना पत्र दिया है।

(२) यदि फर्म का इससे पहले कोई नियमित कर निर्धारण नही हुआ है तथा फर्म ने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना पत्र दिया है।

नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) [१४२, १४३]

आयकर अधिकारी दाखिल किए हुए रिटन को भलीभांति अध्ययन करता है, इसके पश्चात् यदि वह आवश्यक समझता है तो आय के सम्बन्ध मे अन्य सबूत जैसे बहीखाते, दस्तावेज अथवा अन्य कागजात माग सकता है। इनकमटैक्स आफिसर ऐसी सम्पत्तियो तथा दायित्वो का विवरण भी माग सकता है जिन्हे खातो म सम्मिलित नही किया गया है, परन्तु इसके लिए इन्सपेक्टिर असिस्टेन्ट कमिश्नर की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इनकमटैक्स आफिसर ३ साल से पहले के खाते नही माग सकता है। [१४२(१)]

इनकमटैक्स को आफिसर आय अथवा हानि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की जाच करने का अधिकार है। [१४२ (२)]

यदि इनकम टैक्स आफिसर ने आय विवरण म दी गइ सूचना के अतिरिक्त और कोई सूचना प्राप्त की है तथा वह उसका उपयोग कर निर्धारण के लिए करने वाला है, तो उसे करदाता को बुलाकर उसको अपनी बात कहन का मौका अवश्य देना चाहिए। [१४२(३)] परन्तु यदि इन्कम टैक्स आफिसर को यकीन हो कि आय विवरण मे दी गई सूचना सही है, तो वह करदाता को बिना बुलाए ही कर, निधारण कर सकता है। [१४३(१)]। यदि उसे रिटर्न मे लिखित तथ्य पूर्णतया विश्वसनीय न मालूम पडे तो वह करदाता के नाम नोटिस भेज कर आग और प्रमाण मांग सकता है।

खातो की जाच तथा करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो की जांच करने के पश्चात् इनकम टैक्स आफिसर कर देय आय का निर्धारण कर देता है तथा कर की रकम निश्चित कर देता है।

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण
(Best judgement Assessment)

निम्नलिखित दशाओ मे इनकम टैक्स आफिसर अपने निर्णय के अनुसार करदेय आय तथा कर की रकम निर्धारित कर सकता है। [१४४]

(१) यदि कोई व्यक्ति विशेष नोटिस भेजने के बावजूद आय का विवरण इन्कम टैक्स आफिसर के पास नही भेजता है अथवा धारा [१३९(५)] मे दी गई अवधि समाप्ति होने पर भी रिटर्न नही दाखिल करता है।

(२) यदि वह आयकर अधिकारी द्वारा माँगने पर आवश्यक खाते अथवा कागजात पेश नही करता।

(३) यदि आयकर अधिकारी के सदेह के निराकरण के लिए उचित प्रमाण नही पेश करता।

(४) यदि इन्कम टैक्स आफिसर को खातो की शुद्धता तथा पूर्णता पर विश्वास नही है अथवा जहाँ नियमित रूप से खाते नही रक्खे गये हैं, तो इन्कम टैक्स आफिसर अपने निर्णय के अनुसार कर निर्धारण कर सकता है [१४५(२)]

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण के खिलाफ कर दाता के पास निम्नलिखित उपाय होते हैं।

१. वह कर की माँग (Demand notice) के एक महीने के अन्दर स्वय इनकम टैक्स आफिसर के पास पुराने आर्डर को रद्द करने तथा नए सिरे से कर निर्धारण की अपील कर सकता है। इनकम टैक्स आफिसर निम्नलिखित दशाओ मे उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकता है।

(१) यदि रिटर्न भेजने मे देरी का उचित कारण था।

(२) यदि करदाता को धारा [१४२(१)] तथा [१४३(२)] के अन्तर्गत भेजी हुई नोटिस न प्राप्त हुई हो।

(३) यदि भाग (२) मे वर्णित नोटिसो पर अमल न करने का उसके पास उचित कारण है।

२ वह इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील कर सकता है।

असाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment) [१७४]

इस प्रकार का कर निर्धारण उन व्यक्तियो पर होता है जिनके बारे मे इन्कम टैक्स आफिसर को सदेह है कि वे गत वर्ष के अन्दर अथवा उसके समाप्त होते ही भारत छोडकर चले जावेगे और फिर भारत मे नही लौटेंगे। ऐसे लोगो पर कर अगले वर्ष के बजाय उसी वर्ष लगाया जाता है, जिस वर्ष आय उपार्जित की गई है।

इस प्रकार के कर निर्धारण मे इन्कमटैक्स आफिसर करदाता को जल्दी से जल्दी रिटर्न दाखिल करने का नोटिस दे सकता है जो कम से कम [illegible] दिन तक हो सकता है। आय का लेखा भारत छोडने की सम्भावित तारीख

तक का दिया जाता है। यदि कई साल से कर निर्धारण नही हुआ है तो पिछले वर्षों का भी कर निर्धारण इसी समय होगा। प्रत्येक वर्ष का कर निर्धारण अलग-अलग होता तथा उस वर्ष मे चालू कर की दरो के आधार पर किया जावेगा।

यदि किसी समय की आय का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो आय कर अधिकारी अपने विवेक के अनुसार उसका निर्धारण करेगा।

यदि पहले धारा [१३६(२)] अथवा [१४८(१)] के अन्तर्गत कोई नोटिस निकाला जा चुका है तो रिटर्न दाखिल करने की अवधि धारा [१७४] के अन्तर्गत निकाली हुई नोटिस के अनुसार मानी जायेगी। अर्थात् यदि इस नोटिस में ७ दिन की अवधि दी गई है तो रिटर्न ७ दिन के अन्दर ही दाखिल करने होंगे चाहे पहले अधिक समय हो क्यो न दिया गया हो।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Addtional Assessment)

इसे दुबारा कर निर्धारण (Reassessment) भी कहते है। एक बार कर निर्धारण हो जाने तथा उसका भुगतान हो जाने के बाद भी यदि आयकर अधिकारी को विश्वास हो कि कुछ आय कर लगने से छूट गई है तो वह दुबारा नोटिस निकाल कर फिर से कर निर्धारण की कार्यवाही कर सकता है।

इस प्रकार का नोटिस निम्नलिखित दशाओ मे निकाला जा सकता है।

(१) यदि कर देय आय कम आँकी गई है।

(२) यदि कर निर्धारण की दर कम है।

(३) यदि आवश्यकता से अधिक छूट मिल गई है।

(४) यदि ह्रास उचित से अधिक प्रदान किया गया है।

इस प्रकार की भूल चाहे करदाता की गलती के कारण हो अथवा अन्य कारणो से, दुबारा कर निर्धारण का नोटिस दिया जा सकता है। यदि करदाता ने कोई सूचना छिपाई नही है फिर भी करदेय आय किसी कारण से कम लग गई है तो भी दुबारा कर निर्धारण किया जा सकता है। करदाता दुबारा कर निर्धारण से बचने के लिये यह दलील नही दे सकता कम कर निर्धारण आयकर अधिकारी की गलती से हुआ है, उसने कागजात पेश कर दिये थे और सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके इनकम टैक्स आफिसर उचित कर निर्धारण कर सकता था।

नोटिस—यदि इनकम टैक्स आफिसर को इस प्रकार दुबारा कर निर्धारण करना हो तो वह करदाता के पास इस प्रकार का नोटिस भेजेगा। नोटिस मे सभी आवश्यक बातो पर सूचना माँगी जाती है। इन्कम टैक्स आफिसर को दुबारा कर निर्धारण की कार्यवाही चालू करने के लिए कारण भी देना होगा। [१४८]

समय की सीमा (Time limit)—धारा १४७ के अन्तर्गत दुबारा कर निर्धारण करने के लिए समय की सीमा होती है जो निम्नलिखित है।

(१) यदि कर म कमी करदाता की साजिश अथवा भूल के कारण नही हुई है तो सम्बन्धित कर देय वर्ष (जिस वर्ष उस आय पर कर लगना चाहिये) के बाद ४ वर्ष तक इस प्रकार का नोटिस निकाल कर दुबारा कर निर्धारण किया जा सकता है।

(२) यदि कर म कमी करदाता की गलती से हुई है तो समय की सीमा ८ साल होगी।

(३) यदि उस वर्ष आय कर स बची हुई रकम ५० हजार से ऊपर है तो समय की सीमा १६ साल होगी।

पुराने अधिनियम म यदि आयकर ने बची हुई आय १ लाख से ऊपर हो उसक लिए समय की काई सीमा नही थी। परन्तु ३१ मार्च १९४१ के पहल की आय का फिर से कर निर्धारण नही हो सकता था। नये एक्ट मे अधिकतम सीमा १६ साल कर दी गई है।

चार साल बाद नोटिस निकालने के लिये कमिश्नर की अनुमति आवश्यक है [१५१(२)] तथा ८ साल बाद नोटिस निकालने के लिए बोर्ड आफ रेवेन्यू की अनुमति आवश्यक है। [१५१(१)]

यदि दुबारा कर निर्धारण किसी अपीलेट अधिकारी के निर्णय को लागू करने अथवा उसकी आज्ञानुसार किया गया है तो समय की उपर्युक्त सीमा लागू नही होगी। [१५०]

दुबारा कर निर्धारण मे कर की दरें वही होगी तथा समस्त सुविधाएँ वही लागू होगी जो सम्बन्धित करदेय वर्ष मे थी।

कर का अग्रिम प्रदान करना (Advance payment of Tax)

कर अग्रिम में भुगतान की योजना द्वितीय महायुद्ध के समय लागू की गई। उसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना तथा सरकार के आर्थिक साधनो को मजबूत करना था। इस योजना का नाम "जैसे कमाओ वैसे ही

चुकाओ (Pay as you earn) रक्खा गया था। अग्रिम भुगतान मे करदाता को कर उसी वर्ष देना पड़ता है जिस वर्ष आय प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध मे मुख्य नियम इस प्रकार हैं।

१. कर सम्बन्धी दायित्व

(१) कर 'पूँजीगत आय' को छोडकर समस्त आय पर लिया जाता है। यदि किसी आय पर कर उद्गम स्थान मे कट जाता हो तो उस पर भी अग्रिम कर नही देना पड़ेगा।

(२) अग्रिम कर उसी अवस्था मे लगाया जायेगा जब गत वर्ष के कर निर्धारण के अनुसार आय (पूँजीगत लाभ को छोडकर) न्यूनतम करदेय सीमा से २५०० रु० अधिक हो। [२०८ (a)]

२. अग्रिम कर की गणना

अग्रिम कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है।

(क) आयकर अधिकारी द्वारा [२०९]—यदि गत वर्ष उसका नियमित कर निर्धारण किया गया है तो आयकर अधिकारी उसकी करदेय आय पिछले वर्ष के आधार पर निर्धारित्त करेगा। इसका सूत्र इस प्रकार है।

करदेय आय=[पिछले वर्ष की करदेय आय—(पूँजीगत आय+ऐसी आय जिस पर उद्गम स्थान पर कर काटा जायेगा)]

(ख) करदाता द्वारा—निम्नलिखित दशाओ मे स्वय करदाता वर्तमान वर्ष मे अपनी आय का अनुमान भेज सकता है। [२१२]

(१) यदि इनकम टैक्स आफिसर ने अग्रिम कर का नोटिस दिया है और उसे विश्वास है कि उसकी वर्तमान वर्ष की आय गतवर्ष की अपेक्षा कम होगी तो वह अपना निजी अनुमान बना कर भेज सकता है। यदि उसने कुछ किश्तें भुगतान कर दी हैं तो भी वह इस प्रकार का अनुमान बीच मे भेज सकता है। यदि पहली किश्तो मे अधिक रकम जमा कर दी गई है तो उसे अगली किश्तो मे काट लिया जावेगा।

(२) यदि करदाता पर कभी भी पहले कर निर्धारण नही हुआ है और उसका अनुमान है कि उसकी आय करदेय सीमा (न्यूनतम कर मुक्ति सीमा+२५०० रु०) से अधिक है तो वह स्वय अपना अनुमान वित्तीय वर्ष म १ मार्च से पहले इनकम टैक्स आफिसर के पास भेज देगा।

यदि करदाता ने स्वय अपना अनुमान दिया है और उसके अनुसार अग्रिमकर बाद मे निर्धारित कर के ७५% से कम है तो ऐसी बकाया रकम पर ४% की दर से व्याज देना पडेगा। परन्तु यदि कर की रकम नए वित्तीय वर्ष मे कर की दर बढ जाने के कारण बढ गई है तो यह नियम न लागू होगा। [१५]२

३ भुगतान की किश्ते (Instalments of payment)

(१) अग्रिम कर का भुगतान किश्तो मे किया जाता है। सामान्यत चार किश्तें इस प्रकार होती है। १ जून, १ सितम्बर १ दिसम्बर, १ मार्च।

(२) यदि करदाता को किसी आय क लिय गत वर्ष ३१ दिसम्बर के बाद तथा ३० अप्रैल के पहले समाप्त होता है तो उसका अग्रिमकर तीन बराबर किश्तो म १ सितम्बर १ दिसम्बर तथा १५ माच को दिया जावेगा। [२११ (१)]

(३) यदि इनकम टैक्स आफिसर अग्रिम कर का नोटिस भाग (१) मे वर्णित तारीखो मे किसी एक तारीख के बाद देता है तो समस्त कर बाकी तारीखो पर बराबर बराबर देना पडगा। इस प्रकार यदि नोटिस १ सितम्बर के बाद तथा १ दिसम्बर के पहले दिया गया है तो दो किश्तो मे रुपया जमा करना पडेगा। यदि नोटिस १ दिसम्बर के बाद दिया जाय तो एक ही किश्त मे सब रुपया १ मार्च को जमा करना पडेगा। [२११ (२)]

(४) यदि आय मे कुछ रकम कमीशन इत्यादि की है जिसका भुगतान करदाता को किसी किश्त की तारीख के बाद मिलना है तो वह उतनी आय पर अग्रिम कर उस तारीख को रोक सकता है। परन्तु ऐसी आय प्राप्त होते ही १५ दिन के अन्दर उस पर अग्रिम कर जमा करना पडेगा। यदि वह ऐसा नही करता तो उसे ४% की दर से व्याज देना पडेगा। [२१३]

४ अन्य शर्ते

अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध मे अन्य शर्तें इस प्रकार है।

(१) अग्रिम कर के लिए दर चालू कर देय वर्ष मे प्रचलित दरो पर लगाया जावेगा।

(२) नियमित कर निर्धारण के समय जो भी कर देय रकम होगी, उसमे से अग्रिम कर घटाकर बाकी रकम देनी पडेगी। यदि नियमित कर निर्धारण के अनुसार कर अग्रिम कर से कम है तो बाकी रकम वापस दी जावेगी।

(३) यदि कुल अग्रिम कर, देय कर से अधिक है तो अधिक दी गई रकम पर सरकार ४% की दर से ब्याज देगी। ब्याज १ अप्रैल से चालू होगा तथा नियमित कर निर्धारण तक चालू रहेगा। [२१४]

भूल सुधार (Rectification of Mistake) [१५४]

यदि कर निर्धारण में कोई भूल रह गई हो तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। भूल सुधार निम्नलिखित लोग कर सकते है।

(१) इन्कम टैक्स आफिसर स्वय अपने आर्डर में सुधार कर सकता है।

(२) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर स्वय अपने अपील सम्बन्धी निर्णय मे सुधार कर सकता है।

(३) कमिश्नर ने यदि किसी इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय मे धारा २६३ या २६४ के अन्तर्गत सुधार किया है, तो वह बाद मे अपने निर्णय को सही कर सकता है।

भूल सुधार उपर्युक्त अधिकारी स्वयं अपनी इच्छा से अथवा करदाता के ध्यान दिलाने पर कर सकते हैं। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर की गलती की ओर उसका ध्यान करदाता के अलावा इन्कम टैक्स आफिसर भी दिला सकता है।

यदि भूल सुधार से करदाता का भार बढ जाता हो, या उसकी वापसी कम हो जाती हो तो उसको नोटिस दिये बिना सुधार नही किया जा सकता। सुधार हो जाने पर लिखित आर्डर दिया जाना जरूरी होता है। भूल सुधार का अधिकतम समय चार वर्ष है। चार वर्ष बाद उसमे कोई परिवर्तन नही हो सकता।

कर की वापसी (Refund of Tax)

यदि करदाता से आवश्यकता से अधिक कर ले लिया गया है अथवा उद्गम स्थान पर कर काट लिया गया है जब कि उसकी आय अधिकतम कर मुक्त सीमा के अन्तर्गत आती है अथवा उस पर कम दर से कर लगना चाहिए, जबकि अधिक दर से कर काटा गया है, तो करदाता अधिक रकम को वापस ले सकता है। [२३७] कर की वापसी का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने कर दिया है, परन्तु उसकी मृत्यु, दीवालिया हो जाने या अन्य कारण से अयोग्य हो जाने पर उसके प्रतिनिधि को भी वापसी लेने का अधिकार होता है।

रिफण्ड की रकम चार साल के अन्दर अवश्य ले लेनी चाहिए। रिफण्ड के लिए प्रार्थनापत्र एक निश्चित फार्म पर देना पड़ता है। यदि अपील के कारण कर की मात्रा घटा दी गई है, तथा पहिले कर जमा किया जा चुका है तो इन्कम टैक्स आफिसर को बाकी रकम वापस करनी पड़ेगी। [२४०]

यदि करदाता की आय मे लाभाश तथा प्रतिभूतियो पर व्याज के अतिरिक्त अन्य आय भी सम्मिलित है तो कर निर्धारण के ३ माह के अन्दर बाकी रकम रिफण्ड कर देना चाहिए। अन्य मामलो मे रिफण्ड मागने के ६ माह के अन्दर दे देना चाहिये। यदि वह इस अवधि के अन्दर नही दे देता तो सरकार को ४% की दर से व्याज देना पड़ेगा।

कर की वसूली (Collection of Tax)

कर निर्धारित हो जाने के पश्चात् अगला काम कर की वसूली का होता है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं।

१. कर जमा करने का नोटिस (Notice of Demand) [१५६]

कर वसूल करने के लिये इनकम टैक्स आफिसर एक कर जमा करने का नोटिस देता है। इस प्रकार का नोटिस न केवल कर के लिए बल्कि व्याज, जुर्माना इत्यादि रकम को जमा करने के लिए भी दिया जाता है। बिना नोटिस पाए करदाता कर जमा करने के लिए बाध्य नही होता और न उसके खिलाफ कार्यवाही ही की जा सकती है।

कर की वसूली दो प्रकार से हो सकती है।

(१) उद्गम स्थान पर कर काटकर

(२) करदाता द्वारा सीधे जमा करके।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction at Source)

निम्नलिखित दशाओ मे रकम का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर कर काट लेना आवश्यक है। कर की रकम उस व्यक्ति को उस साधन से मिलने वाली साल भर की आय के आधार पर काटी जाती है।

१. वेतन—यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान करता है और उसकी कुल रकम करमुक्त सीमा से अधिक है, तो वह उस पर उद्गम स्थान

र ही औसत दर से कर काट लेगा। वेतन मे वे समस्त भुगतान आते है जिन्हे आयकर के अन्तर्गत 'वेतन' की मद मे सम्मिलित किया जाता है।

२. **स्वीकृत प्राविडेंट फण्ड का भुगतान**—साधारणतया स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड का रुपया वापस देने पर कर नही पडता, परन्तु यदि कर्मचारी ने ५ वर्ष से कम सेवा की हो, अथवा अन्य किसी कारण से उसे मिलने वाली रकम पर कर देना पडे तो भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर ही कर काट लेना चाहिए।

३ **मान्यता प्राप्त सुपरएन्युएशन फण्ड का भुगतान**—यदि किसी मान्यता प्राप्त सुपर एन्युएशन फण्ड का भुगतान किसी व्यक्ति को करना हो, तो नियोक्ता के अशदान तथा उसके व्याज पर आयकर तथा अधिकर लगता है। अतएव भुगतान के पहले ऐसी रकम पर कर काट लेना आवश्यक है। [१६२(५)]

४ **प्रतिभूतियो पर व्याज**—यदि 'प्रतिभूतियो पर व्याज' के अन्तर्गत कोई भुगतान करता है तो उसे आय कर तथा अधिकर उद्गम स्थान पर ही काट लेना चाहिए। [१६३]

५. **लाभांश**—कम्पनी लाभांश बाटने के पहले उस पर आयकर तथा अधिकर काट लेती है। परन्तु यदि अशधारी ने इन्कमटैक्स आफिसर से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो कि उसकी आय कर मुक्त सीमा मे अधिक नही है तो उसके लाभाश पर कर नही काटा जावेगा। [१६४]

यदि सरकार अथवा रिजर्व बैंक को कोई व्याज अथवा लाभाश देना हो तो उस पर कर नही काटा जावेगा। [१९६]

६. **विदेशियो को भुगतान**—यदि विदेशियो अथवा विदेशी कम्पनियो को कोई भुगतान व्याज, कमीशन अथवा अन्य आय का भुगतान करना हो, जिस पर कर पडता हो तो भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर ही कर काट लेना चाहिये। [१६५ (१)]

यदि भुगतान करने वाले को यकीन हो कि पाने वाले को समस्त रकम पर कर नही देना पडेगा तो वह इन्कमटैक्स आफिसर के पास करदेय रकम निर्धारित करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और फिर उतनी ही रकम पर कर देना पडेगा। [१६५(२)]

कर काटने वाले का दायित्व

(१) प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को निर्धारित समय के अन्दर काटे हुए कर की रकम सरकारके पास जमाकर देनी चाहिये। [२००]

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे कर काट लेना चाहिए, कर नही काटता, अथवा काटने के बाद उसे सरकार के पास जमा नही करता तो उसके साथ वही कार्यवाही की जायेगी जो कर न देने वाले करदाता के साथ की जाती है। परन्तु उस पर जुर्माने की कार्यवाही तब तक नही की जा सकती, जब तक इनकमटैक्स आफिसर को यह यकीन न हो जाय कि उसने जान-बूझ कर कर नही काटा है अथवा जान-बूझ कर उसे अदा नही किया। [२०१ (१)]

(३) यदि कर इस प्रकार काटा नही गया है अथवा काट कर अदा नही किया गया है तो उसे ऐसे व्यक्ति (जिसे कर काटना चाहिये) की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है। [२०१ (२)]

(४) कर काटने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान पाने वाले व्यक्ति को कर काटने का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। इसमे कर की रकम, दर, जिस पर कर काटा गया है, इत्यादि का हवाला रहना चाहिए। [२०३]

(५) 'वेतन' की रकम से कर काटने वाले व्यक्ति को ३१ मार्च तक निम्नलिखित सूचना इन्कमटैक्स आफिसर के पास भेजनी चाहिये। [२०६]

(i) प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता तथा वेतन के रूप मे दी जाने वाली रकम।

(ii) रकम देने का समय।

(iii) आयकर तथा अधिकर के रूप मे काटी गई रकम।

अन्य नियम

उद्गम स्थान पर कर काटने के सम्बन्ध मे अन्य नियम इस प्रकार हैं।

(१) काटे हुए कर की रकम, भुगतान पाने वाले की आय मानी जाती है। अतएव उसकी आमदनी की गणना करने मे भुगतान की रकम मे कर की रकम भी जोड दी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति को ४६०० रु० वेतन मिला और १०० रु० आयकर के काटे गए तो वेतन ५००० रु० माना जायेगा।

(२) कर काटने की जिम्मेदारी नियोक्ता अथवा सस्था के मुख्याधिकारी की होती है।

उद्‌गम स्थान पर कटने वाले कर की मदें

फाइनेंस एक्ट १९६२ के अनुसार उद्‌गम स्थान पर आयकर तथा अधिकर कटने की दरें इस प्रकार है।

	आयकर (सरचार्ज सहित)	अधिकर (सरचार्ज सहित)
१ कम्पनी के अतिरिक्त अन्य लोगो के लिए		
(क) समस्त आय पर (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियो से मिलने वाले व्याज को छोडकर)	३०	
(ख) इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति विदेशी है तो समस्त आय पर		धारा ११३ (१-b) के अनुसार।
२. कम्पनियो के लिए		
(क) आयकर के लिए–समस्त आय पर (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियो पर व्याज को छोड कर)	२५%	
अधिकर के लिए–समस्त आय पर (भारतीय कम्पनी से मिल लाभाश को छोड कर)		५%
(ख) इसके अतिरिक्त जहां कम्पनी न तो भारतीय कम्पनी है और न उसने भारत के अन्दर लाभाश की घोषणा तथा भुगतान का निर्धारित प्रबन्ध किया है।		
(१) लाभाश की आय पर [धारा ९९ (१–vi) के अन्तर्गत भारतीय कम्पनी से मिले लाभाश को छोडकर]		

(अ) १ अप्रैल १९६१ से पहले स्थापित सहायक कम्पनी का लाभांश ।	कुछ नही
(ब) १ अप्रैल १९५९ से पहले बनी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश पर जो सहायक कम्पनी नही है ।	२०
(स) १ अप्रैल १९५९ से बाद मे स्थापित अन्य समस्त भारतीय कम्पनियो द्वारा घोषित लाभांश पर ।	५%
(२) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी भारतीय कम्पनी को दिये जाने वाली रायल्टी की रकम पर (रायल्टी का प्रसंविदा १ अप्रैल १९६० से पहले हुआ हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो)	२०%
(३) लाभांश के अतिरिक्त अन्य आय पर	३३%

करदाता से कर की वसूली

(Direct recovery from the Tax payer)

जहां कही भी उद्गम स्थान पर कर नही काटा गया है, कर दाता को स्वय ही कर देना पडता है । वास्तव मे कर दाता आय का विवरण भेजते समय स्वय इस बात का उल्लेख कर देता है कि कितनी रकम उद्गम स्थान पर कर के रूप मे काटी गई है । इस प्रकार कुल कर की रकम मे ऐसी काटी हुई रकम घटाकर बाकी रकम का भुगतान उसे करना पडता है ।

करदाता से कर की वसूली को हम दो भागो मे बांट सकते हैं ।

(१) जब करदाता समय पर कर जमा कर देता है ।

(२) जब करदाता कर नही जमा कर पाता ।

क जब करदाता कर जमा कर देता है—

कर जमा करने का नोटिस मिलने के ३५ दिन के अन्दर कर दाता को कर की रकम सरकारी खजाने मे जमा कर देनी चाहिए । परन्तु यदि इन्कमटैक्स आफिसर को यकीन हो कि इससे सरकारी आय को हानि होगी तो वह इन्सपेक्टिंग

असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति लेकर कर जमा करने की अवधि घटा भी सकता है। [१२०(३)]

भुगतान की तारीख के पहिले कर दाता की प्रार्थना पर यदि इन्कमटैक्स आफिसर उचित समझे तो वह भुगतान की अवधि बढा सकता है अथवा किश्तो मे भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। परन्तु किश्तो मे भुगतान करने पर यदि एक भी किश्त का भुगतान समय पर न हो पाया तो करदाता का यह अधिकार छिन जाता है और समस्त बाकी रकम तुरन्त देय हो जाती है। [२२०(५)]

रुपया जमा कर देने पर जमा करने वाले को उसकी रसीद मिल जाती है जिसे वह भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है।

ख जब कर दाता कर नहीं दे पाता

जब कर दाता कर नही दे पाता तो उसे भुगतान न करने वाला कर दाता (assessee in default) मान लिया जाता है। किसी कर दाता को भुगतान न करने वाला निम्नलिखित दशाओ मे माना जा सकता है।

(१) यदि वह नोटिस मिलने के ३५ दिन के अन्दर अथवा जितना समय नोटिस मे दिया हो उसके अन्दर समस्त कर का भुगतान नही करता।

(२) यदि करदाता समय पर किश्त का भुगतान नही कर पाता।

(३) यदि करदाता ने धारा २४६ के अन्तर्गत कर के विरुद्ध कोई अपील की है तो इनकमटैक्स आफिसर उसे फैसला होने तक की छूट दे सकता है।

(४) यदि करदाता को कुछ रकम ऐसे देश से प्राप्त करनी है जिसके कानून के अनुसार उसे उस देश से बाहर नही ले जाया जा सकता तो ऐसी रकम पर कर तब तक नही देय होता जब तक वह भारत मे न लायी जाय और उसको न जमा करने के कारण करदाता को 'भुगतान न करने वाला' नही माना जा सकता।

दण्ड की व्यवस्था

करदाता द्वारा भुगतान रुक जाने पर उसके लिए निम्नलिखित दण्ड की व्यवस्था की गई है।

(१) ब्याज—भुगतान न करने पर या आंशिक भुगतान करने पर बकाया रकम पर करदाता को ४% की दर से ब्याज देना पडेगा।

(२) *जुर्माना—भुगतान न करने पर इन्कमटैक्स आफिसर ब्याज के अतिरिक्त* जुर्माना भी कर सकता है। बार-बार भुगतान रोकने पर जुर्माना की रकम बढा दी जाती है। परन्तु जुर्माना करने के पहले करदाता को अपनी बात कहने का मौका देना आवश्यक है।

वसूली की विधि (Procedure of Recovery)

ला कमीशन तथा त्यागी कमेटी (Direct Tax Administration Committee) के सुझावो के आधार पर वसूली की विधि मे बहुत बडे परिवर्तन कर दिए गए है, तथा वसूली से सम्बन्धित नियम अत्यन्त कठोर बना दिये गये हैं। *इसके मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार है।*

१ *रिकवरी आफिसर द्वारा वसूली*—इन्कमटैक्स आफिसर कर की बकाया रकम के सम्बन्ध मे रिकवरी आफिसर को नोटिस दे सकता है। आयकर विधान की धारा [२ (४४)] के *अनुसार निम्नलिखित अधिकारियो मे किसी को भी* 'रिकवरी आफिसर' बनाया जा सकता है।

(क) जिलाधीश।

(ख) अतिरिक्त जिलाधीश अथवा उसका समकक्ष अधिकारी।

(ग) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई गजटेड आफिसर जिसे इस प्रकार का *अधिकार दिया गया हो।*

भिन्न भिन्न स्थानो के लिये अलग अलग रिकवरी आफिसर होते हैं। नोटिस मिलते ही रिकवरी आफिसर कर वसूल करने की कार्यवाही करता है वह निम्नलिखित काम इस सम्बन्ध मे कर सकता है।

(१) करदाता की चल सम्पत्ति पर अधिकार तथा बिक्री।

(२) करदाता की अचल सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसकी बिक्री।

(३) *करदाता की गिरफ्तारी।*

(४) करदाता की सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसके प्रबन्ध के लिये रिसीवर की नियुक्ति।

नोटिस तथा रिकवरी के सम्बन्ध मे अन्य नियम इस प्रकार है।

(१) कोई भी कर दाता रिकवरी आफिसर से कर के उचित अथवा अनुचित होने पर तर्क नही कर सकता। उसे नोटिस मे दी हुई रकम माननी ही पडेगी।

२, इन्कम टैक्स आफिसर स्वय नोटिस की रकम मे भूल सुधार तथा आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

(३) इन्कमटैक्स आफिसर उचित कारण होने पर नोटिस को वापस भी ले सकता है अथवा उसमे परिवतन कर सकता है।

(४) यदि किसी रिकवरी आफिसर को कर वसूल करने का नोटिस दिया गया है तथा वह केवल आशिक रूप से ही कर वसूल कर पाया है और उसे कर दाता की किसी ऐसी सम्पत्ति का पता लगा है जो किसी अन्य रिकवरी आफिसर के क्षेत्र मे पडता है तो वह उस रिकवरी आफिसर को बाकी रकम वसूल करने के लिए लिख सकता है।

(५) इन्कम टैक्स आफिसर नोटिस निकालने के बाद भी भुगतान का समय बढ़ा सकता है तथा रिकवरी आफिसर को सूचना देकार रिकवरी की कार्यवाही रुकवा सकता है।

(६) इन्कमटैक्स आफिसर को रिकवरी आफिसर के पास नोटिस के बाद जमा की गई कर सम्बन्धी रकम अथवा नोटिस की शर्तो मे दिय जाने वाले परिवर्तनो की सूचना बराबर देते रहना चाहिये।

(७) यदि किसी अपील के कारण कर की रकम घटा दी जाय अथवा वसूली की विधि मे कोई परिवर्तन हो जाय तो इन्कमटैक्स आफिसर को इस बात की सूचना रिकवरी आफिसर के पास भेज देनी चाहिए।

२ अन्य लोगों द्वारा वसूली

(१) यदि करदाता को किसी व्यक्ति से कोई रकम वेतन के रूप मे मिलने वाली है तो इन्कमटैक्स आफिसर वेतन देने वाले को नोटिस देकर वेतन की रकम सरकारी खजाने मे जमाकरने का आदेश दे सकता है। [२२६ (२)]

(२) यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास करदाता की कोई रकम जमा हो तो इन्कमटैक्स आफिसर उस रकम को सीधे कर के रूप मे सरकारी खजाने मे जमा करने का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश बैंक, पोस्टआफिस अथवा बीमा कम्पनी को भी दिया जा सकता है तथा इसके लिए पास बुक, बीमा पालिसी अथवा अन्य किसी प्रकार के कागजात पेश करने की आवश्यकता नही है। यदि किसी के पास करदाता का सयुक्त खाता है तो उसे भी रुकवाया जा सकता है।

(३) कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार भुगतान रोकने का नोटिस दिया गया है, उतनी रकम के लिए कर दाता माना जावेगा। यदि वह भुगतान कर देता है तो इन्कमटैक्स आफिसर उसके खिलाफ कार्यवाही करके रकम उसकी निजी सम्पत्ति से वसूल कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा वसूली—यदि संविधान की धारा २५८ (१) के अन्तर्गत किसी राज्य सरकार को कर की वसूली का अधिकार दे दिया गया है। तो उसकी वसूली स्थानीय करो के साथ साथ की जावेगी। [२२७]

पाकिस्तान से वसूली—यदि करदाता को कोई सम्पत्ति पाकिस्तान मे है तो इन्कम टैक्स आफिसर, सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू की मार्फत पाकिस्तान के कलेक्टर के पास कर की वसूली का पत्र भेज सकता है तथा कलेक्टर को ही रिकवरी आफिसर माना जावेगा। पाकिस्तान के आय कर अधिकारियो को भारत मे भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। [२२८]

कर भुगतान का प्रमाणपत्र (Tax clearance certificate)

कोई व्यक्ति आयकर बचाकर विदेश न भाग जाय इसके लिए आयकर मे निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

१ यदि कोई विदेशी भारत मे रहने के बाद वापस जा रहा हो अथवा भारत का निवासी हमेशा के लिये बाहर जा रहा हो तो विदेश जाने के पहले उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उसके जिम्मे Excess Profits Act 1940, Business Profits Act 1947, Income Tex Act 1922, Wealth Tax Act 1957, Expenditure Tax Act 1957 अथवा Gift Tax 1958 के अन्तर्गत कोई रकम बकाया नही है, अथवा उनकी वसूली की उचित व्यवस्था कर दी गई है। [२३० (१)]

२. यदि कोई जहाजी कम्पनी अथवा वायुयान कम्पनी किसी व्यक्ति को इस प्रकार का प्रमाण पत्र देखे बिना विदेश जाने देती है तो सरकार उससे सारी कर की रकम वसूल कर सकती है। [२३० (२)]

१७

अपील

[Appeal]

करदाता को इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है। अपील के लिये निम्नलिखित अधिकारी होते है।

१. अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर।

२ अपीलेट ट्रिब्यूनल।

३. हाई कोर्ट।

४. सुप्रीम कोर्ट।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)

इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय के विरुद्ध पहली अपील अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास होती है। निम्नलिखित प्रकार के निर्णयो की अपील की जा सकती है।

१. धारा १०४ के अन्तर्गत अविभाजित लाभ पर अतिरिक्त अधिकर लगाने पर।

२. धारा १३१ (२) के अन्तर्गत इन्कम टैक्स आफिसर द्वारा बुलाने पर हाजिर न होने, अथवा मांगे जाने पर कागजात उपस्थित न करने के कारण यदि इन्कम टैक्स आफिसर ने जुर्माना कर दिया हो।

३. धारा १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत कर निर्धारण होने पर। अपील निम्नलिखित आधार पर हो सकती है।

(क) कर देय रकम के सही न होने पर।

(ख) कर की रकम सही न हो।

(ग) हानि की स्वीकृत रकम ठीक न हो।

(घ) करदाता का पद (Status)जिस पर उसका कर निर्धारण हुआ है ठीक न हो। जैसे व्यक्ति, सयुक्त परिवार अथवा कपनी इत्यादि।

४ धारा १४६ के अन्तर्गत करदाता ने कर निर्धारण दुबारा करने का प्रार्थना पत्र इन्कम टैक्स आफिसर को दिया हो और उसने उसे अस्वीकार कर दिया हो।

५ यदि धारा १४ अथवा १५० के अन्तर्गत दुबारा कर निर्धारण हुआ है और वह ठीक नही है।

६. यदि धारा १५४ अथवा १५५ के अन्तर्गत पिछले कर निर्धारण मे कोई परिवर्तन किया गया है जिसमे कर की रकम बढ गई है, अथवा वापसी (refund) की रकम कम हो गई है अथवा करदाता के किसी अधिकार (Claim) को अस्वीकार कर दिया गया है।

७ यदि धारा १६३ के अंतर्गत इन्कम टैक्स आफिसर ने किसी विदेशी के बदले उसका प्रतिनिधि मानकर कर लगा दिया हो।

८ यदि कर दाता को सम्पत्ति उत्तराधिकार मे मिली हो और पूर्वाधिकारी का पता न लगने के कारण अथवा उससे कर न वसूल हो सकने के कारण इकम टैक्स आफिसर ने धारा १७० (२) अथवा १७० (३) के अतर्गत उत्तराधिकारी से कर वसूल कर लिया हो।

९ यदि सयुक्त हिन्दू परिवार के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया हो। (धारा १७१)

१० यदि इन्कम टैक्स आफिसर ने धारा [१८५ (१-b)] अथवा [१८५ (५)] के अतर्गत किसी फर्म को रजिस्टर करने से इकार कर दिया हो।

११. यदि धारा १८६ (२) के अतर्गत किसी रजिस्टर्ड फर्म का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया हो।

१२ यदि कर दाता ने उद्गम स्थान पर कर न काटा हो और इन्कम टैक्स आफिसर ने धारा २०१ के अतर्गत उससे कर की रकम वसूल कर ली हो।

१३ यदि कर के पेशगी भुगतान मे कर दाता ने अपनी आय कम बताई हो और नियमित कर निर्धारण के समय अधिक आय निकलने पर इन्कम टैक्स आफिसर ने बाकी रकम पर धारा २१६ के अंतर्गत व्याज लगा दिया हो।

१४. यदि धारा २३७ के अंतर्गत कर की वापसी (refund) का प्रार्थना पत्र देने पर उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा कम रकम स्वीकृत की गई हो।

१५. यदि निम्नलिखित धाराओ मे से किसी के अंतर्गत जुर्माना किया गया हो।

(क) धारा २२१ के अंतर्गत कर न जमा करने पर।

(ख) धारा २७० के अंतर्गत प्रतिभूतियो के सम्बन्ध मे सूचना न देने पर।

(ग) धारा २७१ के अंतर्गत रिटर्न न दाखिल करने, नोटिस की आज्ञाओ को न मानने अथवा आय को रकम छिपाने पर।

(घ) धारा २७२ के अंतर्गत व्यापार समाप्त हो जाने की सूचना न देने के कारण।

(च) पेशगी कर न जमा करने के कारण।

अपील का अधिकारी कौन है ?

सामान्यतया कर दाता ही अपील का अधिकारी होता है। रजिस्टर्ड फर्म मे जहाँ प्रत्येक साझीदार पर अलग-अलग कर लगना है कोई भी साझीदार फर्म की कर देय आय के सम्बन्ध मे अपील कर सकता है [२४७]। यदि आयकर अधिकारी ने किसी व्यक्ति से उद्गम स्थान पर कर काटने के लिए कहा हो तो वह ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। [२४८]

अपील की विधि (Procedure of Appeal)

अपील निर्णय की सूचना मिलने के ३० दिन के अंदर की जा सकती है। परन्तु अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर उचित कारण होने पर इसके बाद भी अपील स्वीकार कर लेते है। प्रत्येक अपील एक निश्चित फार्म के रूप मे की जानी चाहिए। [२४९]

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर सुनवाई की तारीख निर्धारित करता है तथा इसकी नोटिस कर दाता तथा इन्कम टैक्स अफिसर को

देना है। कर दाता तथा इन्कम टैक्स आफिसर दोनों को ही अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है। अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर सुनवाई के समय को स्थगित कर सकता है। अपील का निर्णय करने के पहले यदि वह आवश्यक समझे तो स्वयं कोई जांच कर सकता है अथवा इन्कम टैक्स आफिसर को जांच का आदेश दे सकता है। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अपने लिखित निर्णय को कर दाता तथा कमिश्नर दोनों के पास भेज देता है।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार [२५१]

(१) वह कर निर्धारण को स्वीकार कर सकता है अथवा उसकी रकम घटा बढ़ा सकता है।

(२) इन्कम टैक्स आफिसर को बताए हुए निर्देशों के आधार पर दुबारा कर निर्धारण की आज्ञा दे सकता है।

(३) जुर्माने के खिलाफ अपील में इसी प्रकार परिवर्तन कर सकता है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिये अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। इसमें एसे लोग नियुक्त किए जाते हैं जो कानून तथा बही खाते का विशिष्ट ज्ञान रखते हो। ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार कर दाता तथा इन्कम टैक्स आफिसर दोनों को ही हैं परन्तु इन्कम टैक्स आफिसर को अपील करने के पहले कमिश्नर की अनुमति लेना आवश्यक है। करदाता निम्न-लिखित निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(१) यदि अपील धारा १११ (२), धारा २५० अथवा धारा २७१ के अंतर्गत दिए हुए निर्णय के विरुद्ध की गई हो।

(२) यदि धारा २६३ के अंतर्गत कमिश्नर ने किसी कर निर्धारण की जाँच करके उसमे कर घटा दिया हो अथवा अन्य कोई परिवर्तन कर दिया हो।

(३) यदि धारा २७४ के अंतर्गत इसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई जुर्माना किया हो।

अपील का समय ६० दिन का होता है। यह उस तारीख से गिना जायेगा जब अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का निर्णय पहुँचाया गया हो।

अपील प्राप्त होते ही ट्रिब्यूनल दूसरे पक्ष (इन्कम टैक्स आफिसर अथवा करदाता) को नोटिस देता है और वह ३० दिन के अन्दर अपील के खिलाफ अपने

तर्क भेज सकता है। अपील एक निश्चित फार्म मे होनी चाहिए तथा उसकी फीस १०० रु० जमा करनी पडेगी।

ट्रिब्यूनल मे प्रत्येक मामला एक बेन्च (Bench) के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसमे एक कानून का विशेषज्ञ तथा एक खाते का विशेषज्ञ होता है। यदि किसी मामले मे दोनो की एक राय न हो तो प्रेसीडेन्ट स्वय निर्णय देगा। ट्रिब्यूनल को वे समस्त अधिकार होते हैं जो अन्य किसी आयकर अधिकारी को प्राप्त है।

ट्रिब्यूनल दोनो पक्षो को अपनी बात कहने का मौका देता है। वह स्वय भी आवश्यक जाच कर सकता है या कागजात माँग सकता है। उसका निर्णय दोनो पक्षो के पास भेज दिया जाता है।

हाईकोर्ट

आयकर सम्बन्धी अधिकतर मामलो मे अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है परन्तु यदि मुकदमे मे कोई सामान्य कानून से सम्बन्धित प्रश्न जुडा हो तो उसकी अपील हाईकोर्ट मे भी हो सकती है। हाईकोर्ट मे अपील करने का अधिकार कमिश्नर तथा करदाता दोनो को ही है। इसके लिए समय की सीमा ६० दिन की है, तथा फीस १०० रु० है।

कमिश्नर अथवा करदाता अपील को सीधे हाईकोर्ट नही ले जा सकता। उसे पहिले अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र देना होगा कि वह मुकदमे मे सन्निहित कानूनी मसले पर हाईकोर्ट की राय लेने के लिए उस मुकदमे को हाई कोर्ट मे भेजे। ट्रिब्यूनल इस प्रार्थना पत्र पर विचार करता है, यदि उसकी राय मे उसमे कोई कानूनी प्रश्न लगा है तो वह १२० दिन के अन्दर मुकदमे का विवरण बनाकर हाईकोर्ट मे दाखिल कर देगा।

यदि ट्रिब्यूनल की राय मे उसमे कोई कानूनी प्रश्न नही जुडा है तो वह प्रार्थना पत्र रद्द कर देगा। ऐसी दशा मे अपील करने वाले के पास दो उपाय है। या तो वह अपील ३० दिन के अदर वापस ले ले, ऐसी दशा मे उसकी कोर्ट फीस वापस हो जावेगी। या ट्रिब्यूनल के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट मे अपील करे। हाई कोर्ट सबसे पहले इस बात का निर्णय करता है कि मुकद्दमा हाईकोर्ट मे लाने लायक है या नही। यदि वह इस बात से सहमत हो जाता है कि मुकद्दमा होईकोर्ट मे ले जाने लायक है तो वह ट्रिब्यूनल को मुकद्दमे का विवरण भेजने का आदेश देता है तथा ट्रिब्यूनल को उसकी आज्ञा माननी पडती है।

हाईकोर्ट मे केवल मुकद्दमे के कानूनी पहलू पर बहस होती है। निर्णय के लिए कम से कम दो जज अवश्य रहते हैं। उनमे मतभेद होने पर मुख्य न्यायाधीश स्वय निर्णय देता है। हाईकोर्ट कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय ट्रिब्यूनल के पास भेज देता है और ट्रिब्यूनल उसके अनुसार स्वय अपने निर्णय मे सुधार करके करदाता तथा कमिश्नर के पास भेज देता है।

सुप्रीम कोर्ट (*Supreme Court*)

सुप्रीम कोर्ट मे दो प्रकार के मुकद्दमे जाते है। एक तो सीधे ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट, दूसरे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। यदि मुकद्दमे मे कोई कानूनी प्रश्न लगा है जिस पर विभिन्न हाईकोर्टो की अलग-अलग राय है तो ट्रिब्यूनल स्वय उस मामले का हाईकोर्ट को देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है।

यदि हाई कोर्ट के निर्णय से करदाता अथवा कमिश्नर को सतोष न हो तो वह उस मामले को सुप्रीम कोर्ट मे भेज सकता है। परन्तु उसमें हाई कोर्ट का इस बात का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट मे ले जाने लायक है।

कमिश्नर द्वारा दुबारा जॉच [२६३]

धारा २६३ के अतर्गत कमिश्नर को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी मामले को इन्कम टैक्स आफिसर के पास से मँगा सकता है। उसकी जाँच करने पर यदि उसे पता चले कि इन्कम टैक्स आफिसर का निर्णय सरकारी आय के हित मे ठीक नही है तो वह उसके आर्डर को रद कर सकता है तथा नया आर्डर दे सकता है। इस सम्बन्ध मे उसे जांच करने अथवा आवश्यक प्रमाण मगवाने का अधिकार है। अपने निर्णय द्वारा वह कर वृद्धि भी कर सकता है परन्तु इस के लिए उसे कर दाता को अपनी बात कहने का मौका अवश्य देना चाहिए।

निम्नलिखित दशाओं मे कमिश्नर आर्डर मे परिवर्तन नही कर सकता—

(१) यदि धारा १४७ के अतर्गत दुबारा कर निर्धारण किया गया है।

(२) यदि इन्कम टैक्स आफिसर के आर्डर को निकाले दो वर्ष हो चुके है।

कमिश्नर के निर्णय की अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल मे हो सकती है।

१८

आयकर से सम्बन्धित अन्य समस्याएँ

[Other Problems relating to Income Tax]

१. हानि को अपलिखित करना तथा आगे ले जाना

[Set off and carry forward of losses]

कर निर्धारण के सम्बन्ध मे हानि को अपलिखित करने तथा उसे अगले वर्षों मे ले जाने की सुविधा प्रदान की गई हैं। हानि को अपलिखित करने का तात्पर्य यह है कि एक मद से होने वाली हानि को दूसरे मद से होने वाले लाभ मे घटाया जा सके। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को एक व्यापार से हानि तथा दूसरे व्यापार से लाभ होता है तो हानि को लाभ से कम करके बची हुई रकम पर ही कर लगाया जावेगा। इस सम्बन्ध मे मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार है—

१. यदि एक ही मद के अन्तर्गत दो साधनो से एक मे हानि तथा दूसरे मे लाभ हुआ है तो उस हानि को लाभ मे से अपलिखित किया जा सकता है। जैसे एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ से घटाना [७०]।

२. हानि को अन्य मदो की आय से भी घटाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति को व्यापार मे घाटा लगा हो, तो उसे सम्पत्ति की आय से घटाया जा सकता है [७१]।

३ यदि हानि को पूर्णतया अपलिखित न किया जा सके तो उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा भविष्य के लाभ से अपलिखित किया जा सकता है। यदि व्यापार चालू रहे तो कर देय वर्ष के बाद ८ साल तक बराबर उसे आगे बढाया जा सकता है।

कुछ विशेष प्रकार की हानियो के सम्बन्ध मे नियम इस प्रकार है।

१ सट्टे की हानि (**Losses in speculative business**) [७३]

सट्टे से होने वाली हानि को अन्य किसी लाभ से अपलिखित नही किया जा सकता। उसे सट्टे की आय से ही अपलिखित किया जा सकता है। अतएव यदि गतवर्ष की कोई सट्टे की आय है तो उसे उसमे से अपलिखित किया जा सकेगा। यदि पूर्णतया अथवा आशिक रूप से उसे अपलिखित नही किया जा सकता तो उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा उसी प्रकार के सट्टे अथवा अन्य प्रकार के सट्टे की आय से अपलिखित किया जा सकता है। आगे ले जाने का अधिकतम समय आठ साल है।

२ पूंजीगत हानियां (**Capital losses**) [७४]

पूंजीगत हानि को अन्य किसी लाभ की मद से अपलिखित नही किया जा सकता। उस पूंजीगत लाभ से ही अपलिखित किया जा सकता है, भले ही लाभ किसी अन्य पूंजीगत सम्पत्ति की बिक्री से हुआ हो। यदि किसी पूंजीगत हानि को पूर्णतया अथवा आशिक रूप से उसी वर्ष अपलिखित न किया जा सके तो उसे अगले ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है। कम्पनी को छोडकर अन्य कर दाताओ के लिए यदि हानि ५००० रु० से कम है, तो आगे नही ले जाया जा सकता।

३ रजिस्टर्ड फर्म की हानि [७५]

रजिस्टर्ड फर्म अपनी एक साधन से होने वाली हानि को दूसरे साधन से होने वाले लाभ से अपलिखित कर सकती है। परन्तु यदि किसी वर्ष हानि को पूर्णतया अथवा आशिक रूप से अपलिखित न किया जा सके तो फर्म उसे आगे नही ले जा सकती। हानि साझीदारो के खातो मे डाल दी जाती है, वे उसी वर्ष अपने अन्य साधनो की आय से उसे अपलिखित कर सकते है। यदि पूर्णतया अथवा आशिक रूप से उसे अपलिखित न किया जा सके, तो अगले ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है।

४. बिना रजिस्ट्री की फर्म की हानि [७७]

यदि फर्म रजिस्टर्ड न हो तो व्यक्ति के समान उसे अपनी एक मद से होने वाली हानि दूसरी मदो से होने वाले लाभ से अपलिखित करने का अधिकार है। वह हानि को स्वय ८ साल तक आगे ले जा सकती है। परन्तु साझीदारो को ऐसी फर्म की हानि अपने निजी लाभ से अपलिखित करने का, अथवा उसे आगे ले जाने का अधिकार नही है।

५. फर्म के सविधान मे परिवर्तन होने पर [७८]

यदि किसी साझीदार के रिटायर हो जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण फर्म की सरचना मे कोई अन्तर हा गया है तो मृत अथवा रिटायर्ड साझीदार के हिस्से की हानि को फर्म आगे नही ले जा सकती।

६. कुछ विशिष्ट कम्पनियो की हानि [७९]

यह नियम उन कम्पनियो के लिये बनाया गया है जो अशो मे परिवतन करके आयकर बचाने का प्रयत्न करती है। त्यागी कमेटी ने लिखा है—ऐसे अनेक उदाहरण हमारी निगाह मे आये जहाँ लोगो ने ऐसी कम्पनियो को खरीद लिया जिन्होने पिछले वर्षो मे हानि उठायी हो। इसके बाद अगले वर्षों मे होने वाले लाभ को वे हानि से अपलिखित करते रहे और इस प्रकार कर बचाते रहे।* अतएव कमेटी के सुझाव पर अधिनियम मे यह परिवर्तन कर दिया गया है कि "यदि किसी कम्पनी का स्वामित्व बदल गया हो तो वह पिछले वर्षो की हानि को आगे नही ले जा सकती।"

यह निम्नलिखित दशाओ मे नही लागू होगा।

(१) यदि कम से कम ५१% मताधिकार के वोट अब भी उन्ही लोगो के हाथ मे है जिनके पास पहले थे।

(२) यदि कम्पनी ऐसी कम्पनी है जिसमे जनता का पर्याप्त हित है।

(३) यदि आयकर अधिकारी को विश्वास हो कि स्वामित्व परिवर्तन कर बचाने की नियत से नही किया गया है।

---

* Report of the Direct Taxation Administration Enquiry Committee. P. 184

हानि का विवरण (Return of Losses) [८०]

हानि का विवरण भी उसी प्रकार आयकर अधिकारी के पास भेजना चाहिए जिस प्रकार लाभ का। आयकर अधिकारी लाभ के ही समान हानि की मात्रा भी निर्धारित करता है। यदि हानि का विवरण नही भेजा गया है तो उसे आगे ले जाने का अधिकार न होगा।

फाइनेंस एक्ट १९६२ के परिवर्तन

फाइनेन्स एक्ट १९६२ के अनुसार हानि को अपलिखित करने अथवा आगे ले जाने के सम्बन्ध मे काफी परिवर्तन किये गये है। वे परिवर्तन इस प्रकार हैं।

(१) फाइनेंस एक्ट म अल्पकालीन पूंजीगत सम्पत्ति तथा दीर्घकालीन पूजीगत सम्पत्ति मे भेद किया गया है। जो सम्पत्ति कर दाता एक वर्ष से अधिक अपने पास नही रखता, उसे अल्पकालीन पूजीगत आय माना गया है, इससे अधिक समय तक रखने को दीर्घकालीन पूजीगत आय माना गया है।

(२) अल्पकालीन पूजीगत हानि को किसी भी पूजीगत लाभ से अपलिखित किया जा सकता है [७० (२-1)] परन्तु दीर्घकालीन पूजीगत हानि को केवल दीर्घकालीन पूजीगत लाभ से अपलिखित किया जा सकता है। [७० (२-11)]

(३) पूजीगत हानि को छोड कर अन्य हानि, प्राय पूजीगत लाभ को छोड कर अन्य लाभ से अपलिखित की जा सकती हैं, परन्तु करदाता को इस बात की सुविधा दी गई है कि वह एसी हानि को पूजीगत लाभ (दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन) से अपलिखित कर सके। [७१ (२)]

(४) अल्पकालीन पूजीगत हानि यदि अपलिखित न की जा सके तो उसे ८ साल तक आगे बढाया जा सकता है, परन्तु दीर्घकालीन पूजीगत हानि को आगे नही ले जाया जा सकता। यदि कोई ऐसी हानि पिछले वर्षो से आगे लाई जा रही हो तो उसे अब आगे नही बढाया जा सकेगा।

२. दुहरे कर से बचत
(Double Taxation Relief)

कभी कभी जब एक देश का निवासी दूसरे देश मे कुछ आय उपार्जित करता है तो उस पर दुहरा कर पड जाता है, एक तो उस देश मे जिसमे कि आय उपार्जित की गई है और दूसरा उस देश मे जिसका कि वह निवासी है। इस दुहरे कर से बचने के लिए सरकार द्वारा छूट दी जाती है।

भारत मे इसके लिए निम्नलिखित नियम हैं।

(१) भारत सरकार ने विभिन्न देशो के साथ इस प्रकार का समझौता कर लिया है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि कौन देश कितनी आय पर कर वसूल कर सकता है। उदाहरणार्थ वेतन सम्बन्धी आय जिस देश मे उपार्जित होगी वही देश उस पर कर वसूल करेगा। जिस देश का वह निवासी है, उसे कर लेने का अधिकार नही है।

इस प्रकार के समझौते दो प्रकार के हैं, एक तो कर की छूट का समझौता (Tax relief) और दूसरा कर मुक्ति का समझौता (Agreement of Tax avoidance) पहले प्रकार के समझौते के अन्तर्गत पहले कर ले लिया जाता है बाद मे उस पर छूट मिलती है। दूसरे प्रकार के समझौते मे कर लिया ही नही जाता।

(२) यदि किसी देश के साथ इस प्रकार का समझौता न हो, और भारत के किसी निवासी को किसी विदेशी आय पर कर देना पड जाय तो उसे ऐसी आय पर भारत मे छूट मिलेगी। यह छूट ऐसी रकम पर मिलती है जिस पर इस प्रकार दुहरा कर पडा हो। छूट की दर भारत तथा विदेश की दरो मे जो भी कम हो मानी जाती है। यदि दोनो की दरें बराबर हो तो भारत की दर लागू होगी।

(३) यदि भारत के किसी निवासी की कृषि सम्पत्ति पाकिस्तान मे है और उस पर उसे कृषि आय कर अथवा लगान देना पडा हो तो भारत मे ऐसी आय पर कर की छूट मिलती है। छूट की रकम भारत की दरो पर कर तथा पाकिस्तान मे दिए हुये करो मे जो भी कम हो उसके बराबर मानी जाती है।

(४) यदि किसी भारतीय फर्म का कोई विदेशी साझीदार है तो उसे ऐसी फर्म के हिस्से पर कर की छूट मिलती है। छूट की दरें ऊपर वर्णित दरो के समान ही हैं।

३. कुल आय तथा कुल संसार की आय
(Total Income and Total world Income)

आय कर के अनुसार कुल आय तथा कुल विश्व की आय का अन्तर रक्खा गया है। धारा २ (४५) के अनुसार कुल आय से तात्पर्य उस समस्त आय से होता है जिस पर धारा ५ के अन्तर्गत कर देय होता है तथा जिसकी गणना एक्ट मे दी हुई विधि के अनुसार की गई हो।

कुल ससार की आय की परिभाषा धारा २ (४६) मे दी गई है। इसके अनुसार कुल ससार की आय मे वह समस्त आय सम्मिलित है जो भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त की गई है। कुल ससार की आय की गणना मुख्यत विदेशी की आय पर कर निर्धारण के लिए की जाती है। उसकी कुल आय मे तो भारत मे अर्जित तथा भारत मे प्राप्त आय आती है, परन्तु कुल ससार मे भारत के बाहर प्राप्त तथा अर्जित आय भी आ जाती है।

४ विदेशियो पर कर निर्धारण (Tax in case of non-resident)

कोई व्यक्ति या तो निवासी हो सकता है अथवा विदेशी। निवासी दो प्रकार का होता है साधारण निवासी तथा असाधारण निवासी। कोई व्यक्ति विदेशी किन दशाओ म कहलाएगा इस सम्बन्ध मे विस्तार पूर्वक तीसरे अध्याय मे बतलाया गया है। उसी अध्याय म इस बात का भी उल्लेख है कि विदेशियो को किस प्रकार की आय पर कर देना पडेगा।

विदेशियो को दो प्रकार की आय पर कर देना पडेगा।

(१) भारत मे उपार्जित आय।

(२) भारत मे प्राप्त आय।

विदेशी स्वय कर दे सकता है अथवा उसका एजेन्ट। धारा १६३ के अतर्गत निम्नलिखित ५ प्रकार के लोग विदेशी के एजेन्ट माने जा सकते हैं।

(१) विदेशी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति

(२) कोई व्यक्ति जिसका विदेशी से व्यापारिक सम्बन्ध है।

(३) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विदेशी को आय प्राप्त होती है।

(४) कोई व्यक्ति, जो विदशी का ट्रस्टी है।

(५) अन्य कोई व्यक्ति जिसने उससे भारत मे पूँजीगत सम्पत्ति प्राप्त की है।

विदेशियो को (कम्पनियो को छोडकर) अपनी समस्त करदेय आय पर अधिकतम दर से कर देना पडेगा। सुपर टैक्स उसी दर पर पडेगा जिस पर निवासियो को देना पडता है, परन्तु उसकी दर १६% से कम नही हो सकती। [११३(१)]

धारा ११३ (३) के अन्तर्गत विदेशियो को इस बात की सुविधा दी गई है कि ऊपर बतलाए हुए नियम के अनुसार अपनी भारत मे अर्जित अथवा प्राप्त रकम पर कर दें अथवा सामान्य दर पर समस्त ससार की आय पर कर दे। इस बात की घोषणा उन्हे ३० जून तक इन्कम टैक्स आफिसर के पास कर देनी चाहिये। एक बार घोषित कर देने पर फिर कर उसी आधार पर लगेगा, उसे बदला नही जा सकता। कम्पनियो पर चाहे वे निवासी हो अथवा विदेशी, एक दर पर समस्त आय पर कर देना पडता है।

५. कर की बचत रोकने के लिए विशेष व्यवस्था

[Special provision relating to avoidance of tax]

नए आय कर विधान मे कर की बचत को रोकने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। प्राय सभी कर सम्बन्धी विशेषज्ञो की राय है कि आय कर का करोडो रुपया लोग बचा-जाते है और कर बचाने का काम काफी लम्बे पैमाने पर होता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सुझावो के अनुसार नए आय कर विधान मे कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई है।

१ यदि कोई निवासी किसी विदेशी के साथ व्यापार करता है तथा उन्होने परस्पर इस प्रकार की व्यवस्था कर ली है, जिसमे निवासी अपने खातो मे यह दिखला सकता है कि उसे कोई लाभ नही होता अथवा बहुत थोडा लाभ होता है तो इन्कम टैक्स आफिसर उस पर उचित कर बांध सकता है। [९२]

२ कभी कभी लोग अपनी सम्पत्ति किसी विदेशी के नाम हस्तातरित कर देते है तथा ऐसी व्यवस्था कर देते है, जिससे उसका लाभ उन्हे मिलता रहे। ऐसी चालाकी को रोकने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

यदि निवासी ने किसी विदेशी को कोई ऐसा हस्तातरण किया है जिसके द्वारा वह उसी समय अथवा भविष्य मे उससे होने वाली आय को प्राप्त कर सके, तो उस समस्त आय को निवासी की आय माना जावेगा। कर उसी दशा मे पडेगा यदि वह आय हस्तातरण न होने पर निवासी के पास कर देय होती। [९३(१–a)]

३. आय मे सहभागी होने के स्थान पर निवासी सम्पत्ति का हस्तातरण करके ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसके अनुसार उसे उसकी आय तो न मिले, परन्तु एक निश्चित समय बाद कोई सम्पत्ति प्राप्त हो जाय। यदि ऐसी बात का पता इन्कम टैक्स आफिसर को लग जाय तो वह विदेशी को हस्तातरित सम्पत्ति पर होने वाली आय को निवासी की आय मान सकता है। [६३(१-b)]

४ *प्रतिभूतियो का नकली क्रय विक्रय*–कुछ लोग प्रतिभूतियो को ब्याज मिलने के पहले बेच देते हैं और ब्याज मिल जाने के बाद खरीद लेते हैं। इस प्रकार वे ब्याज का रकम बचा जाते हैं, क्योकि आयकर विधान के अन्तर्गत प्रतिभूतियो पर ब्याज के अन्तर्गत कर उसी व्यक्ति पर लगता है, जिसे वास्तव मे ब्याज की रकम मिलती है। इस प्रकार के नकली सौदो को रोकने के लिए धारा ६४ के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। उसे विस्तार पूर्वक पृष्ठ ८५ पर बतलाया गया है।

INDEX